C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 22, Tuesday, March 23, 2021/ Chaitra 02, 1943 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE CHAIR	
Homage to martyrs of freedom movement	11
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 381 to 387	14-45
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 388 to 400	46-133
Unstarred Question Nos. 4371 to 4600	134-805

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 806-813

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 813

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
39th to 44th Reports 814

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
8th to 11th Reports 814

MATTERS UNDER RULE 377 815-824

(i) Regarding closure of Sambalpur Road Railway station

Shri Nitesh Ganga Deb 815

(ii) Regarding stoppage of trains in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ramdas Tadas 815

(iii) Regarding Pradhan Mantri Van Dhan Yojana

Er. Bishweswar Tudu 816

(iv) Need to implement schemes for promotion of tourism in border areas of Rajasthan including Ganganagar Parliamentary Constituency in the State

Shri Nihal Chand 816

(v) Regarding completion of pending works on National Highways

Kumari Shobha Karandlaje 816

(vi) Regarding availability of Psychiatrists in India

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki 817

(vii) Need to include Jainsari caste of Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh in the list of Scheduled Tribes

Shri Ajay Misra Teni 817

(viii) Regarding railways connectivity in Rajasthan

Shri Narendra Kumar 817

(ix) Regarding fixation of pay of TGTs in Kendriya Vidyalayas

Shri Bhola Singh 818

(x) Regarding alleged illegal sand mining in rivers in Chhattisgarh

Shri Mohan Mandavi 818

(xi) Regarding review of new rules and laws pertaining to use of fly ash

Shrimati Raksha Nikhil Khadse 819

(xii) Regarding certification of textiles produced from organic sources

Shrimati Meenakashi Lekhi 819

(xiii) Need to set up industries in Sagar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Rajbahadur Singh 820

(xiv) Regarding expediting conversion of railway lines from Raipur to Dhamtari and Rajim in Chhattisgarh into broadgauge

Shri Chunni Lal Sahu 820

(xv) Regarding problems being faced by investors

Shri Subhash Chandra Baheria 821

(xvi) Need to restore the kerosene quota of LPG consumers in Bastar, Chhattisgarh

Shri Deepak Baij 821

(xvii) Regarding FDI in Insurance sector

Shri Ravneet Singh 822

(xviii) Regarding release of funds under PRASAD Scheme

Dr. Beesetti Venkata Satyavathi 822

(xix) Regarding construction of new building of ESIC Hospital in Ulhasnagar, Maharashtra

Dr. Shrikant Eknath Shinde 823

(xx) Need to expedite construction of a stretch on NH-81 in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Dulal Chandra Goswami 823

(xxi) Regarding Paradip-Hyderabad pipeline project

Shri Chandra Sekhar Sahu 823

(xxii) Need to restore Old Pension Scheme

Shri Ram Shiromani Verma 824

(xxiii) Regarding release of special grant to Telangana

Dr. G. Ranjith Reddy 824

FINANCE BILL, 2021 826-979

Motion to Consider 826

Shrimati Nirmala Sitharaman 826, 916-928

Dr. Amar Singh 827-834

Shri Rajendra Agrawal 835-844

Shri P.V. Midhun Reddy 845-851

Shri Vinayak Bhaurao Raut 852-856

Shri Sunil Kumar Pintu	857-859
Shri Ritesh Pandey	860-863
Shri Nama Nageswara Rao	864-866
Shrimati Supriya Sadanand Sule	867-871
Shri Manoj Kotak	872-875
Shri Hasnain Masoodi	876-877
Shrimati Preneet Kaur	878-880
Shri Virendra Singh	881-884
Shri Syed Imtiaz Jaleel	885-887
Shri Sudheer Gupta	888-890
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	891-894
Shri Subhash Chandra Baheria	895-896
Shrimati Navneet Ravi Rana	897-898
Shri Bhola Singh	899-900
Shri Rahul Ramesh Shewale	901-902
Dr. Alok Kumar Suman	903-904
Shri Anil Firojiya	905-906
Kunwar Danish Ali	907
Shri Hanuman Beniwal	908-909
Shri Pinaki Misra	910-913
Shri Sumedhanand Saraswati	914-915
Clauses 2 to 160 and 1	928-979
Motion to Pass	979

NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BILL, 2021	980-1038
Motion to Consider	980
Shrimati Nirmala Sitharaman	980,1033-1037
Shri Jasbir Singh Gill	981-983
Shri Jayant Sinha	984-993
Shri Gajanan Kirtikar	994-995
Shri Pocha Brahmananda Reddy	996-997
Shri Dulal Chandra Goswami	998-999
Shri Chandra Sekhar Sahu	1000-1002
Shrimati Sangeeta Azad	1003-1004
Shri B. B. Patil	1005-1007
Shrimati Supriya Sadanand Sule	1008-1011
Shri S. C. Udasi	1012-1016
Shri E.T. Mohammed Basheer	1017-1018
Shri Syed Imtiaz Jaleel	1019-1020
Shrimati Sunita Duggal	1021-1024
Dr. Amar Singh	1025-1026
Shri Ravi Kishan	1027-1028
Shri Hanuman Beniwal	1029-1030
Shri Rahul Kaswan	1031-1032
Clauses 2 to 48 and 1	1038
Motion to Pass	1038

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 1039

Member-wise Index to Unstarred Questions 1040-1045

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 1046

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 1047

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA

Tuesday, March 23, 2021/ Chaitra 02,1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*]

REFERENCE BY THE CHAIR

Homage to martyrs of freedom movement

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज राष्ट्र, भारत माता के महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है, जिन्होंने वर्ष 1931 में आज ही के दिन हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। हम लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस अवसर पर हम इन तीनों महान शहीदों की देशभक्ति और बलिदान की भावना को सिर झुकाकर नमन करते हैं। सभा शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव तथा अन्य सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहूति दी। अब यह सभा हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

The Members then stood in silence for a short while.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 381, श्री विष्णु दत्त शर्मा जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैडम, कृपया बैठ जाइए। प्रश्न काल चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

(Q. 381)

श्री विष्णु दत्त शर्मा : माननीय सभापति महोदय, क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, (आरजीएसए) के अंतर्गत खजुराहो की ग्राम पंचायतों सहित मध्य प्रदेश राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत को कंप्यूटर और संबंधित उपकरण प्रदान किए गए हैं? इसकी जानकारी मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं।

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कम्प्यूटर और संबंधित उपकरण ग्राम पंचायतों को आरजीएसए स्कीम के तहत कितने मिले हैं, इसके बारे में पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सभी सांसदों को बहुत विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि आरजीएसए स्कीम हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पंचायत विभाग के द्वारा लाँच की गई है। हमारा ज्यादातर जोर इस बात पर है कि पंचायत के चुने हुए सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जाए और उनको सशक्त किया जाए। इसके साथ ही साथ, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु उनको प्रशिक्षित करने पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में क्रमश: 62 करोड़, 85 करोड़ और 71 करोड़ रुपये आरजीएसए के माध्यम से दिए गए हैं। उसी में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित एवं चिन्हित 300 ग्राम पंचायतों को यह सामग्री अदा की गई।

श्री विष्णु दत्त शर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि खजुराहो क्षेत्र में आरजीएसए स्कीम के तहत कोई भी कम्प्यूटर व उपकरण प्रदान नहीं किए गए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना के तहत वहां पर यह उपलब्ध होंगे? इसके साथ ही साथ, जो कम्प्यूटर ऑपरेटर्स हैं, क्या उनकी नई बहालियां इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खजुराहो लोक सभा क्षेत्र में होंगी? इसके साथ ही इस प्रकार के जो कम्प्यूटर्स इस योजना में उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वहां के क्षेत्रों में प्रावधानों के तहत इन कम्प्यूटर्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर बच्चों को ट्रेनिंग देने की क्या भारत सरकार की कोई योजना है?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी इस बारे में बताया है और मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में बहुत ही विनम्रतापूर्वक यह लाना चाहता हूं कि इसी योजना के तहत खजुराहों में, आपकी कॉन्सटीट्यूएंसी में किसी भी ग्राम पंचायत को कंप्यूटर नहीं दिया गया है। लेकिन यह केवल इसी योजना के तहत है। अन्य योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश के सारे गांवों को कंप्यूटर उपलब्ध हो गए हैं, मगर इसी योजना के तहत नहीं हुए हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है। अगर इसी योजना के तहत आपको संशाधनों की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार का जो प्लान बनता है, उसमें यदि राज्य सरकार आपकी कॉन्सटीट्यूएंसी के गांवों को चिन्हित करेगी, तो इस योजना के माध्यम से भी आपको देने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात यह है कि आपने इस योजना के तहत कंप्यूटरों के प्रशिक्षण के लिए जो डिमांड की है, वह प्रशिक्षण देने का काम लगातार चल रहा है और आगे भी चलाया जाएगा।

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि ग्राम पंचायतों में हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश के इतिहास में पहली बार केन्द्र के माध्यम से गांव के विकास के लिए सीधे रकम पहुंचाई जाती है, जो कि 15 वे वित्त आयोग के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि यह व्यवस्था ग्राम पंचायत के लिए है और हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव अभी ही पूर्ण हुए हैं। हमारे जिला पंचायत और तालुका पंचायत के स्थानीय प्रतिनिधियों की भी एक डिमांड है कि जिला पंचायत स्तर और तालुका पंचायत स्तर पर भी केन्द्र सरकार आने वाले दिनों में ऐसा कोई

प्रावधान करे। केन्द्र सरकार जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है, क्या उस दिशा में ऐसा कोई प्रावधान आने वाले दिनों में होने वाला है? मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहती हूं।

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय सदस्य जिन जिला परिषद और तहसील परिषद के सदस्यों के लिए डिमांड कर रही हैं, अभी के चुनाव में उन्हीं के क्षेत्र में मुझे भी जाने का मौका मिला था, उस समय वहां के जिला परिषद के लोगों ने मेरे सामने इस मुद्दे को रखा था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्राम पंचायतों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आजादी के बाद सीधे पैसे पहुंचाने का यदि सबसे बड़ा उपक्रम लिया गया, तो वह हमारे प्रधान मंत्री जी के द्वारा लिया गया और पैसा सीधा ही पंचायतों को पहुंचाया गया। इसी के कारण पंचायतों में काम कर रहे सरपंच अब अपने को इस विकास में हकदार मानने लगे हैं। इसका फल भी मिल रहा है।

मैं माननीय सदस्या और पूरे सदन में मेरे साथियों को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह पंचायतों की ओर से, जिला परिषदों की ओर से और हमारे कई माननीय सासंदों की ओर से भी हमें यह सुझाव मिल रहे थे कि तहसील पंचायत और जिला परिषद के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच तो पावरफुल हो गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई सुविधा नहीं होने की वजह से हम थोड़े दुखी हो रहे हैं। उनके दुख का निवारण हमारे प्रधान मंत्री जी और श्री तोमर जी ने कर दिया है। अगले 15 वें वित्त सिफारिशों के आधार पर तहसील पंचायत को 10 से 25 प्रतिशत और जिला पंचायत को 5 से 15 प्रतिशत की राशि मुहैया कराने का निर्णय ले लिया गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, जो उत्तर दे रहे हैं, वह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना है जो कि वर्ष 2018-19 में लागू किया गया है। महोदय, जिस विषय पर विशेषरूप से पंचायत स्तर पर कंप्यूटर या अन्य उपस्कर और उपकरण उपलब्ध

कराने की बात है, आपको स्मरण होगा कि इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि पूरे भारत वर्ष में 2,50,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाना है।

इसमें उन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि एक लाख 25 हजार ग्राम पंचायतों तक उस ऑप्टिकल फाइबर को पहुँचा दिया गया है। साथ-साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी यह घोषणा की है कि अगली योजना में देश के छह लाख गाँवों तक इंटरनेट की सुविधा पहुँचायी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है, जो भारत नेट पर वर्ष 2017 की कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह भी तय किया गया कि हर पंचायत तक जो फ्री कनेक्शन देना है, उसमें 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। अभी हाल-फिलहाल हमारी पार्लियामेन्टरी पार्टी की बैठक माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें उन्होंने यह बात कही कि अगले 40 साल तक का हम सोचेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयारी करेंगे। उसमें उन्होंने मंत्रालयों के समन्वय की भी बात की, जिस तरह से कोविड के दौरान मंत्रालयों से समन्वय करके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपये की राशि भारत सरकार के एक मंत्रालय द्वारा प्रत्येक पंचायत में इस उपकरण को जोड़ने के लिए लगाया जा रहा है। आपका मंत्रालय इस बात का समन्वय स्थापित करके आरजीएसवाई योजना के तहत देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है, आप ऐसी कोई व्यवस्था उसी राशि में या अन्य राशि लगाकर करना चाहेंगे, ताकि सुचारू रूप से प्रमाणिकता मिल सके कि इन स्थानों में ग्राम पंचायत, जो हमारे गाँवों में है, पंचायतों में है, वहाँ इस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण विशेषकर पंचायत सेवकों को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि यह भी सुनिश्चित हो जाए कि वहाँ कनेक्शन पहुँच चुका, कनेक्शन चल चुका तो आपका कंप्यूटर प्रशिक्षण का काम भी वहाँ चल सकेगा। क्या इस समन्वय की जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी अपने मंत्रालय के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के 543 सांसदों के लिए करना चाहेंगे? यह मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ।

श्री परषोत्तम रूपाला : महोदय, माननीय रूडी साहब ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव रखा है और यह उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। गाँवों को, ग्राम पंचायतों को टेक्नोलॉजी से

सुसज्जित करने की दिशा में भारत सरकार के, हमारे ही विभाग के दो मंत्रालयों के बीच में वे कोआर्डिनेशन करना जरूरी समझ रहे हैं। मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूँ और हमारे ही विभाग द्वारा इनिशिएटिव लेकर, रूरल डेवलपमेंट की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से ग्राम पंचायतों को जोड़ने का उपक्रम चल रहा है। उसको गति देने और उसी के जरिए हम यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत तक हमारी कनेक्टिविटी बरकरार हो।

सर, मैं आज इस सवाल का जवाब पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊँ, उसी समय हमारे एक कर्मचारी ने एक डाटा निकाला और उसमें उन्होंने मुझे बताया कि आज की डेट में 6 लाख 56 हजार ट्रांजेक्शन ग्राम पंचायतों की ओर से अपने पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं। यह बता रहा है कि पंचायतों में यह सुचारू ढंग से हो रहा है। इस कोआर्डिनेशन से उसमें तेजी आएगी। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ।

(Q. 382)

एडवोकेट अजय भट्ट: महोदय, मैं आभारी हूँ कि माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का बहुत सुन्दर उत्तर दिया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों को देश और दुनिया में जो सम्मान दिलाने का काम किया है, उसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही मैं एक जानकारी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड समेत सभी पर्वतीय राज्यों में परम्परागत खेती लंबे समय से वहाँ के लोग करते आ रहे हैं। जिसमें जौ, मडुआ, झंगोरा, रागी, गहत जिसे कुलथ भी कहते हैं, तूर इत्यादि होता है। साथ में ब्रह्म कमल है, अश्वगंधा है, जटामांसी है, काली हल्दी है, कीड़ा जड़ी है, तुलसी है, इसके समेत सेमल इत्यादि सभी मेडिसिनल प्लांट्स हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की परम्परागत खेती को देखते हुए उन्नत किस्म के बीज बैंक बनाने हेतु क्या कोई विचार सरकार ने किया है या कोई बीज बैंक बनाया गया है, यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है?

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जैसे बताया कि उत्तराखंड के किसानों के द्वारा जो परम्परागत धान्य और कई औषधीय पौधों की खेती तथा उसका उपक्रम किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए अलग से कोई बीज बैंक बनाने का सरकार के सामने अभी प्रस्ताव नहीं है। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण है, उसी के द्वारा करीब 1806 स्वदेशी और अपने स्थानीय किस्मों का रजिस्ट्रेशन तथा संरक्षण करने का प्रावधान कर दिया गया है। देश के किसी भाग से, कहीं से भी किसान अपने द्वारा संरक्षित किए हुए किस्म को संरक्षित करना चाहता है तो यह प्राधिकरण के तहत उसको करने की सुविधा उपलब्ध है।

एडवोकेट अजय भट्ट: महोदय, वर्तमान में जैविक खेती के जो केन्द्रीय कार्यालय हैं, वे बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर में हैं। चूंकि उत्तराखंड राज्य भी जैविक खेती की

ओर बढ़ रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जैविक खेती का कोई केन्द्रीय कार्यालय उत्तराखंड में भी खोलने पर विचार करेंगे?

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की उस भावना और कंसर्न का धन्यवाद करता हूं। मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, वह ज्यादातर अपने आप में जैविक खेती करने वाला ही है। वहां ऑर्गेनिक खेती करने की परम्परा ही है। आपने जिन कार्यालयों का जिक्र किया है, ऐसे डेडिकेटेड कार्यालय नहीं हैं। ये हमारे कृषि विभाग के ही सारे रिसर्च सेंटर्स हैं और आईसीएआर के तहत हम इन कार्यालयों एवं केन्द्रों को संचालित कर रहे हैं। आपके एरिया के किसानों को ऑर्गेनिक कृषि के प्रति जागृत करने के लिए, हमारे विभाग की योजनाओं के तहत राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी योजनाएं अमल में हैं। उनका भरपूर लाभ वहां के किसान लें और उसके लिए आप कहें, तो उसी प्रकार के अवेयरनेस के कार्यक्रमों का वहां संचालन करने का हम जरूर प्रयास करेंगे।

श्री संजय जाधव: महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वर्तमान में 22 बीज बैंक कार्यरत हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में कृषि विश्वविद्यालय बड़े संघर्ष के बाद मिला है। लेकिन कुछ तकनीकें पूरी नहीं होने के कारण जो बीज किसानों को अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, अच्छे दर्जे से मिलना चाहिए, वह मिल नहीं पा रहा है। मेरी सरकार से विनती है कि सरकार ने किसान आत्मनिर्भर योजना के तहत देश में 650 जिलों में बीज बैंक खोलने की बात कही है। मेरा सरकार से यही प्रश्न है कि किसानों की सुविधा के लिए क्या सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभणी में बीज बैंक खोलने पर विचार कर रही है?

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि उनके क्षेत्र में किसानों को उन्नत किस्म के बीजों के मिलने में कुछ दिक्कत आ रही है। यदि माननीय सदस्य यह कंप्लेंट ठीक तरीके से मुझे भेजेंगे तो मैं उसका निस्तारण करने का भी प्रयास करूँगा। मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि पूरे देश के किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हों, इसके लिए हम एक साल पहले भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को

सचेत करते हैं। हम हर सीजन से पहले, खरीफ और रवी सीजन से पहले हर राज्य के कृषि मंत्रियों और कृषि सचिवों के साथ बैठ कर उनके राज्य में किस प्रकार की चीज की कितना आवश्यकता है, उनका स्टॉक लेते हैं तथा उसके आधार पर हमारी एजेंसियों के द्वारा उन बीजों की आपूर्ति का प्रबंध करते हैं। इसलिए आप राज्य सरकार के माध्यम से आपके इलाके के किसानों की जरूरत के बीजों का आवेदन समय से भारत सरकार को मिल जाए, उस प्रकार की कार्रवाई करने से किसानों की समस्या का निस्तारण हो सकेगा।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: This is regarding the '*Beej Bachao Andolan'* that was started in Uttaranchal by Vijay Zardari in 1980s. That was the beginning of a very good movement.

I have gone through the replies of the hon. Minister also, but I first want to express what I am thinking and then I will put the question. The FPO is a very good concept of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, which will unite the producers like the milk cooperative society. The farmers will produce crops and will sell it to various businessmen. Agriculture is a very important subject in our country.

माननीय सभापति : आप प्रश्न पर आइए।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: The question will come after a small introduction. The problem is how a farmer can directly interact with the businessman. If the Food Corporation of India becomes an intermediary and acts between the Farmers Produce Organisation, which is a wonderful initiative, and the business community, then the farmers will not have any problem. My question is whether there is any plan of the Government to involve the FPOs in the production of a particular seed. Like Green Revolution

and White Revolution, is there any plan for Seed Revolution? This will be supplementing the hon. Prime Minister's efforts to promote various crops which are healthy and all. So, I would like to ask the hon. Minister if there is any plan in this direction.

श्री परषोत्तम रूपाला: आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा करने और हमारा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है, इसके लिए उनके कन्सर्न को मैं धन्यवाद देता हूं।

सर, हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश के कृषि जगत को एक सपोर्ट देने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की है। एफ.पी.ओज़. का सीधा-सादा और सरल अर्थ इतना ही है कि हमारे किसानों की बेसिक समस्या हमारी छोटी जोत है। छोटी जोत के किसान न तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं और न ही बारगेनिंग कर सकते हैं और न ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। यदि एफ.पी.ओ. बन जाता है और यदि 100, 200, 1000 किसान इकट्ठे हो जाते हैं तो जोत अपने आप बड़ी हो जाती है। इस प्रकार से, पूरे देश में दस हजार एफ.पी.ओज़. का गठन करने का आह्वान भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया है और उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है।

अब आपने जो कहा कि क्या हम इन एफ.पी.ओज़. के माध्यम से सीड्स प्रोडक्शन के कार्यक्रम को जोड़ सकते हैं तो अभी तक हमारी जो व्यवस्था है, उसमें हमारे सीड्स कॉरपोरेशन राज्यों के सीड्स कॉरपोरेशंस और राज्य सरकारों के साथ मिल कर इसके प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। उसमें हमारा कॉरपोरेशन, नेशनल सीड्स कॉरपोरशन और राज्यों के सीड्स कॉरपोरेशन सीधे किसानों से ही कॉमर्शियली सीड्स प्रोडक्शन का काम करवा ही रहे हैं। उसमें अगर एफ.पी.ओ. भी जुड़ना चाहें और अगर किसी एफ.पी.ओ. की ओर से हमारे पास दरख्वास्त आती है कि हमें इस सीड्स प्रोग्राम से जुड़ना है तो उन्हें इससे जरूर जोड़ने के कार्यक्रम को हम अमल में लाएंगे।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि मंत्रालय बहुत सारी योजनाएं बना रहा है। उसी तरह, ये बीज बैंक की योजना भी है। अभी गुजरात में जो चुनाव हुए, इसमें जिला पंचायत और तालुका पंचायत के चुनावों में 90 प्रतिशत रिजल्ट आए। जिला पंचायत के चुनावों में तो 31 में से 31 सीटें आईं।

महोदय, मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना है कि जो भी योजना बनाई गई है, इसमें सरपंचों को काफी मजबूती दी गई है, लेकिन तालुका पंचायत और जिला पंचायत तक राज्य सरकार के माध्यम से क्या कोई और मजबूती प्रदान करने की योजना है?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय सभापति जी, यह सवाल अगले सवाल से जुड़ा हुआ है। मैंने उसी सवाल के जवाब में बताया था कि ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की ओर से सीधी मदद मिल रही थी, अब पन्द्रहवें वित्त आयोग की नई सिफारिशों के तहत तालुका पंचायत और जिला पंचायतों को भी अपने अनुपात में मदद देने का निर्णय भारत सरकार ने कर दिया है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : धन्यवाद, डिप्टी स्पीकर महोदय, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, यह एक बहुत ही अच्छा कोइन्सिडेन्स है, क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर हैं। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भारत में बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं इसका कारण ग्लूटेन रिलेटेड खाना भी है।

अभी मैं मंत्री मंहोदय के संज्ञान में यह विषय लाना चाहती हूँ कि बाजरा, रागी और ज्वार जैसे जो अनाज हैं, जिसको हम साधारण भाषा में मोटा अनाज कहते हैं, ये अनाज ग्लूटेन फ्री हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट्स हैं, वे अपनी साइंस का प्रयोग-उपयोग करते रहते हैं। गुथने की दृष्टि से इनको गुथना मुश्किल होता है। वे इसमें भी ग्लूटेन डाल रहे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय जी इसका संज्ञान लेकर कुछ इस तरीके का नियम लाएंगे कि जो वैज्ञानिक खोज और बाकी चीजें चल रही हैं, उनमें जो सीरीअल है, उसका नेचर तब्दील न हो, इसके ऊपर कोई प्रयास किया जाए?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय सभापति जी, हमारी माननीय सदस्या अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपनी बहुत ही ख्याति प्रस्थापित कर चुकी हैं। किसानों, कृषि जगत और खासकर न्यूट्रिशन को हल करने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मिलेट का जिक्र किया।

मैं आपके माध्यम से सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वेबिनार में हमारे जाफराबाद के सियालकोट के बाजरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सियालकोट का जो बाजरा है, उसमें क्या ऐसी गुणवत्ता है कि लोग अपने-आप उसको खाना पसंद करते हैं। उस बाजरे का जो रोटला बनता है, वह बहुत स्वादिष्ट होता है। हमने उस बाजरे का नमूना मँगाकर आईसीएआर में उसमें संशोधन करने के लिए बोला है। आईसीएआर ने उस बाजरे का संशोधन करके प्रस्थापित किया कि हमारे देश में जितने भी मिलेट्स हैं, बाजरे की जो भी जातियाँ अभी तक उपलब्ध हैं, उनमें से सबसे ज्यादा आयरन और न्यूट्रिशन वैल्यू उस बाजरे में है, ऐसा प्रस्थापित हो गया है। उसका हमने गजट कराने के लिए भी सूचना दे दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे देश को बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से इस मिलेट्स डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 के साल को मनाने के लिए निर्णय ले लिया गया है। हमारे ही देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस मिलेट्स के महत्व को उजागर करने का सबसे बड़ा उपक्रम वर्ष 2022 में हम करने जा रहे हैं। उसी मिलेट्स में गुणवत्ता पूर्ण सीड्स का संशोधन करके, जिस लौह और दूसरे तत्वों की आवश्यकता है, उन सारे न्यूट्रिशन को सीड में मिलाकर उस प्रकार के सीड के डेवलपमेंट के काम में आईसीएआर बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है। उसमें हमने कई प्रजातियों को भी संशोधित कर दिया है।

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 383 ,

श्री डी. एम. कथीर आनंद – उपस्थित नहीं।

(Q. 383)

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय सभापति जी, धन्यवाद। आज प्रश्न काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से इस देश के सामने उपस्थित हुआ है।

माननीय मंत्री जी ने इस बारे में बहुत विस्तार से जवाब दिया है और यह बड़ा फोकस्ड जवाब है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उर्वरक के आयात के ऊपर हमारी सरकार बहुत खर्च करती है। इन्होंने जवाब में लिखा है कि लगभग 2300 मिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यय अकेले यूरिया के ऊपर हुआ है। इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या और केमिकल फर्टिलाइजर का बहुतायत उपयोग दो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, आगे आने वाले समय में बड़ी चुनौती के रूप में इस देश को उनके साथ जूझना पड़ेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, वह जमीन को खराब कर रहा है। हरियाणा और पंजाब इसके बड़े उदाहरण हैं। इसको हतोत्साहित करते हुए, जिसमें सरकार द्वारा टैक्स के माध्यम से इकट्ठा किया हुआ जो पैसा है, उस पैसे को भी बचाने का एक मार्ग प्रशस्त होगा और हम जमीन को बचाने में भी कामयाब होंगे। क्या आगामी समय में मंत्रालय केमिकल युक्त फर्टिलाइजर्स, जिसमें यूरिया और डीएपी आदि शामिल हैं, उसको हतोत्साहित करते हुए उसका उपयोग कम हो और उस कीमत पर जो जैविक खाद है, जो हमारे देश की ताकत है, परंपरागत रूप से आदि काल से हमारे देश में किसान उसका उपयोग करता था।

जैविक खाद का उपयोग बढ़े और केमिकल युक्त फर्टिलाइजर को हतोत्साहित किया जाए। इस पर पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई एक युद्ध स्तर पर, मैं युद्ध स्तर पर शब्द इसलिए इस्तेमाल

कर रहा हूं, क्योंकि इसको बहुत बड़े लेवल पर सोचकर हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या मंत्रालय, क्या सरकार, जैविक खाद का उपयोग बढ़े और लोग स्वस्थ रहें, इस पर कोई काम कर रही है?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Hon. Speaker, Sir, it is true that the health of the soil is being deteriorated by making use of these chemical fertilizers. Right from the day one of assuming the charge by the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, we had started various initiatives to reduce the usage of chemical fertilizers and we want to see that the fertilizes like nano-fertilizers, organic fertilizers, and city compost are used. So, we are giving incentives for the promotion of other fertilizers also. It is quite unfortunate that for the time being usage of chemicals and fertilizers is going up day by day to a certain extent which really is a dangerous situation before us. We have planned for this and we have already taken the initiative in consultation with the Ministry of Agriculture to see that the use of chemical fertilizers should be reduced. For this, a masterplan is already prepared.

Recently, IFFCO has come up with the nano-fertilizer. A trial was run across the country and nearly 11,000 farmers were given this fertilizer. We have seen that because of the use of nano-fertilizer, the health of the soil is kept in good condition and even the production has gone up. We have seen that the cost of fertilizer has come down. So, these are the initiatives that we are taking and we are giving all sorts of support. The Department of Agriculture has already permitted the use of nano-fertilizer under the Fertilizer Control Order. So, we are taking several steps to see that the use of chemical fertilizers is reduced in the coming days.

श्री मनीष तिवारी: सभापति महोदय, पिछले प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में डिसइनवेस्टमेंट करने जा रहे हैं। शायद 20 प्रतिशत स्टेक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का है, जिसकी एक यूनिट मेरे संसदीय क्षेत्र में भी है। उसमें आप डिसइनवेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आपका अनुमान है कि लगभग 408 करोड़ रुपये उस डिसइनवेस्टमेंट से आपके मंत्रालय को मिलेंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे 408 करोड़ रुपये या 500 करोड़ रुपये डिसइनवेस्टमेंट के माध्यम से जो आपके मंत्रालय को मिलेंगे, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में न भेजते हुए, उसका उपयोग ग्रीन फर्टिलाइजर को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने, जिन्होंने मुझसे पहले यह सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि जब से यह हरित क्रांति आई है और केमिकल फर्टिलाइजर का प्रचलन बढ़ा है, उससे हमारे खेत-खलिहान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वे काफी ज्यादा जहरीले हो गए हैं। इसको ठीक करने के लिए, डिसइनवेस्टमेंट से जो पैसा आपके मंत्रालय को आएगा, क्या आप स्पेसिफिकली उसका इस्तेमाल इस ग्रीन फर्टिलाइजर परियोजना के लिए करेंगे?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, as rightly said by the hon. Prime Minister, doing business is not the business of the Government. It is rightly asked by my friend Shri Manish Tewari whether the disinvestment, which we have planned as far as NFL is concerned, can be diverted to an area where exactly we want to see it being invested in the fertilizer section so that the soil health is improved and the usage of chemical fertilizers is reduced. His suggestion is well taken. So, far we have not initiated the process of disinvestment and other things. The intentions of the Government will be made clear as soon as we take any step.

HON. CHAIRPERSON: Q. 384.

Shrimati Vanga Geetha Viswanath – Not present.

Shri Asaduddin Owaisi – Not present.

(Q. 384)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA : Thank you Chairperson, Sir. The State of Andhra Pradesh has a total of 359 cold storages with an average holding capacity of 5516 metric tonnes. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government intends to provide for modernisation and development of the same to provide better facilities relating to processing of food items. Thank you.

श्री परषोत्तम रूपाला : सभापति महोदय**,** वैसे इस प्रश्न का बहुत ही शार्ट हां में उत्तर दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना सूक्ष्म उद्योगों के लिए मदद करने का प्रावधान है। राज्य सरकार के माध्यम से जो भी इन्टरप्रेन्योर अपने उद्योग को अपडेट करने का प्रयास करना चाहते हैं, वह इसके लिए जरूर प्रयास करें, आगे आएं और भारत सरकार की फूड प्रोसेसिंग योजना का लाभ लें।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का अभिनंदन करता हूं, चाहे प्रोडक्शन इन्सेन्टिव स्कीम हो, माइक्रो इन्टरप्रेन्योर की स्कीम हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम हो। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट लेकर आगे आएं ताकि स्वीकृत हों।

मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत टोमैटो, ओनियन और पोटैटो प्रोसेसिंग के लिए कितना बजट आबंटित किया है और आज तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है?

इसके साथ ही मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना को कितना बजट दिया गया है और महाराष्ट्र के कितने प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति मिली है?

श्री परषोत्तम रूपाला : सभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने ऑपरेशन ग्रीन के बारे में पूछा है कि इसके तहत कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। मुझे माननीय सदस्य और पूरे गृह को बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत टॉप टोमैटो, ओनियन और पोटैटो को बेनिफिट देने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई थी।

मगर किसानों की मांग पर प्रधानमंत्री जी ने उसमें 22 नई जीन्स को परमिशन दी है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत टोमैटो, ओनियन और पोटैटो के अलावा और 22 जीन्स को परमिशन दे दी गई है।

अभी तक छह परियोजनाओं को परमिशन दे दी गई है। 363 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी गई है और 136 करोड़ रुपये की अनुदान राशि भी रिलीज कर दी गई है। इससे अट्ठारह हजार किसानों ने लाभ भी लिया है।

आपने महाराष्ट्र के बारे में जो प्रश्न पूछा कि महाराष्ट्र में इस योजना के तहत क्या प्रोग्रेस हुई है तो उसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा।

(Q. 385)

श्री जगदम्बिका पाल: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने देश के किसानों की फर्टिलाइजर सब्सिडी के संबंध में उत्तर दिया है। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा किसानों को फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है, वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दी जा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम है, देश में खुदरा फर्टिलाइजर की दो लाख छब्बीस हजार पाइंट ऑफ सेल्स हैं, इसके आधार पर समय-समय पर जो बिक्री होती है और वास्तविक बिक्री के आधार पर साप्ताहिक रूप से भारत सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी रिलीज करती रहती है।

फर्टिलाइजर कंपनियों को रिलीज करने के बजाय डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किसानों के खाते में हो, इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने कैबिनेट सैक्रेट्री की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सैक्रेट्रीज़ की कमेटी कांस्टीट्यूट कर दी है। इसकी दो बैठकें हुई हैं। इस कमेटी का गठन 16.01.2020 यानी एक साल दो महीने पहले हुआ, लेकिन कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। भारत सरकार किसानों को फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी दे रही है, इसका सीधा पैसा किसानों को मिल सके, क्या इसके संबंध में माननीय मंत्री जी समयबद्ध तरीके से कोई कार्यक्रम बनाएंगे?

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: The intention of the Government is to see that the fertiliser subsidy is credited directly to the accounts of the farmers. This is the real intention of the Government. But there are several issues that need to be debated. All the stakeholders need to be consulted. The technical aspect also needs to be looked into. A technical committee has to be formed. A decision has to be taken in terms of the quantity of fertilizer that needs to be

given to a particular farmer. So, several issues need to be debated and discussed.

We had a Committee under the Chairmanship of the Cabinet Secretary consisting of other high-level Secretaries as its members. Of course, they consult one or two biotech companies also. We want to go further and have consultations with all the stakeholders, like the State Government, farmers, manufacturers and other agencies, to come to the conclusion how it could be dealt with. Even the transaction should be very transparent, which requires some technical aspect to be taken care of.

We have formed a Committee under the Chairmanship of Cabinet Secretary. At the same time, a *Chintan Shivir* was organised to hold discussion with the farmers. I myself headed that *Shivir* and held three to four interactive sessions with the State Governments, farmers and others, but a final decision has not yet been taken. We are eager that it should be done at the earliest.

I would once again discuss with the Committee headed by the Cabinet Secretary. The Committee headed by me also needs to come to a final conclusion. We hope that it will be done at the earliest. This is also the intention of the Government because direct subsidy transfer to the bank account of a farmer will track the actual buyer, reduce black-marketing, and diversion. The farmers will be at liberty to choose the fertilizers that he should use. All these things will certainly benefit the farmers. It will also help in

doubling the farmers' income. We are working on it and we will do it at the earliest.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : I am thankful to the Minister and I feel that the Minister is very kind to the farmers. Our Government is also committed to their cause. The Government has already constituted one Committee under the Chairmanship of the Cabinet Secretary and the hon. Minister is also Chairing one *Chintan Shivir,* a Working Group for the Direct Benefit Transfer Scheme. I do not have any doubt about the intentions of the Minister. He is quite committed to allow direct cash transfer to the farmers against fertilizer subsidy. I would like to know how much time it will take. The Government has already constituted two committees; one headed by the Minister and another headed by the Cabinet Secretary. The Government has also decided upon the criteria for selection of the farmers, their entitlement and determining the amount of subsidy to be transferred to the farmers' accounts periodically. There is no ambiguity on this count. So, I would like to know how much time it will take. Is there any definite time to come to conclusion by both, the Committee headed by you as also the Committee headed by the Cabinet Secretary?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Hon. Chairperson, Sir, practically, several States have already given their opinions because ultimately, in a sense, they are the implementing agencies. After the transfer of subsidies to the accounts of the farmers, the State Government concerned is responsible for the distribution inside that particular State. So, the State Governments are also taken on board.

Certain State Governments have given their opinions. Recently, we had a webinar with the State of Karnataka where they have come up with a new technology, wherein even the farmer's data -- his land, crop pattern, and other things -- is collected in such a way that it is easy to assess how much fertiliser should be given to a particular farmer because it varies from State to State. In certain States, the crop pattern is entirely different. In certain States, the usage of fertiliser is entirely different. So, these are the major issues that need to be taken care of when we need to come to a solution.

I really thank the hon. Member because he is very eager to see that the fertilizer subsidy should go to the accounts of the farmers. We are also not delaying it. Certainly, within a very short time, this will happen. We should sit with another committee once again. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सरकार का मन बहुत स्पष्ट है। Let us wait.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: We are very particular that it should directly go to the accounts of the farmers and the farmers should have the liberty to make use of fertilizers. So, the farmer should be an independent man.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : When we look at the existing data on transfers under the PM-KISAN, we can see that transfers made during the sowing season are about twice as productive as during the non-sowing season. About 70 per cent of the money that was given to farmers under the PM-KISAN transfers was put back into agriculture. In non-sowing season, it was almost half.

My question to the hon. Minister is this. When we are looking at DBT for fertilisers, are we looking at the periodicity of transfers? Are we looking at doing an emphasis on transfers during the sowing season with, of course, allowing for cropping patterns, geography, etc., because that will be much more beneficial to the nation and to the farmers as well?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: This PM-KISAN fund will be distributed by the Agriculture Ministry. I have nothing to do with this. In spite of that, we are seeing that during the cropping pattern, it should be transferred to the farmers so that they can make use of that.

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Harsimrat Kaur Badal Ji. Madam, kindly ask a brief question.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: The hon. Minister in his reply has said that the working group has held several meetings with all stakeholders regarding this Direct Cash Transfer.

मेरा माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिक क्वैश्चन है कि पंजाब में आपने कौन-से स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की है और पंजाब सरकार का क्या व्यू है, क्योंकि अभी भी इससे पहले देखा है कि जो … * कृषि कानून हैं, जिनके खिलाफ किसान बैठे हैं। …(व्यवधान) उधर भी सेक्रेटरीज ने कहा था कि हमने स्टेक होल्डर्स से बात की है।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

* Not recorded.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: लेकिन, असल में किसी स्टेक होल्डर्स से बात नहीं हुई है। …(व्यवधान) जो राज्य 40 फीसदी …(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

…(व्यवधान)

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I will be very clear. This Direct Cash Transfer to the farmers is not related to the Punjab Government alone. We have taken the opinions from the stakeholders of the whole country, including Punjab. We have taken their opinions. I can spell out what all was said by the Punjab Government only after a final decision comes out. Then only, I can say that ‘yes’ these are the issues on which a clear answer has been given by the Central Government.

(Q. 386)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Thank you, Sir.

I have asked a very detailed question to the Home Ministry concerning the implementation of the AP Reorganisation Act and I was equally expecting a detailed answer regarding this. But what I see here is a very insulting and an irresponsible answer from the Home Ministry.

About nine crore people from both the Telugu States of Telangana and Andhra Pradesh, have been looking forward to this answer and all they see is a lack of interest, or a lack of knowledge, or both, which seems to be true in this case by looking at the answer.

माननीय सभापति: आप अपना प्रश्न पूछिए।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: The question that I had asked are these. How much is the implementation of the Act and also, what are the reasons for non-fulfilment of assurances? What is the proposed deadline?

I would also like to put the answer on record. It says that a large number of provisions of the AP Reorganisation Act have been implemented.

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: My question still remains the same. It has not been answered. We are not satisfied with the reply. My question to the hon. Minister is this. Is he willing to publish a ‘White Paper’ on this so that the people of Andhra Pradesh and Telangana know the exact implementation? It is mentioned that there are ten years. But eight years have already passed.

श्री नित्यानन्द राय : सभापति महोदय, उत्तर बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा जा चुका है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच कुछ ऐसे द्विपक्षीय मुद्दे हैं, जिनको दोनों राज्यों को आपस में सौहार्द वातावरण में सुलझाना है। इसमें गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर कई बार निर्देश भी दिए हैं और सुझाव भी दिए हैं।

मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के बाद इसमें जितने भी प्रावधान किए गए थे, वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच समग्र विकास के लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं। इसमें अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। एक नहीं, बहुत सारे प्रावधान हैं, जो उन दोनों राज्यों को तय करने हैं। अभी तक जितने भी मामले अभिलंबित हैं, जिनको विभाजन के बाद दोनों राज्यों में लागू होना था, वह उन दोनों पर डिपेंडडेंट है। उसमें गृह मंत्रालय (केन्द्र सरकार) का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमने दोनों के साथ सौहार्द्र वातावरण में कई बार मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया है। अगर माननीय सदस्य किसी मुद्दे के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उनका उत्तर दे सकता हूं।…(व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, I am not still satisfied with the Minister's reply. There are issues between the States and the States have to sit together. But there are many issues which have to originate from the Central Ministry itself. What about the assurances made from the Central Ministry? What is the status of that? Not one provision has been listed. It says they are being implemented. But how much have been implemented? If they know what are the provisions, then they could have straightforwardly listed them. So, still I am not satisfied.

But my second supplementary question is this. When the Bill was passed in 2014, one of the major assurances made on the floor of the House to the State of Andhra Pradesh was the addition of special status because

Andhra Pradesh was getting an unfair deal in this bifurcation. The then Prime Minister Shri Manmohan Singh Ji has promised on the floor of the House that Andhra Pradesh should get special status and the present Prime Minister also in his election campaign and their manifesto also has included that Andhra Pradesh is going to get special status. Now, the present Chief Minister of Andhra Pradesh has also promised that he is going to get special status. Now, the people of Andhra Pradesh are believing that the special status is going to come for Andhra Pradesh.

श्री नित्यानन्द राय : सभापति महोदय, 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे को परिभाषित करते हुए कहा है कि अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। फिर भी जब राज्यों का बंटवारा हुआ था, तो उस समय जो आश्वासन दिया गया था, उस हिसाब से आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिला है। वित्त मंत्रालय के विशेष विकास पैकेज के तहत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2019-20 के दौरान रायलसीमा और उत्तर तटीय क्षेत्र के विकासात्मक गतिविधियों के लिए आंध्र प्रदेश के 7 पिछड़े जिले हैं। आंध्र प्रदेश के ऐसे प्रत्येक जिले को 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 1,400 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।…(व्यवधान) उसमें विशेष दर्जे की बात नहीं है, बल्कि उनके विकास के लिए विशेष पैकेज जरूर दिया गया है।

14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015 और 2020 की अवधि के लिए 22,113 करोड़ रुपयों की अनुशंसा की थी। वर्ष 2015-20 के दौरान अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) के तौर पर 22,111 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। 15वें वित्त आयोग में वर्ष 2020-21 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 5,897 करोड़ रुपये की राशि की अनुशंसा की गई थी, उसको भी राज्य को दे दिया गया है। उसके अलावा उनकी जितनी भी विशेष बातें हैं, उसमें कई उलझने हैं, जो कहीं

न कहीं और किसी भी प्रकार से उसको राज्य को ही सुलझाना है। इसके लिए कई बैठकें हुई हैं, ऐसे 32 मामले थे, जिसके लिए आंध्र प्रदेश ने अपने मुद्दों की एक सूची गृह मंत्रालय को जरूर भेजी थी।

चूँकि वहां का विषय तेलंगाना ओर आंध्र प्रदेश के बीच का है। …(व्यवधान) गृह मंत्रालय ने उन 32 राज्यों की सूची तेलंगाना राज्य को भेज दी है।…(व्यवधान) ताकि उसकी प्रकृति के अनुसार व्यक्तव्य आएं, लेकिन तेलंगाना राज्य के द्वारा अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य से एक आग्रह करूंगा कि उनके जो भी अनसुलझे मुद्दे रह गए हैं, उनको आपस में बैठकर सुलझाएं।…(व्यवधान) दोनों राज्यों का मामला वहीं अटका हुआ है। केन्द्र सरकार के पास कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है।…(व्यवधान) नायडू जी, जो भी मुद्दे हैं, उनको आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य को ही सुलझाना है।…(व्यवधान)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY : Sir, in 2014 it was promised in the NDA's manifesto that special category status will be given to us. When the new State of Andhra Pradesh was formed, we had unviable finances. Even the present Prime Minister himself promised in Tirupati that special category status will be given to the State of Andhra Pradesh. We are not agreeing to any package and the provisions of the Act were to be fulfilled within a period of 10 years. Seven years have already passed. Most of the provisions have not been fulfilled. We do not know for what reasons the promises made are not being fulfilled. We want a direct answer from the hon. Minister in this regard. We demand special category status.

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि विशेष राज्य दर्जा के प्रावधान को वर्ष 2014 में वित्त आयोग की अनुशंसा से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राज्य के बँटवारे के बाद केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने विशेष पैकेज के रूप में एक बड़ी राशि दी है। उस राशि से बहुत विकास संभव है। उनके आपसी मुद्दे नहीं सुलझ रहे हैं। वे 10 वर्षों की बात कर रहे हैं। यह एक बड़ी

अवधि शिक्षण संस्थानों के लिए और कई ऐसे महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में ली गई है और इसके सात वर्ष पूरे भी हो चुके हैं।

सभापति महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इन मुद्दो को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को ही सुलझाना है। …(व्यवधान) उसमें कहीं भी केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है।…(व्यवधान) हम दोनों राज्यों से आग्रह करते हैं और एक बार ही नहीं, दर्जनों बार मीटिंग हुई है। हमारे गृह सचिव और वहां के मुख्य सचिव के बीच वार्ता हो चुकी है।

श्री नामा नागेश्वर राव: माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मंत्री जी ने 10-15 मिनट तक बात की है। मंत्री जी यह बोल रहे हैं कि दोनों स्टेट्स के बीच में झगड़ा है और दोनों स्टेट्स को ही इसे सुलझाना है। अगर कोई स्पेसिफिक मुद्दा है तो मुझे बताओ। मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूँ कि आपने अभी जो कुछ भी बोला है, उस तरह से हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस मामले को सॉर्टआउट करने के लिए कई बार आपको अप्रोच किया है। ये पूरी तरह से पेंडिंग इश्यूज हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्तर्गत हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न काल का समय समाप्त हो रहा है।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : सर, मुझे एक पॉइंट पूछना है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई स्पेसिफिक मुद्दा है तो मुझे बताओ। हम आपसे एक ही स्पेसिफिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप काजीपेट रेल कोच फैक्ट्री को कब तक देंगे? इसका आंध्र प्रदेश से कोई कनेक्शन नहीं है।…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने दोनों प्रदेश के झगड़े की बात नहीं कही है। मैंने कहा है कि सद्भावना के साथ दोनों प्रदेश विचार करें।…(व्यवधान) हम उसके लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं।…(व्यवधान) मदद के लिए एक बार ही नहीं, बल्कि कई बार गृह सचिव आपके मुख्य सचिव के साथ बैठे हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी एक मिनट बाकी है।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : अगर किसी राज्य का विशेष रूप से कोई सुझाव होता है तो मैं दूसरे राज्य को, जो दोनों राज्यों के आपसी संबंध के समझौते के लिए है, उसे मैं वहां अग्रेषित करता हूँ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या 387, श्री मोहन मंडावी।

(Q. 387)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): …(व्यवधान)

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर दो से आठ, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री मनसुख मांडविया की ओर से**,** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4149/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं कंपनी अधिनियम, (1) धारा-की उप 394 की धारा 2013 एक प्रति-लिखित पत्रों की एकके अंतर्गत निम्न(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4150/17/21]

(2) (एक) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4151/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री कृष्ण पाल की ओर से**,** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) (एक) चाइल्ड गाइडेन्स सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्ड गाइडेन्स सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4152/17/21]

(2) (एक) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्स्ट्रक्टिव एक्टीविटीज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्स्ट्रक्टिव एक्टीविटीज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4153/17/21]

(3) (एक) एस.के.आर.प्यूपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकासम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एस.के.आर.प्यूपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकासम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4154/17/21]

(4) (एक) अनम्मा स्कूल फॉर फिजीकली हैंडीकैप्ड एण्ड बेबी केयर सेंटर, इब्राहिमपट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अनम्मा स्कूल फॉर फिजीकली हैंडीकैप्ड एण्ड बेबी केयर सेंटर, इब्राहिमपट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4155/17/21]

(5) (एक) चैतन्य इंस्टीट्यूट सेंटर, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चैतन्य इंस्टीट्यूट सेंटर, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4156/17/21]

(6) (एक) संजोस वेलफेयर सेंटर केरल, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संजोस वेलफेयर सेंटर केरल, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4157/17/21]

(7) (एक) भैरबी क्लब, खोरधा, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भैरबी क्लब, खोरधा, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4158/17/21]

(8) (एक) सेंटर फॉर रिहैबीलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च, भद्रक, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रिहैबीलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च, भद्रक, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4159/17/21]

(9) (एक) काबी नरसिंह मठ ब्लाइंड, डीफ एण्ड एम.आर.स्कूल, गंजम, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काबी नरसिंह मठ ब्लाइंड, डीफ एण्ड एम.आर.स्कूल, गंजम, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4160/17/21]

(10) (एक) दुर्गाबाई देशमुख महिला सभा (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दुर्गाबाई देशमुख महिला सभा (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4161/17/21]

(11) (एक) वेगेष्णा फाउंडेशन, रंगा रेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेगेष्णा फाउंडेशन, रंगा रेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4162/17/21]

(12) (एक) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4163/17/21]

(13) (एक) क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4164/17/21]

(14) (एक) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबीलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबीलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4165/17/21]

(15) (एक) महिला और बाल कल्याण केंद्र, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला और बाल कल्याण केंद्र, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4166/17/21]

(16) (एक) सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, मणिपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, मणिपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4167/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री परषोत्तम रूपाला की ओर से**,** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4168/17/21]

(ख) (एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4169/17/21]

(ग) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4170/17/21]

(3) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4171/17/21]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 23 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.882(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2021 जो 24 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.884(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 885(अ) जो 24 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन इंडिया द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया (द्रवित) उर्वरक के संबंध में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए, विनिर्दिष्टताओं को अधिसूचित करना है।

[Placed in Library, See No. LT 4172/17/21]

(5) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.681(अ) जो 16 फरवरी, 2021 को प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.4243(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4173/17/21]

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4174/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से**,** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4175/17/21]

(2) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4176/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री नित्यानन्द राय की ओर से, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सहायक कमानडेंट (तकनीकी) भर्ती नियम, 2020 जो 9 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.620(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, लेवल 4 और लेवल 3 (तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2020 जो 9 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.621(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, लेवल 7 और लेवल 6 (तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2020 जो 9 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.622(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4177/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री कैलाश चौधरी की ओर से, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 183/आरपीसीएयू पूसा, जो 29 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हता के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4178/17/21]

12.00 ½ hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

1. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd March, 2021 agreed without any amendment to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th March, 2021."
2. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd March, 2021 agreed without any amendment to the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th March, 2021."

12.01 hrs

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

39^{th} to 44^{th} Reports

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:

(1) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार किए गए)'' के बारे में 39वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)'' के बारे में 40वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) "13वीं लोक सभा के लंबित आश्वासनों की समीक्षा'' के बारे में 41वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) "14वीं लोक सभा के लंबित आश्वासनों की समीक्षा'' के बारे में 42वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) "नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा'' के बारे में 43वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) "विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा'' के बारे में 44वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

12.01 ½ hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

8th to 11th Reports

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, I beg to present the following reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation:-

1. The Eighth Report on the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 (GSR 451-E of 2018).
2. The Ninth Report on the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018 (GSR 448-E of 2018).
3. The Tenth Report on the delay in laying of: (i) The Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2017; and (ii) The Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017.
4. The Eleventh Report on the Minerals (Non-exclusive Reconnaissance Permits) Rules, 2015 (GSR 516-E of 2015).

12.02 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने को इच्छुक हैं, वे बीस मिनट्स के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा, जिनके लिए मामलों का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष मामलों का व्यपगत माना जाएगा।

(i) Regarding closure of Sambalpur Road Railway Station

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR) : The unilateral decision of railway authorities of the East Coast Railways to close Sambalpur road railway station on the grounds of expansion & doubling of railway lines at the said railway station is really worrisome. This is grossly detrimental to the interests of railway commuters among general public. Sambalpur is an important centre of administration of the entire Western Odisha region. It is one of the oldest railway stations of the country. I urge the Hon'ble Railway Minister to declare the above said railway station as Heritage Station during 2021 - 22.

---

* Treated as laid on the Table

(ii) Regarding stoppage of trains in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि कोविड -19 महामारी आने के बाद रेल विभाग ने रेल के परिचालन को बंद किया था जो आवश्यक भी था, किन्तु कोविड -19 के महामारी में कमी आने के बाद जब पुनः रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के रूप में चालू किया तो ट्रेनो के स्टोपेज कम कर आधे रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जिससे पूरे भारत वर्ष के प्रवासी एवं आम नागरिको को कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है। यहा तक मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन बड़े रेलवे स्टेशन है -वर्धा, पुलगांव एवं हिंगनघाट। इन सभी स्टेशनो पर ट्रेनो का ठहराव नही होने से काफी कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है। देश भर के यात्रियों के साथ यह समस्या है। अतः रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त समस्या से निराकरण के लिए कोविड -19 महामारी के पूर्व ट्रेनो के नियत स्टोपेज पर ट्रेन का ठहराव दिलाने की कृपा करें जिससे कि आम नागरिक, प्रवासी, व्यवसायी, महिला एवं विद्यार्थियों को राहत मिले।

(iii) Regarding Pradhan Mantri Van Dhan Yojana

ER. BISHWESWAR TUDU (MAYURBHANJ): The Hon'ble Minister, Tribal Affairs may kindly inform the august House about the following in respect of PMVDY:

(a) Details of Van Dhan Vikas Kendras (VDVK) sanctioned, established and functioning in the State of Odisha, location and district wise and the details of linkages made with local Haat Bazars.

(b) The types of value addition work being done on MFPs by the VDVKs, item & district wise.

(c) The quantum of assistance availed by each of the VDVKs set up therein and how many of them have attained Stage II (scaling up)? The number out of them applied for assistance.

(d) Whether the TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) or TDCCOL (Tribal Development Cooperative Corporation of Odisha Limited- the State Implementing Agency for Odisha) or any Agency has conducted any survey or assessment to ascertain the item wise potential of MFPs in different districts of Odisha. If so, the details thereof may please be provided.

(iv) Need to implement schemes for promotion of tourism in border areas of Rajasthan including Ganganagar Parliamentary Constituency in the State

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): राजस्थान अपनी समृद्ध और ऐतिहासिक संस्कृति व पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अभी भी राजस्थान के पश्चिमी व सीमावर्ती जिलों में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं है। मेरे संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में मोहनजोड़दो की सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा, लैला मजनू की मजार, ग्राम नग्गी, हिंदुमलकोट जैसे शहीदों के स्मारक, भटनेर दुर्ग, पल्लू माता मंदिर आदि बहुत से ऐसे पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिनका विकास करके इन क्षेत्रों में भी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है और साथ ही यहाँ पर नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किये जा सकते है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र समेत राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्रों में विकास किया जाए।

(v) Regarding completion of pending works on National Highways

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Government is investing Rs 1,16,144 crores in Karnataka for the development of highways and roads in the coming years. I request the Government to complete the pending works on NH 66, NH 169 and 169A as soon as possible and allow the same to be used by public. I also request that signboards at 32 black spots identified on NH 66 be installed. I also urge for the completion of sanctioned projects as early as possible like Widening to two lane with paved shoulder from existing intermediate lane of NH 169 between Thirthahalli and Sringeri and providing permanent restoration of valley side slips and occurred during monsoon on NH 73 between Chikmagalur district border and Kottigehara in Charmadi Ghat Section. I urge the Government to allocate adequate funds for early completion of these projects.

(vi) Regarding availability of psychiatrists in India

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST) : According to WHO only two psychiatrists are available for more than 1 lakh patients in India. This has resulted in Mental Health Emergency in the country. Between 2012-2030, WHO estimates that India's mental health emergency will cost the economy more than $1tn in lost productivity (as measured in 2010 US dollars)

(vii) Need to include Jainsari caste of Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh in the list of Scheduled Tribes

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के 23 गाँवों में जैनसारी जाति के लोग रहते हैं जिनको पूर्व में संविधान आदेश (यथा संशोधित) 1950 व संविधान अनुसूचित जन जाति उत्तर प्रदेश आदेश 196 (यथा संशोधित) अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था लेकिन शिक्षा की कमी के कारण राजस्व अभिलेखों से इस जाति का नाम ही हटा दिया गया है चूंकि इनकी सामाजिक, शैक्षिक स्थिति व रहन-सहन, खानपान आदि अनुसूचित जनजाति से मिलता है परंतु अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो पाने के कारण धीरे-धीरे यह जाति लुप्त होती जा रही है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के 23 गाँवों में रहने वाले जैनसारी जाति को लुप्त होने से बचाने के लिए उक्त जैनसारी जाति को अभिलेखों में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(viii) Regarding railways connectivity in Rajasthan

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): झुन्झुनू (राजस्थान) में ट्रेनों की सबसे ज्यादा कमी है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि ट्रेन सं. 12955/12956 ब्रहमपुत्र मेल जो कि सुबह 4.30 बजे दिल्ली पहुंचती है इसको आगे लोहारू, झुन्झुनू, सीकर के रास्ते अजमेर तक विस्तारित करें व इसी क्रम में ट्रेन सं. 12239/12240 मुम्बई सेन्ट्रल जयपुर दुरंतो का विस्तार वाया झुन्झुनू, लुहारू, हिसार तक करने की मांग करता हूँ। उतर पश्चिम रेलवे द्वारा IRTTM2018/19 की मीटिगं में ट्रेन सं. 12239/12240 मुंबई सेन्ट्रल जयपुर दुरंतो का विस्तार हिसार तक वाया झुन्झुनू, लोहारू करने का प्रस्ताव रखा गया था। वर्ष 2016 में हमारी रेल लाईन ब्राडगेज हो गई थी परन्तु अभी तक झुन्झुनू इलाके की जनता का जुड़ाव रतलाम, बडोदरा, सूरत तथा मुम्बई से नहीं हो पाया। जहां पर शोखावाटी की बहुत आबादी रहती हैं।

(ix) Regarding fixation of pay of TGTs in Kendriya Vidyalayas

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सीनियर स्केल अर्थात वेतनमान लेवल 7 से लेवल 8 प्रदान की जाती है। सीनियर स्केल मिलने पर उसका वेतनमान एक इंक्रीमेंट के साथ उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार तत्काल यां अगले इंक्रिमेंट क़ी तिथि से अगले लेवल मे फिक्स किया जाना चाहिए. परन्तु दिल्ली संभाग मे सभी TGTs का वेतन ₹64100 पर ही फिक्स किया जा रहा है अर्थात उन्हें वेतन मे 1 रूपये का भी लाभ नहीं मिल रहा है, इसके साथ ही उन्हें इन्क्रीमेंट के तिथि बदलने का लाभ भी नहीं दिया जा रहा हैँ. यह वेतन निर्धारण के बारे मे DoPT के OM दिनांक 27.07.2017 तथा वित्त मंत्रालय के OM दिनांक 28.11.2019 के प्रावधानो के विपरीत है।

शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध है कि KVS को इन गलतियों को ठीक करने हेतु उचित निर्देश जारी करें ताकि प्रभावित TGTs को देय लाभ मिल सके।

(x) Regarding alleged illegal sand mining in rivers in Chhattisgarh

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): अंचल मे रेत का कथित अवैध खनन कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा है। नियमो को ताक मे रखकर नदियों से रेत ठेकेदारों द्वारा चैन माउंटेन से रेत का उत्खनन किया जा रहा है* नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना की जा रही है इस अवैध कार्य पर रोक लगाने मे सरकारी सिस्टम एवं विभागीय अफसर भी प्रभावी साबित नही हो पा रहे हैं। छतीसगढ़ के जीवन दायिनी महानदी व तंदुला नदी या आँय प्रमुख नदियों से खनिज विभाग द्वारा ठेकेदारी प्रथा के अनुसार खदान आवंटित किया गया है। परंतु रेत खनन के साथ विभागीय नियमों का भी पालन होता है। ठेकेदारों द्वारा बेखौफ चैन माउंटेन से कथित अवैध रेत निकालकर नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है कथित अवैध रूप से ओवर लोडिंग किए जा रहे है। परिवहन से सड़कों की माली हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। खराब सड़कों के रख-रखाव एवं संधारण हेतु जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा विरोध दर्ज कराया जाता है। लेकिन रेत माफियाओं के दबाव के चलते सभी नतमस्तक रहते है। रेतमाफियाओं की दादागिरी छतीसगढ़ मे किसके संरक्षण मे चल रही है, येजांच का विषय है।

आखिर क्यों वर्तमान व्यवस्था को कर रहे है दरकिनार? ऐसे ही खनिज विभाग उदासीन रहा तो ठेकेदारों की मनमानी से पर्यावरणीय नुकसान होता रहेगा। और रेत की कीमतों मे इजाफा होगा।

(xi) Regarding review of new rules and laws pertaining to use of fly ash

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): देश के बहुपयोगी खनिजों का बेतहाशा खनन से मिट्टी ईंट (लाल ईट) बनानेके लिए अच्छी खेतों की उपजाऊ मिट्टी तथा इस हेतु अपूर्णीय व् बहुमूल्य उपजाऊ मिट्टीका ह्रास से राहत तथा थर्मल पोवेर जेनेरेशन वेस्ट-फ्लाईॲश डिस्पोसल समस्या का समाधान-उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति के लिए गत वर्षो में 1999 से 2019 तक के लिये सरकार ने इस फ्लाईॲश के उपयोग करने हेतु विगत 20-22 वर्षों से युक्त ब्रिक्स, ब्लॉक्स, पेवर टाइल्स बनाने के लिए कुटीर व् लघु उद्योग प्रेरित किया जिसके सुखद परिणाम भी प्राप्त हुए और उपजाऊ मिट्टी का संरक्षण भी हुआ है। लेकिन वर्ष 2021 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 01-02-2021 को ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यमसे फ्लाईॲश उपयोग के लिए नये नियम व कानून बनाने की नोटिफिकेशन जारी किए जिससे 20000 से अधिक उद्योग बंद होने की तथा इससे जुड़े हुए 6 लाख से ज्यादा परिवारों के परोक्ष-अपरोक्ष रोजगार पर इसका गहरा असर होगा| मै इस सदन के माध्यम से 2021 में मंत्रालय द्वारा किये गए नियम व कानून को तथा इस माइक्रो व् स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए प्रतिनिधि मंडल से कुछ सदस्य की राय के साथ दोबारा विचारपूर्वक समुचित विचार-विमर्श, परिवर्तन हेतु कदम उठाने का अनुरोध सरकार से करती हूँ।

(xii) Regarding certification of textiles produced from organic sources

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI) : According to the UNEP, the textile industry is responsible for 20 percent of the total water pollution and 10 percent of global carbon emissions. Globally and in India, there is a growing awareness on sustainable textiles and fibres. With growing awareness, there is an increasing demand for organic and sustainable clothing. The number of MSMEs and start-ups in this sector are increasing. Companies are facing problems in marketing these products and customers are facing problems in verifying the authenticity of such fibre.

Therefore, I request the Government to formulate certain standards and certifications for textiles produced from organic sources such as cotton, banana, bamboo, lotus, etc. This would help in marketing sustainable clothing as well as assuring customers about the authenticity of the products being sold. A step towards this is also a step towards our PM's vision of Atmanibhar Bharat.

(xiii) Need to set up industries in Sagar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री राजबहादुर सिंह (सागर): सागर में औद्योगिक क्षेत्र में हमारे युवाओं को काफी कम अवसर प्राप्त है। काम और उद्योग की तलाश में हमारे यहां के ज्यादातर युवा पलायन करते हैं क्योंकि काफी वर्षों से यहां पर औद्योगिक क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर सबसे पुराना उद्योग जो कुटीर उद्योग के उपक्रम में आता है वह है बीड़ी उद्योग । हमारा लोकसभा क्षेत्र सागर जो कि शिक्षा और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से देश में काफी सुगम है और भोपाल और नागपुर से लगा हुआ होने के नाते लोकसभा क्षेत्र सागर में काफी साधन संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन उद्योग एवं काम धंधे ना होने की वजह से हमारे युवाओं को पलायन करना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र सागर के अंतर्गत नए उद्योग के अवसर हो।

(xiv) Regarding expediting conversion of railway lines from Raipur to Dhamtari and Rajim in Chhattisgarh into broadgauge

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छतीसगढ़ की राजधानी रायपुर से धमतरी व राजिम तक आरंभ से ही छोटी रेलवे लाइन रही है। जिसे ब्राडगेज रेलवे लाइन मे परिवर्तित करने हेतु पटरियों को उखाड़ा जा रहा है। भूमि अधिगृहण की प्रक्रिया भी आरंभ करने की सूचना मिली है।

चूंकि उक्त दोनों महत्वपूर्ण स्थान है। वही धमतरी वनांचल बस्तर को राजधानी से जोड़ने का कार्य करती है। राजिम को छतीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है। जिसका धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से अपना विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष 15 दिनों तक मेला का आयोजन किया जाता है। जिसमे लाखों की तादाद मे श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। रेल विभाग द्वारा सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन कार्य की गति धीमी होने से काफी समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति मे इस क्षेत्र की जनता को विषम परिस्थितियो का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता को असुविधाओं से बचाने के लिए उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तीव्र गति से कराने की आवश्यकता है।

अत: माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त दोनों ही छोटी रेलवे लाइनों को (ब्राडगेज) मे बदलने की प्रक्रिया अविलंब पूर्ण कराने विभाग को निर्देशित करने की कृपा हो।

(xv) Regarding problems being faced by investors

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में निवेशक सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी, आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी, सहारा मल्टी परपज सोसायटी एवं सहारा क्यू शॉप में अपना जमा धन परिपक्वता अवधि के बाद भी नही मिलने के कारण से परेशान है। आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी पर आयकर विभाग, एसओजी व एसएफआईओ की कार्यवाही चल रही है जिससे सोसायटी के बैंक खाते सीज कर दिये है सोसायटी के पास जो प्रोपर्टी है उसके बेचन पर भी प्रतिबन्ध है। सहारा इण्डिया ने अपनी रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लि. एवं हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में जमा पैसा सेबी ने गलत तरीके से जमा बताने के कारण से कागजो में कॉपरेटिव सायटीयों में जमा कर लिया। सेबी सहारा विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है तथा न्यायालय के आदेश के कारण 22 हजार करोड़ रूपये सेबी में जमा है। देशभर में लाखो की संख्या में निवेशक भुगतान नही मिलने से परेशान है।

(xvi) Need to restore the kerosene quota of LPG consumers in Bastar, Chhattisgarh

श्री दीपक बैज (बस्तर): सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 7.48 राशनकार्ड बस्तर संभाग में हैं। इनमें से 3.56 लाख प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शनधारियों के पास राशनकार्ड है, इन्हें सिंगल सिलेंडर मिला है। वर्तमान में गैस कनेक्शनधारी परिवारों का केन्द्र सरकार ने केरोसिन कोटा समाप्त कर दिया है।

बस्तर संभाग में 69 राजीव गांधी ग्रामीण गैस वितरक हैं, जो क्षेत्रफल अनुपात में कम है। महंगे सिलेंडर और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के हितग्राहियों के गैस सिलेंडर खत्म हो जाने पर रिफिलिंग कराने में समय लगता है। तब तक लाभार्थी खाना पकाने के लिए लकड़ी अथवा केरोसिन का उपयोग करते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शनधारी परिवारों का केरोसिन कोटा समाप्त कर दिया है इसलिए उन्हें भोजन बनाने में दिक्कत आ रही है।

मेरी मांग है कि बस्तर संभाग के एलपीजी गैस कनेक्शनधारी राशनकार्ड धारकों का समाप्त केरोसिन कोटा बहाल किया जाए और 1 लीटर के स्थान पर प्रति कार्डधारक को 5 लीटर केरोसिन दिया जाए।

(xvii) Regarding FDI in Insurance Sector

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Hon'ble Finance Minister has made announcements regarding increasing Foreign Direct Investment (FDI) in Insurance sector from 49% to 74%, bringing IPO for LIC and privatization of an Insurance company.

On FDI increase in Insurance sector, I feel that in a developing economy like ours, it is important that State exercises greater control over domestic savings.

On IPO for LIC, there is no shortage of capital in the company which funds more than 25% of the government borrowings. LIC protects interest of policyholders and gives the best returns in the form of bonus. This move will weaken efforts to provide insurance cover to weaker sections especially in rural areas.

Lastly, rather than privatizing any insurance company, the Government should have consolidated the public sector general insurance companies and enabled them to face competition successfully.

Thus, I feel that these announcements relating to the Insurance sector are unnecessary and unjustified.

(xviii) Regarding release of funds under PRASAD Scheme

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE) : During my frequent visits to my constituency, the local people had raised their voice to develop the oldest and ancient temples constructed during 10th century with heavy footfall of around 1 to 1.5 lakhs .They are namely Sri Nookambika Ammavari temple located at Anakapalli, Sri Swayambhu Karya Siddha Vinayaka Swamy Temple located at Chodavaram, Sri Venkateswara Swamy located at Umpaka village, Brahmalingeswara Temple located at Balighattam village, Umadharmalingeswara temple located at Panchadarla village. Hence, I request the Hon'ble Minister for tourism, Govt of India, to consider the ancient history of the above temples and release the funds under PRASAD scheme.

(xix) Regarding construction of new building of ESIC Hospital in Ulhasnagar, Maharashtra

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): मेरे लोकसभा क्षेत्र कल्याण (महाराष्ट्र) अन्तर्गत उल्हासनगर का ESIC अस्पताल 41 वर्ष पुराना है और यह बहुत जर्जर स्थिति में था। इसका Structural Audit, IIT-Mumbai द्वारा किया गया और इसे Damaged Beyond Repair घोषित किया गया. इस अस्पताल को तोड़ कर 120 करोड़ रूपये की लागत से इसका पुनर्निर्माण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं वाला अस्पताल बनाने की स्वीकृति दी गयी। पिछले 2 वर्षों से इस अस्पताल को अस्थायी रूप से किसी नयी जगह पर स्थानांतरित करने का प्रयास हो रहा है लेकिन कई बार Tender प्रक्रिया शुरू होने की बाद भी ESIC कोई अस्थाई इमारत नहीं ढूंढ पा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस अस्पताल के पुनर्निर्माण का कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और तब तक श्रम मंत्रालय द्वारा इस अस्पताल के संचालन के लिए एक अस्थायी इमारत दी जाए जिससे कामगारों और जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो और उन्हें असुविधा न हो।

(xx) Need to expedite construction of a stretch on NH-81 in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): बिहार राज्य अन्तर्गत हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में नेशनल हाइवे-81 गेराबाड़ी मनिया से लाभा तक पश्चिम बंगाल के (मालदा जिला) में पिपरा होते हुए चाचल और समसी के बीच फोरलेन को जोड़ती है। यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है इसके द्वारा संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ और आस-पास के जिलों से भी यातायात का संचालन होता है। इस एन एच -81 लाभा के पास 600 मीटर (लगभग एक किलोमीटर) की सड़क कई वर्षों से निर्माणाधीन है। मैं मा0 मंत्री जी मांग करता हूॅ कि एनएच-81 पर लाभा जीरो माइल से लाभा महानन्दा नदी के पहुॅच पथ तक लगभग एक कि0मी0 सड़क जो लम्बित पड़ी हुई है। इसका निर्माण कराने का अनुरोध करता हूॅ।

(xxi) Regarding Paradip-Hyderabad pipeline project

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR) : The Paradip-Hyderabad Pipeline project has been traversing through 6 districts of Odisha . The project cost of this Pipeline was Rs.3808 crore and was targeted to be completed by August 2020. The pipeline having a capacity of 4.5 Million Metric Tonnes Per Annum proposes to take its inputs from Paradip refinery and proposes to feed one of the upcoming petroleum product depots at Berhampur in Odisha. The pumping facilities will also be installed at Paradip and Berhampur in Odisha. I would like to know from the Hon'ble Minister for Petroleum and natural Gas about the status of this project particularly the upcoming petroleum depot at Berhampur. Whether it will be located in TATA SEZ area or any other location has been identified for the depot and also the time by which depot at Berhampur will be operational so that the objectives of the pipeline are obtained at the earliest.

(xxii) Need to restore Old Pension Scheme

श्री राम शिरोमणी वर्मा (श्रावस्ती): सरकारी नौकरियों में 1 जनवरी 2004 से तथा उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर शेयर बाजार आधारित जोखिमों के अधीन नई पेंशन प्रणाली लागू कर दी गई है। जिस कारण देश के करीब तीन करोड़ पचास लाख लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। जिससे शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों में भारी रोष व्याप्त है और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलनरत हैं। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौरान शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूर्ण लगन से मानवता की सेवा की है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि निजीकरण को रोकने व देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा हेतु उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल करने की कृपा करें।

(xxiii) Regarding release of special grant to Telangana

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Finance Commission is a constitutionally mandated body and its recommendations are core for fiscal federalism. Recommendations of FC are sacrosanct and GOI implement its recommendations.

15th FC observed that during 2020-21 no State should get less than total amount of devolution and estimated revenue deficit grants be received in 2019-20. It found decline in sum of tax devolution and revenue deficit grant for Telangana in 2020-21 when compared to 20 19- 20. Reassessed tax devolution and revenue deficit grant for 20 19-20 for Telangana is 18,964 crores and in 2020-21 it is 18,241 crores and hence there is less devolution. To make up this shortfall, 15th **FC** has recommended Special Grant of 723 crores. We are at the end of FY 2020- 21, but so far GOI has not taken any decision to transfer this amount to Telangana.

Hence, I request GOI to immediately release Special Grant of 723 crores recommended by 15th FC to Telangana.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): धन्यवाद, चेयरपर्सन साहब।

सर, चेयर से आज आपने शहीदे आज़म भगत सिंह जी को याद किया है। भगत सिंह जी की शहादत को, अपनी कुर्बानी दिए हुए, आज 23 मार्च, 1931 को 89 साल पूरे हो गए हैं। इनके साथ राजगुरू और सुखदेव को भी लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और सारे देशवासियों की तरफ से इनको सेल्यूट करता हूं। इनके परिवार ने उस समय इनको शादी के लिए बोला था, लेकिन फर्क देखिए कि क्यों जरूरी है आज उनको याद रखना, उन्होंने कहा था कि अगर देश गुलाम रहेगा तो मेरी शादी सिर्फ मौत से होगी और जिस दिन देश आज़ाद होगा, उस दिन मेरी शादी होगी। ये ऐसे लोग थे। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि इन्होंने जो कुर्बानी दी है, उसे कैसे बचाकर रखना है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वे जो विरासत छोड़कर गए हैं, हम सब जो इस हाउस में बैठे हैं, उसे कैसे सुरक्षित रखना है, बचाकर रखना है, उसमें हम शायद कहीं न कहीं स्लिप कर रहे हैं।

दूसरी बात, हर नाम के ऊपर बड़ी-बड़ी स्कीम्स के नाम रखे जाते हैं। आज भगत सिंह जी के नाम पर सरकार की कोई बड़ी से बड़ी स्कीम एनाउंस होनी चाहिए। भगत सिंह जी के नाम स्कीमें क्यों नहीं होती हैं? आज दुनिया इस दिन को मना रही है। यहां मिनिस्टर साहब बैठे हैं, क्यों न आज भगत सिंह जी के नाम कोई बड़ी मिनिस्ट्री अपनी किसी स्कीम का नाम रखे और उनको श्रद्धा के फूल भेंट किए जाएं। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): ऑनरेबल चेयरपर्सन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज के लेजिस्लेटिव बिजनेस में आइटम नम्बर 13 और 14 पर जो विषय अंकित हैं, उनमें से आइटम नम्बर 14 - फाइनेंस बिल, 2021 को पहले ले लिया जाए, क्योंकि उसे राज्य सभा में भी हमें रिपोर्ट करके पारित करवाना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे पहले ले लिया जाए। धन्यवाद।

12.05 hrs

FINANCE BILL, 2021

HON. CHAIRPERSON : Now, we take up item no. 14. Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2021-22 be taken into consideration."

HON. CHAIRPERSON: Madam, do you want to say anything?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2021-22 be taken into consideration."

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं फाइनेंस बिल 2021 पर बहुत सारी बातों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सबको पता है कि फाइनेंस बिल पेश हुआ है, लेकिन मुल्क इस वक्त इतिहास की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। जो कुछ भी हुआ है, उसे सरकार ने कोविड पर डालने की कोशिश की है, लेकिन असलियत यह है कि फर्स्ट क्वार्टर, वर्ष 2018-19 से लगातार जीडीपी ग्रोथ 8 परसेंट से नीचे आ रही थी। ये सब सरकारी रिकॉर्ड में है। सरकार इसको मानती नहीं है, यह आपकी मर्जी है, लेकिन पेंडेमिक से पहले भी हमारी इकोनॉमी और जीडीपी नीचे जा रही थी। पेंडेमिक बहुत ही सीरियस हुई है। इण्डिया का सेकेण्ड हाइएस्ट नंबर टोटल नंबर में है और 1,60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोविड ने इकोनॉमी का तो नुकसान किया ही है, हेल्थ सेक्टर और हेल्थ का भी बहुत नुकसान किया है। एम्प्लॉयमेंट का बहुत नुकसान किया है, जिससे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और जो एम्प्लॉयमेंट में रह गए हैं, उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं। इससे न्युट्रीशन पर बहुत फर्क पड़ा है। गरीब लोग, जिनके पास पैसे नहीं थे, वे खाना नहीं खा पाए। गवर्नमेंट का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, वह बहुत सारी बातें प्रूव करता है, लेकिन मैं उस पर बाद में बोलूंगा।

महोदय, कंट्री में, एजुकेशन में, डिजिटल डिवाइड सामने आया है। यह कहना बहुत आसान है कि हम कंप्यूटर से एजुकेशन देंगे, लेकिन जाकर देखिए कि इंटरनेट किसके पास है, लैपटॉप किसके पास है और गांव में किसके घर में इंटरनेट है? इस मुल्क में सबसे बड़ी बात नजर आ रही है और मैं धन्यवाद दूंगा कि वित्त मंत्री जी आप मेरी बात सुन रही हैं कि इस मुल्क में स्पीड से इनइक्वैलिटी बढ़ रही है, लेकिन एनडीए सरकर, बीजेपी सरकार मेंशन करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी अपनी वर्ष 2017 की फिगर कह रही है कि 73 per cent of wealth generated in the country went to one per cent of the people. This is the official figure. आप मुल्क को किधर ले जा रहे हैं, बजट में उसका मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं यह बात अपने भाषण में कहूंगा।

महोदय, बजट में और एक-दो बातें नॉर्मली कहनी हैं। अब एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। इकोनॉमी का सभी जगह नुकसान हुआ है। आठ सेक्टर, जिन्हें हम मेन इकोनॉमी के सेक्टर कहते हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, सभी का नुकसान हुआ है, लेकिन हम अभी तक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की फिगर पर मुल्क चलाए जा रहे हैं, जीडीपी फिगर चलाए जा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एक साल तो बहुत बड़ा समय होता है। आप एनएसएसओ को लगाकर कोई सैम्पल सर्वे कराइए कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कितना नुकसान हुआ है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 45 से 50 परसेंट ऑफ द इकोनॉमी है और इतना ही करीब-करीब एम्प्लॉयमेंट में है। उस सेक्टर को जो करीब-करीब 50 परसेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, उसे हम टोटली इग्नोर करके फिगर कर रहे हैं। हम सबको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो सबसे ज्यादा नुकसान अनऑर्गेनाइज्ड और नॉन फॉर्मल सेक्टर का हुआ था।

आप सभी को छोटे-मोटे दुकानदार की हालत के बारे में पता है कि वे भूखे मर रहे थे। लोग सड़कों पर भीख मांग रहे थे। आपने माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में कोई नामो-निशान नहीं लिया है। इतनी बड़ी क्राइसिस हुई है, लेकिन हमें अभी तक फिगर्स के बारे में पता नहीं चला है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि मुल्क और पार्लियामेंट को इन चीजों के बारे में जानने का हक है।

अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुई है, निगेटिव ग्रोथ है, तो रिबाउंड होना ही होना है। जब लॉकडाउन के बाद नॉर्मल एक्टिविटीज हुईं, धीरे-धीरे मुल्क जब नॉर्मल हुआ, तो रिबाउंड होना ही होना है। वित्त मंत्री जी सवाल जीडीपी का वह नहीं है, सवाल यह है कि वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 की जीडीपी फिगर पर हम कब पहुंचेंगे? आप हमें इसका जवाब दीजिए। यह ठीक है कि पहले क्वार्टर में वह 24 प्रतिशत निगेटिव हो गया, अब आठ से दस प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि ओवर ऑल इस साल भी वह निगेटिव रहेगा। अगले साल वह 10 प्रतिशत ग्रो भी कर जाएगा, तो भी हम जीरो पर आ गए, तो वह कौन-सी प्राप्ति है? आप हमें यह बताइए कि हम वर्ष 2018-19

और वर्ष 2019-20 पर कब पहुंचेंगे? आप गैर-बराबरी वाले विषय के बारे में क्या कर रही हैं, मैं उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा।

अब अगर मैं बजट की बात करूं, आपने जो फिगर्स दिए हैं, आपने कहा है कि 34,83,236 करोड़ रुपए इस साल खर्चा करेंगे और एक प्रतिशत रीवाइज्ड एस्टिमेट, वर्ष 2020-21 से ज्यादा करेंगे। यह ठीक बात है, लेकिन अगर वर्ष 2020-21 का डिटेल देंखें, तो आपने बॉरोइंग 7,96,000 करोड़ रुपए रखी थी, वह लगभग 18,48,000 करोड़ रुपए हो गई। आपकी बॉरोइंग 11-12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। अगले साल के लिए भी आपने 15-16 लाख करोड़ रुपए रख लिए हैं। सॉवरेन कंट्रीज को इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रेवेन्यू में कहीं प्रॉब्लम है। आपने कहा है कि I spent, spent and spent. वह बात ठीक हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि आप से टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ है और आपने अमीर लोगों का टैक्स छोड़ा एवं गरीबों पर और टैक्स डाले हैं। आप बार-बार पेट्रोल-डीजल क्यों महंगा कर रहे हैं? आप इसके बारे में बताइए, किसी बात का जवाब दीजिए। वर्ष 2019 में आपने डेढ़ लाख करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स छोड़ा है।

मैडम, मैं आपकी वर्ष 2020-21 के फिगर्स को देख रहा था, ये फिगर्स रेवन्यू कलेक्शन से संबंधित है, मैंने इसे बजट से ही लिया है। आपके वर्ष 2020-21 के बीई और आरई में क्या फर्क है, जीएसटी 1 लाख, 75 हजार करोड़ रुपए कम हुआ है, जो आप बीई और आरई में कह रही हैं, हम उसी को फिगर मान रहे हैं। कारपोरेशन टैक्स वर्ष 2020-21 में 2 लाख, 35 हजार करोड़ रुपए कम हुआ है, यह आपकी फिगर्स हैं और इनकम टैक्स 1.8 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है एवं एक्साइज ड्यूटी एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है, वे सारी पेट्रोल-डीजल वाली हैं। कस्टम ड्यूटीज 10-15 हजार करोड़ रुपए कम हुई हैं। जब हम आपकी फिगर्स देखते हैं, तो एक बात प्रूव होती है कि आपकी सरकार टैक्स रिलीफ सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को दे रही है। आपने पेट्रोल-डीजल महंगा कर दिया है, इंफ्लेशन होगी, प्राइसेज बढ़ेंगी, चारो ओर हो-हल्ला हो रहा है, पर आप किसी की नहीं सुनते हैं। आपने एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ा दी है। मैं कहना चाहूंगा

कि उसको वापस लेकर, जब आप जवाब दें, तो आपको कहना चाहिए कि हम ने इसे वापस ले लिया।

मैडम, एक-दो और नेगेटिव ट्रेंड नजर आए हैं, जो मैं आपके एवं सारे अगस्त सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आप सेट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेज कर रही हैं। आपने सेस और सरचार्ज इतने बढ़ा दिए हैं कि करीब-करीब 24 परसेंट ऑफ रेवेन्यू अब सेस और सरचार्ज हो गए हैं।

आपको सेस और सरचार्ज का फायदा हो गया और स्टेट्स को नुकसान हो गया, क्योंकि आप उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। क्या सूबे इस मुल्क का हिस्सा नहीं हैं? मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा। अगर हम फैक्ट्स-फिगर्स पर जाएं, तो 60 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा सूबे की सरकारें करती हैं और सेंटर 35 से 40 प्रतिशत करता है। हम लोग उन्हें सरचार्ज और सेस लगाकर दूसरी ओर कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने वर्ष 2020-21 में स्टेट्स को उनके शेयर से 2.3 लाख करोड़ रुपये और 25 प्रतिशत जीएसटी कंपनसेशन कम दिए हैं। आप स्टेट्स को कहां ले जाना चाहते हैं? वे भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी का नारा 'कॉपरेटिव फेडरलिज्म' है, तो कहीं तो कोऑपरेशन नजर आना चाहिए। मैं आपसे विनती करूंगा, जब आप जवाब दें, तो ये सारे टैक्स कम्पनसेट कर दीजिए।

आपने इस साल एक और एडिशनल सेस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट सेस लगा दिया है। मैं सीएजी की रिपोर्ट्स देख रहा था, सीएजी कह रहा था कि कभी भी सेस और सरचार्ज, वैसे तो आपको पता ही है कि कभी भी वह जिस परपज़ के लिए, लिए जाते हैं उनको ट्रांसफर नहीं होते हैं। वर्ष 2018-19 की कंसोलिडेट फंड की फिगर्स के बारे में सीएजी कहता है कि करीब-करीब 1.64 लाख रिफंड नहीं किए गए हैं। हम लोग यह क्या कर रहे हैं? सेस किसी के नाम पर कलेक्ट किए जा रहे हैं और फिर उन्हें देते नहीं हैं। जीएसटी कंपनशेसन सेस के संदर्भ में सीएजी कह रहा है कि 47, 272 करोड़ रुपये पहले दो साल का अभी तक आपने नहीं दिया है। मैडम, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये स्टेट्स को दे दीजिए, स्टेट्स की हालत बहुत खराब है।

आपने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। आपने कस्टम ड्यूटी किस पर बढ़ाई है? मैडम, स्क्रू, नट, बोल्ट ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। ये हर घर, खिड़की और दरवाजे में लगते हैं। उसको आपने 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया है। रेल प्रॉजेक्ट्स का निल से 5 प्रतिशत कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ पर 5 से 15 प्रतिशत कर दिया है। ये तो बच्चों के खिलौने हैं, आपने उन पर कर दिया है। क्या ये सारी चीजें भाव नहीं बढ़ाएंगी? इन्हें वापस लेना चाहिए, यह मेरी विनती है।

आप डिसइंवेस्टमेंट्स के टारगेट्स रख रही हैं। मैडम, आपने 1.75 लाख करोड़ रुपये रखे हैं और आपका टारगेट कभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे पास आपकी वर्ष 2015-16 से, पिछले 6 साल की फिगर्स हैं। सिर्फ 2 साल,(वर्ष 2017-18 और 2018-19) में पूरा हुआ है और दोनों ही साल जब आपने एलआईसी और ओएनजीसी जैसी कंपनियों से आपने दूसरे शेयर खरीदवा दिए, तब पूरा हो गया। इस साल आपका 2,10,000 करोड़ रुपये में से सिर्फ 32 हजार करोड़ रुपये हुआ है और यह आप ही बता रही हैं। आपका 1,75,000 करोड़ रुपये कैसे हो जाएगा, यह समझ नहीं आ रहा है। इस पर आप कुछ न कुछ हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए।

वैसे 1,50,000 करोड़ रुपये के करीब पीएसयूज़ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर को डिविडेंड या टैक्स देते हैं। जब आप सारे पीएसयूज़ बेच देंगे या उनमें डायल्यूशन कर देंगे, तो क्या वह लाख-डेढ़ लाख करोड़ रुपये का आपके टैक्स रेवेन्यू में घाटा नहीं होगा? उसे कहां से कम्पनसेट करेंगे? माननीय मंत्री जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। इसके साथ ही आप एलआईसी अमेंडमेंट बिल को बीच में लेकर आ गए। आपकी मेजोरिटी है, जो मर्जी लेकर आइए। लेकिन एलआईसी का आईपीओ22 पार्लियामेंट में स्क्रूटनी न हो, इसलिए आप उसमें 27 अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। वह आईपीओ अलग से पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, हम लोग उसे अच्छी तरह देख सकते थे। बजट बिल इतना बड़ा होता है कि हम लोग भी उसे अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं।

कोरोना की वजह से हेल्थ सेक्टर में बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी, मैंने आपके भाषण का एक-एक शब्द सुना है। मैंने लिखकर रखा हुआ है।

आपने कहा कि मैंने हैल्थ डिपार्टमेंट को 2,23,846 करोड़ रुपए दिए हैं, इसमें 137 लाख बढ़ा दिए हैं। हम सब बहुत खुश हुए कि माननीय वित्त मंत्री जी ने हैल्थ डिपार्टमेंट के लिए इतना दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एनेक्सचर बाहर आए। जब एनेक्सचर देखा, तो हम लोग हैरान हो गए। वह एनेक्सचर मेरे सामने है। हैल्थ के लिए जो मिनिस्ट्री है, वह मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो सारे डॉक्टर्स नर्सेज, पैरा-मेडिकल स्टॉफ्स को देखती है, उसका वर्ष 2020-21 का बजट 65,012 करोड़ रुपए था और आरई में था, I would appreciate, कि कोरोना के समय में आपने 13 हजार करोड़ रुपए पिछले साल उसे ज्यादा दिया। कोरोना के समय क्राइसिस होगा, तो आपने 13 हजार करोड़ रुपए दिए, मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आपने तो उतना भी नहीं रखा, इस बार आपने उसे 71,269 करोड़ रुपए कर दिया। मैडम जी, जितना आपने पिछले साल बढ़ाया था, कम-से-कम आप उतनी राशि तो कंटिन्यू कर देते। इससे हम लोगों को लगता है कि कम-से-कम हेल्थ डिपार्टमेंट को उतना मिला, जितना कोरोना के समय में मिला था, लेकिन आपने तो उससे भी कम कर दिया। आपने हैल्थ-रिसर्च में भी कम कर दिया। इसके लिए पिछली बार की आरई में 4062 करोड़ रुपए थे, अभी इसमें आप 2,600 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हेल्थ रिसर्च और कोरोना रिसर्च पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, क्या उसकी कोई जरूरत नहीं है?

कोविड वैक्सीन के लिए आपने एक अच्छा काम किया कि 35 हजार करोड़ रुपए डेडिकेटेड रूप में दे दिया। हम इसे एप्रिशिएट करते हैं। हालांकि उसमें दो-तीन सवाल हैं, लेकिन वे आपसे संबंधित नहीं हैं, उन्हें हेल्थ वालों को देखना चाहिए। अगर 400 रुपए भी प्रति डोज़ लेंगे, तो यह लगभग 60 परसेंट पॉप्युलेशन का ही खर्चा है। अगर हमें हर्ड इम्युनिटी के लिए 100 परसेंट या 80 परसेंट पॉप्युलेशन को वैक्सीन देनी पड़े, तो और पैसे चाहिए, लेकिन आपने कहा था कि हम इसको बढ़ा देंगे। इसलिए मैं इस बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

आपने काम अच्छा किया है क्योंकि water and sanitation are necessary for a meaningful health. लेकिन आप उसको हेल्थ के बजट में कैसे जोड़ रहे हैं? आपने काम सही

किया है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि ड्रिंकिंग वॉटर, सैनिटेशन बीमारियाँ पैदा करने में बड़ा योगदान देते हैं। आपने उसके लिए 60 हजार करोड़ रुपए रखे, यह अच्छा काम किया। लेकिन आपने उसे हेल्थ में जोड़ दिया।

मैडम, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट पाँच साल के लिए होती है। मेरे ख्याल से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वह एक साल के लिए तो नहीं होती है, मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स पाँच साल के लिए होती है। वे फिगर्स दे देते हैं, लेकिन सरकार उनको बाँटती रहती है। अगर यह एक साल के लिए है, फिर तो हेल्थ को 13,192 करोड़ रुपए और मिल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह पाँच सालों के लिए है। वॉटर एंड सैनिटेशन के लिए 36 हजार करोड़ रुपए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं वॉटर एंड सैनिटेशन को जोड़ूँ, तो 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपए में से 93 हजार करोड़ रुपए तो उसी का बन जाता है। इसलिए उसको न जोड़ें।

आपने आयुष विभाग का बजट बढ़ाया है, इसे मैं एप्रिसिएट करता हूँ। जब मुल्क में कोरोना शुरू ही हुआ था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पताल वाले बंद करके भाग गए थे। मुझे तो पंजाब की जानकारी है, लेकिन ऐसा दूसरे स्टेट्स में भी हुआ होगा। हमारा सरकारी तंत्र, जिसे हम इन-एफिशिएंट आदि सारी बातें कहते हैं, आखिरकार सरकारी डॉक्टर्स और सरकारी नर्सेज ने ही संभाला और जिसने असली काम किया, वह उन आशा वर्कर्स और आँगनबाड़ी वर्कर्स ने किया। बेचारे छोटे-छोटे लोग, जो हेल्थ और सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में काम करते हैं, अल्टिमेटली उन्होंने ही केसेज की ट्रेसिंग की। लेकिन हम लोगों ने कहीं पर उनके नाम तक मेंशन नहीं किए।

इसलिए मेरा कहना है कि जब तक हम हेल्थ डिपार्टमेंट का ह्यूमन रिसोर्स नहीं बढ़ाएंगे, वैसे तो भगवान न करे कि इस तरह की त्रासदी कभी दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन तब तक हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहुत-से लोगों को हॉस्पिटल्स में तकलीफें हुईं। उनको बेड नहीं मिलते

थे। हम एक एमपी के रूप में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनके लिए सिफारिशें करते थे कि उसे एडमिट कर लो, उसे पैसे तो देना ही है।

मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स 10-15 लाख रुपये एक पेशेंट का चार्ज करते थे, जो थोड़े से बैटर-ऑफ थे। इतना बड़ा खर्चा कौन कर सकता है? हेल्थ बजट में जो असली बात है, मैं इसलिए हैल्थ के विषय के बारे में बोल रहा हूं, because you, as the Finance Minister, can do it. हैल्थ मिनिस्टर को जितना बजट दिया गया है, उसमें ही ऑपरेट कर सकते हैं। …(व्यवधान) सर, मैं तो पहला ही स्पीकर हूं। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपकी पार्टी का टाइम 23 मिनट्स का है।

…(व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हमें पॉलिसी लेवल पर सोचने की जरूरत है। लोगों का 65-70 परसेंट खर्चा आउट-ऑफ-पॉकेट, प्राइवेट पर, हो रहा है, इसलिए मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं, क्योंकि इसमें हैल्थ मिनिस्ट्री काम नहीं कर सकती। पॉलिसी के विषय पर आपको कुछ करना होगा, प्रधान मंत्री जी को करना होगा। We are the highest in the world in out-of-pocket expenditure. इसको हम कैसे 10, 20, 30 परसेंट पर लेकर आएं, तो यह बड़ी बात होगी। …(व्यवधान) यह तब होगा, जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज को और बढ़ाएंगे। …(व्यवधान)

इसी बजट में आपने न्यूट्रिशन के बजट को दस हजार करोड़ रुपये कम किया है। आपने इसे 37 हजार करोड़ रुपये से 27 हजार करोड़ रुपये कर दिया। यह तो आपका ही सर्वे है। नैशनल फेमिली हैल्थ सर्वे का पांचवा राउंड कह रहा है कि wasting, stunting, malnutrition, anaemia पिछले पांच सालों में, वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक बहुत बढ़ा है। कम से कम आप

और कुछ नहीं तो उसे उतना ही मैंटेन कर दीजिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। अगर हम इंप्लॉयमेंट के विषय पर आएं तो उसमें एग्रीकल्चर ने बहुत मदद की है। आठों कोर-सेक्टर में एग्रीकल्चर था, जो ग्रो करता रहा, लेकिन हम उसका बजट देखें और उसको डिवाइड करें और अगर मैं सिर्फ उसका टोटल देखूं, क्योंकि मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सभापति जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूं, तो वर्ष 2020-21 में बीई 1 लाख 46 हजार करोड़ रुपये था। आपने आरई को 1 लाख 28 हजार करोड़ रुपये कर दिया। अब आप इसे 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपये कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप इसे पिछले बीई से भी कम कर रहे हैं। यह तब है, जब पूरे मुल्क में इतने मैसिव-प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं और वे मांग कर रहे हैं कि कानून वापस लो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल राइट बनाओ, तब आप उनका बजट कम कर रहे हैं? आपने दस हजार करोड़ रुपये प्रधान मंत्री किसान योजना का भी कम कर दिया। आपने उसे 75 हजार करोड़ रुपये से 65 हजार करोड़ रुपये कर दिया। कम से कम आप उसको उतना ही रख देते, जितना पिछली बार चल रहा था।

मेरा कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको एग्रीकल्चर-लॉज़ पर फैसला लेना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फैसला ही ले लिया है कि किसानों को पनिश करना है, तो फिर आपकी मर्जी है। ये अन्नदाता हैं, जो इस मुल्क के हर आदमी को खाना देते हैं। इंप्लॉयमेंट में एक और डिपार्टमेंट है, जिसने बहुत मदद की और वह डिपार्टमेंट रूरल डिपार्टमेंट है। मनरेगा के बारे में हम सबको पता है। मुझे आपको एप्रिशिएट करना होगा, लास्ट ईयर आपने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मनरेगा को दिए। मैं उस बात को एप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आपने इस बार 38 हजार करोड़ रुपये कम क्यों कर दिए? आपको लगता है कि इस बार मजदूर नहीं हैं? मनरेगा की डिमांड कभी भी पूरी नहीं होती।

मेरा आपसे कहना है कि आप एक लाख करोड़ रुपये के फंड को जारी कीजिए। मैं पूरे हाउस को आपको धन्यवाद देने के लिए प्रस्ताव रखूंगा। मनरेगा का बजट कम न करें, बल्कि इंप्लॉयमेंट के लिए अर्बन-मनरेगा स्कीम शुरू करें। जो माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी, अगर पब्लिक

सेक्टर का कोई प्रोग्राम होता, तो गरीब-गुरबत जो सड़कों पर चल रहे थे, जो फोटोज हमसे देखी नहीं जा सकती थीं, मैं एक फोटो आज तक नहीं भूल सका हूं, नोएडा में एक महिला सड़क पर सूटकेस खींच रही थी और उस पर एक बच्चा सो रहा था। मैं शायद सारी ज़िदगी वह फोटो नहीं भूल पाऊंगा।

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह: अत: मेरे कहने का मतलब है कि आप मनरेगा नहीं, अर्बन-मनरेगा चलाइए और हमें एमपीलैड फंड दीजिए, जिससे हम लोगों की मदद करते थे। …(व्यवधान) आप उसको क्यों बंद किए जा रहे हैं? वित्त मंत्री जी, साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की तो मदद कर दीजिए, आपका पैसा भी तो गया है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप सब बैठ जाइए। अमर सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह: मैं इंप्लॉयमेंट के बारे में पूछना चाहता हूं। आप देखिए कि एनएसएसओ का डेटा बाहर नहीं आ रहा है। सीएमआईई – सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अपना डेटा दे रहा है, जिसे पढ़कर हम बहुत सारी बातें कह रहे हैं। वह कह रहा है कि पैनडेमिक में लॉकडाउन के दौरान डेढ़-दो करोड़ लोगों का जॉब-लॉस हो गया है। आप इसके बारे में क्या करेंगी? आपने एक शब्द भी नहीं बोला है।

मेरी आपसे विनती है कि आप इस बारे में हमें कुछ न कुछ बताइए। कितने जॉब-लॉसेज़ हुए, उन्हें कैसे रीकूप करना है। इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। मैं डिफेंस के लिए दिए गए बजट पर बोलने के लिए सिर्फ आधा मिनट लूंगा।

आप लोग तो चाइना का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं और प्रधान मंत्री जी चाइना के नाम की जगह पड़ोसी कंट्री कहते रहते हैं। यह कोई डिप्लोमेटिक इश्यू हो सकता है और मैं उसके लिए गवर्नमेंट को इम्बैरेंस नहीं करना चाहता। That may be a diplomatic issue. Its ok, लेकिन

मैडम, अगर हम डिफेंस के बजट का एनालिसिस करें, तो यूपीए के टाइम में केपिटल एक्स्पेंडिचर 2010-11, यही नहीं 2013-14 तक 36 परसेंट ऑफ दि टोटल बजट था। जब से आपकी सरकार आई है, केपिटल एक्स्पेंडिचर 25-26 परसेंट रह गया है। यह आप क्यों कर रहे हैं? आपने आर.ई. में केपिअल एक्स्पेंडिचर 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये किया था। आपने फिर उसे एक चौथाई रख दिया है, उसे आपको थोड़ा-सा तो बढ़ा देना चाहिए था। डिफेंस वाले एक्स्पेक्ट कर रहे थे कि आप लोग काफी कुछ देंगे, लेकिन वह नहीं मिला है।

सभापति जी, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट्स में अपनी बात कर के समाप्त कर दूंगा। पंजाब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। जो दो-तीन इश्यूज हैं, वे वित्त मंत्री जी से संबंधित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा अप्रैल से जनवरी तक का जो पेंडिंग जीएसटी कम्पेनसेशन 8 हजार 253 करोड़ रुपये है, प्लीज वह दे दीजिए। हम बहुत क्राइसिस में हैं। मैं भी आपसे विनती कर रहा हूं कि उसको आप मंथली करिए। जीएसटी कम्पेन्सेशन पर हालांकि आप डिस्कस करेंगे, उसे वर्ष 2022 के आगे रखने की योजना बनाइए, क्योंकि स्टेट्स को बहुत दिक्कत है। 15वें वित्त आयोग ने फाइनेंस कमीशन द्वारा पंजाब को 2 सैंट्रल स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स दी हैं। एक 3442 करोड़ रुपये है और एक 1545 करोड़ रुपये है। मैडम, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए और दीजिए, हमारी तो हालत खराब है। आप लोगों ने हमारा आरडीएफ 3 परसेंट से 1 परसेंट कर दिया और इस बार आप कह रही हैं कि व्हीट में जीरो परसेंट आरडीएफ देंगे। हमें 3 हजार करोड़ रुपये इससे मिलता है। यदि आप ऐसा करेंगी तो हम चारों तरफ से मारे जाएंगे। जीएसटी से हमें यह नुकसान हुआ कि फूड परचेज पर जो टैक्स लगता था, वह खत्म हो गया। आरडीएफ आपने कम कर दिया। हमारे ऊपर आपने 31 हजार करोड़ रुपये का बर्डन डाला हुआ है, जो सीसीएल का कम्पेनसेशन नहीं हो रहा था, मैचिंग नहीं हो रही थी। मैं बार-बार कहता हूं कि फतेहगढ़ साहब एक ऐतिहासिक जगह है, उसे इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किल में लेकर आइए। मेरे संसदीय क्षेत्र में रायकोट जिला बहुत बैकवर्ड है, वहां रेल लिंक दीजिए और मेरे यहां स्टील टाउन ऑफ इंडिया मंडी गोबिंद गढ़ है। यहां लोगों को बहुत तकलीफ है,

जीएसटी की मुश्किल है, उसका हल कीजिए। हमारे यहां फीड प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री खन्ना, दोराहा, सानेवाल में है, इनकी हालत ठीक कीजिए। हमारे यहां स्क्रैप ट्रेडर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। नार्थ इंडिया में तो वे स्ट्राइक पर चले गए हैं, मुझे सारे देश की खबर नहीं है। उनकी तकलीफ है कि आप वर्ष 2017 का हिसाब-किताब उनसे मांग रहे हैं।

मेरी मांग है कि जब वित्त मंत्री जी जवाब दें और मैं चाहता हूं कि इस बिल में अमेंडमेंट्स किए जाएं। देश में जो हैल्थ क्राइसिस हुआ है, उसे हैंडल करने के लिए बजट बढ़ाया जाए। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बजट बढ़ाया जाए और जिन लोगों की इनकम गई है, उन्हें या तो इनकम टैक्स में रिलीफ दीजिए या उन्हें कैश ट्रांसफर कीजिए। आपने 80 करोड़ लोगों को तो फायदा दिया, लेकिन इस संख्या को और आगे बढ़ाइए। मेरा कहना था कि तेल के दाम घटाए जाएं। माइग्रेंट लेबर के लिए भी बहुत कुछ किया जाना है। आप सभी लोगों का ध्यान रखेंगे, तो हमारा मुल्क आपका बहुत आभारी रहेगा।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं अभी कांग्रेस के योग्य नेता एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो बड़े आर्टिकुलेट भी हैं, का भाषण सुन रहा था। उन्होंने खुद भी एक बार कहा था कि वह ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उस अनुभव के कुछ अंश भी संभवत: उनके भाषण में थे, लेकिन कुल मिलाकर मुझे बार-बार लगता रहा कि वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वह वित्त विधेयक पर बोलें या बजट पर बोलें। यह कन्फ्यूजन कांग्रेस का पर्मानेंट फीचर हो गया है। उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। हम व कुछ अन्य साथी भी उनका जिक्र करेंगे।

माननीय सभापति जी, वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक अलग प्रकार की सरकार आई। सरकार बनने के समय उन्होंने पूरे देश को अपनी सरकार के बारे में यह बताया कि सरकार किनके लिए काम करेगी। मैं उनके खुद के शब्द यहां सदन में कोट करना चाहता हूं। 20 मई, 2014 को उनके द्वारा कहे गए शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल जिस प्रकार से लाइट हाउसेज का जिक्र चल रहा था, ये शब्द उसी प्रकार से हम सबके लिए लाइट हाउस का काम करते हैं। उन्होंने कहा-'सरकार वह, जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह, जो गरीबों की सुने, सरकार वह, जो गरीबों के लिए हो और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि-कोटि युवकों को समर्पित है, मान-सम्मान के लिए तरसती हमारी मां-बहनों के लिए समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, यह सरकार उनके लिए है।' वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात को कहा था। पिछले 7 वर्ष इस बात के गवाह हैं कि निरन्तर उस गरीब को ध्यान में रखकर दीनदयाल जी का जो अन्त्योदय का रास्ता है, उस पर चलते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में एक दिन का भी अवकाश न लेते हुए देश को उस दिशा की ओर बढ़ाया।

श्री दीपक बैज (बस्तर): इसके बावजूद लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य, मैं अभी वह भी बताऊंगा, थोड़ा मौका दीजिए। मैं बापू का भी स्मरण करना चाहता हूं। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध ताबीज है, जो माननीय स्पीकर साहब के कक्ष के पीछे सभा कक्ष में लगा हुआ है। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्यों ने भी उसको अनेक बार पढ़ा व देखा होगा। मैं उसे दोहराना चाहता हूं, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। बापू ने कहा-'जब भी आप किसी संदेह में हों, तो खुद पर निम्न परीक्षा लागू करें। सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी, महिला का चेहरा याद करें, जिसे आपने देखा होगा और खुद से पूछें कि आप जिस कदम पर विचार कर रहे हैं, क्या वह उनके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी होगा?

अब कांग्रेस का तो बापू से कुछ मतलब है नहीं। उनके पास गाँधी तो हैं, लेकिन उनके गाँधी अब बदल गए हैं। गाँधी जी, बापू के इस ताबीज के अनुसार ही गरीब को केन्द्र में रखकर जनकल्याणकारी योजनाएं माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2014 से ही प्रारम्भ की गईं। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा कभी कोई बजट हो, हमारा वित्त विधेयक हो, हमने कोई पूरक बजट प्रस्तुत किया हो, हमने कोई अन्य योजनाएं बनायी हों, हमने कोई काननू बनाए हों तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय हमको इस ताबीज का और प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस बात को कहा है, हमें उस बात का हमेशा ध्यान रहा है और हम उसी दिशा के अंदर आगे बढ़े हैं। आज यह 9वाँ बजट है। कोरोना का जो महासंकट का काल था, उसमें कुछ पैकेज दिए गए, लगभग 21 लाख करोड़ रुपये का पैकेज था। वह 20 लाख करोड़ नहीं, वह लगभग 21 लाख करोड़ रुपये का पैकेज था। वह पैकेज भी एक बजट जैसा ही था। ऐसे जो भी हैं यानी हमारे सारे प्रस्ताव, जैसा मैंने कहा कि जो कुछ भी बजट के प्रस्ताव हुए, जो कुछ भी व्यवस्थाएं हुईं, वे सब गरीबों के हित में हैं। अब देखिए, जैसे मैंने ताबीज की बात कही, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, यह जो जन-धन योजना है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। पहले कहते थे कि एक रुपया यहाँ से चलता है, लेकिन मात्र 15 पैसे पहुँचते हैं। क्या आप यहाँ पर शिकायत करने के लिए आए हो? आप उस व्यवस्था को बदलते क्यों नहीं हो? आपको व्यवस्था को बदलना चाहिए था। आपने व्यवस्था को नहीं बदला या बदल नहीं पाए। न आपकी सोच थी और न नीयत थी। जन धन योजना आयी,

अब एक रुपया यहाँ से चलता है और एक ही रुपया खाते में पहुँचता है। कई बार डीबीटी के अंदर कितने बड़े-बड़े ट्रांजेक्शंस हुए हैं। आज सामान्य गरीब व्यक्ति को भरोसा है कि नरेन्द्र भाई मोदी, उनकी सरकार यदि मुझे 100 रुपये भेजेगी तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे, एक हजार रुपये भेजेगी तो मुझे एक हजार रुपये मिलेंगे। जन धन योजना शुरू की गई। उज्ज्वला योजना शुरू की गई। इन सब विषयों की चर्चा पहले हुई है। सौभाग्य योजना चालू की गई। बिजली नहीं थी।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में तो यह हाल था, मैं सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थिति का जिक्र कर रहा हूँ। बिजली आती नहीं थी और यदि कुछ बिजली आती थी तो पाँच-एक वीआईपी जिले छांट लिए गए थे, जहाँ बिजली आती थी। बिजली आती ही नहीं थी। गाँव के अंदर बिजली पहुँचाने की एक योजना चलती थी, उसमें गाँव तक बिजली पहुँचती थी, प्रत्येक घर तक बिजली नहीं पहुँचती थी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, सौभाग्य योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन, प्रत्येक घर में शौचालय बनवाना, आयुष्मान भारत हो या प्रधान मंत्री ग्रामीण और शहरी आवास की योजनाएं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, श्रमयोगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना आदि हैं। क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि एक रुपया महीना, 12 रुपया साल और उसका दो लाख रुपये का बीमा हो जाएगा? कभी किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। जिस बात के प्रति सरकार का समर्पण था, उसी के आधार पर ये सारी चीजें चलती रही हैं।

महोदय, जब भ्रष्टाचार होता है तो उससे सर्वाधिक त्रस्त गरीब होता है। पारदर्शी व्यवस्था होगी तो उससे समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और गरीब का कल्याण होगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए, पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए, हमारी माननीया वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठी हैं, उसमें बहुत भूमिका पहले माननीय अरूण जेटली जी की थी और अब हमारी माननीया वित्त मंत्री जी की है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है। निरंतर ऐसे कानून बनाए, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, Insolvency and Bankruptcy Code हो, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट हो। लोग कितने परेशान रहते थे, प्लांट कहाँ है, मकान कहाँ है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, मैंने तो कुछ का जिक्र किया है, केवल यह ध्यान दिलाने के लिए

कि हमारी सोच, हमारी दिशा क्या थी। इसी का यह परिणाम हुआ कि आर्थिक दृष्टि से जितने भी वैश्विक इंडीकेटर हैं, अब ये लोग न मानें, सूरज निकल रहा है, परन्तु कोई अपनी खोह में घुसा हुआ है और प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है का हल्ला कर रहा है, तो हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

लेकिन सारे इंडिकेटर्स चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो 134 से 63, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स हो 23 से 15, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो 76 से 48 और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। आप देखिए कि हमारे विश्व नेता का क्या स्तर है कि कोरोना के महासंकट में जब पूरी दुनिया जूझ रही है, तब हमारे फॉरेन एक्सचेंज का जो भंडार है, वह रिकॉर्ड 580 बिलियन डॉलर पर है, जो हमारे प्रति विश्वास को, हमारी नीतियों के प्रति विश्वास को प्रकट करता है। हमने कम्पनियों की टैक्स दरों को बेहतर किया। दुनिया में जो सेक्टर है, वह कम्पीट कर सके। हमने अनेक सेक्टरों को एफडीआई के लिए खोला। हमने आय कर की दरों को ठीक किया। हमने श्रम कानूनों और कृषि कानूनों को बनाया। मैं कृषि कानूनों पर कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन पर पूरी चर्चा हो चुकी है। परंतु आज भी पूरे देश के अंदर सामान्य किसान को कृषि कानूनों से लाभ हुआ है, कृषि कानून किसानों के पक्ष में है, यह सामान्य किसान मानता है। इन सब के कारण से जो उपाय हुए, सुधारात्मक उपाय हुए, उसके कारण से चित्र बदला और विश्वास का तो हमारे प्रति निर्माण हुआ ही। उसके अलावा आप देखिए कि वर्ष 2014 में हमारे करदाताओं की संख्या 3.31 करोड़ थी। हमने उनको आमंत्रित किया, हमने उनका सम्मान किया और आज परिणाम यह है कि आज हमारे करदाताओं की संख्या 6.48 करोड़ है, उसके अंदर लगभग दोगुना इजाफा हुआ है। वर्ष 2014 में हमारे बजट का क्या आकार था? आपको ध्यान होगा कि लगभग 16 लाख करोड़ रुपये का हमारे बजट का आकार था। सारे दबावों के बावजूद, सारी विपरीतताओं के बावजूद जो विजन है, जो सोच है, जो काम किए गए हैं, उसके परिणामस्वरूप आज हमारा जो बजट है, इस स्ट्रेस पीरियड के अंदर भी 34 लाख करोड़ का बजट हो गया है, जो हमारी इस दिशा के विषय में हमको बताता है।

माननीय सभापति जी, देश की आज़ादी के बाद बड़ा उत्साह था। साथी हाथ बढ़ाना हम उस समय की फिल्में वगैरह देखा करते थे, बड़ा उत्साह था, देश के नव निर्माण की जो जिम्मेदारी थी, वह हमारी कांग्रेसी सरकारों के पास आई। परन्तु मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहता हूं कि दो ऐसी भूलें, मैं बहुत ज्यादा भूलों की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन दो ऐसी भूलें, जिनका जिक्र यहां पर मैं जरूर करना चाहता हूं। पहला जो कदम उठाया जाता है, वह दूरी तो 30 सेंटीमीटर की नापता है, परन्तु दिशा भी तय कर देता है। दूरी की समस्या नहीं है, दिशा की समस्या है। वर्ष 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, उसके बाद जो कांग्रेस की सरकारें थीं, उनके पास जिम्मेदारी आई। वर्ष 1952 में पहली इलेक्टेड सरकार आई। उसके बाद जो पहले कदम का विचलन था, उस विचलन ने हमारी अर्थव्यवस्था को क्रमश:-क्रमश: बर्बाद करता चला गया। पहली बात उसके अंदर यह थी कि जो उस वक्त की सरकारें थीं, उनका रूझान वामपंथी था। अब वामपंथी रूझान के अंदर क्या है? बात फिर लम्बी हो जाएगी यानी उसमें कोटा परमिट का राज आता है, उसके अंदर लाइसेंस राज आता है, उसके अंदर भ्रष्टाचार आता है और ये सारी चीजें आईं। हमने सोवियत संघ का हाल देखा है, अपनी जरूरतों की चीजें सोवियत संघ उगा नहीं पाता था, तैयार नहीं कर पाता था। उसके कारण से वह विभाजन के कगार पर आया और उसका विभाजन हो गया। अपने देश के अंदर भी पीएल-480 का जो अनाज है, हमको क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वामपंथी रूझान के कारण से हम सहकारी खेती की बातें करने लग गए थे। मैं चौधरी चरण सिंह जी को आज स्मरण करना चाहता हूं, उन्होंने अड़ कर उन बातों को रुकवाया। उस वक्त के जनसंघ ने उन बातों को रुकवाया। हमको पीएल-480 के अंदर गेहूं का समझौता करना पड़ा, यह स्थिति हुई। इस वामपंथी सोच के कारण से हमारी अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हुई ही और वर्ष 1962 में जो कुछ हुआ, हालांकि आज के विषय से उसका सीधा संबंध नहीं है, परन्तु जिक्र करना चाहिए। अभी आदरणीय अमर सिंह जी उसका जिक्र कर रहे थे। क्या हुआ, सब ने समझाया कि वामपंथ पर भरोसा मत करो, वामपंथ विकास विरोधी है, चीन पर भरोसा मत करो, चीन स्वभाव से विस्तारवादी है, तिब्बत का मसला हुआ और सब मसलें हुए, सावधान किया। सरदार पटेल ने सावधान किया, राम मनोहर लोहिया ने

सावधान किया, दीनदयाल उपाध्याय जी ने सावधान किया। परन्तु, वामपंथ का ऐसा खुमार था कि हमारे उद्यम भी बर्बाद हुए और साथ ही साथ हम 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन भी गंवा बैठे। आज के जो 'युवराज' हैं, वे कई बार सवाल खड़े करते हैं तो मुझे हैरत होती है। उनके हिम्मत की मैं दाद देता हूं। इसका मतलब कि उन्हें यह बात पता नहीं है कि 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब गई थी, किसके जमाने में गई थी और उसके कारण चीन को जो बढ़त मिली, अगर उसे किसी ने रोकने का काम किया है, चीन को अपनी सीमा में रहने के लिए यदि किसी ने विवश किया है तो वह हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

कॉंग्रेस का जो हाल है, कई बार मैं यह सोचता हूं, मैंने अभी जो कहा कि इतनी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। ये सच बात मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं हैं। यहां बिट्टु जी बैठे हैं। इनके लिए मैं एक छोटा-सा शेर अर्ज़ कर दूं –

सच मान लीजिए, चेहरे पे धूल है,
इल्ज़ाम आइने पे लगाना फिजूल है।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): चेहरे पे मास्क है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : बिट्टु जी, अब आप बात को कितना भी पलटिए। इसका मतलब यह है कि शेर को आप समझ ही गए।…(व्यवधान)

सच मान लीजिए, चेहरे पे धूल है,
इल्ज़ाम आइने पे लगाना फिजूल है।

महोदय, मैं इस बात को अण्डरलाइन करना चाहता हूं कि इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण से हमारी इकोनॉमी खुली। मैं बहुत सख्त शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन वह अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में खुली। उसका जो परिणाम हुआ, बहुतांश में यह हुआ कि हम तो दुनिया में पहले से ही एक बहुत बड़े बाजार थे और उसके बाद एक और बड़े बेहतर बाजार के लिए, जैसा कि हम कहते हैं कि

हमने ग्लोबलाइजेशन किया, वह हुआ, परन्तु वह हमारे बाजार के उपयोग करने की दृष्टि से हुआ। यहां पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा था । यहां पर कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं आया।

महोदय, मैं एक छोटा-सा आँकड़ा उस वक्त का ध्यान दिलाता हूं कि वर्ष 1991 में जब हमारी अर्थव्यवस्था को ओपेन किया गया, तब हमारी विकास दर 1.05 प्रतिशत थी और वर्ष 1997 तक यह जो दर थी, यह 4.05 प्रतिशत थी। उसके बाद अटल जी की सरकार आई। अटल जी की सरकार में जब देश चला, तब से जीडीपी की ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई। हमने वर्ष 2004 में उसे 8.4 प्रतिशत पर छोड़ा। हमारे काँग्रेस के जो मित्र हैं, वे कहते हैं कि दस सालों में हमारी जो ग्रोथ है, वह औसतन 7 प्रतिशत रही। वे साल की बात नहीं करते। हम यह बता रहे हैं और मैं आपके माध्यम से इस सदन को ध्यान दिला रहा हूं कि वर्ष 2004 में हमने जो ग्रोथ की दर 8.4 प्रतिशत पर छोड़ी थी, वर्ष 2014 में उन्होंने ठीक उल्टा करके 4.8 प्रतिशत पर ले आए। यह धीरे-धीरे गिरती गई। यह देखने में ठीक लगे, 4.8 प्रतिशत से बेहतर लगे, इसलिए वे इसे औसत में बताने लगे क्योंकि छिपाने की इनकी आदत है। ट्रांसपेरेंसी इनके स्वभाव में ही नहीं है। ट्रांसपैरेंसी हमारे स्वभाव में है। इसलिए जब कोरोना के समय संकट बढ़ा तो हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि घाटा बढ़ गया है, एफ.आर.बी.एम. का जो निर्देश होता है, उसके हिसाब से हमारा घाटा 9.5 प्रतिशत हो गया है, जो चिंतनीय है। हमने उसको 6.5 प्रतिशत नहीं बताया, हमने उसे 8.2 प्रतिशत नहीं बताया। जो था, वह हमने बताया और आगे के लिए लक्ष्य भी बताया कि किस प्रकार से धीरे-धीरे अगले वर्ष 6.8 प्रतिशत और उसके बाद और आगे बढ़ते हुए अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करेंगे। …(व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : मैं तो कहना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा बजट लाकर अच्छा काम किया, नहीं तो फिस्कल डेफिसिट से कुछ पता नहीं लगता है।…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति जी, मैंने वामपंथी रूझान की एक समस्या का जिक्र किया, लेकिन एक समस्या और थी। कांग्रेस की प्रारंभ से ही अपनी नीतियाँ बनाते समय वोट बैंक को साधने की कोशिश रहती थी। इसके अंदर क्या होता था, यह समस्या नीति से ज्यादा नीयत की

है, लेकिन यह समस्या थी। उसका परिणाम क्या हुआ? मैं इस बात को बहुत विस्तार से नहीं कहूँगा। जहाँ से उनको वोट नहीं मिलने हैं, कम मिलने हैं, वर्गों को लेकर उस ओर उनका ध्यान रहता था। हमारे एक सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश के संसाधनों के बारे में इससे खराब स्टेटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कह दिया। ऐसा अधूरा विकास हुआ, वे कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा साल के साथ बढ़ता चला जाता है। वह एक साल का होता है, दो साल का होता है, दस साल का होता है, पन्द्रह साल का होता है और वह 20 साल का भी होता है। लेकिन, कुपोषित बच्चा जिसका कोई हाथ कहीं पतला है, कई बार उसका कंधा टेढ़ा हो रहा है, टांग में कहीं कुछ कमजोरी हो रही है, मतलब इस प्रकार का विकास हुआ है। यह कुपोषित विकास है। वोट बैंक की राजनीति का यह दूसरा दोष था, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से वोट बैंक की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। यह कभी भी और किसी भी योजना में है।

महोदया, हम केवल कह नहीं रहे हैं, आप हमारा व्यवहार देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। गरीबी हटाओ- कहा गया, लेकिन यह थोड़े ही हटी। जो कहा, उसी प्रकार से व्यवहार करते हुए हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को आगे बढ़ाया। हमें 112 ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को छाँटा है और उनके लिए विशेष प्रावधान किया है। नॉर्थ-ईस्ट उपेक्षित रहता था। उस कारण से अलगाववाद को ताकत मिलती थी। हमने उसका ध्यान किया। निरंतर तेज गति से वहाँ पर काम चल रहे हैं। आज उत्तर-पूर्व के रहने वाले हमारे नागरिकों को लगता है कि हम वास्तव में भारत के साथ पूरी तरीके से अधिकार संपन्न नागरिक हैं। हम हर प्रकार से उसके अभिन्न हिस्सा हैं। पहले वहाँ समग्र विकास नहीं किया गया।

माननीय सभापति जी, समग्रता की जो सोच है, वह आज सब जगह दिखायी देती है। जैसे स्वास्थ्य के लिए उपाए हुए, स्वास्थ्य की बात हुई, मैं इस विषय पर थोड़ा बाद में भी आऊँगा। कई बार मुझे हैरत होती है, जब वे कहते हैं कि इसमें पैसा बढ़ाओ, इसमें पैसा बढ़ाओ, इसमें पैसा

बढ़ाओ, लेकिन इसमें पैसा घटा दो। जहाँ से राजस्व आ सकता है, उसमें कहते हैं कि पैसा घटा दो और खर्च बढ़ा दो, ऐसे कैसे हो सकता है? जिन प्रधानमंत्री जी को मैं कोट कर रहा था, उन्होंने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होता है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, यह भी उन्होंने कहा। वह अर्थशास्त्री हैं और जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। वह तो नेतृत्व की बलिहारी थी, वह शायद उनको ठीक से काम नहीं करने देता था। उनके बनाए हुए बिलों को फाड़ देता था। वह नेतृत्व तो अद्भुत है। उनकी विद्वता की छाप तो अमेरिका तक गई है।

12.59 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो समग्रता की दृष्टि है, वह प्रत्येक क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देती हैं। कोरोना का काल बीता, किस प्रकार से चीजों को व्यवस्थित किया जाए। एक-एक बिन्दु के ऊपर अभी बातचीत हो रही थी, यानी विदेश नीति को पूरी तरीके से जोड़ कर कहा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल एक वर्ष के अंदर दुनिया के डिप्लोमैट्स के साथ 110 मीटिंग्स कीं। हरेक पहलू पर उनका ध्यान रहता है। अगर स्वास्थ्य की बात होती है तो स्वास्थ्य में स्वच्छता होनी चाहिए, स्वास्थ्य में योग होना चाहिए, स्वास्थ्य के अंदर सस्ती दवाई होनी चाहिए, उसके लिए जन औषधि केन्द्र होने चाहिए, स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत होना चाहिए। आप सोचते चले जाइए, आपको ऐसा कोई पहलू ध्यान में नहीं आएगा, जिसकी तरफ माननीय मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया हो। अनेक क्षेत्रों में चाहे वह रक्षा का मामला हो, यदि वह रक्षा का मामला है, हमें देश को सुरक्षित करना है तो हमारे सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। उनके लिए वह ओ.आर.ओ.पी लेकर आए।

13.00 hrs

यह बहुत समय से लटका हुआ था। मुझे ध्यान आता है, कई बार हंसी भी आती थी कि यूपीए-2 के अंदर बजट रखते थे, वे कहते थे कि हम भी करते थे, आप ओआरओपी के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करते थे। हम लोग ओआरओपी लेकर आए। हमने सैनिकों की जरूरतें

ठीक से पूरी कीं। हमने सीमांत प्रदेशों को ताकत प्रदान की। हमने विदेशी नीति के माध्यम से उसको देखा। हमने रक्षा नीति को व्यापक बनाया। समग्र दृष्टि से, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे होम का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या पर्यावरण का हो, मैं विस्तार से उन सबका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच हम सभी को दिखाई देती है।

सभापति महोदया, कांग्रेस की जो दिशाहीनता थी, इसने देश को बहुत तकलीफ में डाला। बेरोजगारी निरंतर बढ़ती गई, लोगों को रोजगार नहीं मिले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, तो फिर नागरवाला कांड भी हो गया, फोन बैंकिंग भी हो गई। बीज वहीं छिपे हुए हैं सारे के सारे, विकास का कोई एजेंडा नहीं था। आज कांग्रेस ऐसी कनफ्यूज्ड पार्टी हो गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसानों के बिलों में जो बातें आई हैं, उसका वह समर्थन करती थी, लेकिन अब विरोध करती है। कितने विषय कहे जाएं, इन्हें समझ में नहीं आता है। मैं इसको नहीं बोलता हूं, नहीं तो जी-23 का मसला आ जाएगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता।

आप राजनीतिक दृष्टि से देखिए। बंगाल में सीपीएम साथ है, दोस्त है और केरल में विरोध में है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे? वह बहुत कनफ्यूजन की स्थिति में है। मतलब यह है कि सुबह को पी, शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, परन्तु साहब ऐसा नहीं होता है। बर्नार्ड शा की कहानी आपने सुनी है, मैं सुना दूं।

बर्नार्ड शा बड़े विद्वान व्यक्ति थे, दुनिया के अंदर उनकी मान्यता थी, लेकिन वे कुरूप थे। एक बड़ी सुंदर सी महिला उनके पास गई। उन्होंने कहा कि शा साहब, हम और आप विवाह कर लें, तो हमारी जो संतान होगी, वह आपकी तरह बुद्धिमान होगी और मेरी तरह सुंदर होगी, तो बर्नार्ड शा बोले कि यदि इसका उल्टा हो गया तो, आपकी तरह मूर्ख और मेरी तरह कुरूप। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी कुरूप और नादान बच्चे से ही काम चलाना पड़ेगा। बहरहाल न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, हम इधर के रहे न उधर के रहे। यह जो चतुराई है कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, इसका वास्तव में अंजाम यह होने वाला है।

सभापति महोदया, हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें देश को गौरवशाली बनाना है। हम कदम-कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय की डिमांड्स पर चर्चा हुई। हमारे मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया, उन्होंने इस बात की चर्चा की। आज हम सब यह जानते हैं कि दुनिया के अंदर हमारे वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, तकनीशियनों की बड़ी धाक है, नासा हो या कुछ हो, कोई वर्ल्ड आर्गनाइजेशन हो, हमारे लोग वहां पर हैं, अच्छी जगहों पर हैं, की पोजीशंस के ऊपर हैं। ये लोग यहां काम क्यों नहीं करते? मैं ऐसे कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जिन लोगों ने अपने भाव के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यहां कुछ करने की कोशिश की, परन्तु माहौल ही नहीं था। उनको सरंक्षण तो बहुत दूर की बात होती है, कोई प्रोत्साहन ही नहीं था। काम करने का कोई वातावरण ही नहीं था। इसलिए हमारे यहां से लगभग 30 हजार करोड़ का ब्रेन ड्रेन होता है। …(व्यवधान) 76 थाउजेंड, माननीय सांसद जी ने मुझे करेक्ट किया है। पिछले 5-6 साल में, अभी 7वां साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं 6 साल कह रहा हूं। हमारे यहां उपाय हुए और अब हमारा युवक बाहर जाने की नहीं सोचता है या कम सोचता है। उसके ध्यान में अब पैसा नहीं है, उसके ध्यान में देश है।

आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम है, जिसे मान्य किया गया है। देश में 38 स्टार्ट-अप ऐसे हैं, जो एक बिलियन डॉलर से अधिक वैल्यूएशन वाले हैं, जिसमें बारह पिछले साल ही जुड़े हैं। भारत सरकार ने इकतालीस हजार से अधिक स्टार्ट-अप की पहचान की है, जिससे पांच लाख से अधिक का रोजगार पैदा होगा। मैं केवल स्टार्ट-अप की बात कर रहा हूं, रोजगार के विषय में बड़ा आंकड़ा है। आपको ध्यान में नहीं आता है, आप केवल फार्मल रोजगार की चिंता करते हैं। सरकार सेल्फ इम्पलायमेंट सेक्टर को बढ़ावा देती है, उसके लिए बहुत सारे उपाय किए हैं।

उसके कारण वर्ष 2013 में बेरोजगारी की दर 5.67 थी जो अब घटकर 5.36 हो गई है, उसे और कम करना है, किन्तु हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, यह इस बात को प्रमाणित करता है। मैं

एक आंकड़ा सदन के साथ साझा करना चाहता हूं, चाहे ये समझे या न समझें, लेकिन देश क्या समझता है? अभी फरवरी में एक प्रमुख समाचार पत्रिका ने सर्वे किया, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, यह पत्रिका पाक्षिक निकलती है। उसने प्रधानमंत्री जी की परफर्मेंस के बारे में एक सर्वे किया, उसने पूछा कि ऐसे लोग कितने हैं जो प्रधानमंत्री जी की परफर्मेंस को बहुत अच्छा मानते हैं तो वह तीस प्रतिशत आया। जो परफर्मेंस को अच्छा मानते हैं, उनकी संख्या 44 परसेंट आई और जो परफर्मेंस को औसत मानते हैं, ऐसे लोग कितने हैं, तो वह सत्रह परसेंट आया। गुड, बेटर और बेस्ट का टोटल 91 परसेंट आया।

यह लोकप्रियता तपस्या की लोकप्रियता है, तपस्या का सम्मान है, कठिन परिश्रम का सम्मान है, यह ईमानदारी का सम्मान है, ट्रांसपरेंसी का सम्मान है। इसी से आपको तकलीफ है, आपको लगता है कि नीचे की जमीन कहां खोजे, जमीन तो है ही नहीं। आप आसमान में खेती कर रहे हैं और किसानों की बात करते हैं।

आसमान में खेती कर रहे हैं और वहीं महल बना रहे हैं। कोरोना का संकट बहुत बड़ा संकट था, इस बात को सभी ने माना है। आर्थिक संसाधनों का संकुचन हुआ, सामान्यजन बेहद कठिनाई में आया, आज भी उन दृश्यों को देख कर सोचते हैं तो वास्तव में उन दृश्यों ने सभी को दहलाया। किन्तु जिस तत्परता, समग्रता और संवेदनशीलता के साथ हम लोगों ने काम किया, वह देश जानता है और दुनिया भी जानती है।

मैं किसी संगठन का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, जिन संगठनों ने काम किया, वह भी समाज के सामने है, उनको लोग पहचानते हैं। जिन्होंने केवल बातें कीं, उनको भी लोग पहचानते हैं। अब ऐसे समय में यह स्वाभाविक था, सभी ने माना कि अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी दबाव आया। खर्च बढ़ गए और आमदनी घट गई, जान है तो जहान है, पहला लक्ष्य यही था, फिर धीरे-धीरे थोड़ा ठीक हुआ।

मैं यहां आंकड़ों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आय कितनी कम हुई। कंपनी कर में अपेक्षा थी कि 6.81 लाख करोड़ रुपये आय होगी जो मात्र 4.46 लाख करोड़ रुपये

रह गई, इसमें घाटा 2.35 लाख करोड़ रुपये का हुआ, 35 प्रतिशत कम हुआ। अभी नया लक्ष्य 5.47 लाख करोड़ रुपये लिया है। आयकर में अपेक्षा थी कि आय 6.38 लाख करोड़ रुपये होगी, लेकिन 4.59 लाख करोड़ रुपये आय हुई, इसमें 1.79 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो 28 प्रतिशत था। आयात शुल्क 1.38 लाख करोड़ रुपये की अपेक्षा थी लेकिन उसके अंदर 1.12 लाख करोड़ रुपये ही प्राप्त हुआ, उसमें भी कमी हुई।

डॉ. अमर सिंह जी कह रहे थे कि आपको विनिवेश के लक्ष्य तो कभी प्राप्त होते ही नहीं हैं और इस बार तो कम ही हुए। मैं कहना चाहता हूं, लक्ष्य इसलिए प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आपने कुछ चीजों को तो विनिवेश के लायक रखा ही नहीं है। एयर इंडिया कितनी मेहनत कर रहा है, हमें बता दो, कोई खरीदार लाकर दे दो जो उसे चला ले। आपने बीएसएनएल का क्या हाल किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बिट्टू जी जाकर देखिए, उसका क्या हाल किया? मोदी जी की सरकार के आने से पहले उसका क्या हाल था और अब क्या हाल है? आपने तो विनिवेश के लायक रखा नहीं, लेकिन तब भी इन सब दबावों के बीच खर्च ज्यादा हुए। मनरेगा में हुआ, अन्य में हुआ, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। ऐसे सारे दबावों के अंदर, विषम परिस्थितियों के अंदर जो बजट आया, उसमें प्रावधान आए यानी प्रावधान अपेक्षित थे। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, उम्मीद नहीं आशंका थी कि इस बार तो मैडम जरूर टैक्स लगाएंगी, मजबूरी है, पैसा खर्च करना है तो पैसा चाहिए। पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने इस बात को कहा, वास्तव में मैं हृदय से सम्पूर्ण सदन और देश की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि एक नया टैक्स भी हमारी सरकार ने सामान्य जन पर नहीं लगाया। अद्भुत। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।

आज हमने सरदार भगत सिंह की कुर्बानी को याद किया है। कहां से आएगा पैसा? आप बता दीजिए। इस बात का सवाल बीच में उठा और वित्त राज्य मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया। जीएसटी में सब बातें चल रही हैं। मैं फिर दूसरी बार कह रहा हूं, पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं। हमारे प्रपोजल्स हैं, आप देखिए टैक्स नहीं लगाया। सबसे पहला प्रणाम माननीय वित्त मंत्री महोदया ने

75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को किया। कृतज्ञ प्रधान मंत्री जी का, कृतज्ञ वित्त मंत्री जी का और कृतज्ञ संसद का बुजुर्गों को प्रणाम था, कम से कम इतना तो हो कि उनको रिटर्न भरने से छूट मिल जाए।

देखिए साहब, हमने कुछ महत्वपूर्ण समय सीमा में कमी की। विवाद समाधान समिति का गठन किया ताकि विवाद निपट जाएं। फेसलैस आयकर अपील की, पहले भी हमारी कोशिश थी, अब इसके प्राधिकरण को, आईटीएटी को फेसलैस बनाया। श्रमिक कल्याण कोष में कर्मचारियों के समय पूर्व अंशदान जमा होने में कुछ लोग गलत कर देते थे, उनको हमने कहा कि नहीं, यदि आपने अंशदान नहीं किया है तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ऐसे ही केवाईसी के संबंध में व्यवस्थाएं बनाईं, कर लाभ की सीमा बढ़ाई, ऑडिट से छूट दी। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी सोच है कि डोमेस्टिक उत्पादन बढ़े, घरेलू उत्पादक को संरक्षण नहीं मिले, प्रोत्साहन मिले। हम जो चीजें आयात कर रहे हैं, अगर हमारे यहां बन सकती हैं तो हम क्यों कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे? हमारी दिशा साफ रही है कि हम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दें ताकि दुनिया पर निर्भरता, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, घटाते चलें और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें।

सभापति जी, मुझे आशंका है कि आप कभी-भी घंटी बजा सकती हैं। मैं जल्दी खत्म करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने क्रिकेट का जिक्र किया था। क्रिकेट आकर्षक खेल है, मैं उसी की भाषा में कुछ कहना चाहता हूं। क्रिकेट में प्रत्येक सैंचुरी का महत्व होता है। लेकिन जब पिच अनईवन हो, अनप्रडिक्टेबल हो, विरोधियों ने सब तरफ से घेर रखा हो, तब की सैंचुरी का आनंद और गौरव कुछ और ही होता है। अपने कप्तान माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने हमेशा सैंचुरी मारी है।

परन्तु, इस अद्भूत भयंकर दबाव के बीच में, उन्होंने जो शतक लगाया है, उसका विशेष सम्मान है और विशेष गौरव है। पूरा देश उनका अभिनन्दन करता है। हम माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। यह जो बजट है, जो वित्त विधेयक है, यह केवल इस वर्ष का वित्त विधेयक नहीं है, इसको देखा जाए, तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी कहते भी हैं कि देश की आजादी का 75 वां वर्ष शुरू हो गया है, अमृत महोत्सव प्रारंभ हो गया है और वर्ष

2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे। ये बीच के जो 25 साल हैं, इसमें हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें, देश को आत्मनिर्भर बनाएं, दुनिया का सर्वाधिक समर्थ देश बनाएं और उसकी जो आधार है, वह यह बजट है, यह वित्त विधेयक है। यही मैं कहना चाहता हूं। चुनौतियों का शिखर बड़ा ऊंचा था, परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में हमने उस शिखर को अपने पुरुषार्थ को जागृत करके, देश की सामर्थ्य को जगाते हुए पार किया है, चढ़ा है, अभिनन्दन है, अभिवादन है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Madam. At the outset, I would like to congratulate our hon. Finance Minister for presenting the Budget during this pandemic time when the world is going through difficult times. We have seen that economies also crashed. But she has shown a lot of grit and she led with a lot of exemplary leadership during this pandemic period. So, we are really thankful to her.

We should also appreciate that to combat recession, she has struck a fine balance between fiscal caution and Government spending. But even during the lockdown, our country was going through difficult times. This is evident from the fact that the economic growth was down to 4.19 per cent and the tax revenues for our country were down by 3.69 per cent compared to the previous year before the lockdown.

The States are also going through equally difficult times. In the true spirit of cooperative federalism, we request the Central Government to help the States. It is because it is an effort of both the Centre and the States to put the country back on track.

Before I go to my observations on the Budget, I would like to talk about the issues of my State, especially Polavaram which is a very, very important Project for our State. Our State is heavily dependent on completion of the Polavaram Project. We would request the Government to approve the revised cost estimate at an earlier date. We are thankful for the commitment given by the hon. Finance Minister and the hon. Water Resources Minister; they have given an oral commitment also. We are grateful to you for that. But anything

without the Cabinet approving it, will not be fruitful. Polavaram Project is going on in a very brisk pace right now. Polavaram Project is slated to be completed next year. So, we would request the Government to act fast on this and approve the revised cost estimate.

Coming to the issue of medical colleges, post-bifurcation, we do not have tier-1 cities in Andhra Pradesh apart from Visakhapatnam. So, not many private people are coming forward to set up super speciality hospitals. So, our Chief Minister has come forward to construct 16 new medical colleges and super speciality hospitals. So, we would request the Central Government to help us out. It is because when there are no private people coming in, the only option is public sector investment in that. Even if you see pro rata figures, compared to other States, the number of medical colleges in Andhra Pradesh is very, very less. So, we would request the Government to take care of this. It is because we have seen in the pandemic how important it is for the Medical Department to be equipped properly.

Coming to Andhra Pradesh Civil Supplies Corporation, for rice distributed under PDS, their pending payments pertaining to 10 per cent of rice subsidy from 2013-14 amounts to Rs.1599 crore. Even for Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, Rs.1723 crore is pending. Even in the current year, we have Rs.960 crore pending for the third quarter of the Financial Year 2020-21 pertaining to advance claims. So, we would request the Minister to take note of this and help release the funds at an earlier date.

Nivar Cyclone devastated Andhra Pradesh. There were Central Government teams which visited our State during November and December. They have made some assessments. We would request the Government to release Rs.2275 crore as financial assistance entitled under NDRF.

A lot of damage has been done and we lost a lot of property and lives. Cyclone Nivar had created a havoc in the State. I would request the Central Government to help Andhra Pradesh in time because any delay in helping us with funds for Nivar cyclone relief will not be of much use in the future.

A lot of BPL people are dependent on MGNREGA. We have more than Rs.3000 crore pending for material component. A lot of work is pending. Especially, after this pandemic, MGNREGA is really important for the survival of BPL people in the State. I would request the hon. Minister to initiate action to release pending payments under MGNREGA.

In the AP Reorganisation Act, we were given Rs. 50 crore per year, per district, as Backward District Grant for seven backward districts of Andhra Pradesh. We are entitled for Rs.700 crore. It is pending for the last two years. We have requested for the release of this amount several times. I would like the hon. Minister to take note of it and release it at an earlier date.

On the floor of the House, while the State was being bifurcated, because of unviable finances we were promised Special Category Status. It is our demand that Special Category Status be given to our State. The validity of AP Reorganisation Act is for ten years. It has already been seven years since the Act was initiated and just three years are left. I would like the Government to give us Special Category Status. It is not something that we are asking out of the blue. It was there in the NDA manifesto of 2014. Every person, who came for campaigning in Andhra Pradesh, said that Special Category Status will be granted to Andhra Pradesh. We are now going through a difficult time. The finances of the State are such that whatever revenues we are getting are enough only for paying salary, pension, and the basic needs of the State. We are just surviving on borrowed finances. I would request the Central Government to grant Special Category Status to us.

Coming to the Budget, I was talking about the spirit of cooperative federalism. If you see, during the 13th Finance Commission period, 32 per cent of the divisible pool of taxes was allotted to the States. All the States put together were getting around 28 per cent share of gross taxes. Subsequently, during the 14th Finance Commission period, the States got only 35 per cent of gross taxes even though in the divisible pool of taxes the share of the State was 42 per cent. Subsequently, the cess and surcharges, which were not part of the divisible pool of taxes, were increased. This is unfair. During the 15th Finance Commission period, though the States are entitled for 41 per cent of divisible pool of taxes, we are getting just 13 per cent of gross taxes, which is

five per cent less than even the 14th Finance Commission recommendation. We are at a loss. The hon. Finance Minister and the Government should take note of this and help the State. It is not just Andhra Pradesh that is losing on this account. Every State gets to lose because of this.

I would also like to bring to the notice of the hon. Minister regarding TOR, which was given, of 15th Finance Commission. It says that 2011 population census will be taken into consideration. States like Andhra Pradesh, which has implemented strict population control measures, are at a loss. Earlier it was based on 1971 census. If it is based on population, we get to lose. So, some sort of arrangement has to be made so that we are not at loss because of controlling the population.

I would also like to bring to the notice of the hon. Minister that in some of the Centrally-sponsored schemes there is a sharing mechanism. Like, 60 per cent is given by the Centre and 40 per cent by the State. I do not blame the Centre or the State. There is a lot of communication gap. They write a letter, and a lot of procedure is to be followed. There is a lot of delay in execution of the project due to all this.

If you see per year escalation cost, it is six to seven per cent for any project and it is apart from the interest cost that I am talking about. If the project is delayed by two years, it is going to be more than ten per cent loss for the Government. So, I would request the hon. Minister of Finance to take note of this and just calculate the loss per year. It is not only related to the State of Andhra Pradesh, but it is also related to all the States as far as Centrally-

sponsored schemes are concerned. Why do we need to pay the escalation cost? Why do we need to bear the interest? I am sure that it is going to run into thousands of crores of rupees, which is a loss to the nation because this amount should be put for developing the infrastructure and this should be efficiently used for capital investment.

If you see the National Highways, they do not have such obstacles because whatever amount is being used for any infrastructure project is borne by the National Highways Department. Our hon. Minister, Gadkari Ji, had very proudly said in the House that they have completed the project in time and have also broken the records with regard to completion of construction of roads in time. We really appreciate that. We wish that same model is followed in respect of other projects also. We request the hon. Minister that whatever amount you may allot for a particular project, let the State Government or the Central Government take the responsibility of the same completely. This will avoid all deadlocks and will ensure expeditious completion of projects and with this, we will save thousand of crores of rupees in escalation cost and interest.

We are supporting a lot of entities during these times of recession and crisis. I mean that we are giving a lot of stimulus to various companies to get out of the bad phase. But a lot of payment is pending to various entities from both the Central Government and the State Governments. The issue is this. Once it is built by the State or the Centre, the entities need to pay the GST. On the one hand, you are talking of supporting them, waiving off their withheld amounts and waiving off their performance guarantees; and on the other hand,

you are asking them to pay the GST even before the amount is realised, which is a drain on their working capital. So, this is a very important issue. When the Government is not paying, you cannot expect the private people to do it. If it is pending from a private party, it is agreeable. But if it is pending from the Government, the business community should not be harassed or should not be penalised. Only after the actual realisation of the payment, the GST should be paid. I request the hon. Minister to take a note of this.

I would also like to know what is the rationale or what is the USP behind selling profitable Government ventures. There is a lot of confusion in the country. A lot of people are asking why the Government is selling the profitable entities. This is objectionable. If the Government is selling the loss-making ventures, it is acceptable. But when the Government sells the profitable entities, the Government should spell-out the reasons why they want to sell profitable entities.

We also strongly oppose the privatisation of Visakhapatnam Steel Plant. It is our sentiment. To build such an organisation, it takes years and years. We cannot sell it off like that. We allot mines for Visakhapatnam Steel Plant. If we re-work the finances, it is going to be a big asset for the country and for the State as well. So, it has another advantage. It has a very huge land bank. It can be leveraged by way of a debt. With folded hands, we request the Government not to privatise the Visakhapatnam Steel Plant. It is our request. Everybody is demanding this across all party lines. Even the BJP in the State has gone on record in the media that the Visakhapatnam Steel Plant should

not be privatised. So, with folded hands, we request the Government not to privatise the Visakhapatnam Steel Plant.

Now, I come to other issues. GST was introduced with the sole aim of 'One Nation, One Tax'. It was introduced to simplify things. The big enterprises are fine with whatever it is. But there is a bit of fear psychosis and there is a lot of confusion when it comes to small and medium enterprises. If I am not wrong, I would like to tell the House that more than 900 amendments were made to the GST Act during the last four years.

So, this is leading to a lot of confusion and the small players are really scared of GST. We are happy that GST revenues have gone up. We are seeing that in the media. Monthly revenues are close to Rs. 1,10,000 crore. It is good for the country but we should encourage the small and medium players and we should see that they are not intimidated. They are not willing to join the GST. I would like to read out 2-3 points which are problematic. In Section 218 B of the Income Tax Act, 1961 and Section 83(1) of the GST Act, 2017, it has been proposed that in case of tax evasion due to various defaults, the tax officer now has the power to attach the assets of the company including the bank account.

Apart from that, all those people who are involved with the transactions, even their properties and bank accounts can also be attached. There is a lot of ambiguity. There is a lot of confusion and people are a bit scared with this Act. If you see also under Income Tax system, earlier only retired Judges of Supreme Court and High Courts of India were part of authority for advance

ruling under Income Tax Act. Now, the proposed change allows Chief Commissioner level officers to be Members of Authority.

When the third person is there, things are fair but when it is in the department, there are chances that they might be biased and justice will be done in one way. So, we request the Government to rethink about this Act also.

As per the proposed changes in committing a mistake in calculating excess tax under Section 75(xii) of GST, it will result in the department charging it as self-assessment tax without issuing any show cause tax notice. This is a problem for the small and medium enterprises because they do not employ big corporate chartered accountants to take care of their accounts. They do it themselves and they are really scared of this. I think this needs to be simplified.

Similarly, the tax officer can even cancel your registration if they find out difference between figures of GST in 1 and 3b column. We understand that the collection of taxes is important but it should not choke the business entities. It should be like win-win situation for both of them. Even in the case of penalties also under Section 129 of the GST Act, 2017, the proposed change states that more than 100 per cent can be levied in penalties which is really scaring business entities and before I end my speech, I would request the Government and the hon. Finance Minister that ours is a young State which is only seven years old. Our hon. Chief Minister is putting every effort to run the

State efficiently. We have saved cost in power and we have saved in various other things.

So, we request support from the Central Government. And his governance is evident from the fact that he has been ranked the third best Chief Minister in the country and Andhra Pradesh is first in 'ease of doing business'. We are doing everything possible to put things in the right manner. Even the people's blessings are there. In the recent local body elections, we have won 98 per cent of all the municipalities in the State and we have also won 98 per cent of the panchayats also.

This is people's verdict but I request the Central Government to support us, to support the State, and to help us to come back on track. We wish that hon. Finance Minister and the Central Government will support us in every possible way.

Supporting this Budget, I conclude my speech.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): धन्यवाद, सभापति महोदय। सरकार के करीब 100 से भी ज्यादा सप्लीमेंटरी अमेंडमेंट्स लेकर आज का फाइनेंस बिल चर्चा में आया है। इस देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जब वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया था, तभी करीब आठ क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने राष्ट्र प्राथमिकी का संकल्प लेकर बजट पेश किया था।

13.34 hrs (Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

ये आठ क्षेत्र हैं - किसान की आय दोगुनी करना, मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और समावेशी विकास। एक देश के विकास के लिए इन आठ क्षेत्रों को बढ़ावा देना स्वाभाविक है। हम सभी ने शिवसेना पार्टी की तरफ से उसका स्वागत किया था। देश की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चालू हुआ, तब देश की इकोनोमी 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक लेकर जाने का उन्होंने मकसद रखा था। इस पूरे सभागृह ने उसका स्वागत किया था और सपोर्ट भी दिया था।

दुर्भाग्य से आज की अवस्था ऐसी नहीं है। कोरोना आ गया, लेकिन कोरोना का प्रकोप अभी तक कम नहीं हुआ है। इस कोरोना के समय में देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है और आर्थिक स्थिति ही नहीं, अलग-अलग क्षेत्रों में विपरीत परिणाम हो चुके हैं। इससे देश को उभारने और आगे लाने में एक कठिन परिस्थिति का निर्माण हुआ है। ऐसी स्थिति में इस देश का कारोबार आम आदमी को मद्देनजर रखकर करने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने आठ क्षेत्रों की प्राथमिकी का संकल्प करके, बजट पेश किया था। उसमें उन्होंने पहली बार किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प किया था।

महोदय, आज परिस्थिति ऐसी है कि जो दिल्ली पूरे देश की कैपिटल सिटी है, यहां पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं और उनके अधिकारी हैं। दिल्ली के नजदीक ही किसान कम से कम तीन महीने के ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनसे शुरू में बातचीत हुई, लेकिन उसमें कुछ निर्णय नहीं आया। उनकी मांग क्या है, उनमें आक्रोश क्यों हैं और वे वहां लाखों की संख्या में क्यों

बैठे हैं, यह जानकारी कर, उनके साथ बात करने की आवश्यकता थी। लास्ट वीक कांग्रेस के बिट्टू जी ने भी इस सभाग्रह में माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब को विनती की थी कि आप आगे आइए और मीटिंग करके किसान आंदोलन का कुछ न कुछ हल निकालिए।

महोदय, उन्होंने ऐसी मांग की थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया, लेकिन क्या ऐसा असलियत में है? कोरोना के बाद आहिस्ते-आहिस्ते जब किसानों के ऊपर उठने की शुरूआत हुई तो इस सरकार ने किसानों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अन्याय किया। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये बढ़ाए और डीजल पर 4 रुपये बढ़ाए। उसे कृषि उप कर नाम दिया गया। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट सेस, एक अच्छा नाम देकर, किसान जो खरीद करेंगे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कृषि टैक्स लगाने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है। आपको तो किसानों की आय दोगुनी करनी थी, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि अब जब किसान अपना उत्पादन बाजार में ले जाएंगे तो पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टेशन की दरें भी बढ़ी हैं और किसान के ऊपर उसका बोझ आया है। सरकार कह रही है कि जो यह बढ़ा हुआ कृषि टैक्स है, इसे हम किसानों से वसूल नहीं करेंगे, बल्कि हम पेट्रोल पम्प के मालिकों से वसूल करेंगे। यह सही नहीं है। अल्टीमेटली उसका बर्डन सामान्य किसान के ऊपर पड़ने वाला है। किसान को सक्षम करने के बजाय, किसान को विकलांग करने का काम इस सरकार के माध्यम से हो चुका है।

मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, माननीय वित्त मंत्री महोदया से प्रार्थना करूंगा कि आप डीजल तथा पेट्रोल के भाव और कितने बढ़ायेंगे? क्या आपने यह सोचा है कि आप सौ रुपये पर भाव सील करने जा रहे हैं? आप एक बार सौ रुपये का भाव तय कर दीजिए कि डीजल सौ रुपये लीटर ले लीजिए, पेट्रोल सौ रुपये लीटर ले लीजिए, लेकिन इसकी दरें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसका परिणाम पूरे देश पर हो रहा है। इससे गरीब लोगों का जीना हराम हो रहा है। ऐसे वक्त में किसानों को आधार देने के बजाय, किसानों के ऊपर कोरोना का नाम लेकर डीजल-पेट्रोल का सेस लगाया गया है। यह सही नहीं है। उसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप

आम आदमी का कल्याण करना चाहते हैं तो किसानों के ऊपर जो अन्यायकारी टैक्स है, आपको उसे कैंसिल करना होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून, 2019 में पेट्रोल 71.23 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन आज 97.55 रुपये प्रति लीटर हो गया है और कई जगहों पर 101 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं और जो एलपीजी सिलेण्डर 737 रुपये में मिलता था, आज वह 850 रुपये का हो गया है।

गरीबों के घरों में चूल्हा नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए, यह मंजूर है। हम यह एक्सेप्ट करते हैं, लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। गैस लेने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। उन्होंने गैस के सिलेंडर्स फेंक दिए हैं और जंगल से लकड़ी ला कर फिर से चूल्हा जलाने की शुरुआत की है।

सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप शिरडी से मुंबई की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि लोगों ने बोर्ड पर लिखा है – चूल्हे पर पकाया हुआ खाना। चूल्हे पर पका हुआ खाना गैस से पके हुए खाने से ज्यादा टेस्टी होता है, तो क्या सरकार चाहती है कि गैस की दर बढ़ें और लकड़ी का चूल्हा एक बार फिर जल जाए, धुएं से कुछ बीमारी हो तो भी चलेगा, लेकिन हम एलपीजी की दरें बढ़ाते रहेंगे।

सभापति महोदय, आदरणीय पूर्व वित्त मंत्री जेटली साहब ने कमिटमेंट किया था कि हमारी गवर्नमेंट के पीएम साहब सोच रहे हैं कि डीजल-पेट्रोल जीएसटी के तहत लाएंगे, यह लोक सभा के रिकॉर्ड में है। उस वक्त प्रधान मंत्री जी सोच रहे थे कि डीजल-पेट्रोल जीएसटी में आना चाहिए और पूर्व वित्त मंत्री जी ने भी पूरे सभागृह को आश्वासित किया था और हम लोगों ने उन पर विश्वास रखा था। माननीय प्रधान मंत्री जी के मन में जो बातें थीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने 18 दिसम्बर, 2017 को कहा था कि as far as the Central Government is concerned, we are in favour of bringing petroleum under GST and our Prime Minister says that his Government is committed to bring natural gas also under GST.

अभी जीएसटी वैसे का वैसा ही है, लेकिन अभी तक यह जीएसटी में नहीं आया है। अभी तक यह क्यों नहीं यहां तक पहुंचा है, मुझे मालूम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या आपको भी डीजल-पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम अच्छे लग रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर बहुत सारी टैक्सेज हैं, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। आप डीजल-पेट्रोल को जीएसटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी से विनती करता हूं कि आप गरीबों के कैवारी हैं। आप आम आदमी को आधार देते हैं। मैं फिर से आपसे विनती करना चाहता हूं कि आम आदमी की भलाई के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती हुए दरों को रोकना होगा, इसको जीएसटी में सम्मिलित करना ही होगा। आज इस बिल के रिप्लाई में आदरणीय अर्थ मंत्री इसका आश्वासन देंगी, ऐसा मैं भरोसा रखता हूं।

सभापति महोदय, तीसरा मुद्दा स्वस्थ भारत का था। इसके बारे में कल भी बोला गया था। कांग्रेस के माननीय सदस्य ने भी अच्छी बात बताई है कि कोरोना जैसी महामारी के समय सारे देश का आरोग्य ढल चुका है। पूरी दुनिया क्या करती है, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी हों, आरोग्य मंत्री जी हों, स्वास्थ्य मंत्री जी हों, या देश के वैज्ञानिक हों, जिन्होंने देश में कोरोना वैक्सीन की खोज की है, हम सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का प्रोविजन किया गया है, तो मैं अपने पंतप्रधान जी को बधाई देता हूं। आपने देश का नाम ऊंचा किया है। हमारे देश में कोराना के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुई, तो बड़े-बड़े देश हमारे पीछे पड़ गए। इस कोरोना वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त में देने की आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हमें स्वस्थ भारत बनाना होगा, अगर हम कोरोना महामारी से निपट जाएंगे, तब भी देश के ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य की अंतरणा है, वह पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था कि 108, एम्बुलेंस की सुविधा हो, ग्रामीण इलाकों में आरोग्य की सुविधा हो, एनआरएचएम की सुविधा हो, स्टाफ और डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, जिस

अनुपात में मेडिकल की संख्या होनी चाहिए, वे नहीं बन रहे हैं, आज आप यह सोचिए कि कोराना फिर से हमें आयुष की तरफ लेकर गया है।

एलोपेथी चिकित्सा इतनी एड्वांस होने के बावजूद हमारे आयुष्मान मंत्रालय के आदरणीय श्रीपाद जी नाईक सबको कह रहे थे कि आर्सेनिक लैब ले लो। हम लोगों ने इसे अनदेखा किया, लेकिन वही आर्सेनिक लैब कोरोना के पेशेंट्स और देशवासियों के लिए उपयुक्त साबित हुई। इसलिए हमारे देश में भी आयुष को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आयुष को कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पार्टी से अकेला हूं, मुझे बोलने का थोड़ा समय और दीजिए। युवाओं के अवसर के लिए जब केन्द्र सरकार सोच रही थी, दुर्भाग्य से आज 6.8 lakh Indian companies have been closed across India till date. साथ ही साथ 74 प्रतिशत स्मॉल बिजनेस भी बंद चुके हैं। 10,000 से भी ज्यादा फर्म्स बंद की जा चुकी हैं। इसके क्या कारण हैं? कोरोना के समय में इतनी भारी संख्या में बेरोजगारी होने के बावजूद भी बेरोजगारी कैसे कम हो सकती है और रोजगार का निर्माण कैसे हो सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय जी, मैं बस कुछ समय में समाप्त कर रहा हूं। उस वक्त मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को यह बताया था कि सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज़ में होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री इत्यादि हैं। ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को शासन की ओर से मदद की आवश्यकता है। आज मुंबई में एक फाइव स्टार होटल में 5,000 रुपये में एक रूम विद लंच और डिनर मिल रहा है, लेकिन वहां कोई रहने नहीं आ रहा है। इस स्थिति में इम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा? एविएशन सेक्टर में भी लाखों लोग काम करते थे। यह सेक्टर आज भी नहीं बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तरफ जहां कंपनी बंद हो रही है, वहां पर सरकार अनदेखी कर रही है। इसके साथ ही साथ 50 अमीर लोगों को 68,000 करोड़ रुपये टैक्स के माध्यम से माफ कर दिए गए। एक तरफ जीएसटी वसूल करते समय किसी को भी माफ नहीं करते हैं, हर महीने चालान भरना होता है और नहीं भरने पर पेनल्टी लगती है।

जीएसटी के साथ-साथ अभी 1 जनवरी से टीसीएस चालू किया गया है। यह क्या है, मुझे पता नहीं है। मैडम, इसके बारे में जानकारी दें, तो अच्छा होगा। जिन व्यापारियों का टर्न ओवर 50 लाख से ज्यादा हैं, उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज़ 1 जनवरी से लागू किया गया है। जिस वक्त 50 लाख का टर्न ओवर क्रॉस करेगा, उस वक्त उन्हें 1 प्रतिशत टीसीएस देना होगा, लेकिन व्यापारी बोल रहे हैं कि यह जीरो से ही शुरू हो रहा है।

सभापति महोदय, इस जीएसटी की परेशानी के कारण कई लोगों ने अपना धंधा बंद कर दिया है। लोगों ने व्यापार बंद कर दिए और सुसाइड करने लगे। कोरोना के काल में जीएसटी की वजह से कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अगर अध्ययन किया जाए, तो इनकी संख्या भी लाखों में हो जाएगी, तो जब आप 50 लोगों के लिए 68,000 करोड़ रुपये माफ करना चाहते हैं, तो हम लोगों के लिए डीजल, पेट्रोल और एलपीजी को जीएसटी में क्यों नहीं लिया जा रहा है?

सभापति महोदय, इस कोरोना काल में भी अंबानी के रिलायंस को पेंशन फण्ड के 90 हजार करोड़ रुपए दे चुके हैं। एक वर्तमान समाचार पत्र मे जो खबर आयी है, यह मैं उसके माध्यम से बोल रहा हूँ। इसके साथ-साथ, मैं एक और गम्भीर मामला आपके सामने लाना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में 71 लाख ईपीएफ एकाउंट्स बंद हो चुके हैं। ईपीएफ एकाउंट का फायदा उसके पेंशन और रिटायरमेंट के बाद जो कुछ पूंजी मिलती है, उससे वे अपने रिटायर्ड लाइफ में गुजारा करते हैं। लेकिन वे इतने एकाउंट्स बंद कर चुके हैं और आगे क्या करेंगे, इसके बारे में अभी सोच रहे हैं।

जीएसटी से संबंधित एक और मामला मैं बताना चाहता हूँ। इस सरकार की निजीकरण की जो नीति है, वह क्या है, किसके लिए है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसे सरकार को ही चलाना चाहिए। पंत-प्रधान श्रीमती इंदिरा जी के कार्यकाल में सारे बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन दुर्भाग्य से अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में एयर इंडिया, एयरपोर्ट, बीपीसीएल, पीएसयूज, एमटीएनएल, बीएसएनएल, रेलवे, एलआईसी और विभिन्न 26 सरकारी कम्पनीज हैं…(व्यवधान) 26 सरकारी कम्पनीज को आप शट-डाउन करना चाहते हैं, उन्हें सोल्ड-आउट

करना चाहते हैं। क्या यह सरकार सारे देश को बेचने की कोशिश कर रही है? इसका क्या कारण है कि एयर इंडिया, अगर आज एयर इंडिया नहीं होता, कई सब्सिडाइज्ड कम्पनीज पर कितना अत्याचार हो रहा है। पिछले हफ्ते मेरे साथी अरविन्द सावंत ज़ीरो ऑवर में बोले थे, सब्सिडाइज्ड कम्पनीज पर अन्याय करना, उनको बेचने के लिए तैयार होना, देश के सारे पीएसयूज को बेचो और वन नेशन और दो आदमियों के लिए देश रखो, बाकी कोई नहीं भी रहेगा, तो भी चलेगा।…(व्यवधान)

महोदय, हमारे देशवासी कितने ईमानदार हैं, आप यह देखें। कोरोना के बावजूद भी सिर्फ दिसम्बर, 2020 में एक लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ रुपए जीएसटी लोगों ने देश के लिए दिया। देशवासी रोने के लिए नहीं बैठे थे। उन्होंने इतना दिया। उसमें से हमारे महाराष्ट्र की मांग है, जो 28 हजार करोड़ रुपए महाराष्ट्र का जमा है, वह तो दे दो। 3,290 करोड़ रुपए एलबीटी महाराष्ट्र का बाकी है, वह तो दीजिए। अन्य राज्यों का तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य, जिसे टैक्स कलेक्शन स्टेट कहते हैं, उसका 28 हजार करोड़ रुपए बाकी है।…(व्यवधान)

मुझे कोई एतराज नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हों, इस देश के राष्ट्रपति हों, वे साढ़े सात हजार करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, आप लीजिए, अगर देश के लिए आवश्यक है तो लीजिए, जब आप साढ़े सात हजार करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट लेते हैं, तो हम गरीब सांसदों का पाँच करोड़ रुपए क्यों लेते हैं?

महोदय, तीन लाख रुपए का हाई मास्ट लाइट, पाँच लाख रुपए की पानी की योजना, छः लाख रुपए का कुआँ आदि कुछ ऐसे ही काम पीएम फण्ड से हो रहे थे।…(व्यवधान) हमारी जेब में जाने वाली सैलरी आपने काटी, आप काट लो, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जनता के पास जाने वाला जो पैसा था, जनता के हित के लिए जाने वाला जो पैसा था, गरीबों के हित के लिए जाने वाला जो पैसा था, उस एमपी फण्ड को बंद करके आप साढ़े सात हजार करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। आप आराम से बैठिए प्रधानमंत्री जी, …(व्यवधान) लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा…(व्यवधान) मैं अर्थ-मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 3,400 करोड़ रुपए एमपी फण्ड की

आउटस्टैंडिंग राशि थी, …(व्यवधान) हम अर्थ-मंत्री जी से मिले, उनसे विनती की और उन्होंने 2200 करोड़ रुपए रिलीज किये हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और उनसे विनती करता हूँ, जो शेष राशि बाकी है, उसे भी वे रिलीज करें। वह लोगों का पैसा है।

मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): माननीय सभापति महोदय, वित्त विधेयक, 2021 के पक्ष में बोलने के लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत हूं।

महोदय, इस फाइनेंस बिल के माध्यम से जो कर प्रस्ताव लाया गया है, इससे लोगों के लिए रोजगार और निवेश बढ़ाने की बात कही गई है। इस कर प्रस्ताव को माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से देश के समक्ष इंट्रोड्यूस किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हम अपने देश के नौजवानों को स्व-रोजगार दे सकें। इस सपने को पूरा करने के लिए यह फाइनेंस बिल आया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है और माननीय वित्त मंत्री जी बधाई की पात्र हैं।

कोरोना काल में हमारे देश में टैक्स कलेक्शन की कमी हुई। हमारे खर्चे, वित्तीय घाटे बढ़े हैं। हमने कोरोना पर काबू पाने के लिए पहले अपने देश की जनता को देखा है, चाहे हमारे राजस्व के घाटे कितने ही बढ़े हुए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी आज इसी के कारण पूरे देश और विश्व में एक मात्र ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जिसने अपने देश के प्रति चिंता की, जिसने अपने देश के एक-एक व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए सोचा। इसका परिणाम है कि आज पूरे देश और दुनिया में भारत ने कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीन बनाने का काम किया है। आज पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर के माननीय प्रधान मंत्री जी ने सबसे बड़ा काम किया है, हिन्दुस्तान को पूरी दुनिया का विश्व गुरू बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

कोरोना काल में सभी को लग रहा था कि इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी जरूर कोई नया टैक्स लाएंगी। पूरा देश इस बात के लिए चिंतित था, परंतु मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोई भी टैक्स लगाने का काम नहीं

किया। देश को हुए इस घाटे को उन्होंने दूसरे संसाधनों से पूरा करने का काम किया, परंतु देश की जनता, जो कोरोना से पीड़ित थी, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने 75 वर्ष की आयु के लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करने से छूट दी। यह भी एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 75 वर्ष की एज ज्यादा है, इसलिए वे उसे 70 वर्ष करें। 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को इनकम टैक्स दाखिल करने से छूट दी जाए। 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति को आप सीनियर सिटिज़न मानते हैं। अत: 60 वर्ष की आयु के दस साल बाद अर्थात 70 वर्ष की आयु में इस देश की सेवा करते हुए और देश को अपना इतना धन देने के बाद अब उसे इनकम टैक्स से छूट मिल जानी चाहिए।

महोदया, जो यह वित्त विधेयक आया है, इसमें धारा 149(ए) में लिखा है कि मूल्यांकन वर्ष से चार वर्षों तक मूल्यांकन/पुन: मूल्यांकन के प्रावधान को घटाकर तीन वर्षों तक सीमित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। आपने इस काम को किया है। इससे अफसरशाही घटेगी, मुकदमे घटेंगे। आपने इस पर बहुत ध्यान दिया है, परंतु कहीं न कहीं अफसरों ने देखा है कि 149(ए) में आपने चार साल को तीन साल किया है, तो उन्होंने इसको आगे, 149(बी) के तहत और 148(ए) के तहत नोटिस जाने वाली अवधि को छ: वर्षों से बढ़ाकर दस वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर पुन: विचार किया जाना चाहिए। इसको पूर्व की तरह छ: वर्ष ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप छ: वर्ष की इस अवधि को दस वर्ष करेंगे, तो इससे फिर से मुकदमे बढ़ेंगे, व्यापारियों और करदाताओं पर अफसरशाही आएगी, उनका दोहन होगा, उन्हें नोटिस देकर पुन: ऑफिस में बुलाने का काम होगा।

14.00 hrs

50 लाख से ज्यादा करदाताओं के लिए छह वर्ष की अवधि को बरकरार रखना चाहिए। आपके विधेयक के अनुच्छेद 149(सी) में विदेशी सम्पत्ति के संदर्भ में चार वर्ष से अधिकतम सोलह वर्ष तक की अवधि को घटाकर तीन वर्ष एवं अधिकतम दस वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर भी मैं कहूंगा

कि पुन: विचार हो और चार वर्ष एवं अधिकतम 16 वर्ष की अवधि को बरकरार रखा जाए, ताकि विदेशी संपत्ति पर आप शिकंजा कस सकें और कार्यवाही कर सकें।

माननीय वित्त मंत्री जी ने 'विवाद से विश्वास योजना' के तहत 30 जनवरी, 2021 तक एक लाख दस हजार से अधिक करदाताओं को इस योजना के तहत 85 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विवादों को निपटाने का विकल्प चुना, यह भी एक बहुत बड़ी राहत देश के टैक्स पेयर्स को दी है। आपने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट कि सबका घर हो, उसे पूरा करने के लिए आपने सस्ता घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के बयाज में डेढ़ लाख रुपये की छूट का प्रावधान जो वर्ष 2021 में समाप्त हो रहा था, आपने उसे 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ाया, इसके लिए भी माननीय प्रधान मंत्री और आपको बहुत-बहुत बधाई। सस्ते घर की योजना के तहत छूट का दावा करने वाले लोगों के लिए भी आपने एक साल का समय बढ़ाया, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज जीएसटी लागू हुए तीन वर्ष हो चुके हैं और लगभग एक हजार से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और सभी संशोधनों को एक व्यापारी को याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है। इस कारण व्यवसायी स्वयं रिटर्न भर नहीं पाते हैं और उन्हें सीए, वकील या मुनीम के चक्कर में आना पड़ता है। मेरी आपसे विनती है कि आप जीएसटी में गलती सुधारने और गलती रिवाइज करने का मौका दें। अभी ऐसा है कि दोबारा रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल में पूरे देश के कारोबारियों को लेट होने पर जो फाइन देना पड़ रहा है, उसे खत्म किया जाए और लेट फाइन की अधिकतम सीमा भी तय हो जानी चाहिए। जीएसटी के रिटर्न में लगने वाले ब्याज की दर भी कम होनी चाहिए। जीएसटी के रिटर्न में हो रहे लगातार परिवर्तन को रोका जाए, ताकि एक बार जो तरीका अपनाया जाता है, उसे व्यापारी समझ कर उसके अनुरूप तैयार हो सके। जब तक व्यापारी उस तरीके को समझता है, तब तक नया अमेंडमेंट आ जाता है। जीएसटी में त्रैमासिक रिटर्न देने वाले सभी व्यवसायी शामिल हैं। क्रेता द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से रोक दिया जाता है, क्योंकि वह क्रेता से दस्तावेज प्राप्त नहीं करता है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि जीएसटी का सरलीकरण करने के लिए कानून

पर मंथन करना चाहिए, जिससे कि व्यवसायी सरकार को समय पर टैक्स देने के लिए तैयार रहे। जैसा हमारे पूर्व के मित्रों ने भी कहा कि चाहे कोरोना काल रहा है, लेकिन जीएसटी का रिकार्ड कलेक्शन कोरोना काल में इसी देश के कारोबारियों ने सरकार के खजाने को भरने का काम किया। यदि सरकार ने देश की जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया और हर प्रकार की मदद की, उसी प्रकार देश के व्यापारियों ने, करदाताओं ने सरकार के खजाने को पुन: भरने का काम किया है। मेरा निवेदन है कि उन करदाताओं के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए उनके हित के लिए काम करें। मैं इस बात के लिए भी आसन का समर्थन करता हूं कि आपने भी इस बात को उठाया है और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, लगातार यह बातें सामने आईं कि राज्य सरकार की योजनाओं में और केंद्र सरकार की योजनाओं में प्राय: देखा जाता है कि किसी योजना में केंद्र सरकार 60 परसेंट और राज्य सरकार 40 परसेंट भागीदार होती है। किसी योजना में 50-50 होती हैं, किसी में 70-30 होती हैं। सभापति जी के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चार योजनाओं की जगह दो ही योजनाएं लें और दो योजनाएं राज्य सरकारों पर छोड़ दें। राज्य सरकार 40-40 देने की बजाए कोई एक योजना ले और आप 60-40 की जगह एक ही योजना लें, ताकि वह योजना समय पर पूरी हो सके और आपने उसका जो एस्टिमेट बनाया है, उसी एस्टिमेटेड वैल्यू पर वह याजना पूरी हो सके। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य योजना पेंडुलम बनकर रह जाती है, जिसके कारण वह योजना टाइम पर पूरी नहीं हो पाती है और लगातार बजट भी बढ़ता जाता है। इसमें कहीं न कहीं अफसरशाही का खेल चलता है। यही कारण है कि जो योजना 200 करोड़ रुपये में बनने वाली होती है, उसे पूरा होते-होते 800 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। इस देश का 600 करोड़ रुपया, जो इस सदन में बैठे सदस्यों द्वारा स्वीकृत होता है, वह इन योजनाओं में एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है।

सभापति महोदय, सभी सांसदों की तरफ से मेरा निवेदन है कि 40-60 न करके या तो पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना हो, या फिर आप राज्य को पैसा दें ताकि वह पूरी तरह से राज्य

प्रायोजित योजना हो। इससे न तो राज्य आपकी ओर देखेगा और न आप राज्य की ओर देखेंगे। उनको भी इस बात की स्वतंत्रता हो कि वे अपनी योजनाएं पूरी कर सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यह बिल प्रस्तुत किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को यहां पर रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों का विनिवेशीकरण कर व उनको बेचकर उनसे कुछ धन प्राप्त करके अपनी नीतियों पर लगाने हेतु फाइनेंस बिल में 72(ए) के जरिए एक अमेंडमेंट लाने का काम किया है। इसके द्वारा विनिवेशीकरण कर कंपनियों को आसानी से बेचा जा सकता है और उनसे धन प्राप्त किया जा सकता है। यह सरकार का हक है, क्योंकि लोक सभा में प्रचंड बहुमत द्वारा अपनी नीतियों, चाहे वे फाइनेंशियल नीतियां हों या सोशल नीतियां हों, उनको वह लागू कर सकती है। इन्हीं नीतियों को लागू करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि वह सरकारी कंपनियों को बेचने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का यह मानना है कि इससे देश का नुकसान होगा। 72(ए) में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे विनिवेशीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा तथा सरकार को ज्यादा धन प्राप्त होगा। सरकार का इस पर हक है, क्योंकि यह जो प्रचंड बहुमत मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूंजीवादी विचारधारा को पूरी तरह से अमलीजामा पहनाने का एक मौका मिलता है। उसके विपरीत इस सदन के माध्यम से मैं देश को जरूर बताना चाहूंगा कि इससे उनका क्या नुकसान है। पूंजीवाद आखिर में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही काम करता है, जिनके अंदर एक लालच होता है। पूंजीवाद विचारधारा लालच से प्रोत्साहित रहती है। लोग उससे धन अर्जित करने का काम करते हैं। सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी। सरकारी कंपनियों में जो नौकरशाह रहते थे, जिनको आरक्षण मिलता था, उनको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा टीए,डीए के साथ-साथ एक सम्मानजनक नौकरी मिलती थी, जिसमें 7वें पे कमीशन के हिसाब से उनको एक अच्छी खासी तनख्वाह मिलने का काम होता था।

अब वह भी बंद हो जाएगा। जब वह बंद होगा और प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा तो भारत में जितनी विशाल जनसंख्या है, उसके हिसाब से लोग बारगेनिंग करना शुरू करते हैं, लोग दबाने का प्रयास करते हैं। आरक्षण तो लागू नहीं होगा, दबे-कुचले लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी,

क्योंकि शिक्षा में विसंगतियाँ हैं। हेल्थ में विसंगतियाँ हैं, तो जो दलित है, गरीब है, कुचला है, माइनोरिटीज है, न वह स्वास्थ्य के रूप में कम्पीट कर पाता है पैसे वाले लोगों के साथ और न ही शिक्षा में कम्पीट कर पाएगा। जब आरक्षण नहीं मिलेगा, वह तो और दबता चला जाएगा। विनिवेशीकरण यानी कि डिसइनवेस्टमेंट, जो लोगों को एक सिक्योरिटी कवच देती थी, वह भी खत्म हो जाएगा। इससे भारी नुकसान पैदा होता है। वहीं पर ही ऐसी विचारधारा को पराजित करना अत्यंत ही जरूरी है। मैं उसमें यह भी कहना चाहूँगा कि विनिवेशीकरण से और जो प्राइवेटाइजेशन होता है, जो निजीकरण होता है, आपने आइसलैंड में देखा, आपने अमेरिका में देखा, जहाँ पर भी पूँजीवाद ने अपने हितों के जरिए निजी कंपनियों को मौका दिया, वहाँ निजी कंपनियों ने देश के बारे में, समाज के बारे में, वहाँ रहने वाले गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के बारे में सोचा। उन्होंने भारी-भारी पैकेज लेकर अपनी जेबों में रखकर वहाँ से फरार हो जाने के बारे में सोचा। यहाँ पर मैं कौन भागा, कौन नहीं भागा, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं और इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पूँजीवाद के खिलाफ, मैं यह भी नहीं कह सकता कि सरकार को इसका अधिकार नहीं है, सरकार को पूर्ण अधिकार है। इस देश की जनता ने इनको एक बहुत बड़ा, प्रचंड बहुमत दिया है, लेकिन जनता कभी-कभी, कहीं न कहीं बहकावे में, ढकोसलों में भी आ जाती है और उसको उजागर करना जरूरी है।

महोदय, मैंने आइसलैंड और अमेरिका की बात की। अब आ जाइए जो चैप्टर 5 और 115वाँ व 116वाँ अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में दिया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि एआईडीसी में पेट्रोल पर सेस लगाया जाएगा और पेट्रोल पर 2.5 रुपया प्रति लीटर सेस, डीजल पर 4 रुपया प्रति लीटर सेस लगाया जाएगा। डीजल किसान इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। उसके ऊपर 4 रुपया प्रति लीटर सेस लगेगा। इसी के साथ-साथ आदरणीय वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा कि यह जो बढ़ोतरी की जा रही है, इसको एक्साइज ड्यूटी में, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसके अंदर

कमी करके इसको बराबर किया जाएगा, समतल किया जाएगा ताकि उपभोक्ता के ऊपर कोई दबाव न आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सेस लगाने के बाद, सेस जो होता है, वह सिर्फ वहीं इस्तेमाल हो सकता है, जिसके लिए वह सेस लगाया जाता है यानी कि वह सिर्फ एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट में जाएगा। जो एक्साइज ड्यूटी से पैसा आता था, इसमें स्टेट का भी हिस्सा हुआ करता था, उस हिस्से से तो स्टेट वंचित हो जाएगा। अगर स्टेट वंचित होगा तो कहीं न कहीं जो उनको डीजल और एक्साइज ड्यूटी, जिस पर सरकार अभी करीब 48 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, जिसको कम करने का नाम नहीं लिया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, आम जनता की जेब खाली होती चली जा रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे चाहते हैं कि हमारा पैसा आता रहे, जनता भाड़ में जाए। मैं आपको यह जरूर बताना चाहूँगा कि यह जो पूरी एक कंफ्यूजन की राजनीति होती है कि यहाँ कम कर देंगे, वहाँ बढ़ा देंगे, स्टेट को पैसा नहीं जाएगा और स्टेट का कम कर देंगे तो फिर जनता को क्या पता चलेगा, सरकार जहाँ खर्च करना चाहेगी, वहाँ करेगी। इससे भी जनता को सावधान रहने की जरूरत है और यह जानने की जरूरत है कि सरकार 48 परसेंट टैक्स सिर्फ और सिर्फ डीजल, पेट्रोल पर लेती है। यानी कि एक लीटर का जो भी खर्चा आ रहा है, उसमें से 48 रुपया, अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपया प्रति लीटर हो जाता है, तो 48 रुपया सरकार खाली आपसे कर लेकर के अपनी जेब में डाल रही हैं। यह जनता को जानना जरूरी है। आज की जनता की जेबों को खाली किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है कि जनता के हितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें जो 48 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, सरकार के पास पूरी की पूरी पावर है, वह इसमें भारी मात्रा में कमी लाए और जनता को राहत दे, उनकी जेब में और पैसा दे ताकि वे अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करें और उससे भी सरकार के उद्देश्य पूरे होने का काम होगा।

फाइनेंस बिल में ही पेज नंबर 135 पर क्लॉज सीबी सैक्शन 164 फाइनेंस एक्ट को भी अमेंडमेंट किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है। उससे यह स्पष्ट होता है कि ऑफलाइन

ट्रांजेक्शंस जो होंगी, उस पर इक्वलाइजेशन लेवी भी लागू की जा रही है। इसको भी समझना जरूरी है। डिजिटल इंडिया की बात हुई, कैशलेस इकोनॉमी की बात हुई, देश माननीय प्रधान मंत्री जी के इस आवाह्न को स्वीकार करते हुए डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा। उसका उनको क्या उपहार मिल रहा है? यदि ई-मेल के जरिये वह किसी भी ट्रांसजेक्शन के ऊपर कोई ऑफर जाता है, तो उसके ऊपर दो परसेंट टैक्स लग जाएगा। अगर वह ऑफर कन्क्लूड होता है, अगर कोई परचेज ऑर्डर जाता है, ऑनलाइन जाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। कोई परचेज ऑर्डर ऑनलाइन स्वीकार होता है तो उसके ऊपर दो परसेंट टैक्स लग जाएगा। कोई पेमेंट ऑनलाइन होती है तो उसके ऊपर दो परसेंट टैक्स लग जाएगा यानी कि डीजल, पेट्रोल या मान लीजिए आप ऑनलाइन सब्जी खरीद रहे हैं या आपने सब्जी वाले को कार्ड से पेमेंट किया तो उसके ऊपर भी दो परसेंट टैक्स लग जाएगा। एक तरफ यह बात कही जाती है कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ चलें। बात कही जाती है कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चलें, उसके ऊपर फिर टैक्स लगा कर उसी उपभोक्ता को डरा देते हैं कि मेरा तो दो परसेंट ज्यादा लग जाएगा, मैं ऐसे नहीं, कैश पर ही खरीदूंगा। मैं ऑनलाइन नहीं वहां दुकान पर ही जाकर खरीदूंगा। मेरा पैसा बचने का काम होगा। सरकार किसी न किसी तरीके से खाली जनता की जेब को खंगालने का काम कर रही है कि आखिरी अठन्नी, चवन्नी भी जो बंद हो गई है, वह भी निकल आए। इस तरह से सरकार को लोगों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए।

मैं एक और मुद्दे पर आना चाहता हूं। डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही थी, इसका विपरीत प्रभाव इनवेस्टमेंट के ऊपर भी पड़ सकता है। क्यों आखिर कोई आएगा? ऑनलाइन कम्पनियां क्यों आएंगी, जब उनके ऊपर इस तरह के टैक्सेज़ पड़ने शुरू हो जाएंगे और निवेश के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा। सैक्शन 102 और 101 में फाइनेंस बिल में जीएसटी ऑडिट की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं। बस दो मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस बिल के ऊपर ही बात कर रहा हूं। अभी बजट के ऊपर

जैसे तमाम और लोग हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक मिनट में अपनी बात कन्क्लूड कर रहा हूं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : You take two more minutes, but your time is up.

श्री रितेश पाण्डेय: सर, मैं बस दो मिनट में अपनी बात कन्क्लूड कर रहा हूं। सैक्शन 102 और 101 फाइनेंस बिल में जीएसटी ऑडिट की प्रक्रियाओं में कुछ और बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें इसलिए बदलाव किया गया है कि बिजनेसेज़ के ऊपर दबाव पड़ता था, उस दबाव को कम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह डिसाइड किया कि 102 और 101 में अमेंडमेंट करके जो सालाना चार्टर्ड एकाउंटेंट और एकाउंटेंट कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट जो एक ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवाते थे, उस रिपोर्ट को अब जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वह सीधे उपभोक्ता की जिम्मेदारी हो जाएगी। इससे साहब आप उपभोक्ता को भी गलतियां करने का एक मौका देते हैं, जिसकी नीयत अच्छी नहीं होगी वह भी इसको सरकमवेंट करके इससे किनारा करने का प्रयास करेगा। इससे भी नुकसान होने का काम होगा। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इन सब के ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मान्यवर, आखिर में मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में इस समय जनता की जेब में और पैसा देने की जरूरत है ताकि वह खर्चा करे। जब वह खर्चा करेंगे तो टैक्स अपने आप आपको मिलता चला जाएगा। टैक्स की दरों को आप कम करिए। अगर आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते चले जाएंगे तो उनको खर्चा करने से आप डरा रहे हैं। वह पैसे की जमाखोरी करने का प्रयास करेंगे। मेरा आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्ट्री और आदरणीय मिनिस्टर साहिबा से यह अनुरोध है कि वह जागें और यह समझने का प्रयास करें कि जितनी ज्यादा स्पेंडिंग पावर जनता के पास रहेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही बेहतर रहेगा। आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2021. अभी फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करने के समय हम लोग कोविड के मिडिल में हैं। लास्ट ईयर जब फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय कोरोना का स्टार्टिंग था। पिछले एक साल से कोविड ने नोट ओनली एनटायर कंट्री, लेकिन पूरे स्टेट के साथ-साथ विश्व को भी काफी इफेक्ट किया है। उस समय जब फाइनेंस बिल आया था, स्टेट गवर्नमेंट ने यह सोचा था, लोगों ने यह सोचा था कि इस दफा फाइनेंस मिनिस्टर हम लोगों को क्या-क्या देंगी? पूरी कंट्री को, जो कोविड की वजह से इफेक्ट हो रही है, उसको कैसे सपोर्ट करेंगी? हरेक व्यक्ति ने वेट किया था।

इस बिल में अगर हम डायरेक्ट टैक्स पर आएं तो डायरेक्ट टैक्स में ऑनरेबल फाइनैंस मिनिस्टर ने मेन्शन किया कि पाँच लाख रुपये के मेजॉरिटी वाले लोग ज़ीरो टैक्स में आते हैं। हम तो आपके माध्यम से मैडम को यह कहना चाहते हैं कि अगर पाँच लाख रुपये इनकम वालों के लिए ज़ीरो टैक्स वाले रिटर्न्स बहुत ज्यादा हैं तो जिस तरह से आपने पेज नं. 29 के पैरा 151 एवं 152 में सीनियर सिटीजन्स को एग्जेम्पशंस दिया है, उसी तरह से पाँच लाख रुपये वाले को एग्जेम्प्ट करें। इससे थोड़ा ठीक रहेगा। उसी तरह से, उसी पेज पर पैरा 155 में आपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्यूशन कमेटी लगा दी है। यह बहुत अच्छा है। It is a good move. पर, उसके साथ-साथ उसकी टाइमलाइन फिक्स करनी चाहिए। अगर टाइमलाइन फिक्स हो तो अच्छा रहेगा।

मैडम फाइनैंस मिनिस्टर ने पेज नं. 31 के पैरा 165 में 'हाउसिंग फॉर ऑल' के लिए वर्ष 2022 तक पूरे देश में सभी लोगों को, जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब हैं, उन सभी गरीब लोगों को घर देने को आपने प्रोपोज किया है। इसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि तेलंगाना राज्य में हम लोगों ने डबल बेड रूम देने की स्कीम चलाई है। जो गरीब लोग हैं, उन्हें अपने बाल-बच्चे के साथ एक रूम में रहने में बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए कम से कम दो रूम्स होने से उन्हें अपने बाल-बच्चे के साथ रहने में ठीक रहेगा। तेलंगाना के डबल बेड रूम स्कीम को पूरे देश में देने के लिए हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

उसी तरह से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में पेज नं. 36 के पैरा 188 में ए.आई.डी.सी. का सेस लगा दिया है। जब कोई भी सेस और सरचार्जेज लगाते हैं तो उसमें मेनली स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रभावित होता है। इस सेस से हमारे स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू अफेक्टेड होगी। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सोचें।

इसी तरह, कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया। यह ठीक है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि कॉटन का इम्पोर्ट कम हो। मगर, उसके साथ-साथ तेलंगाना स्टेट क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस करता है। Actually, we are number one in producing quality cotton. उसको प्रोमोट करने के लिए और इंडियन कॉटन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी आपको सोचना चाहिए।

इसके साथ-साथ अभी हाउस में बहुत-से लोगों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के रेट्स का जिक्र किया। इसके ऊपर जरूर ध्यान दें कि इसे कैसे रिड्यूस करें।

चेयरमैन साहब, आपकी स्पीच मैंने सुनी है। आपने भी काफी डिटेल्स के साथ ए.पी. री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दोनों तेलुगू स्टेट्स के बारे में काफी कुछ कहा है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स देने थे, जो पैसे देने थे, अभी सात साल होने के बाद भी काफी कुछ पेंडिंग है। हम भी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ए.पी. री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सारे पेंडिंग इश्यूज को हम लोगों को रिलीज करें। इसके साथ-साथ पेज नं. 4 के पैरा 27 में आपने पूरे बजट के 6 पिलर्स को प्रोपोज किया है। मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, but it is a good move.

इसके साथ-साथ अभी पेज नं. 8 में टेक्सटाइल्स के बारे में बताया गया है। हम लोग बहुत दिनों से तेलंगाना में Kakatiya Mega Textile Park के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसमें से 7 टेक्सटाइल्स पार्क्स दिए हैं। हमारा कहना है कि सबसे अधिक कॉटन हमारे तेलंगाना में होता है और बगल में आंध्र प्रदेश में होता है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें टेक्सटाइल्स पार्क्स जरूर मिलने चाहिए। उसमें मेगा टेक्सटाइल्स पार्क मिलने से सिरसिल्ला का जो मेगा पावर लूम क्लस्टर है, जो हैंडलूम में बहुत फेमस है, उसे भी हम लोग इसमें लेकर आएंगे।

उसी तरह से काफी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी एनाउंस किए गए हैं। उसमें भी तेलंगाना का हिस्सा नहीं है। इसमें मैनली तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल को दिया गया है और हम लोगों को नहीं दिया गया है। इसके लिए हमारी भी माँग है। हम लोग बहुत दिनों से चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने लिखा है, हमारे के.टी.आर. साहब ने भी लिखा है और हम लोगों ने भी लिखा है। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए।

हमारे यहाँ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ए.पी. रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में जो एग्री किया है, मैनली वारंगल कोच फैक्ट्री के लिए एग्री किया है। अभी सात साल हो गए हैं, लेकिन उसके बारे में बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। उसे भी जरूर देखना चाहिए। अभी मेट्रो के लिए जो प्रपोज़ किया गया है, कोच्चि में मेट्रो दी है, चेन्नै में दी है, बेंगलुरू में दी है और नागपुर में दी है। हम लोग हैदराबाद की सेकेंड फेज की मेट्रो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमारे हैदराबाद मेट्रो के बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। पेज नंबर 22 और 23 में सैनिक स्कूल और एकलव्य स्कूल प्रपोज़ किए गए हैं। उसमें भी हमें स्कूल देना चाहिए। हमारा डेवलपिंग स्टेट है, इसलिए आपको इसे सपोर्ट करना चाहिए।

मैं अपने स्टेट के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे दो मिनट का टाइम दिया जाए। अगर हमारी कंट्री का जीडीपी माइनस 3.8 है तो हमारे तेलंगाना का जीडीपी प्लस 1.3 परसेंट है। इसके साथ ही अगर हमारी पर-कैपिटा इनकम देखें तो वह 2,27,145 रुपये है, जबकि नेशनल एवरेज 1, 27,768 रुपये है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे तेलंगाना से काफी पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। आपका जो पूल है, जब उसमें हमारा पर-कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, तब हमारा जो शेयर है, वह काफी कुछ सेन्ट्रल गवर्नमेंट के फंड में मिलता है। उसी तरह से हमारा स्टेट आपसे जो भी शेयर कलेक्ट कर रहा है, उसमें हमें मेजॉरिटी देनी चाहिए।

अभी आप ग्राम पंचायत के बारे में देख लीजिए। हम इंडिया में नंबर वन हैं। अगर पावर सप्लाई में देखिए तो हम इंडिया में नंबर वन हैं। हमारे यहाँ फार्मर्स के लिए 24 आवर्स फ्री में पावर दी जाती है। फार्मर्स को 24 आवर्स फ्री में पावर देने में एक ही स्टेट है, वह तेलंगाना है। उस पर भी

थोड़ा ध्यान दिया जाए। आई.टी. में 17 परसेंट एक्सपोर्ट हैदराबाद से जाता है। यह एन्टायर कंट्री का करीब 20 परसेंट है। उसमें हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह से हम इरीगेशन सेक्टर में भी नंबर वन हैं और वाटर सप्लाई में भी नंबर वन हैं। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने बोला है, गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब ने बोला है। हमारे स्टेट में बहुत सारे सेन्ट्रल मिनिस्टर जाते हैं, अभी दो दिन पहले राज्य सभा में गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब ने बताया, इस हाउस में भी बताया था। उन्होंने यह बताया था कि इंडिया में एक ही स्टेट है, जो लोगों को 100 परसेंट ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाता है। यह आपके रिपोर्टस में भी है। रिसेन्ट्ली एक क्वेश्चन भी आया था, वह क्वेश्चन हर घर जल के बारे में था। उस क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि कौन-सा स्टेट सबको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाता है। इसमें हम नंबर वन हैं। तेलंगाना नंबर वन पर है। तेलंगाना बनने के बाद उसको डेवलप करने में और वहाँ के लोगों को बचाने के लिए हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं।

आखिर में हम यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे जैसे डेवलपिंग स्टेट को आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट करने से कंट्री के डेवलपमेंट में हम भी पार्ट बनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वर्ष 2021 के डेवलूशन का 5,000 करोड़ रुपये हम लोगों को मिलना चाहिए। इसी तरह से फाइनेंस कमीशन के 600 करोड़ रुपये पेंडिंग हैं। वह भी दे देना चाहिए। वर्ष 2020-21 में 723 करोड़ रुपये स्पेशल ग्रांट तेलंगाना के लिए दी गयी थी। उसको भी तुरंत रिलीज करें। उसके साथ-साथ जीएसटी, आईजीएसटी का भी कुछ पेंडिंग है। इसके लिए हम फाइनली यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा सात साल का स्टेट है, इसलिए इस स्टेट को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे तेलंगाना और तेलुगु पीपुल को सपोर्ट करने पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने जो भी प्वाइंट्स मेंशन किए हैं, उन सब के बारे कंसर्न करने के लिए आपके माध्यम से मैं गवर्नेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here on behalf of NCP to speak on the Finance Bill, 2021. I would like to go back to a very important and relevant point made earlier by my colleague Shri Ritesh Pandey. He made two very, very important points which I think this House needs to discuss. One is about disinvestment and privatization. Let me put it on record that we are not against divestment and privatization. I would like to go back in history that the first time in 1991 when the economy was opened up, it was the then hon. Finance Minister, Dr. Manmohan Singh Ji who actually opened the economy and the process of disinvestment started and it continued when he was the Prime Minister. But I have very serious concerns because yesterday also, in the debate, the hon. Finance Minister gave a very detailed reply about LIC and insurance. My only question to her was, which is my personal concern like it is Mr. Pandey's, are we hurting the economic sovereignty of the country at the rate we are accelerating this pace? We are not against it. Nirmala Ji knows my views. She was present here yesterday when I spoke. But I would like her to clarify this because it sends a signal to the nation. Like a lot of Members said yesterday and which you have also repeated that you are not selling the family silver. So, if you are not selling the family silver, all the symptoms that you are showing to us are triggering us to understand so. So, will this kind of disinvestment and opening up to such a large extent, like LIC, as we explained, from 26 to 49 to 74 per cent, which is absolutely fine, aggressively stop foreign investment? I talked about not any particular country, but I will give you a small example of China. Once my

colleague Krishna Reddy spoke about loans given by China online. A lot of people in Andhra Pradesh, Maharashtra have had huge distress issues because of these loans which were online which were given through a Chinese App which you have already banned. If the Chinese App could show certain kind of effects on our economy, will this kind of economic sovereignty be maintained if we start disinvesting to such a large extent of about 74 per cent? I would request if you could kindly throw some light on it because it is very worrisome.

I think hon. Member Shri Midhun Reddy also made a point that profitable entities are being sold. So, why are we selling profitable entities? This is my first question on this Bill. Everybody and he talked about petrol and diesel cess. I think you talked about that cess and I would like to quote you because I think you have clarified in your reply that to fund agri-infra, Government will impose a cess. As Ritesh Pandey Ji said, I will not take time of this House, but I would request the hon. Finance Minister to clarify it. She, in reply at a later press conference after the Budget, said, "consequent to the imposition of Agriculture Infrastructure and Development Cess on petrol and diesel, the Basic Excise Duty and Special Additional Excise Duty rates have been reduced, so that the overall consumer does not bear the additional burden." But that is not the case, unfortunately. I will give you a small breakup of Delhi. In Delhi, it is Rs. 86.30 per litre. Now, the Centre, out of it, is getting Rs. 32.98 plus VAT and the State is getting Rs. 19.92. So, could you kindly explain to the House as to how you are justifying it? I understand that you have reduced

something, but the consumer is not benefitting by it. So, what is the solution to reduce it? The Hon. MoS, the other day, during the Question Hour, said that the States should help reduce the cost. Now, States are already under stress. States after States, be it Bihar, be it Andhra Pradesh, every Member from every State is talking about how badly, due to the pandemic, States are doing economically. So, how can the States help? It is almost impossible. So, I would request you to kindly elaborate on this particular topic.

In the Finance Bill, there are two or three issues which I would like to highlight since it is in the interest of employees. EPF contribution exceeding over Rs. 2.5 lakh is now taxable. In these challenging times, do we really need this one tax to be added? Could you kindly clarify it? Everybody is praising you for not increasing income tax. It is a welcome step. But at the same time, in these challenging times, maybe decreasing also could have been a solution because of the pandemic mode and globally, taxes are going down. So, why are we taking such regressive steps or even stabilizing?

The insurance payment received under the Unit Linked Insurance Policy can now be taxed as capital gain under the 2021 Bill.

Now, could you kindly clarify as to why are we taxing this during the pandemic? I am asking this because presently any sum received under this was exempted by 10 (10) (d) where the premium payable during the term policy does not exceed 10 percent of the capital sum. So, if you could kindly clarify what is the real logic of doing it during the pandemic? I understand that

you have to balance as there are expenses, but during the pandemic would this really be the right decision in the larger interest of people?

There is the tax incentive, which is done for the International Financial Services Centre. Even at that time we have debated this Bill several times together that Maharashtra should have got it *versus* Gujarat got it. Now, that is all redundant because it has already gone to Gujarat. But we would like to know because the report that time said that this would generate 10 lakh jobs, which we have not been unfortunately successful in doing year after year. I am not objecting to giving it to you, but I do not want it to become a tax haven. I think that even in that debate we had all discussed this issue. So, I think that this really needs to be looked in, that is, this location of Gandhinagar whether in a long-term it is going to be beneficial to have this institute there or do we really need to move it.

There is another very important intervention, which I think Shri Nageswara Rao ji also talked about, that is, cotton. But I would like to, sort of, put a different point because the other day the Textile Minister -- when Shri Mehtab ji asked a question during the Question Hour -- spoke about a very important point. Now, you have increased the Customs Duty on cotton and cotton waste by five percent and another five percent because of the Agriculture Infrastructure and Development Cess on cotton. Now, the cotton industry has to import extra because of long staple cotton, which is not available in India. It is not that we are helping our people. What is the logic of doing it because it is actually hurting our textile industry, which creates

thousands and thousands of jobs and more so for women? He asked for a textile park. I have a textile park in my own Constituency where there are 7,500 women who work there, which is under distress because of this.

I would specifically like to read this out with your permission that : "The extra-long staple cotton in which India has a clear production deficit is largely imported from Egypt and the US and is used for manufacturing bed sheets, fine shirting and several products, which are available". What happens is that the country is already flooded with cheaper import of readymade garments from SAFTA countries and if this import duty comes in, then how is the Indian producer going to adjust it? I think that they have all written to you also. So, I would request you to kindly relook and rethink of this particular tax.

Tax devolution, which stands unchanged, but I remember that when I spoke on the Budget, you were very kind enough to take note of it. During the Fifteenth Finance Commission, modernisation fund for defence and internal security would be there by garnering resources from the Consolidated Fund of India. Last time, I had requested you and you had assured me that you will explain to us at larger length. Maybe, today is the opportunity for it because as you are aware that one percent, Fifteenth Finance Commission, you very clearly explained, has gone to us. It is 41 now because of Jammu and Kashmir, but with this defence clause coming in now, I think that most States are concerned whether this will be taken from our kitty. If the States, which are already under so much pressure have to pay for the defence, which is completely the job of the Central Government, then they will be under a lot of

duress. So, I think that this is something that we really need to get a clarification on as a State.

Another thing is that during demonetisation, the whole idea of demonetisation -- which the Government said -- was to reduce cash inflows. So, we do not need that much money to be printed because everything is going to become online. Now my question to you is this because this has come in the media, and if you could kindly clarify it. Rs. 9 lakh crore was cash in circulation. Now, Rs. 29 lakh crore is in circulation, and only in the last nine months Rs. 3 lakh crore was printed. I am not against it. I am not an economist, but I understand a little bit of it, which explains that since you are under such pressure you have to print money. But by printing Rs. 3 lakh crore, when the Government keeps saying that you want to reduce CIC, is this really the right decision at such times? Would it not increase inflation, which is going to hurt people and the common man at this time of the year?

The other thing is the cess. Now, there are so many cesses. The CAG has already said that an amount of Rs. 2.18 lakh as cess is collected, which is not shared with the States. There is the Swachh Bharat Cess, Road Cess, Clean Energy Cess, etc., which all go into the Consolidated Fund and there is no accountability for it. So, could you kindly clarify what the CAG has said?

Everybody talked about the States. You owe the GST worth Rs.28,000 crore to our State. So, I appeal to you to kindly give this money as soon as possible.

A small issue, which is the PMC Bank issue, is still pending because those depositors are absolutely struggling. You specifically brought a Bill for banking regulation to bring in changes in the PMC Bank. I know, this is not concerning the Finance Bill, but I took this opportunity because eventually the Finance Bill is for the next whole year and for everybody, to get the prices in place and for ensuring development, all the stakeholders have to be included. The PMC bank is a large stakeholder; its depositors are very poor people. I think, we really need to address this PMC bank issue. I hate to keep raising it; the faster you resolve it the better it is; I really not have to raise it. So, I urge the hon. Finance Minister to look into our State issues.

All the cooperative federalism that you talk about is really the taste of it is not in just making the pudding but really in eating it. I think, the States are all in once voice, asking the Central Government to help them. I am sure in this Finance Bill you will control your spending and make sure that all the States get their rights and efforts are made to bring inflation down, especially in petrol, diesel and LPG prices. Thank you.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय सभापति जी, आपने मुझे वित्त विधेयक 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह वित्त विधेयक सरकार की दिशा तय करने वाला और आने वाले साल में किस तरह से प्रावधान रहेंगे, उस पर फोकस करता है। अलग-अलग प्रावधानों के स्लैब्स क्या होंगे, टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा और देश में किस तरह से रुपया आएगा-जाएगा, इस बारे में यह विधेयक है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, ऐसे ऐतिहासिक माहौल में वित्त विधेयक वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने रखा। मैं मानता हूं कि दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों ने जिस तरह से कोरोना संकट का सामना किया, उसी तरह माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत देश ने सभी चीजों में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना संकट का सामना किया। यह वित्त विधेयक ऐसी ही स्थिति में आया है।

महोदय, कोरोना पैनडेमिक से पहले हमारी विश्व में क्या स्थिति थी? हम क्या निर्माण करते थे? मैं अमर सिंह जी का भाषण सुन रहा था, वह 60 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। वह अपने 60 साल का इतिहास बता रहे थे कि हैल्थ व्यवस्था में हम कहां खड़े हैं? हैल्थ व्यवस्था में हमारी क्या हालत है? आज सुबह बिट्टू जी ने शहीद भगत सिंह जी के बारे में जो कहा, हम भी उसका समर्थन करते हैं। मुझे पता है कि आपका भरोसा माननीय प्रधान मंत्री जी पर इसलिए है, क्योंकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हों या सरदार पटेल हों, सबको सम्मान देने का काम माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। अमर सिंह जी 60 साल की गाथा गा रहे थे कि हैल्थ व्यवस्था में भारत देश कितना पिछड़ा हुआ है, अस्तपताल बंद हो गए, अस्पताल बंद करके लोग चले गए। सही बात है, क्योंकि राज्यों में हैल्थ व्यवस्था संभालना राज्यों का काम है और पंजाब में ऐसा ही हुआ है। यहां उन्होंने खुद कबूल किया है।

महोदय, हैल्थ व्यवस्था की बात हो या अन्य बात हो, 60 साल में अपने विकास की जो गाथा उन्होंने गाई है, आप देखें कि उसके सामने छ: साल के मोदी जी के विकास के कारण व्यवस्था का क्या निर्माण हुआ। मैं अपेक्षा कर रहा था, जब यहां वक्ता अपने राज्यों की बात कहते हैं, भले ही आपकी सरकार राज्य में हो, लेकिन माननीय मोदी जी के माध्यम से राज्य सरकारों को

पीपीई किट से लेकर वेंटीलेटर की सहायता मुहैया कराई गई, उसके बारे में कम से कम धन्यवाद तो बोल सकते थे, लेकिन यह भी आपने नहीं कहा। जब वक्ता अपने राज्य की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो पीएम केयर फंड के माध्यम से जो वेंटीलेटर दिए गए, तो उसके लिए कम से कम धन्यवाद तो बोल सकते हैं।

यहां उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि दो क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ थी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी। उनका वित्त विभाग में अभ्यास मुझसे अच्छा होगा। लेकिन, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से एक साल के अंदर 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए पैकेजेज जारी किए और वित्त व्यवस्था को जो गति देने का काम किया, यह उसी का परिणाम है कि आज विश्व की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, लड़खड़ा रही हैं, लेकिन हमारा भारत फिर उठ खड़ा हुआ है और वह उस दिशा में कदम रख रहा है, जहां हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बातें कर सकें। मूडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में केवल हिन्दुस्तान ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी डबल डिजिट में ग्रोथ करेगा। यह रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। इस रिपोर्ट में ऐसा भी लिखा है कि कोरोना पैंडेमिक में सेकेंड स्पाइक के अंदर भी सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी देश ने इसका सामना किया है, तो प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान ने किया है। इसके साथ-साथ हमारे टीकाकरण के बारे में यह बात भी कही गई है कि पूरे विश्व में जब वैक्सीन मैत्री की बात चलती है, तो भारत इसमें अग्रसर है। भारत अपनी बात को रखने में इसलिए कामयाब हुआ, क्योंकि विश्व में कई ऐसे देश हैं, जिनको वैक्सीन की आवश्यकता थी, भारत ने न केवल अपने देश के पेशेंट को दी, बल्कि विश्व भर के छोटे देशों को भी वैक्सीन देने के मानवता के काम में भी भारत ने अग्रणी कदम उठाया है। यही सब बातें साबित करती हैं, जब हम बात करते हैं इस कोरोना पीरियड की। मुझे याद है, जब प्रधान मंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते थे, तो इंटरनेट कहां होगा, टेलीफोन लाइनें नहीं हैं, गांव में किस तरह से ये सब व्यवस्थाएं होगी, ऐसी बातों के ऊपर विपक्ष ताने कसता था, लेकिन, मुझे याद है कि जब 'आत्मनिर्भर भारत' के पैकेजेज वित्त मंत्री जी ने जारी किये और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के

माध्यम से जब गरीबों के जन-धन अकाउंट में पैसे डाले गए, तब इस बात का विश्वास विपक्ष को भी हुआ, क्योंकि, विपक्ष का एक भी सदस्य इस बात को नहीं नकारता है कि डीबीटी के माध्यम से उनके राज्य में गरीबों के अकाउंट्स में पैसे नहीं आए। मैं मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर कोरोना पीरियड में डीबीटी के माध्यम से पैसे पहुंचाने का काम जिस तरह से हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में कभी अभ्यास किया जाएगा कि इस कोरोना पैंडेमिक का सामना भारत ने किस तरह से किया है, तो भारत की प्रशंसा इस बात के लिए की जाएगी कि कम से कम डीबीटी के माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलाने का काम किया गया। क्योंकि आपके लिए धन कुबेरों की सेवा करना या खुद धन कुबेर बनना, यह आपका कर्तव्य हो सकता है, लेकिन, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के माध्यम से चलने वाली सरकार, उन विचारों से प्रेरित होने वाली सरकार है, जो दरिद्र नारायण के घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसकी चिंता करने का काम करने वाली सरकार है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम इस सरकार ने किया है। मैं अपेक्षा करता था कि किसी राज्य के नुमाइंदे इस बात को बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने 'फूड फॉर ऑल' के माध्यम से 80 करोड़ लोगों के घरों में मुफ्त में राशन देने का काम इस कोरोना पीरियड में किया। लेकिन, आप लोग उस पर कुछ नहीं बोले। इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान आयी हुए सभी चीजों के ऊपर, चाहे डिजिटल इंडिया हो या वेंटीलेटर्स की बात हो, 'आत्मनिर्भर भारत', आत्मनिर्भर शब्द तो ऐसा बना कि वह ऑक्सफोर्ड की हिन्दी डिक्शनरी का 'वर्ड ऑफ द ईयर बना'। आत्मनिर्भर शब्द को इस तरह से महत्व मिला। 'वोकल फॉर लोकल' की बात है। यहां टैक्सेशन और कस्टम्स के स्लैब्स की बात चल रही थी। सदन में कोई सदस्य इसके बारे में भी कह रहा था, हमारे प्रधान मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने 'वोकल फॉर लोकल' की दिशा तय की है। जो लोकर मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कस्टम ड्यूटी लगाना उचित समझा, इसलिए स्लैब में जहां-जहां कस्टम ड्यूटीज बढाई गई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जिस हिसाब से एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, जिस हिसाब से इन सभी बातों पर अलग-अलग माध्यम से सरकार ने प्रयत्न

किए हैं, आज वे प्रयत्न हमारे-आपके सामने हैं। इस प्रकार के प्रत्यनों से भारत की सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी यशस्वी हुईं। जिस हिसाब से कोरोना पैंडेमिक के बाद इस वित्त विधेयक को लाया गया, इस वित्त विधेयक में बहुत सारी बातें अच्छी हैं, आप देखेंगे कि इंकम टैक्स के अंदर जिस तरह के टैक्स के प्रावधान हैं, आपको इसके अंदर बदलाव भी दिखे होंगे। सरकार समर्पित है। वह करदाताओं का सम्मान करना जानती है। इसलिए, कम्युनिकेशन के जमाने में एसएमएस के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से अच्छे तरीके से करदाताओं का सम्मान और उनको अपनी रिटर्न फाइल करने में सहूलियत देने का काम इस सरकार ने किया है।

मैं इस सरकार का अभिनंदन करता हूं और पूरे भारतवर्ष के टैक्सपेयर्स की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं। इस कोरोना पैनडेमिक में भी जितने फास्ट और अच्छे तरीके से रिफंड्स दिए गए हैं, आप उन रिफंड्स की भी जानकारी ले सकते हैं। इन्कम टैक्स ने लोगों को जिस तरह के रिफंड्स दिए हैं, वह पैनडेमिक में अपेक्षित नहीं था, फिर भी सरकार ने उस तरह का काम किया है।

वित्त विधेयक में कुछ चर्चाएं हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन्स हों या जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस है, उनके द्वारा जो-जो बातें कही गई हैं, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में उन बातों को लाना चाहूंगा। आपने इस तरह के काफी रिफंड्स दिए हैं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदया आपको इंटीग्रेटेड बैंक अकाउंट के रिफंड्स के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अलग-अलग बैंकों में अकाउंट होना और एक बैंक में अकाउंट होना, यह रिफंड्स में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाला मामला है। आप ज़रा उस पर भी गौर फरमाइगा। अभी बहुत सारी बैंकें मर्ज हो गई हैं, तो अलग-अलग असेसमेंट ईयर में किसी एक बैंक का किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो जाने के कारण थोड़े रिफंड्स के ईश्यू आ रहे हैं। आप अपने अधिकारियों को उस हिसाब से सूचना दीजिए, ताकि हम इन रिफंडों को उन तक अच्छी तरह से पहुंचा पाएं।

टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट सेक्शन 44(एडी) के अंतर्गत 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाई गई है। अभी भी इसमें जो प्रिजेन्टिव टैक्स है, वह दो करोड़ रुपये तक रहता है। जो

छोटे बिजनेस मैन हैं, उनकी मदद करने के लिए या तो टर्नओवर लिमिट को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए, जिसके कारण उनको राहत मिल सकती है। हमने टीडीएस तो इंट्रोड्यूज़ किया है, लेकिन उसके साथ-साथ 194(क्यू) में टीसीएस का भी प्रावधान किया है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इसके बारे में बताया है। आप इस पर थोड़ी क्लैरिटी कर दीजिए। जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, टीसीएस और टीडीएस है, यह डबल तो नहीं लगेगा, उद्योगों को ऐसी आशंका है। आप इसके लिए भी कुछ प्रावधान कीजिए।

एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में रेड्यूस रेट ऑफ टैक्स। ऐसे बहुत सारे छोटे बिजनेस मैन हैं, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते हैं, उनको 15 प्रतिशत और एलएलपी पर 34 प्रतिशत टैक्स लगता है। जो छोटे बिजनेस मैन हैं, उनकी मदद करने के लिए आप उसका गैप रेड्यूस करने पर थोड़ा गौर कीजिए। रिफंड और रेक्टीफिकेशन डिमांड जिस तरह से बढ़ी है और जो फेसलेस असेसमेंट है, उसके ऑर्डर तो जल्दी आ जाते हैं, जिसके कारण विवाद से विश्वास तक की स्कीम में फॉर्म चार और पांच को अधिकारी जल्द से जल्द ईश्यू करें, आप उसका भी प्रावधान कीजिए। 206(एबी) में हायर रेट ऑफ टीडीएस है, अगर डिडक्ट होने के बाद आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि उसका ज्यादा रिकार्ड रखना पड़ता है। इसलिए आप इसमें थोड़ी सहूलियत का प्रावधान कीजिए।

आप इन सभी मुद्दों पर ध्यान दीजिए। हमारी सरकार समर्पित सरकार है, जो नागरिक टैक्स प्रावधान के अंदर अच्छी तरह से टैक्स भरते हैं, उनका सम्मान करना, उनको सहूलियत देना और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना है। कल मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारी सरकार स्कीम्स की सरकार है और विपक्ष की सरकार स्कैम्स की सरकार है। हम पूरे एक रुपये खर्च करते हैं, तो गरीबों के खाते में पूरे एक रुपये जाते हैं। जबकि विपक्ष के जमाने में स्वयं उनके प्रधान मंत्री कहते थे कि अगर एक रुपये का प्रावधान करते हैं, तो 15 पैसे पहुंचते हैं। हम भारतवासी माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के आभारी हैं कि आपने इस

पैनडेमिक के समय में पूरे देश को संभाला है। देश को ही नहीं संभाला, बल्कि आप पूरे देश को डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हू

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, we have to admit in all fairness that this is not a standard year. We have been through tough times and the hon. Finance Minister, undoubtedly and notwithstanding the difficult times, has done a fairly good job. Let us realise what were the difficulties that were created for the hon. Finance Minister. The first difficulty was the gross misallocation of time resources.

We wasted a good time of early 2020 in programmes like Namaste Trump and mis-allocated the time that was to be allocated because COVID had knocked at doors on 30th January. We got busy in some other activities that should not have attracted our attention, creating difficulties for the hon. Finance Minister.

Then, there was four-hour notice before lockdown in the entire country when millions of migrant labourers were stuck in places without any shelter and without any provision for food. Having that in the background, we have to be appreciative of the efforts made. Nonetheless, there are some areas of concern.

The first and foremost is the absence of some kind of tax relief. कई लोग इसके इंतजार में थे कि टैक्स को इंक्रीज नहीं किया जाए, लेकिन हम इसके इंतजार में थे, there will be some kind of tax relief for lower middle class and middle class. We have not seen that. Though there have been some reforms like exemption from filing returns for persons above the age of 75 years only in select cases, and lesser

interface between the tax officials and taxpayers, those are not meaningful in the background of the difficulties that we face.

The second area of concern, as has been pointed out by Members who spoke earlier on the subject, is that disinvestment and privatization are alarming. The hon. Finance Minister said more than once, that this is not disinvestment in true sense; they have only allowed 75 per cent share in insurance sector through FDI. But that is a camouflage. In true effect, this is disinvestment. Why should we go for it? What tempts us to go for it?

अगर बाहर से यहां पर एफडीआई में राशि आती है तो यहां पर प्रमोट क्यों नहीं किया जा सकता है? इंसेंटिव क्यों नहीं दिया जा सकता है ताकि लोकल इंवेस्टमेंट हो। हमें यह शिकायत न हो कि इंवेस्टमेंट कम है और ये इंपोर्टेंट सेक्टर्स हैं तो हमें निर्भर रहना चाहिए। We should attract and invite FDI. Why should we do it? What prompts us to do it? यहां पर जब कोई ऐसी राशि लगाएगा, जब कोई शेयर लेगा तो क्या वह विदाउट स्ट्रिंग्स आ जाएगा? क्या वह उनकी टर्म्स पर होगा? उनका मेनेजमेंट में क्या रोल होगा? किसी भी कन्सर्न में 75 परसेंट शेयर होल्ड करेंगे तो क्या वे बिना किसी कंडीशन के आ जाएंगे? इसका मतलब यह है कि हम इस पर हमारा कंट्रोल खो रहे हैं। हमारे जो सेक्टर्स इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, वहां पर डिसइनवेस्टमेंट की बात हो रही है। क्या वर्क फोर्स का ओपन एक्सप्लोइटेशन नहीं हो रहा है? हमारे लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं तो हम जब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं तो वह सब अपनी टर्म्स पर करेगा।

आज हमारी दिक्कत यह है कि हमारे स्टेट से वेजेज पर अमल नहीं हो रहा है। आपने मिनिमम वेज 202 रुपये रखी है, वह लागू नहीं हो रही है। डिसइनवेस्टमेंट हर तरीके से एक परेशानी है। यह तो इनका ही नारा था कि सब स्वदेशी होना चाहिए। यह सही है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कहा कि कंपेलिंग रीजन्स होते हैं और प्रायोरिटीज बदल जाती हैं,

कन्सर्न बदल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें है, जो हमें एफडीआई से बिलकुल दूर रखनी चाहिए। कुछ चीजों पर हमारे देश का कंट्रोल रहना चाहिए। यह कन्सर्न का मामला है।

There should be some kind of second look on all these exercises. यहां पर हर बार यह मामला होता है कि आपने क्या किया? आपने तो 120 किया था, आपने तो अपोज किया था, आपने तो 49 किया था, तो आपस की लड़ाई में यह मुल्क कब तक ऐसे रहेगा?

15.00 hrs

भाई, हमने तो दस ही मारे हैं, आपने तो 15 मारे थे। आपने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया था, हमने तो फारूख़ अब्दुल्ला को अरेस्ट किया है। ये क्या बातें हो रही हैं? क्या यूपीए और एनडीए की लड़ाई ही देश के भविष्य का फैसला करेगी? …(व्यवधान) आपने भी गिरफ्तारियां की थीं। देखिए, ये बातें होनी नहीं चाहिए। हमारे कंसर्न के कुछ एरियाज हैं। One more area of concern is lesser focus on health care. यह सही बात है। देखने में लगता है कि उस पर फोकस ज्यादा है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो आज भी हमारी 25 प्रतिशत वैकेंसीज हैं, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, वहां पर हैं ही नहीं। मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दूसरा एक विषय है। हम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते थे एयरफोर्स-वन का, 8,658 करोड़ रुपये में हम यह विमान ला रहे हैं। इतने पैसे से मुल्क के लिए आठ हजार क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज आ सकती थीं।

HON. CHAIRPERSON : Make your point and please conclude.

श्री हसनैन मसूदी : दूसरी बात, जम्मू-कश्मीर में आप 6500 करोड़ रूपये स्ट्रीट्स को काम रखने के लिए खर्च करते हैं एलओसी और एलएसी पर। इस पर भारत का हक है, लेकिन वह नागरिक भी है, जिसकी हेल्थकेयर तक एक्सेस नहीं है। ये इनकी डिफिकल्टीज हैं, यह इनका फैसला नहीं है। ये इनकी सियासी मुश्किलात हैं। हम चाहते थे कि सारे इम्प्लाइज पर फोकस हो। हमारे जम्मू-कश्मीर में 80 हजार डेलीवेजेज वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स ऐसे हैं, जो पिछले 15 साल से रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं और उनको वेजेज नहीं मिल रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इम्प्लायमेंट इनक्रीज करने पर कोई फोकस नहीं है। वह विजिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि

इसके पसमंजर में, जो कोविड हुआ और हमारे यहां जम्मू-कश्मीर में जो एक्स्ट्रा लॉकडाउन हुआ, हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री, जो वहां की बैकबोन है, को 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह बात सही है कि आपने इंट्रेस्ट में रिलीफ देने के लिए कुछ दे दिया है, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? So, while I stand in support of the Bill, there are some serious areas of concerns which need to be addressed by the hon. Finance Minister.

Thank you.

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the time to speak. The Finance Minister in her Union Budget Speech stated that there were three instances earlier where the economy contracted, with the fourth being under this Government. The Indian economy has witnessed a sharp contraction of 23.9 per cent year-on-year in the first quarter of 2020. This was the largest contraction on record in independent India's history intensified, of course, by the nationwide lockdown.

The impact of the pandemic and associated health measures has been unique as they have affected every sector of the economy. But the silver lining in all this has been the agricultural sector, thanks particularly to the hardworking farmers and farm labour of the country. It is these farmers who are still sitting patiently and peacefully for getting their due justice for their demands.

As per the *The Economic Survey* 2020-21, India's GDP is estimated to have contracted by 7.7 per cent in FY 2020-21. According to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the country's unemployment rate rose sharply from 8 per cent in March 2020 to 24 per cent in April 2020. This, of course, was an immediate impact of the lockdown. The biggest hit of the Covid crisis has been taken by the poor and the lower middle class.

However, as per International Labour Organization (ILO)'s assessment, even before the Covid-19 crisis, India had been experiencing slower economic growth and rising unemployment. According to IMF, between 2015 and 2019,

economic growth fell from 8 per cent to 4 per cent. By 2018, unemployment rate exceeded 6 per cent, and the youth unemployment rate doubled from 10 per cent to 23 per cent.

Experts are questioning today the claims of the Government about the likelihood of recovery being “V-shaped” and that “green shoots” will magically appear.

This is even backed by the ILO’s assessment of our economic recovery being more sluggish and uncertain with damage persisting throughout the whole country, most notably in the unorganised sector. Of course, I only hope that these assessments are proved untrue.

I now would like to talk abut some key aspects of the Finance Bill. Firstly, as mentioned by many Members, there has been no relief for the salaried class. There are no tax breaks, no relief. Contradicting huge expectations, no relief has been a big let-down. We were all hoping that you would give some relief.

The other thing has been a tokenistic aid to the senior citizens. While the hon. Finance Minister was giving her Budget speech, she said, and I quote:

> “We shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income.”

The concessions proposed by the Finance Minister do not imply any exemption from income tax, as was mistakenly presumed by many in a moment of glee at that time.

Another cess has been added. A new cess named as Agriculture Infrastructure and Development Cess was introduced for purposes of financing the agriculture infrastructure and other development expenditure.

Fundamentally, taxes collected by the Centre are divided between the Centre and the States, while money collected through cess and surcharge is not part of this divisible pool. Thus, the States end up effectively receiving less money than their rightful share under the federal arrangement. The cess thus not only impacts fiscal federalism but also greatly compromises the States' ability to meet their mandate.

The Report of the Audit of the Union Government's finances, tabled in Parliament in September, 2020, revealed that the Finance Ministry retained over 40 per cent of cess collections in 2018-19 in the Consolidated Fund of India. The Report also said that the GST Compensation Cess amounting to Rs.47,272 crore over the last two years has not been remitted to the States to compensate them for loss of revenue, in violation of the GST Compensation Act of 2017.

There has been a hike in basic Customs Duty on things like screws, nuts, bolts, etc. This will only further accentuate the severe economic crisis faced by the people of our country.

Chairman, Sir, I would like to take the liberty of pointing out that the Finance Bill, 2021 contains a number of provisions that may not strictly meet the definition of a Money Bill, as these provisions do not relate to taxes, borrowing of money from the Government, nor expenditure or receipts involving the Consolidated Fund of India. Pushing such proposals through the Finance Bill can only be seen as an attempt to evade parliamentary scrutiny as in the case of a Money Bill where the Rajya Sabha does not have a right to reject or amend it.

I would, at this stage, also like to put forward that while this Budget is going on, the Government should consider revival of our MPLAD Fund. I think most parliamentarians have asked for this. It is our due right, though very meagre, by which we can try and satisfy our constituents.

I would also like to reiterate the work done by the ASHA workers, who were our frontline COVID-19 warriors. Every single Member of the House has appreciated the work done by our frontline warriors. ASHA workers are part of that. Madam, do consider to enhance their meagre salaries.

Madam, kindly consider enhancing their meagre salaries that are there.

With these words, I would like to conclude. Mr. Chairperson, Sir, I hope that our hon. Finance Minister will agree to some of the suggestions that have been put forward through you. I hope that some of the points will receive a favourable consideration of the Government and the States -- who are also reeling under this economic crisis -- will be given their due share. Thank you very much.

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन में जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद श्री राजेन्द्र जी और श्री कोटक जी ने बहुत सारे आंकड़े देते हुए, इस वित्त विधेयक का समर्थन किया है। मैं बहुत आंकड़ा न दे कर अपनी बात वित्त विधेयक के समर्थन में कहने जा रहा हूं।

सभापति महोदय, यह वित्त विधेयक पूरी तरह से गांव-गरीब, किसान, झोपड़ियों में रहने वाले इंसान और नारियों की सम्मान की चर्चा इत्यादि इन संदर्भों में यह प्रस्तुत किया गया है। इस काम को कोई कर सकता है, तो प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और निर्मला जी के द्वारा बनाया गया बजट ही कर सकता है, इस बात को एक माननीय सांसद होने के नाते मैं प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूं।

सभापति जी, जिसके पास हौसले नहीं होते हैं, वे ऐसे फैसले नहीं करते हैं। यह हौसला हमारे प्रधान मंत्री जी को है, जो इस तरह के फैसले करते हैं कि दुनिया चकित हो जाती है। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। बागपत के माननीय सांसद बहुत संस्कृत जानते हैं। एक मां की तरह निर्मला जी ने बजट प्रस्तुत किया है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है। मां अपने पुत्रों के संरक्षण के लिए सारे कार्य करने के लिए अपनी परंपरा में हमेशा तत्पर रहती है। सभी विभागों को इन्होंने उसी तरह से संरक्षण देते हुए कार्य किया है। मैं निर्मला जी को सुमाता की उपाधि देते हुए कहता हूं कि भारत की मां ऐसी ही होनी चाहिए।

सभापति जी, गांव की तस्वीर बदल रही है। आप हिन्दुस्तान के साढ़े छ: लाख गांवों को देखिए, पहली बार गरीब लोगों में भरोसा पैदा हुआ है। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म दिन है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मिल कर देश में स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सबल भारत का सपना देखा था। आत्म निर्भर भारत बनाने का सपना साकार करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने आत्म निर्भर भारत का संकल्प किया है और भारत आत्म निर्भर बन कर ही रहेगा।

सभापति जी, मैंने कहा है कि फैसले वे नहीं करते हैं, जिनके पास हौसले नहीं होते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी हौसले वाले हैं, फैसला वही करेंगे और उन्होंने फैसला जान कर किया है। रविन्द्र जी आत्म निर्भर भारत जरूर बनेगा। हरिकेवल जी के भाई की स्मृति में आत्म निर्भर भारत का एक स्मारक बनेगा।

सभापति जी, गरीब कभी गर्मियों में, कभी बरसात में और कभी जाड़े में खुले आसमान के नीचे सोते थे, लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है, तो उनके मन में बहुत खुशी होती है।

सभापति महोदय, मैं किसान हूं। आज सभी लोगों ने चर्चा की है कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान बिल यहां प्रस्तुत हुआ है। सभापति जी, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाइ जा रही है। देश की आजादी में किसानों ने किस-किस तरह की भूमिका अर्पित की है – अवध किसान आंदोलन, तेलंगाना का किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलने वाला किसान आंदोलन, भारत का इतिहास उसका साक्षी है।

हमारे देश में किसान आंदोलन करते हैं, मैं उस किसान आंदोलन से और किसानों द्वारा करने वाले आंदोलन से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मुझे एक ही दुख सता रहा है कि इस किसान आंदोलन पर भरोसे का संकट पैदा हो गया है।

सभापति महोदय, आप भी किसान हैं और इस बात को जानते हैं कि देश की कृषि एक प्रकार की नहीं है। कश्मीर की खेती दूसरी तरह की है, कन्याकुमारी की खेती दूसरी तरह की है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की खेती अलग-अलग प्रकार की है। उसी तरह बिहार, पंजाब और हरियाणा की खेती अलग-अलग प्रकार की है। अलग-अलग प्रकार की खेती है, तो समस्याएं भी अलग-अलग प्रकार की हैं। उस समस्या के समाधान के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, किसान हैं, किसान के साथ व्यापार करने वाले जो आढ़ती भाई हैं, वे लोग आंदोलन करते हैं। हमारी सरकार संवाद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं पहला आंदोलन देख

रहा हूं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम संवाद नहीं करेंगे, पिस्तौल दिखाएंगे कि मेरी शर्त मानो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे।

मैं कह रहा हूं कि करोड़ों किसान इस कृषि कानून से सहमत हैं। मैं भी इस कानून से सहमत हूं, इसलिए सहमत नहीं हूं कि मैं पार्टी का सांसद हूं, बल्कि इसलिए सहमत हूं, क्योंकि मैं एक किसान भी हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद और बिहार के महाराजगंज से सांसद श्री सीग्रीवाल जी यहां पर बैठे हैं, श्री सतपाल जी बैठे हैं। इस कृषि कानून से किसान असहमत हैं, तो कृषि कानून को वापस लेंगे, तब हम आंदोलन वापस लेंगे, जो लोग सहमत हैं, उनका क्या होगा? आपको कृषि कानून से समस्या है, तो उसके समाधान के लिए केन्द्र सरकार से संवाद कीजिए। मैं इस बात के लिए किसान भाइयों से और कृषि व्यापार करने वाले आढ़ती भाइयों से निवेदन करता हूं।

आजादी के बाद से हमारी सरकार ने किसानों के लिए जितना काम किया है, मैं इस संसद में वर्ष 1991 से हूं। मैं यह प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि किसी सरकार ने किसानों के हित में इतना बड़ा काम नहीं किया है। अभी किसानों के हक और समृद्धि के लिए काम करना भी बाकी है। किसानों का हित और समृद्धि बढ़ाने के लिए जो शुरुआत श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, वह आज तक किसी की सरकार में नहीं हुई है। मैं एक किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं। खतौनी में जिसका नाम है, कुंवर जी, जब उसे 6,000 रुपये मिलते हैं, तब आषाढ़ की खेती और कार्तिक की खेती की कठिनाई का समाधान कैसे होता, यह श्री रविन्दर जी जानते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने की योजना बनाई है।

इस कोरोना महाकाल में जो संकट पैदा हुआ, उस संकट से निकालने के लिए सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रकृति ही अब जीवन को बचा सकती है। कोरोना महाकाल ने यह साबित कर दिया है कि प्रकृति से जीवन का जुड़ाव ही अब जीवन को बचा सकता है। प्रकृति ने जितना भारत को दिया है, उतना दुनिया के किसी देश को नहीं दिया है। प्रकृति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो काम किया है, वह ऐतिहासिक काम है। पशुपालन, ऑर्गेनिक खेती बढ़ाने के

लिए गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में भारत सरकार की कैबिनेट ने एक प्रपोज़ल पास करके भारत के किसानों को समृद्धि का एक रास्ता दिखाया है।

सभापति महोदय, अब गोबर की खाद पूरे देश में किसानों से खरीदी जाएगी, इसे हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में पास किया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। शायद बिट्टू जी चले गए हैं। हम लोगों के लिए गोबर, गोधन है। इन लोगों के लिए गोबर क्या है, मैं बताता हूं। इनके नेता श्री राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ उत्तर प्रदेश में कहीं दौरा करने जा रहे थे। वे सड़क पर जा रहे थे और पास ही खेत में कुछ गायें चर रही थीं और चरने के बाद गोबर कर रही थीं। मैंने यह वाक्या समाचार पत्र में पढ़ा है और किसान होने के नाते मुझे हंसी आ गई। मोदी जी के विरोध में इनके मन में इतना विरोध है कि इन लोगों ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हमने सब जगह शौचालय बनवा दिए, लेकिन इन गायों का शौचालय अभी तक नहीं बनाया है, ये तो खुले में शौच कर रही हैं।

इनके लिए गोबर की महत्ता यह है। हमारे लिए गोबर की महत्ता गो-धन की है। हम गोबर से प्राकृतिक खेती करते हैं और वह स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश, स्वावलंबी देश और सबल देश के लिए जरूरी है। इसलिए गोबर हमारे लिए गो-धन है।…(व्यवधान) आप बोलेंगे नहीं, तो राहुल देखेगा कैसे? …(व्यवधान)

माननीय सभापति: वीरेन्द्र जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, उधर से एक खतरनाक बहस चल रही है। मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिससे मैं बहुत चिन्तित हूँ। कहा जा रहा है कि देश उद्योगपतियों के हाथों में बिक रहा है। मैं पहले इसी सदन में होता था, मैं बहुत कम उम्र में सांसद बन गया था। पहले नारा लगता था कि 'टाटा-बिड़ला की सरकार नहीं चलेगी।' अब नारा लग रहा है कि 'अडानी-अम्बानी की सरकार नहीं चलेगी।' आप लोग याद रखना, देश में उद्योगपति लोग कोई तस्कर नहीं होते हैं, देशद्रोही नहीं होते हैं। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में जब बापू मोहनदास करमचंद गांधी कलकत्ता में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके बगल में घनश्याम दास बिड़ला होते थे और जमनालाल बजाज होते थे। उसी विचार के लोग गांधी जी को बिड़ला और बजाज का एजेंट कहते

थे। उस समय घनश्याम दास बिड़ला ने कलकत्ता की सड़कों पर जुलूस निकालकर कहा- "हर किसी से पूछ लो, बिड़ला हमारा नाम है।" उन्होंने जाकर बता दिया कि देश की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत-से लोगों को, जितने भी कुश्ती लड़ने वाले लोग थे, उनको वहाँ बुलाया और उनको देश की आजादी की लड़ाई में शामिल किया। यह जानकर बहुत-से लोगों को हैरानी होगी कि घनश्याम दास बिड़ला कुश्ती के एक कुशल पहलवान भी थे। उन्होंने हिंडाल्को बनाया, रेणु पॉवर बनाया, जहाँ आज लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। एक दिन में अडानी और अम्बानी नहीं पैदा होते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि यह कितना सत्य है। लेकिन अम्बानी के बारे में लोगों से मैंने सुना है कि वे तेल भरते थे। आज वे अरबपति-खरबपति हैं।**...(व्यवधान)** सभापति जी, मैं अब महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूँ। मुझे मेरी बातें समाप्त करने दीजिए।**...(व्यवधान)** आप सब सुन लो बाबा।**...(व्यवधान)** लेकिन आज वे कैसे अरबपति हो गए। यह बात समझने की है और इस पर बहस करने की है।

महोदय, ऐसे विचार के लोग इस बात पर हमेशा बहस करते हैं, जब लोकतंत्र पर खतरा पैदा हुआ, तो आपके पिताजी, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी आन्दोलन करते थे, तो इन्हीं लोगों ने कहा, उसी विचार के लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण टाटा का और रामनाथ गोयंका का दलाल है। रामनाथ गोयंका इसी लोक सभा के सांसद भी थे और वे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी थे। लेकिन जयप्रकाश जी ने लोकतंत्र पर बने खतरे को, देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान दिया था, उनके सम्मान में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यह बताया। उसके बाद रामनाथ गोयंका ने एक अभियान चलाकर इस बात को बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, ये उस विचार के लोग हैं। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है। जो लोग कभी नेताजी को तोजो का कुत्ता कहते थे, वही लोग आज कहते हैं कि पूंजीपतियों के हाथों में

देश बिकने जा रहा है, वही लोग आज कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण टाटा और बिड़ला.. …(व्यवधान) आप क्या कह रहे हैं?

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): आपने अन-पार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: कौन-सा अन-पार्लियामेंट्री वर्ड है? हम इसके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। आप बैठिए।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Anything which is not in the Rule Book will be expunged.

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: वीरेन्द्र जी, अब आप बैठ जाइए। आपका समय समाप्त हो गया है।

…(व्यवधान)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Sir, I wish to seek some honest answers from the hon. Finance Minister.

When the hon. Finance Minister took away the MPLADS fund from all the MPs for two years citing reason that she will be using that money for improving the medical infrastructure in this country, we thought, lets chip in because we were facing the worst of times in this country and we all chipped in hoping that you will be using that money for improving the medical infrastructure in this country and especially the rural hospitals in this country which are still in a shambles.

If you do not believe this, I would request you to send a team to Maharashtra. I will take them around to rural hospitals in my State to show the pathetic condition in which they are.

What was the MPLAD Fund meant for? Why do we use the MPLAD Fund for? Does that mean that MPLAD Fund is used by the MP according to his own whims and fancies? No, it is not. The MPLAD Fund is used for the development of the constituency which you have taken away. Everybody in this House wants the MPLAD Fund to be given back but none of the MPs from your Party and from your alliance Parties are going to speak openly about it. Instead, they request us in the Central Hall to speak on this topic because they cannot speak on this topic.

What is the message that you are giving to the people of the country, especially to the minorities when you slash the budget of the minorities in this

country? Let me remind this august House that the Constitution of this country does not allow anyone in this country to do discrimination on the basis of caste and religion. Hon. Finance Minister, please give me an honest answer or one reason why the budget for the minorities has been slashed. You have taken that away.

The third point is, your Party, the BJP, enjoyed power in Maharashtra with your so-called natural ally for so many years but just because Shiv Senna, your ally, has dumped you or abandoned you or rather divorced you and married the new found love in the form of the Congress and the NCP, does it mean that the Government has the right to harass the common people of Maharashtra now? Why then is the amount of Rs. 28,000 crore which you owe to Maharashtra in the form of GST reimbursement not being given? Who has given you that right? We want to spend that money on welfare projects of Maharashtra but the Maharashtra Government says that they are not getting that reimbursement amount of GST from the Central Government. Why are we, as common citizens of Maharashtra, being harassed just because you and the Shiv Sena are not in good books? You are fighting with each other. Why are the common people of Maharashtra being harassed? I want answers to all these questions.

The points that I have mentioned are true, namely, the money that you owe to minorities, the money that you have slashed from the minority budget, the money that you owe to Maharashtra in the form of GST reimbursement and the money that you owe to MPs in the form of MPLAD Fund. That Fund is

actually being used. We thought and we chipped in because we thought that you are going to use that money for good projects. Give me an answer to these points. Money is actually being used to realise the dream project of Shri Narendra Modi, the hon. Prime Minister, in building a new Lok Sabha Building, a new Parliament House. Does anyone in this House realise it? Do we need this Parliament Building at this point in time when people are dying because of the COVID-19 pandemic and when the pathetic condition of hospitals continue? Just because the Prime Minister wants to realise his dream, you are spending thousands of crores of rupees on the new Parliament Building and buying a new aircraft for the hon. Prime Minister for Rs. 7500 crore. Who has given you that right? This is a democratic country, Madam. You will have to listen to the people.

Just a short while back, a BJP MP from Maharashtra, Shri Manoj Kotak, cited a report which said: मूडीज़ एजेंसी ने कहा है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में सिर्फ हिन्दुस्तान ऐसा देश होगा, जहां जीडीपी डबल डिजिट की होगी। उन्होंने जैसे ही यह कहा, आपने तालियां बजानी शुरू कर दीं, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर आपकी तारीफ हो रही थी। एक रिपोर्ट विदेश से और आई है, इसको भी आप सुनिए और सोचिए कि क्या आप यह करेंगे कि जो आपकी तारीफ करेगा, आप सिर्फ उसके लिए तालियां बजाएंगे और बाकी रिपोर्ट्स को नहीं मानेंगे? दि प्रो-डेमोक्रेसी नॉन प्रॉफिट फ्रीडम हाउस की यह रिपोर्ट, जो पूरी दुनिया के अंदर हमें शर्मिंदा करती है, उसने कहा है: “India’s democracy is in decline under Modi’s rule.” The Report stated: “India has fallen short of its democratic ideals before Modi too but rarely has it fallen so far so bad.”

Sir, I would like to say to the Finance Minister that it is high time that we need to set our priorities right. The country at this point of time does not need a new Parliament building, new aircraft, and wasteful expenditure. The country today needs better hospitals, more hospitals, more educational institutions, scholarships for all the needy students in this country, and regular drinking water for all.

But I am sure, the Finance Minister is going to listen to us and she is going to do everything in the same way as you want or your Government wants to do because democracy in our country is on decline and we are going towards dictatorship. Thank you.

15.31 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair)*

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि देश मुश्किलों के दौर से गुजरा है और हम कह सकते हैं कि-

"मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है,

पर हारी हुई बाजी जो पलट देता है, वह असली शेर होता है।"

हम जानते हैं कि सारी दुनिया मुसीबतों से गुजर रही थी, मगर भारत ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बाजी को पलटा है। इस बाजी को पलटने के दौर में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सब जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि वर्ष 2013-14 में हमें ढांचागत विकास कैसा मिला था। हमारे सामने क्या-क्या चुनौतियां थीं। उसके बाद जो परिवर्तन हुआ, उसे आंकड़ों की बजाय वास्तविकता के नजरिए से देखें तो शायद परिवर्तन महसूस होगा। परिवर्तन महसूस करने से होता है। जो महसूस करना चाहे, उसे अहसास होता है। कई लोग भटकाव में रहते हैं कि कौन से तरीके से देश को चलाना है। कोई साम्यवाद का विचार करता है, कोई समाजवाद का विचार करता है, कोई पूंजीवाद की कल्पनाओं में देश को ले जाने की बात करता है। मैं और देश इस बात को जानते हैं कि जब-जब एकात्म मानव दर्शन पर, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के कल्याण की कल्पना की, तब देश सही दिशा में चला और देश ने विकास के नए पैमाने तय किए। यह अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति के विकास की कल्पना हमने स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में बखूबी देखी थी। हम जानते हैं कि अंत्योदय की कल्पना को लेकर ही देश में नए पैमाने तय किए गए। आज हम किसी भी विषय पर बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो वर्ष 1950 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसी सदन में दोहराया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर अनिवार्य, नि:शुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा इस देश को दी जाएगी, मगर दुर्भाग्य था कि 10 साल तो वर्ष 1960 में बीत गए, लेकिन अनिवार्य नि:शुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारा देश लागू नहीं कर सका। वर्ष 1984 में इसी सदन में फिर दोहराया गया था तथा संकल्प लिया गया था

कि 21वीं सदी आने से पहले-पहले यह देश अनिवार्य, नि:शुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा लागू कर देगा। यह दुर्भाग्य है कि एकात्म मानव दर्शन की कल्पना करने वाले व्यक्तित्व के हाथों सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में आया। हम उस आधार पर विचार कर सकते हैं कि जो उस दर्शन को लेकर कल्याण और कल्पना की कामना करते हैं, उन्होंने आज देश में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया और उसी का परिणाम है कि हम कह सकते हैं कि गरीब की झोपड़ी से लेकर हर-एक वर्ग, वर्ण, जाति और समाज का एक-एक बच्चा अनिवार्य रूप से आज स्कूलों में दाखिल है और शिक्षा प्राप्त करके इस देश के विकास के लिए अपने-आप को संकल्पित कर आगे बढ़ा पा रहा है।

सभापति महोदया, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज की शिक्षा नीति उसी का परिणाम है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और वित्त मंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंध से आज देश एक नए और सुदृढ़ विकास व नई कल्पना करके नई शिक्षा नीति लेकर आया है। यह बजटीय ढांचा ही था। हम कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से वित्तीय प्रबंधन जुटाए गए होंगे और किस तरीके से लोगों को देश हेतु कर देने के लिए संकल्पित किया होगा। यह उसी का सुखद परिणाम है। हम अगर वर्ष 2013-14 के आंकड़ों को उठाकर देखें तो जहां 16 लाख करोड़ रुपये के व्यय का ढांचा इस देश के सामने था, वहीं आज यह बजट आज यह बजट 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यय करके हमारे तमाम संसाधनों को विकास की नई इबारत लिखने के लिए आगे ले जा पा रहा है।

आज यह बजट 34 लाख करोड़ से अधिक का व्यय करके हमारे तमाम संसाधनों को विकास की नई इबारत लिखने के लिए आगे ले जा पा रहा है। हम अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति के साथ-साथ एकलव्य आवासीय विद्यालयों को देख सकते हैं। सैनिक स्कूलों की एक नई कल्पना हम देख सकते हैं। 15 हजार आदर्श स्कूल्स बनाए जाएंगे, जो नई शिक्षा नीति के सभी घटकों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह निश्चित रूप से एक चमत्कारिक कदम है। लेह को अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया गया, तो उस पर सिर्फ लेह के निवासी ही नहीं, बल्कि पूरा भारत गर्व कर रहा है। इस सरकार से पहले शिक्षा से हमारे कई क्षेत्र वंचित थे। आज

अटल टिंकरिंग लैब को देख लीजिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के माध्यम से गांवों में प्रयोगशालों की संख्या बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो मेडिकल कॉलेजों की एक नई श्रृंखला देश में खड़ी हुई है। 541 से अधिक कॉलेजेस, 80 हजार से अधिक सीटें और 75 नए बनने वाले कॉलेजेस, 15 हजार 700 सीटों के साथ देश को एक नए स्वरूप में ले लाने में हम सफल हो रहे हैं।

सभापति महोदय, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के महान संकल्प हेतु 220 करोड़ रुपये से अधिक का बजट सम्मिलित किया गया है। हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी नए कर को लगाए बिना और देश को वित्तीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन की ओर आगे ले जाने वाला यदि कोई बजट पेश किया गया है, तो वह आज माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है। मैं यहां, इस वक्त निश्चित रूप से जेटली जी को भी स्मरण करना चाहूंगा कि उन्होंने कितने कुशल वित्तीय प्रबंधन को लागू किया कि आज हम ढांचागत विकास करने में भी बहुत तेजी से और विश्वासपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कृषि और किसानों की बात हम बार-बार करते हैं। हम विषयों को उठाकर देखें तो पता चलेगा कि किस तरीके से कृषि विकास के लिए बजटीय संरचनाओं को सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाया गया है। आज एफपीओ यानी फार्मो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना लेकर इस बजट ने 10 हजार नए एफपीओ गठित करने का संकल्प लिया है। हम जानते हैं कि किसानों के सम्मान में 'सम्मान निधि' कितनी महत्वपूर्ण है। उनके त्यौहारों में, बच्चों की शिक्षा में और हर छोटे काम में सम्मान निधि का इतना बड़ा अवसर आज उपलबध करवाया है। ब्याज की सब्सिडी के रूप में लगभग 20 हजार करोड़, यूरिया सब्सिडी के रूप में लगभग 60 हजार करोड़ रुपए और साथ ही बाजारों के मूल्यों में हस्तक्षेप हेतु भी आपने बजट में राशि आवंटित की है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 16 हजार करोड़ रुपये का बजट आपने रखा है, जिससे जुड़कर 6 करोड़ 11 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

माननीय सभापति महोदया, मुद्रा कार्ड के माध्यम से किसानों की जमीनों को उर्वर करने की दृष्टि से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी कल्पना अपने-आप बहुत आगे चली जाती है। मैं आप

सबसे गुजारिश करता हूं कि देखना है तो देखने की दृष्टि को हमें परिवर्तित करना होगा। आंकड़ों की बजाय गांवों में जाकर देखना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आइए, तब आप देखेंगे कि भारत सरकार के कुशल बजट प्रबंधन और प्रदेश सरकार की कुशल योजना से कितना विकास हुआ है। मैं एक-एक गांव की कहानी आप लोगों को बता सकता हूं। हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में न हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यह तो हमारे वश में है और यही इस बजट का सार है। धन्यवाद

माननीय सभापति : Ram Mohan-ji, before you start your speech, आप सबका समय 5 मिनट रहने वाला है। उसी के भीतर आप सब लोग अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि रिप्लाई भी शुरू करना है।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Ram Mohan Naidu.

Please cooperate. Thank you.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill.

The hon. Members from Andhra Pradesh, especially from different parties have been speaking about the Finance Bill or Demands for Grants for the last seven years since the bifurcation of Andhra Pradesh but the demands have still remained the same; and I would like to just repeat some of them, which are very, very important today. They are: special status for Andhra Pradesh, bridging of resource gap, Polavaram Project, formation of Railway Zone, Metro, Road, Rail Projects, establishment of Vizag-Chennai Corridor, construction of educational institutions and many more things.

So, they are still pending on the part of the Central Government. The financial assistance is required in them. Through the Finance Bill also, I would request the Ministry of Finance to speed up this process as eight years have already elapsed since the Reorganisation Act has been implemented. So, I would request the hon. Minister to release the rest of the fund.

Today, I would like to talk about the most burning issue in the State of Andhra Pradesh which is the privatisation of the Vizag Steel Plant. An in-principle agreement has been taken by the Cabinet saying that 100 per cent disinvestment should be made in RINL Vizag Steel Plant. On behalf of the Telugu Desam Party and the people of Andhra Pradesh, we totally oppose this decision of privatisation of Vizag Steel Plant. I would like to present my case by talking about the history of the inception of this plant. Around seven to eight years, under the slogan of "*Visakha Ukku-Andhrula Hakku*", which means, the

steel of Vizag is the right of Andhra. People of both Telangana and Andhra Pradesh came together and fought with the Centre for the establishment of the Steel Plant. Around 32 people have lost their lives and 22,000 farmers have donated their lands for the establishment of this Plant. So, today, even if the owner of this Plant is the Central Government, they have to realise that it was made on the sacrifices of the Telugu people. If the Central Government has a big heart, then, they would realise that privatisation of this Vizag Steel Plant is not the right decision. But, I see that they have conveniently ignored all the emotions and sentiments of the Telugu people and they are going with a separate argument.

One of the arguments being made is that Vizag Steel Plant is a sick unit. I beg to differ, Madam. I would like to place some of the statistics on record. Between 2000 and 2015, the turnover has been Rs. 1.4 lakh crore and profits after taxes is Rs. 12,600 crore. For 13 consecutive years, it exceeded 100 per cent capacity utilisation. The Vizag Steel Plant has achieved an all-time high of 1.3 million tones in exports. Recently, in times of COVID also, the workers have worked, putting their lives at risk, and earned a profit of Rs. 212 crore in December, 2020. In January, 2021, they earned a profit of Rs. 134 crore. In February, 2021, they earned a profit of Rs. 165 crore. In this current month, they are expecting a profit of Rs. 300 crore or more. So, I beg to differ whenever they say that Vizag Steel Plant is a sick unit.

The second argument being made by the Central Government often when it comes to disinvestment of PSUs is that we should not waste taxpayer's

money in the sick units. First of all, I would like to explain that it is not a sick unit. In the second argument where the tax payer's money is being used, I would like to present my case here also. Since the inception of the Vizag Steel Plant, the contribution from the Central Government to the Plant has been Rs. 4900 crore in terms of equity and Rs. 1300 crore in terms of restructuring package. So, the total amount given is Rs. 6200 crore. But, what has the Vizag Steel Plant paid back to the Central Government? It is up to the tune of Rs. 43,000 crore. It is five times more than what the Central Government has given to the Vizag Steel Plant. So, Rs. 43,000 crore in terms of taxes and dividend has been paid back. What we request from the Central Government to do for the Vizag Steel Plant is this. There are a couple of demands and these are not the demands of just me or the people of Andhra Pradesh, Standing Committees have demanded on behalf of the Vizag Steel Plant that they have to be given captive mines. The units of SAIL and other steel plants are getting captive mines. They have captive mines and they are getting per ton of steel at Rs. 1500. Since the Vizag Steel Plant does not have the captive mines, it is getting it at Rs. 7000. What is this amounting to? VSP loses Rs. 5260 crore for every ton of steel it sells which is translated to a loss of Rs. 2300 crore in the last fiscal year alone. So, what we really request from the Central Government is this. If they want to do something for the Vizag Steel plant, they should cater for captive mines for this and provide a level playing field just like other steel plants.

The other thing which we are requesting is to reduce the interest rates. When Tata Steel Plant is getting loans from the banks at 8 per cent interest rate, Vizag Steel Plant, which is under the Central Government, is getting loans at 14 per cent. This again is resulting in losses up to Rs. 1500 crore just in interest payments, Madam. There are other solutions also. Why should we not club SAIL and RNL together and try to take everyone in the same line? That is not being done. When it comes to exports of iron ore, 82 per cent of our total iron ore export goes to China. We are blocking apps from China. We are trying to boost Made-in-India. Now, 82 per cent of our iron ore is going to China. China accounts for all the global steel output. When you have such good functioning steel plants within the country, why do not you give the existing iron ore to them and help them which is under your own care. This is what we are requesting. Why are you showing this step-motherly treatment towards Andhra Pradesh?

I am using the word 'step-motherly' because of this. …(*Interruptions*) On 16th of March, the hon. Minister for Heavy Industries and Public Enterprises said on the floor of the House that those PSUs which can be revived will be revived. This is a Statement from the Central Government. Where is it applicable? It is applicable only in Gujarat. The ONGC acquired 80 per cent of the Gujarat State Petroleum Corporation's share, which has been a sick unit, for nearly Rs. 8,000 crore. The ONGC even pays Rs. 1300 crore. So, this attitude is being shown to PSUs in Gujarat. What about the plants in Vizag? Why is this step-motherly treatment being done?

The Central Government talks about 'One Nation, One Election', 'One Nation, One Ration', 'One Nation, One Constitution', and so many other such things. I demand for one nation, one justice. If something is happening from the Central Government towards Gujarat in a certain way, I would request the same to happen towards the Vizag Steel Plant, which is in the State of Andhra Pradesh.

If the Central Government does not want to listen to me, I would like to give a cue of the former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. We really miss him, from the State of Andhra Pradesh; especially today, we are missing him because the same case of privatisation came during the NDA-I rule under the Prime Ministership of Vajpayee*ji.* Shri Chandrababu Naidu, who was the then Chief Minister and Yerrannaidu*ji,* who was the then Parliamentary Party Leader from TDP, led a delegation from Andhra Pradesh, and met Vajpayee*ji.* He listened to the Unions, to the Leaders, and to the people of Vishakhapatnam and Andhra Pradesh. He understood their emotions, their sentiments, and then provided equity which made the Vizag Steel Plant debt-free. …(*Interruptions*) Madam, I will just conclude in 30 seconds.

So, I would request today's Prime Minister to walk on the same lines as Vajpayee*ji,* help Vizag Steel Plant by giving them the good interest rates, and captive mines instead of privatisation. Thank you very much.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदया, ईमानदार करदाता को पहली बार 6 साल पहले ईमानदारी का धन्यवाद मिलने लगा है। जबर्दस्ती ईमानदार करदाता को हैरास करते थे, जब से मोदी जी की सरकार आई है, उनके सैफगार्ड के लिए कानूनी प्रोविजन भी आए हैं और दूसरी कार्रवाई भी हुई है तो इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। एक और बधाई इसलिए कि इस कोरोना काल में जहां आर्थिक हालत एकदम बहुत खराब थे, उसके बावजूद आपने जो बजट पेश किया है, उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इस फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप फाइनेंस बिल को तीन हिसाब से देख सकते हैं, एक कोरोना काल में इंसेंटिव दिया, करदाता को जो दिक्कत आ रही थी, उसमें चेंज किया, इंसेंटिव दिया और कुछ टैक्स बेस कैसे बढ़े, इसके बारे में भी आपने कुछ प्रावधान किए हैं।

महोदया, मैं फाइनेंस बिल के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए अगर दो-चार मिनट ज्यादा भी बोल जाऊँ तो कृपया बोलने दीजिएगा।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : दो-चार मिनट ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि बोलने वालों की संख्या मेरे पास है और समय से मंत्री जी को जवाब देना है। जो सब्जेक्ट है, उसी पर बोलिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : टैक्स इंसेंटिव के साथ-साथ इस खराब समय में डिमांड बढ़े, यह वित्त मंत्री जी की सोच है। जो एलटीसी टैक्सेबल होती है, जो कैश लेता है अगर वह किसी 12 परसेंट वाले आइटम में खर्च कर देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जिन एम्प्लॉइज़ को एलटीसी मिलती थी, जो कैश में लेते थे और जिस पर टैक्स लगता था, उनको छूट दी गई। उसके साथ-साथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो बैंक बैंकिंग कम्पनी में कंवर्ट होना चाहते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स का इम्पैक्ट है, वह न्यूट्रल किया गया। यह बहुत बड़ा रिलीफ इन बैंकिंग कम्पनियों को दिया गया है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ में जो भी डिसइनवेस्टमेंट होता है, उसमें भी यही प्रावधान दिया गया है।

सभापति महोदया, पिछला पूरा साल कोरोना की वजह से खराब हो गया था। जितने भी टैक्स बेनिफिट के प्रावधान थे, जो 31 मार्च, 2021 को खत्म होने वाले थे, अधिकतर प्रावधानों को माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने फाइनेंस बिल में 31 मार्च, 2022 तक कर दिया है। इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत आभार। टैक्सपेयर्स को दिक्कतें आ रही थीं और अभी कोरोना काल की वजह से प्रॉपर्टी के भाव काफी कम हुए।

जो सर्किल रेट है, जिसके हिसाब से कंपनियों का इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है, वह बेचती चाहे किसी भी रेट पर हो, लेकिन उसमें जो कंसीड्रेशन माना जाता है, वह सर्किल रेट या डी.एल.सी., जो भी वहां बोला जाता है, उसी के बेस पर माना जाता है। इसमें यह प्रावधान लाया गया है कि दो करोड़ रुपये तक के मकान को अगर कोई भी खरीद रहा है और उसके सर्किल रेट के बीस प्रतिशत कम रेट पर भी बेच रहा है तो उसी कम रेट को माना जाएगा, न कि सर्किल रेट को माना जाएगा। इसके कारण जो छोटे-छोटे मकान खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, उनके लिए आसानी होगी कि वास्तव में वे जिस प्राइस पर बेच रहे हैं, उसी पर उनके इनकम की गणना होगी, न कि सर्किल रेट के हिसाब से होगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी रिलीफ इस फाइनैंस बिल में दिया है।

मैं टैक्स बेस बढ़ाने के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने उन सब को, जिनका टीडीएस 50,000 रुपये से ज्यादा कटता है और अगर वे टैक्स रिटर्न्स नहीं भरते हैं तो टीडीएस के रेट्स को डबल कर दिया है। यह एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है, ताकि कम से कम सभी टैक्स जमा करें।

मैं एक चीज और बोलूंगा। एक तो मुझे एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल की तरफ से कोई लेटर आया तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को दे दूंगा।

जीएसटी में जो प्रॉब्लम आ रही है। जीएसटी की जो प्रॉब्लम है कि किसी करदाता ने गलती से कोई क्रेडिट ले लिया और उसका आई.टी.सी. क्रेडिट वैसा ही पड़ा हुआ है और उसने उसे यूटीलाइज नहीं किया, तो अभी जीएसटी में ऐसा प्रावधान है कि उसके द्वारा गलत एन्ट्री करते ही

उसके ऊपर 24 प्रतिशत टैक्स की टैक्स पेनाल्टी हो जाती है जबकि उसने न तो उसका यूज किया और न ही किसी काम में लिया। जिसने यूज किया, उनके ऊपर पेनाल्टी लगे। यह तो ठीक है, लेकिन अगर कोई टेक्निकल गलती कर दे, उसको भी इसमें जरूर देखना चाहिए।

अभी बार-बार न्यूजपेपर्स में आ रहा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म करने की बात चल रही है, ताकि इनपुट और आउटपुट पर एक ही ड्यूटी रहे। इसे खत्म करने वाले या नया रेट तय करने से पहले, जितने भी इसमें स्टेकहोल्डर्स हैं, जो भी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ जरूर चर्चा की जाए।

महोदया, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): माननीय सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Madam, we support this Bill. It is a very good and bold initiative by the Government. It will enable faster long-term infrastructure growth of the country by making available timely and easier way of long-term finance through establishment of a key institution called, the National Bank for Financing Infrastructure and Development. Timely finance is a major roadblock in infrastructure development, which this Bill effectively addresses. There are various good measures like securitisation of infrastructure receivables, taking over of the existing finances, and even conversion of loans into equity, which shall surely help the infrastructure sector.

The Bill also proposes for development of bond and derivates market necessary for infrastructure financing, thereby helping the agencies to raise low-cost funds and effectively reducing the cost of the projects, and further it will lower the burden on the public exchequer, despite getting best infrastructure.

The Bank is being established with a developmental objective. In coordination with the Central and State Governments, regulators, financial institutions, institutional investors, and such other relevant stakeholders, it will help facilitate building and improving the relevant institutions to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing in India, including the domestic bonds and derivatives markets. It will also help the small and medium enterprises in this sector to grow and prosper.

I just want to congratulate the hon. Finance Minister for her earnest efforts in preparing a development-oriented Budget. Despite the way COVID-19 came in India and affected the growth of our country, the Government is continuously focussing on infrastructure development of the country.

मैडम, जो भी चीजें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हर राज्य और केन्द्र को दी हैं, आने वाले समय में और आज उसमें खामियाँ निकालने से कुछ नहीं होगा। A few of my colleagues have mentioned that they have given two years' MPLAD funds to the Central Government. I would like to say that we have sacrificed it for the development of this country. अगर जान ही नहीं रहेगी तो हम काम और डेवलपमेंट करके क्या करेंगे। जो एमपीलैड फंड दिया गया है, वह हेल्थ इश्यू पर दिया गया है। अगर उसको प्रॉपरर्ली ताल्लुका के हॉस्पिटल और मेडिसीन में यूज करते हैं तो मैं समझती हूँ कि यह जान बचाने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आपने जो एमपीलैड फंड वापस लिया है, उसका हमें दुख है। देश में हम इससे जान बचा रहे हैं, हम उसके साथ भी खड़े हैं कि जान से बढ़ कर इस देश में कोई चीज नहीं है। हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं।

Some of my colleagues from Maharashtra have spoken about the amount under GST, which the Central Government has to give to the Government of Maharashtra. That amount is remaining with the Central Government. We all know that for the last one year we have been facing a very difficult time in India. हमें उस बारे में बताते हैं कि आप अपनी भावना बताइए कि आपका नहीं देने का कारण क्या है? मैं फिर भी आपसे विनती करूँगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे महाराष्ट्र की कुछ जीएसटी बैलेंस है। आप कृपा करके उस जीएसटी को दीजिए, क्योंकि राज्य में आज हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है। पूरे देश में हम कोविड के मामले में अव्वल नंबर में हैं। हम अच्छे कामों में नहीं हैं। हम डेथ्स रेट में अव्वल नंबर में हैं। हम कोविड-19 के मामले में सबसे

आगे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप जीएसटी के द्वारा हमें कुछ दे सकेंगे तो हॉस्पिटल में डेवलपमेंट्स होंगी, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हमारे महाराष्ट्र में हो सकतर हैं। हमारे यहाँ फार्मर्स की स्थिति बहुत खराब है। अभी तीन दिन पहले अनवांटेड रेन हुई, उससे हमारे महाराष्ट्र के फार्मर्स संकट में हैं।

महोदय, इन सभी चीजों से हमें दुख है। हम सभी को इसके बारे में अनुभव है। सभी के घरों में कार है, सभी नॉर्मल लोग एक्टिवा से लेकर फोर वीलर्स चलाते हैं। जो जीएसटी और वैट हमारे पेट्रोलियम पदार्थों पर लगता है, अगर आप पूरे देश के अलग-अलग राज्यों की हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैट और इंटरेस्ट जो प्रोफिटेबल है, वह महाराष्ट्र में वहाँ की सरकार लेती है। इससे पहले जब देवेन्द्र फडणवीस साहब थे, उस समय जो भी टैक्स रेट्स बढ़े थे, उसको कम करके हमारे महाराष्ट्र के लोगों को सुविधा दी गई। उसी तरीके से मैं आपके माध्यम से विनती करूँगी।…(व्यवधान)

मैडम, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूँगी। इसमें भी अगर आपकी तरफ से राज्यों की कुछ मदद हो सके तो पेट्रोल और डीजल के लिए आप मदद कीजिए। पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इसके लिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी। जिस तरीके से ओडिशा ने 20.6 परसेंट पर अपना इंटरेस्ट लागू किया है, उसी तरीके से महाराष्ट्र भी कर सकती है। आज महाराष्ट्र 26.9 परसेंट टैक्स लेती है। अगर महाराष्ट्र की जनता को सुविधा देनी है तो टैक्स में कमी लानी चाहिए। उनको अपना प्रॉफिट छोड़कर लोगों की भलाई के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। With these words, I support the Bill and thank the hon. Finance Minister that despite COVID-19 situation she has come up with an infrastructure development-oriented Bill. Thank you.

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे वित विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर दिया। मैं वित मंत्री महोदया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में देश को एक अच्छा बजट देने का काम किया।

महोदय, जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस देश में कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। जिस तरीके से केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी में लोगों को राहत पैकेज देकर उनकी चिंता की, उनको खाना पहुँचाने का कार्य किया, अन्य व्यवस्था देने का कार्य किया, वेंटिलेटर देने का कार्य किया। लोग चिंतित थे कि इस महामारी में सरकार बजट लेकर आ रही है, उस बजट से किसी तरीके से लोगों की जेब पर टैक्स तो नहीं बढ़ने वाला है। मैं अपने वित मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस समय एक ऐतिहासिक बजट इस देश के विकास तथा उत्थान और देश को आत्मनिर्भर बनाने का पेश किया है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

16.00 hrs

लोग सोच रहे थे कि टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन टैक्स बिल्कुल नहीं बढ़ा। इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई कि वे अपना रिटर्न फाइल न करें। इसी तरीके से अनेक क्षेत्रों में, अगर हम व्यापारियों की बात करें, तो व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की गई है, उन पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया और ईजी वे में जो आसान समाधान स्कीम उनके लिए निकाली है, वह वास्तव में उनके लिए लाभदायक है।

दूसरा, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा। जो छोटे-छोटे एनजीओज़ हैं, जो अपने स्कूल्स चलाते हैं और हॉस्पिटल्स चलाते हैं, उनको राहत देने का जो कार्य किया है, वह वास्तव में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया गया सराहनीय कार्य है। इस देश के ऐसे लोग जो पिछड़े, दलित और गरीब थे, वे अपने आपको स्थापित करने के लिए स्टार्ट-अप योजना के माध्यम से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने

को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उनके लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक की है, उससे कई युवाओं, गरीबों और दलितों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। स्टार्ट-अप के माध्यम से हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होकर इस देश के दलितों के लिए, जिसकी बाबा साहेब अंबेडकर जी चिंता करते थे, अगर उनकी चिंता करके दलितों के सही उत्थान करने के लिए कोई कार्य कर रही है तो माननीय मोदी जी की सरकार उस कार्य को कर रही है और उनको मजबूत करने का कार्य कर रही है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं।

आयुष्मान भारत कार्ड के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस देश में हजारों लोग ऐसे होते थे, जिनको इलाज नहीं मिलता था। गरीब होने के कारण वे अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो योजना शुरू हुई, इसमें आज देश का हर गरीब अच्छे और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराकर अपनी जान बचा सकता है। मैं बुलंदशहर से हूं। मेरा रूरल एरिया है। इस योजना से लाखों लोगों को लाभ मिला है। मेरा एक मरीज से मिलना हुआ। बोलते-बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अगर माननीय प्रधान मंत्री जी यह योजना शुरू नहीं करते, तो मैं मर ही जाता। ऐसे लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए इलाज के साथ-साथ, उनको अच्छा पीने का जल गांव में मिले। घर-घर जल पहुंचाने का जो कार्य सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी ने शुरू किया है, वास्तव में लोगों को अच्छा जल मिलने के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मेरे क्षेत्र में अभी देखने में आता है कि एम्स के लिए जो मरीज आते हैं, उनमें 10 में से 8 मरीज कैंसर के पेशेंट होते हैं। उनको खराब पानी पीने को मिलता है। देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पानी है ही नहीं। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में पानी की कमी रहती है और राजस्थान में पानी की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में हर घर को पानी देना, हर व्यक्ति को पानी देना, एक सराहनीय कार्य माननीय वित्त मंत्री जी ने इस देश के लोगों के लिए किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

कोरोना महामारी के दौरान 36 हजार करोड़ रुपये की राशि के वैक्सीनेशन का जो राहत पैकेज दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इसको और भी बढ़ाने का प्रावधान रखा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदया, मैं बुलंदशहर से हूं और आप दिल्ली से हैं। दिल्ली, बुलंदशहर एनसीआर का ही हिस्सा है, लेकिन एनसीआर में होने के बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालांकि हमारी सरकार आने के बाद बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, चाहे रास्ते हों, एक मेडिकल कॉलेज भी सरकार ने वहां पर दिया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे, अगर किसी की तबियत खराब है तो दिल्ली आते-आते, वहां कहीं ट्रॉमा सेंटर न होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं इतना ही कहूंगा कि एनसीआर का विकास, जो दिल्ली एनसीआर में है, बुलंदशहर के लिए भी उसका कंसीडरेशन किया जाए।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2021-22 के फाइनेंस बिल पर बोलने के लिए समय दिया,धन्यवाद। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। देश में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में है, सरकार की ओर से उनको कोई भी राहत प्रदान नहीं की जाती है, सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है।

माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्ष 2021 के बजट में 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने पर छूट दी है, किन्तु उनकी ब्याज से कमाई रकम पर बैंक टी डी एस काट लेगी तो जब वे आईटीआर नहीं भरेंगे तो टीडीएस उनको कैसे वापस मिलेगा? 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं हैं, ईएमआई ऋण और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। कमजोर सेहत के कारण कहीं उनको नौकरी भी नहीं मिलती है। संतान कोई सहायता नहीं करती है, बल्कि उनका पैसा हड़प कर उन्हें भीख मांगने के लिए छोड देते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी खरीदी पर भुगतान करना पड़ता है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके जीवन में कोई निर्भरता नहीं है, उन्होंने अपने युवा समय में सभी करों का भुगतान समयानुसार किया है तो फिर रिटायरमेंट के बाद करों का इतना बोझ उन पर डालने की क्या आवश्यकता है?

सरकार अप्रासंगिक योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, इस देश के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए कभी राहत की योजना नहीं बनाती है। भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक त्रासदी है। मेरा सुझाव है कि सभी सार्वजनिक स्थानों एवं संग्रहालयों में इनकी फ्री एंट्री होनी चाहिए।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि अन्य देशों की भांति वरिष्ठ नागरिकों को आय तथा अन्य करों का भुगतान करने से मुक्त किया जाए, जिससे वे अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर पाएं।

मैं विभिन्न सरकारी पेंशन योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सरकार की सभी पेंशन योजनाएं अनुदान पर चलती हैं, जैसे संजय गाँधी

निराधार योजना, श्रवण बाल योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन योजना, राजीव गाँधी योजना अभी तक चल रही है।

प्रोविडेंट फंड योजना वर्ष 1995 में चालू की गई थी, जिसमें कामगार 8.33 परसेंट अंशदान करते हैं। 10 वर्ष की सेवा या 58 वर्ष की उम्र के बाद यह पेंशन आरम्भ हो जाती है। इस योजना के तहत एक हजार रुपये विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन दिए जाते हैं। 25 वर्ष के बाद भी इस योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देशभर में ईपीएफ 1995 योजना के अन्तर्गत प्राइवेट और सेमी-प्राइवेट कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि की ओर से 1000 रूपये के स्थान पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 के अपने निर्णय में 7500 रुपये पेंशन देने का आदेश दिया था। अगस्त 2017 के बाद 1000 रूपये और 7500 रूपये के अंतर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।

संसद की स्टैडिंग कमेटी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की सिफारिश की है, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सरकार के पास कामगारों के दो लाख 80 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। इसमें लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का क्लेम अभी तक नहीं हुआ है। कामगारों के अंशदान से सरकारी खजाने में प्रत्येक वर्ष 6,648 करोड रुपये जमा होते हैं, फिर भी भुगतान करने में कोताही होती रहती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पेंशनधारियों को उचित भुगतान करने का आदेश तुरंत पारित किया जाए।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, उसका तेजी से रेट बढ़ रहा है, यह एक चिंता का विषय है। जनवरी 2021 से अभी तक मंबई में पेट्रोल और डीजल में चार रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है।

केंद्रीय बजट 2021-22 में ईंधन में एक नया कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उप-कर लगाया गया है, जिससे पेट्रोल और डीजल पर कीमतों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। सरकार का पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर अंकुश नहीं लग पाता है।

मेरा सुझाव है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को जीएसटी के अंदर लाना चाहिए, जिससे सही कर लगाकर इसकी कीमतों पर अंकुश लगाया जा सकते हैं। नेशन में "वन नेशन वन टैक्स" के हिसाब से जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाएंगे तो पूरे देश में इसका एक ही रेट रहेगा और सभी को उससे राहत मिलेगी।

मंबई में रियल एस्टेट विकास की दो श्रेणियां हैं। फिर भी, वास्तविकता में, बैंक कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को सीमित कर रहे हैं। जबकि मुंबई में एसआरए परियोजनाएं बंद हो गई हैं या प्रगति बहुत धीमी है। यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मुंबई में देश का सबसे बड़ा स्लम है, डेवलपर्स के पास एसआरए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन नहीं है।

एनबीएफसी चयनित बिल्डरों को 19 प्रतिशत से 27 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दे रहा है और एनबीएफसी संकट की शुरुआत के बाद एसआरए परियोजनाओं के लिए ऋण वितरण में अधिक कमी आई है। 42 प्रतिशत मुंबईवासी उचित प्रकाश, हवा और वेंटिलेशन के बिना विकट परिस्थितियों में झुग्गी में रहते हैं, इसलिए एसआर प्रोजेक्ट्स के लिए एनबीएफसी से फंडिंग होनी चाहिए। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहिए, अगर हम रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का स्टेटस देंगे तो बैंकिंग में लोन की पूरी फेसिलिटीज मिलेगी। मुंबई में एसआर परियोजना स्लम के रि-डेवलपमेंट को अगर अर्फोडेबल हाउसिंग में काउंट करेंगे तो उसको भी राहत मिल जाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे देश के सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंस बिल, 2021 पर बोलने का मौका दिया। यह विधेयक एक आम आदमी से लेकर गरीब-अमीर, टैक्स पेयर्स अैर देश के रेवेन्यू आदि से संबंधित है। इस बिल का उद्देश्य फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए फाइनेंशियल प्रपोजल को प्रभावी करना है।

महोदय, इस बिल की मुख्य बात यह है कि पार्ट-14 में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 को अमेंड करना है ताकि पैंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन को कम किया जा सके, रेवेन्यु बढ़ाया जा सके और टैक्स पेयर्स को पीस ऑफ माइंड मिल सके। जैसा कि 1 मार्च, 2021 तक करदाताओं के द्वारा फार्म-1 में कुल 1,28,733 डिक्लेरेशन को फाइल किया गया, जिसमें 1393 डिक्लेरेशन सैंट्रल पीएसयूज़ और 833 डिक्लेरेशन स्टेट पीएसयूज़ की हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 98,328 रुपये के टैक्स डिस्पयूट्स समाधान के लिए करदाताओं ने घोषणाएं फाइल की हैं और 53,346 करोड़ रुपये का भुगतान करदाताओं के द्वारा किया गया है। यह सरकार के सुधार का ही परिणाम है। देश में पैंडिंग डिस्पयूट्स का एमिकेबल समाधान सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

महोदय, एलिजिबिलिटी डेट तक पूरे देश में 5,10,491 टैक्स डिस्पयूट्स पेंडिंग हैं। अपीलों के निपटारे के लिए सरकार फेसलैस अपील्स स्कीम 2020 लाई ताकि इसमें अधिक एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी और एकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन इस स्कीम में सीरियस फ्रॉड्स, बड़े कर की चोरी, संवेदनशील एवं तलाशी के मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर एवं काल धन इस स्कीम में शामिल नहीं है। वित्त अधिनियम, 2021 ने टैक्स डिस्पयूट्स समाधान को बेहतर बनाया है।

31 मार्च, 2020 को पूरे देश में 5,82,735 डायरेक्ट टैक्स से संबंधित अपील पेंडिंग हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 5,363 और ऑनरेबल हाई कोर्ट में 31,548 तथा बाकी सब अलग-अलग फोरम में पैंडिंग हैं। इसी प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत सेंट्रल एक्साइज़ के 31,365, कस्टम्स के 35,070, सर्विस टैक्स के 35,827 और जीएसटी के 4,692 केस अलग-

अलग फोरम में पैंडिंग हैं। इन सारी समस्याओं के निपटारे के लिए फाइनेंस बिल, 2021 की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिल में डिस्पयूट्स रिजॉल्यूशन कमेटी बनाने का प्रावधान है।

महोदय, फाइनेंस बिल 2021 में इनकम टैक्स सैटलमेंट कमीशन (आईटीएससी) को 1 फरवरी, 2021 से समाप्त करने का प्रस्ताव है। लंबित मामलों में केंद्र सरकार द्वारा गठित इंटेरिम बोर्ड के द्वारा निपटाया जाएगा। With the objective to allow small tax payers to resolve their disputes with minimum cost and compliance burden, the Finance Bill 2021 has proposed to create one or more Dispute Resolution Committees specifically targeted towards such tax payers. The Dispute Resolution Committee shall have the power to reduce or grant immunity from prosecution for any offence under the Income Tax Act, 1961.

सरकार को रेवेन्यू का कलैक्शन अच्छे से हो और टैक्स पेयर्स को सहूलियत मिले, यही इस महत्वपूर्ण विधेयक का उद्देश्य है। मैं यह बताना चाहूंगा कि देश में अलग-अलग ज्यूडिशियल फोरम में इनकम टैक्स अपील वर्ष 2014-15 में 3 लाख 75 हजार 306 थीं, वहीं वह बढ़कर 2018-19 में 4 लाख 78 हजार 800 हो गईं। वहीं रिकवरी ऑफ एरियर्स वर्ष 2016 में 31,534 करोड़ था जो कि वर्ष 2019 में 40,599 करोड़ हो गया। इन सभी तथ्यों पर फाइनेंस बिल के आने से सहयोग मिलेगा।

महोदय, बिहार राज्य माननीय और यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से बिहार राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रहा हूं ताकि बिहार के विकास को और गति मिले।

महोदय, कोविड-19 के कारण देश में डायरेक्ट टैक्स कलैक्शन में कमी आई है। वर्ष 2019-20 के दौरान टोटल 10,50,711 करोड़ का कलैक्शन हुआ। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में 9,05,000 करोड़ रुपये का डायरेक्ट टैक्स कलैक्शन का

टार्गेट दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि 1.4.2020 से 28.2.2021 तक 7,32,388.72 करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स का कलैक्शन किया गया जो कि सराहनीय है, क्योंकि यह पैसा विकास के लिए खर्च होगा। वर्तमान में यह सुधार का ही परिणाम है कि देश में वर्ष 2017-18 में 6.87 करोड़, वर्ष 2018-19 में 6.74 करोड़ और 2019-20 में 6.78 करोड़ आईटीआर टैक्स पेयर्स के द्वारा सब्मिट किया गया।

इस बिल के पास होने से फाइनेंशियल सेक्टर में काफी सुधार होगा और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। अत: मैं इन्हीं शब्दों के साथ फाइनेंस बिल, 2021 को सपोर्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही, मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का भी बहुत-बहुत अभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश की आधी आबादी का नेतृत्व कर रहीं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री का भार सौंपा है। वास्तव में, जब किसी परिवार के ऊपर कोई विपत्ति या कोई आपदा आती है, तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। उस अर्थव्यवस्था को या तो दादी माँ, माँ या बड़ी बहन उस विपत्ति के दौर में परिवार की नाव को खेपते हुए मुख्य धारा से जोड़ती है। उसी तरह से आज श्रीमती सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस वैश्विक कोरोना संक्रमण काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए, ये जो बिल पेश किया है, मैं उसके समर्थन में आज यहां बोल रहा हूं। जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी थी, उस समय देश की अर्थव्यवस्था की जो बुरी स्थिति थी, वह सभी को मालूम है। लेकिन, हमने उस अर्थव्ययस्था को ठीक ही नहीं किया, बल्कि दौड़ाया। दौड़ाया ही नहीं, बल्कि तेज गति से आगे भी ले गए। उसके बाद, हमारी मोदी सरकार का यह बजट राजधानी ट्रेन नहीं, बल्कि बुलेट ट्रेन की तरह देश को आगे जाने का कार्य कर रहा है। इसलिए, मैं इस विधेयक को ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी विधेयक कह रहा हूँ।

सभापति महोदया, सबसे पहले हम सेबी की चर्चा करेंगे। सेबी अधिनियम, 1992 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2007 सहित चार अधिनियमों को समेकित करने के लिए एक प्रतिभूति बाजार संहिता की शुरुआत करने का प्रावधान है। रही बात बीमा की तो 1938 में बीमा कंपनियों की अनुमन्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74 परसेंट करने के लिए संशोधित करने का प्रावधान है। इससे सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति भी मिलेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधित पूंजी 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये और वार्षिक

कारोबार 2 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक की सीमा तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का भी प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन से परेशान लोग इस बार टैक्स के मोर्चे पर कई राहत की उम्मीद कर रहे थे। इसको ध्यान मे रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने 75 साल के उन सभी पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत दी, जिनकी सिर्फ पेंशन से आमदनी होती है। इस विधेयक के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी के मामले सिर्फ 3 साल पहले तक खोले जाएंगे, जबकि एक साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम छुपाने वाले मामले में ही 10 साल तक के मामलों की फिर से फाइल खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही, टैक्स ऑडिट सीमा को भी बढ़ाकर 5 से 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पहले टैक्स पेयर्स को दो तरह के विकल्प चुनने की आजादी दी गई थी। लेकिन, अब एक नया टैक्स स्लेब बना दिया गया है, जिसमें टैक्स पेयर नया या पुराना कोई भी टैक्स स्लेब चुन सकता है। नया टैक्स स्लेब क्या है? जो व्यक्ति नया टैक्स स्लेब चुनता है, उसे बहुत से डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि पुराने स्लेब चुनने वाले व्यक्ति को इस तरह का लाभ मिलता रहेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आम आदमी को टैक्स से राहत देते हुए काफी सराहनीय कार्य किया है।

महोदया, पहले टैक्स स्लैब में ढाई रुपये तक की इन्कम पूरी तरह से मुक्त है। ढाई लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की इन्कम पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता था। लेकिन अब हमारी सरकार ने इसे शून्य कर दिया है यानी कि पांच लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

सभापति महोदया, एक विशेष बात है, कोरोना संकट काल में लोगों की मांग उठने लगी कि टैक्सपेयर को सेक्शन 80(डी) के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये का हैल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया जाए और मेडिकल रिम्बर्समेंट के बदले स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाए। लेकिन पहले कंपनी से मिलने वाले मेडिकल रिम्बर्समेंट पर डिडक्शन

मिलता था। वर्ष 2017-18 में कुछ बदलाव लाते हुए हमारे पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने एक कॉमन डिडक्शन दिया था, जिसका लाभ सभी को मिलने लगा है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अनिल जी, आपका समय पूरा हो गया है। अब आप अपनी स्पीच को समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अनिल फिरोजिया: महोदया, अब कोई भी व्यक्ति हजार रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के बदले टैक्स…(व्यवधान) कर सकता है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अनिल जी, अब हमारे पास समय नहीं है। अगर कुछ रह गया है, तो आप वित्त मंत्री जी को लिखित रूप में दे दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अनिल फिरोजिया : सभापति महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूं -

'मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है।'

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति : दानिश अली जी, आपके पास दो मिनट का ही समय है। आपके दूसरे साथी पहले बोल चुके हैं।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : महोदया, आप सभी मेंबर्स को 5-5 मिनट का समय दे रही हैं। आप मेरे साथ इस तरह का अत्याचार मत कीजिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मुझे आपको नहीं बुलवाना था, लेकिन मैं आपको दो मिनट का समय देकर बुलवा रही हूं।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदया, सामने से जिसकी शुरुआत हुई है, मैं उसी मुद्दे पर आ जाता हूं कि यहां पर सरकार की योजनाएं गिनाई गई हैं। जो ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने भी और हमारे आदरणीय वीरेन्द्र सिंह जी ने भी कहा है कि किसानों के लिए इतना काम किसी सरकार में नहीं हुआ है, जितना काम इस सरकार में हुआ है। आज किसान चार महीनों से सड़कों पर बैठा हुआ है, उनकी तो परवाह नहीं की गई, लेकिन आंकड़ेबाजी में आपकी महानता का कोई जवाब नहीं है।

माननीय राजेन्द्र अग्रवाल जी भी उसी जिले से हैं और मेरा भी उसी जिले का एक तिहाई संसदीय क्षेत्र लगता है। मेरे पास हापुड़ जिले का 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' का लिखित लेखा-जोखा है। पहली किश्त 1,16,104 किसानों को मिली और वह घटते-घटते 7वीं किश्त आते-आते सिर्फ 64,643 किसानों को मिली। मेरे पास अमरोहा जिले के कृषि विकास अधिकारी का लिखित जवाब है। वहां पहली किश्त 1,92,626 किसानों को मिली और फिर घटते-घटते 7वीं किश्त केवल 97,280 को मिली। जब चुनाव था, तब आपने वर्ष 2019 में 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की घोषणा बहुत जोर-शोर के साथ अनाउंस की थी, लेकिन आप उसको घटाते-घटाते एक चौथाई तक ले आए हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देखिए किसान तो संकट में है, लेकिन आज आम आदमी का चूल्हा भी संकट में है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को सिलेंडर तो मिल गया है, लेकिन सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए आपने गैस के दाम दोगुने कर दिए हैं। डीजल जिसका इस्तेमाल किसान करता है। आज पेट्रोल-डीजल के दाम दोगुने हो गए हैं। आप उस पर कुछ विचार कीजिए।

माइनॉरिटीज़ डेवलेपमेंट के फंड्स का जो एलोकेशन है, आप उसको खुद देखिए। अगर मैं आंकड़े पढूंगा, चूंकि समय बहुत कम मिला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जिस रफ्तार से प्राइवेटाइज़ेशन करने जा रहे हैं, अगर वही रफ्तार चली, तो हम आपकी नीयत समझ सकते हैं। आपकी जो प्राइवेटाइज़ेशन की नीयत है, जो एससी/एसटी और ओबीसी का रिज़र्वेशन है, आपकी नीयत उसको समाप्त करने की है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण से छुटकारा पाने का सबसे आसान रास्ता यही है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, आप उनको प्राइवेटाइज़ कर दीजिए, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रैन्ड्स के हाथों में भेज दीजिए।....(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनता ने बड़े विश्वास के साथ इस जनता को चुना था, लेकिन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के साथ आपने बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।

کنور دانش علی (امروہہ): محترمہ چیرمین صاحبہ، سامنے سے جس کی شروعات ہوئی ہے، میں اسی مدعے پر آجاتا ہوں کہ یہاں پر سرکار کی یوجنائیں گِنائی جا رہی ہیں۔ جو اوپننگ بیٹسمین تھے، انہوں نے بھی اور ہمارے معزّز ویریندر سنگھ جی نے بھی کہا کہ کسانوں کے لئے اتنا کام کسی بھی سرکار میں نہیں ہوا ہے، جتنا کام اس سرکار میں ہوا ہے۔ آج کسان چار مہینے سے سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے، ان کی تو پرواہ نہیں کی گئی، لیکن آنکڑے بازی میں آپ کی مہانتا کا کوئی جواب نہیں ہے۔

معزّز راجیندر اگروال جی بھی اسی ضلع سے ہیں اور میرا بھی اس ضلع کا ایک تہائی پارلیمانی حلقہ لگتا ہے۔ میرے پاس ہاپوڑ ضلع کا پی۔ایم۔ کسان سمّان نِدھی یوجنا کا لِکھِت لیکھا جوکھا ہے۔ پہلی قسط 116104 کسانوں کو ملی اور وہ گھٹتے گھٹتے 7ویں قسط آتے آتے صرف 64643 کسانوں کو ہی ملی۔

میرے پاس امروہہ ضلع کے کرشی وِکاس افسر کا لِکھت جواب ہہے۔ وہاں پہلی قسط 192626 کسانوں کو ملی اور پھر گھٹتے گھٹتے 7ویں قسط صرف 97280 کو ملی۔ جب چناوُ تھا، تب آپ نے سال 2019 میں پی۔ایم۔ کسان سمّان نِدھی یوجنا کا اعلان بہت زور شور سے کیا تھا، لیکن آپ اس کو گھٹاتے گھٹاتے ایک چوتھائی تک لے آئے ہیں۔

چیرمین صاحبہ، میں آپ کے ذیعہ سے معزّز وزیرِ مالیات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کسان تو مشکل میں ہیں، لیکن آج عام آدمی کا چولہا بھی مشکل میں ہے اُجّولہ یوجنا کے ذریعہ سے غریبوں کو سلینڈر تو مل گیا ہے، لیکن سلینڈر میں گیس بھروانے کے لئے آپ نے گیس کے دام دوگُنے کر دئے ہیں۔ ڈیزل جس کا استعمال کسان کرتا ہے۔ آج پیٹرول ۔ ڈیزل کے دام دوگُنے ہو گئے ہیں، آپ اس پر کچھ وِچار کیجئے۔

مائنوریٹی ڈیولپمینٹ کے فنڈس کا جو ایلوکیشن ہے، آپ اس کو خود دیکھئے۔ اگر میں آنکڑے پڑھونگا چونکہ وقت بہت کم ملا ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس رفتار سے پرائیوٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں اگر وہی رفتار چلی تو ہم آپ کی نیت سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی جو پرائیوٹائزیشن کی جو نیت ہے، جو ایس۔سی۔، ایس۔ٹی۔ اور او۔بی۔سی۔ کا ریزرویشن ہے، آپ کی نیت اس کو ختم کرنے کی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راوُ امبیڈکر جی نے جو آئین میں ریزرویشن دیا ہے، اس ریزرویشن سے چھُٹکارا پانے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ جو پبلک سیکٹرس انڈرٹیکنگس ہیں، آپ ان کو پرائیوٹائز کر دیجیئے، اپنے کرونی کیپِٹلیسٹ فرینڈس کے ہاتھوں میں بھیج دیجیئے (مداخلت)---

محترمہ چیرمین صاحبہ، میں آپ کے ذریعہ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنتا نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس سرکار کو چُنا تھا، لیکن سب کا ساتھ، سب کا وِکاس اور سب کا وِشواس کے ساتھ آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔

(ختم شد)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सभापति : आपके पास दो मिनट है।

श्री हनुमान बेनीवाल: मैडम, पांच मिनट तो दीजिए।

माननीय सभापति : नहीं, आप अपने समय पर नहीं थे। आप बोलना शुरू कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: सदन में आज वित्त विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है। सदन के सभी साथी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव व विचारों से इस सदन को अवगत करवाते हुए इस बिल पर अपने विचार रखे हैं। कई माननीय सदस्य बिल के समर्थन में हैं और कई सदस्यों ने विरोध किया है। आपने कृषि सुधारों का नाम लेते हुए पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर व डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलेपमेंट सेस लगाने की बात कही है। आपने पहले ही तीन कृषि बिलों को देश में लाकर देश के किसानों की हालत बद्तर कर दी है। आज देश का किसान सड़कों पर है। वह आंदोलित है। आज 110 दिनों से ज्यादा हो गए हैं और 200 से ज्यादा मौतें भी हो गई हैं।

सभापति महोदया, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए। किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की जाए। मोदी जी यह हौसला रखते हैं। जब आप धारा 370 हटा सकते हैं तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पर दो बार बैठाया है। पहले आप एनडीए के सहारे बैठें और इस बार आप अकेले 303 पर चले गए। आज 100 रुपये प्रति लीटर पर पेट्रोल डीजल चला गया है। क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। इनकी दरें इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गई हैं फिर भी डीजल-पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के आस-पास चल रहा है।

सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन है कि पेट्रोल की दरें घटाई जाएं। मैं एक समाचार पत्र में वित्त मंत्री महोदया जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने एक सरकारी बीमा कंपनी व 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात पर अपना वक्तव्य दिया था। मैं आपके माध्यम से जानना

चाहूंगा कि यदि आप निजीकरण को बेहतर बता रही हैं तो देश की बैंको ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल क्यों की? दूसरा विषय यह है कि आप बैंको का निजीकरण कर रही हैं। एक तरफ शून्य बैलेंस पर जन धन खाते खोले गए हैं। 500 रुपये या 1000 रुपये न्यूनतम बेलेंस पर ग्रामीण क्षेत्रों में खाते खोले जाते हैं। निजीकरण के बाद यह न्यूनतम राशि प्राइवेट सेक्टर के बैंको की तर्ज पर यदि 5 हजार से 10 हजार कर दिया गया तो ग्रामीण जनता के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक होगा। इस पर मंत्री जी जरूर जानकारी दें। आपने नए टैक्स स्लेब में 80जी, 80सी आदि में जो छूट मिलती थी, उसको खत्म कर दिया। इससे लोगों के बचत की आदत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पुरानी स्लेब के अनुसार जो फायदा मिलता था, उस बहाने से लोग कहीं न कहीं बचत करते थे।

आपने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की बात कहीं है। मंत्री महोदया जी, जी2सी व सी2सी सेवाओं में गैर नकद भुगतानों को एमडीआर शुल्क मुक्त करने को लेकर आप क्या करेंगे? जिससे गैर नकद लेनदेन की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले? 29.09.2017 के जीएसटी नोटिफिकेशन के अनुसार खादी फेब्रिक जीएसटी से मुक्त है, परन्तु खादी से बने वस्त्र व अन्य वस्तुओं पर टेक्सटाईल फेब्रिक से बने रेडीमेड कपड़ों की तर्ज पर एक हजार रुपये मूल्य तक 5 प्रतिशत व उससे ज्यादा होने पर 12 प्रतिशत जीएसटी की मांग की जाती है। अगर आप खादी से बने वस्त्रों को जीएसटी की जीरो सूची में शामिल कर दें तो खादी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बजट के विश्लेषण पर जाएं तो कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जिन उपायों का जिक्र बजट में हुआ, उससे मध्यम वर्ग व वेतनभोगियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार जरूर विचार करे। मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करूंगा कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से जुड़े सामान पर व फ्लोर मिल मशीनरी सहित वे तमाम कृषि उपकरण जिन पर 12 प्रतिशत व 5 प्रतिशत जीएसटी ली जाती है, उन पर जीएसटी हटाने व कम करने को लेकर सरकार जरूर विचार करे। सीएसआर फंड का उपयोग संबंधित क्षेत्र के विकास में ही खर्च करने का प्रावधान किया जाए। आज भारत सरकार किसान उत्पादक संघठन बनाने व इसके लाभ को लेकर कई दावे कर रही है। मैं आपके

माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एफपीओ को आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत पंजीकृत क्यों कर रही हैं? फिर एक सामान्य वाणिज्यिक कंपनी और एफपीओ में क्या अंतर रह जाएगा? एफपीओ को आपने यदि कराधान में छूट दी है तो वह हमेशा रहे तब तो ठीक है, अन्यथा कुछ समय बाद एफपीओ से जुड़े किसान आयकर दायरे में आ जाएंगे, जबकि किसानों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रत्यक्ष आयकर में छूट दी गई है। ऐसे में क्या किसानों को आप आयकर नेट में लाने का प्लान कर रहे हैं? इन दोनों मुद्दों पर देश का किसान आपसे जवाब मांग रहा है।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने एलआईसी में 27 संशोधनों के प्रस्ताव की बात कही है। देश के एलआईसी में कार्यरत कार्मिकों, यूनियनों ने एलआईसी में एफपीओ लाने का विरोध किया है। ऐसे में एलआईसी को मजबूत करने में जो लोग लगे हुए हैं, वे ही विरोध कर रहे हैं तो उनकी शंका और विरोध का समाधान आप किस प्रकार करेंगी?

हमारे राजस्थान में जोधपुर के साथ बाड़मेर व पाली जिले के 2104 गांवों में पेयजल आपूर्ति की मांग के लिए इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के समानान्तर पाइप लाइन हेतु 1454 करोड़ रुपये की राशि का जाईका से लोन लेने के लिए वित्त मंत्रालय की अनुशंसा की जरूरत है।

जलशक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, शहरी आवास मंत्रालय ने अपनी सहमति की टिप्पणियां प्रेषित कर रखी हैं, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें। आखिरी एक मेरे इलाके की डिमाण्ड है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राष्ट्रीकृत बैंक की ब्रांच देश के अंदर खुले।

सभापति महोदया, सांसद निधि को वापस चालू किया जाए। हमारे राजस्थान के अंदर एमएलए को पांच-पांच करोड़ रुपये देने लग गए हैं, आप सोचिए कि अगर आप एमपी को एक भी पैसा नहीं देंगे तो एमपी को कोई मुख्य अतिथि नहीं बनाएगा। इसलिए आपको इसे तो करना ही पड़ेगा। अपनी लास्ट डिमाण्ड बोल देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के नागौर में खींवसर ब्लॉक के ग्राम

कुड़ची व भुण्डेल, परबतसर के लिछाणा, मेड़ता के नोखा चन्दावता और डींडवाणा के आकोदा में नए राष्ट्रीयकृत बैंक खुलें। आप राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दें, क्योंकि राजस्थान वे सारे मापदण्ड पूरे करता है जो एक विशेष राज्य के लिए आवश्यक है।

मैडम, आप चेयर से इसके लिए आदेश जारी कर दें। सदन में चेयर से जो आदेश दिए जाएंगे उनको वित्त मंत्री जी को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आप आदेश दे दीजिए। धन्यवाद।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): There is no question that this Finance Bill is being debated and passed in very trying times because of COVID-19. It is only the fourth time since Independence that there has been a contraction of real GDP by 7.7 per cent in 2021. It is an alarming situation but the constraints are understandable that the hon. Finance Minister is operating under.

The fiscal deficit this year is 9.5 per cent of the GDP. It is boldly declared by the Finance Minister. I do not blame the hon. Finance Minister at all. I was one of the persons who were in the all-party meeting with the hon. Prime Minister. I, in fact, said, “do not bother about the FRBM Act, go ahead and ensure that there is enough money and liquidity in the market even if it means very high fiscal deficit because that was the need of the times”.

What I need to ask the hon. Finance Minister to tell this House is what happens now in going forward because the past track record is not heartening. That is the problem. The Government is relying significantly on receipts from disinvestment in the PSUs to the extent of Rs. 1.75 lakh crore. This is appearing highly optimistic to me because in 2021, there was a target of Rs. 2.1 lakh crore and the Government reached Rs. 32,000 crore which is barely one-seventh of the target. Therefore, I do not know what is going wrong and

where it is going wrong. The hon. Finance Minister must ask the Ministry officials to pull up their socks because this kind of pace of disinvestment is not good for the Government at all. We are perpetually going to be falling way short.

The second aspect which troubles me is the tax revenue receipts in 2021-22 which is supposed to increase according to the estimate by 16 per cent. I do not understand how that will happen now because as of December, 2020, the gross tax receipts for 2021 is only Rs. 13.38 lakh crore which is 55 per cent of the Budget Estimate. So, if you are already that short in this year, how would you jump up to another 16 per cent in the coming year?

The hon. Finance Minister has been fairly radical in many of her proposals. I think the time has come now, on the income tax and direct tax front, for the hon. Finance Minister to go the extra mile, bite the bullet and be ultra-bold as, for instance, she has been consistently saying in terms of the three Farmers Bills that the Government brought. The Government has to be bold because as the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister have repeatedly said, out of 5.7 crore income tax returns filed, only 1.5 crores pay tax, the rest file 'Nil' return income. Therefore, if only 1.5 crore people out of 130 crore people pay tax in this country, the tax base is abysmal. You have to go for widening this tax base. There are, at least, 5000 *paan valas* in this country who are *crorepatis* who do not pay tax. The reason is the exceptionally complicated manner of tax filing and tax returns and the second reason is the high tax rates. The tax rates are now gradually creeping up. There is no reason

why the corporate tax should be at 25 per cent and your MSMEs etc. should be at 30 per cent.

As regards personal income tax slabs, Madam Chairperson, you and I here are probably two of the 8,600 people in the country who are over the Rs.5 crore mark. Why should we only pay 45 per cent tax? There are only 8,600 people by the way who are over Rs.5 crore mark in the country. There should be at least 85,000 people who are over the Rs.5 crore mark. There are enough number of people doing small businesses who are aggregating huge amounts. Therefore, if you bring the tax rates down to your 25 per cent slab of corporate tax, everybody will want to pay the income tax, get rid of the problems, and decide that white money is white money.

Today look at what has happened. I would say with the greatest respect that demonetisation, let us face it, has been a complete failure. Today, cash in the economy is Rs.27 lakh crore. It was Rs.16 lakh crore in 2016. It has gone up humongously. There is that much cash circulating in the market even though there might have been some little alarm because of COVID and people wanted to horde cash. But even then, if Rs.27 lakh crore is the cash in the economy today, how many of them are paying taxes? Not sufficient numbers are clearly paying taxes. There is still a very large cash economy which is in the market.

Madam Chairperson, we are at the ground level. Let me tell you, at the ground level tens of thousands of crores of rupees are being transferred everyday by way of *hawala* between cities in India. Between Chennai and

Delhi, between Hyderabad and Mumbai, tens of thousands of crores of rupees by these *angadias* are being transferred on a daily basis. There is a full cash economy which is out there, which is outside the pale of your taxation system. And the ultimate sufferer is the poor person, the middleclass person who should not be asked to file these tax returns, who should be filing nil returns in any case, and who is also losing out in terms of much larger revenue incurring for the Government to spend on them.

There is one other thing, Madam. Here I do not speak on behalf of my Party, I want to make it clear. Another bullet that I think you may want to bite, particularly in the backdrop of avowed assertions all along that the reason these three farm Bills have been brought is to really bring some kind of a cap on the workings and shenanigans of the farmers of the country, is this whole shibboleth that farm income cannot be taxed. The poor marginal farmer cannot be taxed, no question about it. But, why should farm income, for instance over Rs.50 lakh, not be taxed? They are not farmers who are tilling the land! वे हल थोड़े ही चला रहे हैं, वे खेत थोड़े ही जोत रहे हैं, वे खेत में पानी थोड़े ही दे रहे हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं।

There is no reason why the big contract-farming landlords who are rich landlords, who drive in the countryside in a convoy of SUVs, not be taxed. I think this Government under this Prime Minister probably has the courage, will be the first Government to have the courage to say, 'If you are a big landlord farmer, then you must pay tax like everybody else pays tax because there is no reason why this country should bear the burden of your excesses and you

get away scot free.' This is not my party's line, I am saying this again and again, this is my personal view which I am taking in this House as an elected representative of the people. It will serve the people if poor and marginal farmers will get much more benefit, if rich landlords who are working on other people's sweat and blood are taxed.

Apart from that, Madam Chairperson, may I also say that on the attempts at boosting foreign direct investment I have to again caution this Government that this Government has to get rid of again some past shibboleths. I believe that when international tribunals give you judgments, give you awards, you cannot go fighting them till the last mile and say we will fight on because we have public money on our side and we will litigate. This does not help. I hold no brief here for any client, so I am saying this completely as an individual who feels for this country and who thinks of the good of this country. Madam Minister, your predecessor Finance Minister, late Shri Arun Jaitley ji, said on the floor of this House that retrospective taxation is an anathema in modern times, retrospective taxation should never have been engaged, it is one of the greatest mistakes that the Congress party did, with great respect, because it really dampened FDI sentiment in the world. Once having said that, taken that position, and having said that it will never occur again, there is no reason why you cannot correct a past mistake and acknowledge it.

I have no doubt that these companies want to engage with India, do more business with India. Instead of litigating with them, if your Ministry just sat

with them, negotiated with them and said, “Whatever we owe you, we will pay you back over the next 20 years”, it would cost you nothing. It will incur you goodwill. I have no doubt that they will be very happy to come back on the assurance that this Government is willing to deal with the industry at an arm’s length and in fairness and not want to litigate right till the end. Today, the position is that you have to show political will on this because the bureaucracy will never take the initiative to end the litigation. Nobody wants to bite the bullet in bureaucracy and take the decision because they know that tomorrow, they may be facing Tihar jail.

With these words, I have a general observation that India’s exports are in an abysmal state. You have to give impetus to exports; you have to give massive fillip to them. I am sure you are working overtime on it.

Hon. Chairperson, Madam, I am very grateful to you for having given me the opportunity to speak on the Finance Bill. These are the suggestions that come from my heart and I hope they are well taken. Thank you.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2020-21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस समय बोल रहा हूं, उस समय एक महिला विधेयक लेकर आई हैं और आसन पर भी एक महिला बैठी हैं। नारी शब्द का अर्थ होता है – "यस्य न अरि, नारी", जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है, उसको नारी कहते हैं। जिस प्रकार का विधेयक और बजट आप लेकर आई हैं, तो कुछ लोगों की आदत विरोध करने की होती है, वह एक मजबूरी है, नहीं तो आप एक बहुत अच्छा बजट लेकर आई हैं। आपने विधेयक में जिस प्रकार का सब्जेक्ट रखा है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा।

आज शहीदी दिवस है, इसलिए मैं एक घटना के माध्यम से अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा, उसका कारण यह है कि मेरे तीन सब्जेक्ट्स रहे हैं। मैं गणित, दर्शनशास्त्र और व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूं और इन तीनों में शब्दों का प्रयोग कम होता है। इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि जिन तीन शहीदों का बलिदान दिवस है – भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनके प्रेरक रामप्रसाद बिस्मिल थे। मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी है और सन्यासी के रूप में आपके बीच में खड़ा हूं। मेरे जीवन में उन्हीं के जीवन की प्रेरणा रही है। उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले अपनी आत्म कथा लिखी थी। उन्होंने आत्म कथा में एक बात कही है कि मैं नौजवानों से अपेक्षा करता हूं कि जो हमें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वे गांव-गरीब, किसान और मजूदर के पास जाएं, उनको शिक्षित और संस्कारित करें। उनका अंतिम वाक्य था, उसने मुझे हिला कर रख दिया कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता है और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता है। माननीय प्रधान मंत्री जी देश को जिस पथ पर ले जा रहे हैं, एक शोषण मुक्त भारत और एक संस्कारवान भारत होना चाहिए।

हमारे साथी कई बार ऐसे-ऐसे अर्थशास्त्रियों की बात लेकर आते हैं, हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, आपने देखा होगा कि बकरी के थन गले में भी होते हैं, लेकिन गले के थनों से दूध नहीं

निकलता है। जो कोरा ज्ञान होता है, यह बकरी के गले की थनों की तरह होता है। बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं था। जब तक वे ज्ञान को प्रैक्टिकल में लेकर नहीं आएंगे, उनको क्रियात्मक रूप नहीं देंगे, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा। प्रधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हम ने स्वच्छ भारत अभियान का मतलब केवल झाड़ू-पोछे तक ले लिया, लेकिन वह भारत को किस रूप में स्वच्छ करना चाहते थे? आर्थिक दृष्टि से हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थ सूचिनम् सर्व सूची। चाणक्य कहता है कि सबसे ज्यादा पवित्रता अर्थ में होनी चाहिए। हमारे साथी यहां बैठे हैं, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस काल में हुआ है, शायद ही किसी काल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो। जिस बर्तन में छेद हो, आप उसमें कितना ही पानी डाल दीजिए, कितना ही सामान डाल दीजिए, वह उसमें नहीं ठहरता है। पानी नहीं ठहरेगा तो उसका उपभोक्ता कैसे उपयोग करेंगे? मोदी जी ने पहला काम यह किया है कि एक बर्तन तैयार किया है, जिसमें लिकेज नहीं है। खुद प्रधान मंत्री, स्व. राजीव गांधी जी इस बात को कहा करते थे और सभी लोग उसका उदाहरण देते हैं कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं, तो गांवों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आप चिंतन करें, मनन करें।

एक युवा प्रधान मंत्री कितने दुखी थे, उन्होंने कहा कि मेरे 85 पैसे लोग बीच में ही खा जाते हैं। इसीलिए करोड़ों रुपये के घोटाले प्रारंभ हुए। लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने उन घोटालों को बंद किया, उन्हें खत्म किया और न केवल भारत की चिंता की, बल्कि हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि "*अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्,* उदारचरितानां *तु* वसुधैव कुटुम्बकम्*।"*

आज सुबह ही माननीय वित्त मंत्री जी यह बता रही थी कि भारत 150 देशों में दवाइयां भेज रहा है। जिस समय पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया संकट के काल में थी, उस समय हम दवाई दे रहे थे। इसलिए अर्थ की व्यवस्था और व्यवस्था के साथ-साथ, मैं एक दिन प्रेस के माध्यम से माननीय श्री राजनाथ जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप भारत को दुनिया का शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत को दुनिया का ताकतवर देश तो बनाना चाहते हैं, लेकिन शोषण करने के लिए नहीं,

बल्कि सेवा करने के लिए बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया की सेवा करे और उस ओर उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं।

मैं अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, अभी कल विश्व जल दिवस था। मेरे प्रांत का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत है, लेकिन पानी की उपलब्धता केवल 10 प्रतिशत है। मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां भी पानी की कमी है। वहां कभी-कभी पानी का बहुत अभाव हो जाता है। वहां के लोगों की केपेसिटी बहुत बड़ी है। अभी हमने देखा कि राम मंदिर के लिए जो कलेक्शन हुआ है, उसमें राजस्थान प्रदेश टॉप रहा है। अगर पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े लिए जाएं, तो राजस्थानियों और मारवाड़ियों ने 70 प्रतिशत पैसे राम मंदिर के लिए दिए हैं। मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, फौज में काम करते हैं। मेरी लोक सभा से 400 से अधिक नौजवान शहीद हुए हैं। मेरा निवेदन यह है कि वहां पर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। वह प्रोजेक्ट कभी श्री बलराम जाखड़ जी के समय में आया था, लेकिन हमारे भाइयों के दिमाग में पता नहीं क्या रहा कि उस क्षेत्र की उपेक्षा करते रहे। वहां एक यूरेनियम शोध कारखाना प्रारंभ हुआ है, जिसका बजट 6,000 करोड़ रुपये का है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाए, तो वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि हमें 40 साल तक यूरेनियम कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। उसे शुरू किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोले जाने का निवेदन करता हूं। हमारे यहां से देश पर 400 नौजवान शहीद हुए हैं। मेरे शेखावाटी के आंकड़ों को देखा जाए, तो 3 जिलों के 1,000 से ज्यादा नौजवान शहीद हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधान मंत्री जी, देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे भाई किसानों की बात करते हैं, श्री हनुमान बेनीवाल जी और दूसरे लोगों ने भी की है, लेकिन समस्या यह है कि तीनों बिल वापस लिए जाएं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक मकान बना लिया जाए और इसमें रहने की बजाय कहा जाए कि इस मकान को पहले तोड़ो, इसकी एक-एक ईंट निकाल लो, नींव तक उखाड़ कर फेंक दो, मैं फिर बताउंगा कि यह मकान आपको कैसे बनाना

है**?** हमारी सरकार बार-बार यह कह रही है कि आप बताइए कि इसमें क्या कमी है? हम कमी को दूर कर देंगे और आपको रहने के लिए एक अच्छी जगह देंगे**,** आपको एक अच्छा बिल देंगे। आपको यदि कमी दिखाई देती है**,** तो हमारी सरकार**,** प्रधान मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि मेरा मंत्री एक टेलीफोन की दूरी पर है। आप हमारे साथ बैठकर बताइए कि उन बिलों में क्या कमी है**,** उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार तैयार है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Madam Chairperson. Today in the discussion related to the Finance Bill, 2021, 25 hon. Members have participated and have spoken. Many of them have spoken elaborately on the Finance Bill itself while many others have spoken on matters related but rather on the Budget. But it is because many of the issues that have been raised are fairly important and they have repercussions in the sense of information that is in the minds of the hon. MPs which can of course later be communicated to the society at large, even if they referred to the Budget rather than the Finance Bill, I will certainly try to give the explanations. I would like to highlight a few points although many of the Members have actually gone through the details and spoken very elaborately. I am very grateful that they spoke so elaborately on it. But one or two features of the Finance Bill, I would like to highlight.

There is no change in the rate of income tax. That is one thing which I would like to say with a certain sense of responsibility because this is a point on which, even as the Budget was being prepared, the Prime Minister was

clear that to meet the contingency which has arisen out of the Corona, we are not going to generate resources by raising tax. So, very clearly, references to income tax have to be in that context.

However, there are certain changes being made in the Income Tax which are largely focused on the issue of ease of doing business, and compliance which will have to be brought down. In the public domain you have a lot of thinkers, think tank and also observers of Indian economy who are repeatedly saying that the compliance burden on business is really big. Some even quoting it in thousands, which may not be very close to the facts. But having gone through the reports and also having spent some time on the ways in which we can simplify compliances, changes in this Finance Bill, particularly referring to the Income Tax Act, pertain to ease of doing business. There are some great changes in the Customs Act, which are also being shown here. Again, in the Customs Tariff Act, the Central Excise Act, and many others, ease of doing business is also kept in mind when we are trying to rationalise the tax.

In fact, during my Budget speech I had mentioned that from 1st of April till end of August, we will be looking at rationalising the existing Customs Act and duties which have been levied over the decades, which are all lying there without finding a closure date, will all be put for public discussions. We shall continue with the exercise of rationalising and simplifying Customs Act. So, even in this Finance Bill, we are beginning with that exercise. Eventually, we

hope to have a complete structure for the Customs Act, which is going to be absolutely simple.

There has been a lot of discussion on the Agriculture Infrastructure Development Cess. In the larger context of cesses *per se*, cess and surcharges being charges levied by the Central Government which do not get devolved, certain concerns have been repeatedly raised by very many Members. I will address them, particularly in the context of the Agriculture Infrastructure Development Cess, which is very important in the context of wanting to create more infrastructure for agriculture, particularly in the context of APMCs and marketing yards. It is a complete affair of the State Governments. Therefore, even as a beginning, I would like to tell you, something which I said during the Budget speech, and I shall repeat it even now, that AIDC cess will have to go to the States because it is for improving the infrastructure of the APMC. It is for the farm yards to have better infrastructure. So, the cess may be a cess which never gets devolved but it is a cess which eventually is for the purpose of improving infrastructure for agriculture. Agriculture, farm yards, and marketing yards being with the State Government, the cess will have to go to States only. That is one opening remark as regards the AIDC cess.

In the Finance Bill there are a few new proposals which have been added, which are of a minor nature. One thing which I want to highlight is the new proposal, which is coming as tax exemption, being made for the National Bank for Financing Infrastructure and Development. This is a very important

step that we are taking. All of you are aware, Madam Chairperson, that we had announced an infrastructure pipeline. That pipeline has already identified greenfield and brownfield projects, 7,000 of them, and rapidly with the help of the State Governments we need to have them built, some with private participation also. For all of that, we need resources to be raised. Scheduled commercial banks should not be getting into long-term infrastructure funding because that is not the core business for a bank.

Banks should be lending short-term and earning money out of it. The kind of risks that infrastructure investment require cannot be faced by the scheduled commercial banks. Therefore, there is a need felt to have a Development Finance Institution. This Bill is already introduced in this august House. For that, we need to give some tax exemptions and that is also being brought in here.

The hon. Members have actually covered extensive areas while asking questions. Therefore, instead of me elaborating on very many points, I think, I will be able to cover majority of the issues -- which have been raised about the Finance Bill -- in the form of answering the hon. Members who have raised the questions.

I will start with the hon. Member, Dr. Amar Singh Ji, who spoke on very many things. I am grateful indeed. It is also unusual. Kindly pardon me. Shri Bittu Ji is seated in front taking care of the Opposition. I would like to make a statement. It is paid with a fairly objective heart. It was very much a pleasing experience to have an hon. Member from the Opposition Benches recognising

some of the good work done by this Government. I honestly do want to praise and put that on record that there is an hon. Member in the Opposition and particularly, in the Congress Party, who went into the details of the Finance Bill and who had picked out points on which he thought that appropriate and timely action was taken. Although he did have points -- and I grant him that space -- where he wanted the Government to do better or could have done differently. I am quite happy to listen to such criticisms. But I was also pleasantly surprised. For a change, a recognition that the Government is getting its act together, was coming from the Congress Benches, So, thank you, hon. Member, Dr. Amar Singh Ji.

But you did raise questions on one point as to why there should be Customs Duty imposed on items like, nut bolts and screws, toys and so on, which are normally used in every household. I thought it is fairly obvious particularly considering the fact that many of such items are being produced by MSMEs all through the country and India's MSMEs have got the capability to produce many of these items. Punjab is quite famous for these kinds of works -- toys, shoes, and sportswear, etc. Many of them are small units which are all doing it. As opposed to that, absolutely thrown for pittance rate, imports were coming in whose quality was inferior to those items which have been manufactured in India. Their safety standards, particularly for toys, were pathetic. Not just I but even Ministers before me, in the Commerce Ministry, had taken all kinds of steps to stop this poor quality and poor safety standard toys coming in from you know where.

So, we have applied our mind and looked at the final consumer goods which are being manufactured in India. There are MSMEs who are manufacturing them and we did not have to import them. Therefore, on those items, we have imposed a duty. That has been a very carefully taken decision. It is not supposed to be on raw materials which are coming for, let us say, MSMEs; these are finished goods which are being made by MSMEs in India. Therefore, it was not as if we wanted to tax those goods which are not being produced in India which are necessary for us.

I, now, move over to a point which was raised by an hon. Member from YSRCP, Shri Midhun Reddy, about GST invoices, penalties for those companies which have fake GST invoice allegations, and whose properties are being attached. I want to make it absolutely clear on this point and not just on this point, but on many of the issues which have been questioned on GST that when the issues related to GST are being posed to the Finance Minister, I take it on board that I will work on them. The GST-related matters are not the matters of the Ministry of Finance, but they are the GST-Council matters in which all States Finance Ministers are members.

17.00 hrs

It is a collective decision of the Council to take a decision to do it this way or to do it that way and without the Council's clearance, no step is taken. So, it is not as if the Finance Minister sitting in the North Block can say, 'Right, go attach this property'. It does not work that way. It does not work that way. Therefore, first of all, on everything to do with GST, I want to be absolutely

sure it is a decision emanating out of the decision taken by the Council. With that said, I want to be sure that I am able to answer Shri Midhun Reddy Ji. It has been noticed that it is difficult to recover penalties levied on the persons who are involved in fake GST invoices. It is just becoming impossible. The proposed provision, which is what the hon. Member has referred to, would ensure collection of this penalty and would help in discouraging the practice of fake invoices. Further, this provision would be applicable for only those big fraud cases where the amount of fake invoice is rupees two crore or more. It is not going to even touch people who are faking less than that. So, I am only touching those fake invoices of rupees two crore or more. So, I want you, Mr. Midhun Reddy to actually extend your helping hand by convincing the business people out there to say that ‘we are not touching everybody but if you have a fake invoice allegation against you for over rupees two crore or more and we are not able to get even the penalty back’. The assets of those people are lying there, as a result of which the income of the Government is coming down and fake invoice is spreading. How do you contain it? So, I would want you as an hon. Member to please go and convince people that they do not need to be frightened if they had not fake invoices.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): I absolutely do not have any issue with action being taken on fraudsters but I was only referring to the issue of harassment on people related to the transaction like chartered accountants or managers in the company. So, any person who has done fraud needs to be brought to justice but what I was talking about is there should not be any

harassment on the other people. If it is done on the owners of the company, then it is fine. But it should not be done on the accountants and managers.

Madam, we do not have a say in the GST Council. Who else should we talk to? You are the only person for us.

<u>17.02 hrs</u> (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Do you not have access to the GST Council?

Chairman Sir, I would like to tell the hon. Member the Finance Minister of Andhra Pradesh is an hon. Member in the GST Council. You have every access to him.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): It is not that Madam. As a Member of Parliament, where can I raise this issue? You being there I think you should influence the other people also to take a favourable decision. Andhra Pradesh is just one State in 28 States. We have nobody else other than you to represent us there. Thank you.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: You are welcome to raise but I will also give my reply which includes that your Andhra Pradesh Finance Minister is also equally accessible and you should raise there. The other issue you raised was on the issue of Finance Commission probably not incentivising States which have performed well particularly on the criteria of population. I would like to submit through you, Chairperson Sir, that States particularly on this fact that the last time the Finance Commission prepared its Report, the 2011 census was used and as a result, now because of the performance related

index, particularly on population, southern States, in your case, you referred to AP have suffered.

I want to put it on record here that to incentivise States who have enforced population control measures, 15th Finance Commission has provided a weightage of 12.5 per cent for demographic performance. They have given a weightage. As per this criteria, the States will lower fertility, some of the southern States inclusive of Andhra Pradesh, will get greater *inter se* State share. Andhra Pradesh has an *inter se* share of 6.635 per cent in the demographic performance. When we compare the overall *inter se* share of 4.047 percent, yours is much higher than the average.

It may be mentioned that in the 14th Finance Commission period, the overall share was 4.305 per cent. So, the Finance Commission has already provided a weightage of 12.5 per cent for demographic performance. Under this criterion, States that have lower fertility rate will get higher share for this component, particularly, under this sub-component, the State of Andhra Pradesh has 6.635 per cent. So, that aspect has been addressed even by the Finance Commission.

Sir, hon. Member Shri Vinayak Raut ji of Shiv Sena had raised quite a few important points on diesel and petrol and on the Agricultural Infrastructure Development Cess which I am proudly covering and which has already been explained that this cess is brought in. I am telling you on a broad note – I sat through this exercise three times before the Budget terms were finalised – that the Customs Duty was brought down and the cess was imposed for

Agricultural Infrastructure Development. It was imposed far lesser than the quantum of the reduction in the Customs Duty. So, if Rs. 10 Customs Duty was brought down and a cess was imposed on it on a particular item, it did not touch Rs. 10, it was stopped at six or seven or, in some cases, it was just five rupees, the principle being that eventually that particular importer of that particular product on whom the basic Customs Duty of Rs. 10 was on, will end up in that much only or lesser, but never more. So, the end incidence of that Agricultural Infrastructure Development Cess on that particular item is that much only, or lesser but not more. So, I want you to appreciate the principle with which we have gone ahead.

Sir, much before I go over to talking about GST, the hon. Member, Shri Vinayak Raut ji also raised a question about the new TCS provision which imposes a tax for sale over Rs. 50 lakh as being burdensome. The TCS is only at the rate of 0.1 per cent. It is not even one per cent; it is not even 0.5 per cent. It is 0.1 per cent. It applies only to those big taxpayers whose turnover was more than Rs. 10 crore in the year before. It was imposed last year, in the Finance Act of 2020. It is not now. It was imposed then and it is intended to widen the tax net. Hon. Member Shri Pinaki Misra ji was voicing his concern -- which is a concern of the entire House, which is a concern I too have -- that we need to widen the tax base. TCS is never an additional tax. It is levied but you can always reconcile with actually what you have to pay. So, if you have got something less which has been paid, you can always adjust this. This is not an additional tax. It is a tax collected but you can always adjust it to the tax due.

So, credit for tax collected is allowed and hence it is not an additional tax. Therefore, it is not actually a burden, and I want to highlight that.

Hon. Member Shri Vinayak Raut ji also raised questions about vaccination and the burden on people who have to take it. The hon. Member may be aware that vaccination even today in Government hospitals is free. Anybody who goes through the COWIN and goes to the Government hospital gets it for free. So, there is no burden on the poor who have to go and get vaccinated. It is not charged.

The last point which Shri Vinayak Raut ji and many other hon. Members raised is about bringing diesel and petrol under GST. As I said, and one other hon. Member also mentioned, the highest tax today on diesel and petrol is in the State of Maharashtra.

Probably, Shrimati Navneet Ravi Rana mentioned it. So, I am not pointing out that one State is charging less or more or whatever. The point is, States also tax fuel and it is not just the Centre. When the Centre taxes, it is not cess but it is part of the devolvable amount. If I collect Rs. 100 out of taxing petrol or diesel, of that Rs. 100, 41 per cent goes to the States. Everything that I tax will have to be also given so long as, of course, it is not a cess or surcharge. So, fuel tax that the Centre does is shared with the States but the long and short of it is, Centre also taxes, the States also tax and if there is this concern - and rightly Members have a concern about fuel tax - why not come into the DGST?

I would honestly think, based on today's discussion - many of the States would be watching this - in the next GST Council, if that discussion comes up, I will be glad to have it on the agenda and discuss it. I have no issues about it. Let the States come and discuss it. It has to be taken as a call there.

I move to the next issue where many Members probably referred to it but some Members did say about the reduction in the re-opening of income tax cases. What was six years was brought down to three years. There was this confusion about, whereas what was six-year limit has now gone up to ten-year limit. Members are conceding that where it was six years, we brought it down to three years which is good, but where it was six years, we took it up to ten years. No. We have not increased the number of years for which the scrutiny or assessment survey could be done. What was six years was brought down to three years. Already for ten years, when it can be opened up, we actually brought in a condition by saying, only where up to Rs. 50 lakh of undisclosed income is in question, and only in such cases, will it be opened and it can be opened for up to ten years. For that, even then, the opening can happen only with the approval of the Principal Commissioner. Otherwise, they cannot open it.

There are two conditions. One is, it should be Rs. 50 lakh or more of undisclosed income and if you have some proof in your hand, then you may open it. But even then, you will open only after taking the approval of the Principal Commissioner. Otherwise, you cannot touch it. That is what has been done. It is not to take it to ten years but actually give relief for less than

Rs. 50 lakh even if it is undisclosed. There is a great relief in that. Only for Rs. 50 lakh and above questionable undisclosed income, we are saying that you could open it. So, there is no confusion there.

Again, for foreign assets reopening, there was a time limit of 16 years which has been reduced to three years. This must be restored to 16 years was the hon. Member’s comment. My reply on that point is, for foreign undisclosed assets, the Act on black money would be applicable and for action under that Act, there is no time limit. I cannot raise it from five years to ten years or 15 years to 16 years or anything like that. It is the Act on black money which governs there.

Hon. Member, Shri Ritesh Pandey spoke about equalisation levy. He said that tax on online transaction is an extra burden and discourages online transactions. This Government is very much in favour of digital transactions. We will never do anything to undermine it. But yet, equalisation levy is a tax which has been imposed to give level playing field between Indian businesses who pay tax in India and foreign e-commerce companies who do business in India but do not pay any income tax here. Let us be clear. We are only trying, through equalisation levy, to treat equally everybody who is operating in India. If they pay income tax here, the equalisation levy is not applicable on the e-commerce companies which are foreign.

Hence, there is no extra burden on any company. Then, through the Government amendment that I am moving today, I intend to clarify that this equalisation levy is not applicable on consideration for goods which are owned

by Indian residents. Thus, the concern raised by the hon. Member of Parliament regarding extra burden would not be there at all.

Sir, the hon. Member Shrimati Supriya Sule has raised several questions. First of all, I want to address the question of income tax imposed on Rs. 2.5 lakh employee contribution on the PF. I think this was responded to even during the Budget Discussion. I had said that this amount of Rs. 2.5 lakh actually covers majority of the people who normally invest money here; they get tax concession; they do not have to pay tax when they withdraw and so, that is fully justified. But there was this one per cent of people in the EPF contribution who were making contribution upto Rs. Five crore also, whereas this limit of Rs. 2.5 lakh is helpful to all the workers. But how many are there who deposit upto Rs. Five crore? They are hardly one per cent and this limit of Rs. 2.5 lakh is covering majority of the people; upto 92 per cent or 93 per cent of the people who are depositing money in the EPF are not affected and, therefore, I do not think this is going to affect the interest of the workers for whom assured interest and tax-free concession is provided under this scheme. The limit has been kept keeping in mind that small and medium tax payers are not impacted by this step. Through the Government amendment that I am bringing now, I intend to raise this limit to Rs. Five lakh. This is an addition which I want the hon. Member to understand. This amount is now being raised to Rs. Five lakh only in those cases where there is no contribution by the employer in that fund. Most often, contribution both from the employee as well as the employer are there. But in cases where there is only contribution made

by the employee and there is no contribution from the employer, that amount is raised to Rs. Five lakh.

Then, there was a question about ULIP where insurance gets linked to the unit. We have segregated that because we wanted to bring in parity for investment with mutual funds related to units also. So, when units which are also like mutual funds and that gets linked to insurance, we have tried giving an equal treatment.

Shrimati Supriya Sule also spoke about long staple cotton. A delegation has also met me. But I need to state some facts about cotton here. Actually, the duty on cotton imports into the country was raised from nil to 10 per cent some time ago and even long staple cotton is being grown in India. So, it is not as if we do not have long staple cotton in the country and, therefore, imposing a tax on its import will become disruptive of the industry. No, it is not. Then, long staple cotton is used for very few items of export. The delegation has met me. I will try to see what I can do about it. But it is not as if we have brought this without much of a thought or application of mind.

I just wanted to explain that to you, Sule-ji. You have also raised the question about Defence Modernisation Fund. The answer that I had given earlier is the answer that I give you now. We had, in principle, agreed to it, but no particular details have been worked on it. If the Finance Commission has not recommended a certain formula, the fear that it might be imposed on the States is not well-founded at all. We have not taken a call as yet in this case.

Yes, I think, I have found the cotton related inputs. The import data, which we have, reveals that all kinds of cotton are getting imported in India from a larger number of countries outside, and it is true that only one particular kind of cotton, which is the extra-long staple cotton, is being imported. That is not true at all. You cannot distinguish long staple cotton from short staple cotton because they do not have two adjacent different goals.

India is producing good quantity of cotton including certain quantities of extra-long fibre cotton. Imposition of duty on cotton shall provide much relief for the farmers, which I have explained to you earlier.

The hon. Member, Shri Hasnain Masoodi-ji mentioned about insurance. Seventy-four per cent opening up or lifting the ceiling of FDI in insurance will help private insurance companies because they are out there in big numbers. I explained that yesterday. They are running short of resources and they do not have enough money in the market to be raised for meeting their developmental expenditure. So, that is more towards those private insurers, who have come into this country post 2015. The other information is about LIC. I got the impression -- correct me if I am wrong – that you tried bringing in LIC into that debate. LIC’s IPO is for retail investors in India to buy it. In India, retail Indian citizens having a share in LIC is what the IPO is for. That and the FDI are totally different subjects. In fact, yesterday, I kept saying. Yesterday’s FDI related response and the Bill have nothing to do with LIC at all. So, I want to highlight the fact that they are two different issues.

One thing, which I again want to repeat in the context of hon. Member, Masoodi raising issues here is that the Government through the Budget has announced a strategic sector policy through the policy of public sector enterprises. Financial companies, insurance companies and banks are all recognised as being part of the strategic sectors where the public sector enterprises' presence will continue. Public sector enterprises will still be there because their minimum presence, at least, of public sectors will be in those sectors which have been identified as strategic sectors. Of course, for rationalising, we may amalgamate them so that after amalgamation, they get the scale. There may be one or two, which may not be able to amalgamate. We have to see how disinvestment can work on them. So, strategic sectors includes insurance, it includes financial institutions like banks and so on.

I am almost coming to the end so that Members know that my reply is not too long. Hon. Chairperson, you have been very kind to me. You gave me a lot of time.

I just want to highlight the fact which I did say earlier. Many MPs have raised issues related to GST. There are frequent changes in the GST law and procedure, imposition of late fee, provisions like attachment of property, and so on. I just want to reiterate the fact that the changes in GST law, procedure, and rates are all decided at the GST Council. It is not just me. These recommendations are made by the Council, and only after extensive discussions, the detailed examinations of the recommendations are done through the various Committees which are in the GST Council.

So, it is, I think, important to take into consideration that the GST decisions are very clearly taken by the Council and not by the Finance Ministry.

As far as the Ministry of Minority Affairs is concerned, there have been very many Members who said: “No, no, this is nothing to do with the Budget.” At that time also I answered this question but this seems to be the point which gets repeated. So, I want to explain it. The allocation for the Ministry of Minority Affairs has not come down. Let us be clear, please. In 2019-20, the actual expenditure for the Ministry of Minority Affairs was Rs. 4,431.65 crore. What is it in the BE now? It is Rs. 4,810.77 crore. So, it has not come down. The BE in 2021 may have been Rs. 5,029 crore but based on the utilisation, the RE is only Rs. 4,005 crore only. Even over that, I have given Rs. 4,810 crore. So, let us have this comparison with a bit more details looked into. I am not getting into the details of which State has dues from the GST Council. Hon. Chairman, Sir, if you just allow me, I would like to read out three data so that hon. Members who come from various different States are informed.

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Madam, Uttar Pradesh has utilised only 10 per cent fund allocated for the Minority Affairs. …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Chairperson, Sir, I would like to come to the point of GST compensation. It is because it interests all the Members. I would like to just say this as my concluding remark. The GST compensation due from April 2020 to January 2021 was Rs. 2,17,844 crore. The back-to-back loan released to States to meet compensation shortfall is Rs.

1,10,208 crore. The compensation to be released from the Compensation Fund in March 2021, which is this month or for the end of this month, is Rs. 30,000 crore. So, the likely compensation due to States and Union Territories in the Financial Year 2020-2021 is Rs. 77,636 crore. So, let this be in the back of our minds. The breakdown of five States is with me. There were particularly loud calls for Maharashtra. I would like to say that the GST compensation pending to be released to the States is this. I have read out for total but now I am just telling for Maharashtra and not for other States. As far as Maharashtra is concerned, Rs. 32,295 is the compensation due from April 2020 to January, 2021 and Rs. 11,977 crore have been released to the State of Maharashtra through special borrowing to meet the short release of GST compensation. So, that also has to be taken on board.

Sir, the last point is with regard to Shri Pinaki Misra who spoke about disinvestment and said: “You do not have a record. Earlier, what you claimed, you did not achieve.” I fully concede that. In a year, where the disinvestment was to be achieved, the markets were tepid and we could not move because in the year 2019-20 there were all kinds of stress in the market. So, I could not see a prospect of being able to successfully engage in disinvestment. So, that year, the figures were not achieved. I am hopeful now. It is because post-Corona or even during Corona, we saw the way in which the market has been buoyant. So, I am hopeful that I will be able to achieve it.

On the tax-base, you are right, we are trying to simplify the returns and also the filing procedure so that people are attracted towards getting onboard

and be compliant. The tax rates are also being brought down. The tax disputes, I think, we have spoken quite a lot on it, are being settled through various schemes. We shall continue in that mode. Some cases are also being dealt with the 'Vivad Se Vishwas' Scheme. Some of the compliances for the start-ups have also been extended.

I think, largely, there was one issue Dr. Amar Singh raised in which he said कि एग्रीकल्चर का एमाउंट घटा दिया। No, I said this even on that day when I was replying. 10 हजार करोड़ कम हो गया है। यह कम नहीं हुआ। हमने वेस्ट बंगाल को मन में रखते हुए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रोवीजन कर रखा था। बंगाल से किसानों की लिस्ट नहीं पहुंची, इसलिए बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिला। वह एमाउंट वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है।…(व्यवधान) यह कम नहीं हुआ, एमाउंट पड़ा ही हुआ है।…(व्यवधान) So, I want you to be clear. …(*Interruptions*) Danish Ali*ji,* I have already responded to you. …(*Interruptions*) भगवान की कृपा से आपकी आवाज इतनी तेज है।…(व्यवधान) आपके इक्वली चिल्लाना मेरे से नहीं होता है।…(व्यवधान)

Hon. Chairperson Sir, I think, the hon. Member, Shri Syed Imtiaz Jaleel raised an issue regarding Budget for Minorities. I have already answered that. But there is one point on which I would actually like the hon. Member to stand up for this House. He referred to not take into consideration only those Reports which are in our favour, because Moody's Report was referred to by the hon. Member, Kotak*ji.* He referred to the Freedom Report and said, उसको भी आपको संज्ञान में लेना चाहिए। संज्ञान में लेकर ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको फ्रीडम रिपोर्ट का सटीक जवाब दिया है। मगर मैं मेंबर की एक विषय में मदद चाहती हूं। कम से कम उस फ्रीडम रिपोर्ट वाले को, जिसका जिक्र आप इधर कर रहे हैं, उनको कह दीजिए कि भारत का जो

गलत नक्शा उन्होंने अपनी वेबसाइट में, अपनी रिपोर्ट में डाला है, उसको करेक्ट कर लें। आप उसमें इस हाउस की मदद करिए। जिस फ्रीडम रिपोर्ट का आप इधर जिक्र कर रहे हैं…(व्यवधान) मैं रिक्वेस्ट कर रहीं हूं, आप बैठ जाइए। …(व्यवधान) आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आप उनको कह दीजिए कि आप ऐसा नक्शा क्यों बना रहे हैं? जो थिंक टैंक हमारा नक्शा तक सही नहीं बनाता है, उसका जिक्र आप इधर क्यों कर रहे हैं? इस हाउस में कम से कम एकमत होना चाहिए। …(व्यवधान) I think, I have responded to majority of the Members. I wish that the Bill be passed. Thank you.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मैडम, आपने जो काइंड वर्ड्स बोले हैं, उसके लिए थैंक्स। ठीक है, भाषण भी अच्छा था, आवाज भी अच्छी थी, लेकिन सारी दुनिया का, हमारे देश के लोगों का ध्यान सिर्फ आपकी स्पीच पर पेट्रोल-डीजल को लेकर था। उस पर आपने टैक्सेज़ की बात की। सिलेंडर पर तो कोई स्टेट टैक्स नहीं लगता है। सिलेंडर का क्या करें, महिलायें आपके खाली सिलेंडर का क्या करें? उसका रेट क्यों बढ़ाया? इसके बारे में एक भी लाइन नहीं कही। यहां जितने एमपीज़ यहां बैठे हैं, ये तो गरीब एमपीज़ हैं। एमपीलैड की बात होनी चाहिए। दोनों चीजें हैं, सबके घर में सिलेंडर खाली पड़ा है, आम आदमियों की गाड़ियां गैराज में खड़ी हैं, स्कूटर, थ्री व्हीलर, लूना, सब खड़ी हो गई हैं …(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 3 Amendment of section 2

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करिए।

Amendment made:

Page 19, *for* lines 7 to 11, *substitute* –

‘(29A) “liable to tax”, in relation to a person and with reference to a country, means that there is an income-tax liability on such person under the law of that country for the time being in force and shall include a person who has subsequently been exempted from such liability under the law of that country;’. (19)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.20[*] to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है**:**

"कि यह सभा**,** लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड **(1)** को**,** जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा**,** वित्त विधेयक**,** 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में**,** निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।**"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

New Clause 4A

Amendment made:

Page 20, *after* line 13, *insert* --

'4A. After section 9A of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, namely:—	Insertion of new section 9B

[*] Vide Amendments list No.2 circulated on 22.3.2021

'9B. (1) Where a specified person receives during the previous year any capital asset or stock in trade or both from a specified entity in connection with the dissolution or reconstitution of such specified entity, then the specified entity shall be deemed to have transferred such capital asset or stock in trade or both, as the case may be, to the specified person in the year in which such capital asset or stock in trade or both are received by the specified person. (2) Any profits and gains arising from such deemed transfer of capital asset or stock in trade or both, as the case may be, by the specified entity shall be— (i)deemed to be the income of such specified entity or the previous year in which such capital asset or stock in trade or both were received by the specified person; and (ii)chargeable to income-tax as income of such specified entity under the head "Profits and gains of business or profession" or under the head "Capital gains", in accordance	Income on receipt of capital asset or stock in trade by specified person from specified entity.

with the provisions of this Act. (3) For the purposes of this section, fair market value of the capital asset or stock in trade or both on the date of its receipt by the specified person shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of such deemed transfer of the capital asset or stock n trade or both by the specified entity. (4)If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this section and sub-section (4) of section 45, the Board may, with the approval of the Central Government, issue guidelines for the purposes of removing the difficulty. (5) Every guideline issued by the Board under sub-section (4) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before each House of Parliament, and shall be binding on the income-tax authorities and on the assessee.	

Explanation.—For the purposes of this section,— (i) "reconstitution of the specified entity" means. where— (a)one or more of its partners or members, as the case may be, of such specified entity ceases to be partners or members; or (b)one or more new partners or members, as the case may be, are admitted in such specified entity in such circumstances that one or more of the persons who were partners or members, as the case may be, of the specified entity, before the change, continue as partner or partners or member or members after the change; or (c) all the partners or members, as the case may be, *of* such specified entity continue with a change in their respective share or in the shares	

of some of them, (ii) "specified entity" means a firm or other association of persons or body of individuals (not being a company or a cooperative society); (iii) "specified person" means a person, who is a partner of a firm or member of other association of persons or body of individuals (not being a company or a cooperative society) in any previous year.'.'. (20)	

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 4 क विधेयक में जोड़ दिया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4क विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Insertion of new section 9B

माननीय सभापति: श्री विनायक भाऊराव राउत, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं।

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, I beg to move:

Page 23, line 38,-

for "two lakh"

substitute "five lakh". (1)

Page 24, line 7,-

for "two lakh"

substitute "five lakh". (3)

माननीय सभापति: अब मैं श्री विनायक भाऊराव रात द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए एवं अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय**-** उपस्थित नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब **-** उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 21 से 30 प्रस्तुत करें।

Amendments made:

50 of 2019 Page 21, line 8 *for "1992",* substitute "1992 or International Financial Services Centres Authority Act, 2019". (21)

Page 21, *for lines* 18 to 24, *substitute*--

15 of 1992 "registration as a Category-I foreign portfolio investor under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and "". (22)

Page 21, line 42, *for* "royalty", *substitute* "royalty or interest". (23)

Page 22, *for* lines 3 to 7, *substitute*—

'section 80 LA, if the unit has commenced its operations on or before the 31st day of March, 2024.

Explanation.—For the purposes of this clause, "aircraft" means an aircraft or a helicopter, or an engine of an aircraft or a helicopter, or any part thereof;'. (24)

Page 23, *for* line 41, *substitute*—

'manner as may be prescribed:

Provided further that if the contribution by such person is in a fund in which there is no contribution by the employer of such person, the provisions o the first proviso shall have the effect as if for the words "two lakh and fifty thousand rupees", the words "five lakh rupees" had been substituted; '". (25)

Page 24, *for* line 10, *substitute* –

'manner as may be prescribed:

Provided further that if the contribution by such person is in a fund in which there is no contribution by the employer of such person, the provisions o the first proviso shall have the effect as if for the words "two lakh and fifty thousand rupees", the words "five lakh rupees" had been substituted; '". (26)

Page 26 *for* line 9, *substitute*—

'the words, brackets, letters and figures "or item (d) or item (e) or in an'. (27)

Page 26, line 36, *for* "item (b)", *substitute* "item (b) or item (d) or item (e)". (28)

Page 27, line 3, *for* "item (b)", *substitute* "item (b) or item (d) or item (e)". (29)

Page 29, *for lines 29 to 40,* substitute—

' or received by, a non-resident or a specified fund, which is on account of transfer of share of a company resident in India, by the resultant fund or a specified fund to the extent attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) in such manner as may be prescribed, and such shares were transferred from the original fund, or from its wholly owned special purpose vehicle, to the resultant fund in relocation, and where capital gains on such shares were not chargeable to tax if that relocation had not taken place.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

(a) the expressions "original find", "relocation" and "resultant fund" shall have the meanings respectively assigned to them in the *Explanation* to clause (viiac) and clause (viiad) of section 47;

(b) the expression "specified fund" shall have the meaning assigned to it in clause (c) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10;

(g) after clause (48C), the following clauses shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2022, namely:—

"(48D) any income accruing or arising to an institution established for financing the infrastructure and development, set up under an Act of Parliament and notified by the Central Government for the purposes of this clause, for a period of ten consecutive assessment years beginning from the assessment year relevant to the precious year in which such institution is set up;

(48E) any income accruing or arising to a developmental financing institution, licensed by the Reserve Bank of India under an Act of the Parliament 'referred to in class (48D), and notified by the Central Government for the purposes of this clause, for a period of five consecutive assessment years beginning from the assessment year relevant to the previous year in which the developmental financing institution is set up:

Provided that the Central Government may, by issuing notification under this clause, extend the period of exemption under this clause for a further period, not exceeding five more consecutive assessment years, subject to fulfilment of such conditions as may be specified in the said notification;";

(h) in clause (50),—'. (30)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.31* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 31 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

---

* Vide Amendments list No.2 circulated on 22.3.2021

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

New Clause 8A

Amendment made:

Page 31, *after line 38,* insert –

11 of 1992	'8A. In section 43 of the Income-tax Act, in clause (6), in sub-clause (c), in item (ii), for the words, brackets and figure "as further adjusted by the increase or the reduction referred to in item (i)", the following words, brackets, figures and letters shall be substituted, namely:––	Amendment of section 43

"as further adjusted by,––

(A) the increase or the reduction referred to in item (i), not being increase on account of acquisition of goodwill of a business or profession;

(B) the reduction by an amount which is equal to the actual cost of the goodwill falling within that block as decreased by––

(a) the amount of depreciation actually allowed to the assessee under this Act or under the corresponding provisions of the Indian Income-tax Act, 1922 for such goodwill in respect of any previous year

relevant to the assessment year commencing before the 1st day of April, 1988; and

(b) the amount of depreciation that would have been allowable to the assessee for such goodwill for any assessment year commencing on or after the 1st day of April, 1988 as if the goodwill was the only asset in the relevant block of assets,

in respect of the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 2021, in a case where the goodwill of a business or profession was part of the block of assets on which depreciation was obtained by the assessee for the immediate preceding previous year, so, however, that the amount of such reduction does not exceed the written down value.".'. (31)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

" कि नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 11 Amendment of section 43 B

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 32, *for* lines 37 to 39, *substitute*— Amendment of Section 44AB

'11. In section 44AB of the Income-tax Act, in clause (a),—

(i) in the proviso, in long line, for the words "five crore rupees", the words "ten crore rupees" shall be substituted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that for the purposes of this clause, the payment or receipt, as the case may be, by a cheque drawn on a bank or by a bank draft, which is not account payee, shall be deemed to be the payment or receipt, as the case may be, in cash.".'.(32)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12 Amendment of section 43 CA

Amendment made:

Page 33, line 4, *for* "being an individual, Hindu undivided family or a", *substitute* "being an individual or a". (33)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 12, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14 Amendment of section 44 ADA

Amendments made:

Page 34, *for* lines 24 to 42, *substitute* –

'(b) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely: -

'(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where a specified person receives during the previous year any money or capital asset or both from a specified entity in connection with the reconstitution of such specified entity, then any profits or gains arising from receipt of such money by the specified person shall be chargeable to income-tax as income of such specified entity under the head "Capital gains" and shall be deemed to be the income of such specified entity of the previous year in which such money or capital asset or both were received by the specified person, and notwithstanding anything to the

contrary contained in this Act, such profits or gains shall be determined in accordance with the following formula, namely: -

A=B+C-D

Where,

A = income chargeable to income tax under this sub-section as income of the specified entity under the head “Capital gains";

B = value of any money received by the specified person from the specified entity on the date of such receipt;

C = the amount of fair market value of the capital asset received by the specified person from the specified entity on the date of such receipt; and

D = the amount of balance in the capital account (represented in any manner) of the specified person in the books of accounts of the specified entity at the time of its reconstitution:

Provided that if the value of "A" in the above formula is negative, its value shall be deemed to be zero:

Provided further that the balance in the capital account of the specified person in the books of account of the specified entity is to be calculated without taking into account the increase in the capital account of the specified person due to revaluation of any asset or due to self-generated goodwill or any other self-generated asset.

Explanation 1.– For the purposes of this sub-section,

(i) the expressions "reconstitution of the specified entity", "specified entity" and "specified person" shall have the meanings respectively assigned to them in section 9B;

(ii) "self-generated goodwill" and "self-generated asset" mean goodwill or asset, as the case may be, which has been acquired without incurring any cost for purchase or which has been generated during the course of the business or profession.

Explanation 2.– For the removal of doubts, it is clarified that when a capital asset is received by a specified person from a specified entity in connection with the reconstitution of such specified entity, the provisions of this sub-section shall operate in addition to the provisions of section 9B and the taxation under the said provisions thereof shall be worked out independently.'.'. (34)

Page 35, *omit* lines 1 to 40. (35)

Page 36, *omit* lines 1 to 12. (36)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 14, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15 Amendment of section 47

Amendments made:

Page 37, for lines 19 to 27, substitute

‘(b) "relocation" means transfer of assets of the original fund, or of its wholly owned special purpose vehicle, to a resultant fund on or before the 31st day of March, 2023, where consideration for such transfer is discharged in the form of share or unit or interest in the resulting fund to,-

(i) shareholder or unit holder or interest holder of the original fund, in the same proportion in which the share or unit or interest was held by such shareholder or unit holder or interest holder in such original fund, in lieu of their shares or units or interests in the original fund; or

(ii) the original fund, in the same proportion as referred to in sub-clause (i), in respect of which the share or unit or interest is not issued by resultant fund to its shareholder or unit holder or interest holder;’. (37)

50 of 2019 Page 37, line 37, *for* “1992”, *substitute* “1992” or International financial Services Centres Authority Act, 2019”. (38)

Page 37, *for* line 40, *substitute*–

'section 80LA;

(viiae) any transfer of capital asset by India Infrastructure Finance Company Limited to an institution established for financing the infrastructure and development, set up under an Act of Parliament and notified by the Central Government for the purposes of this clause;

(viiaf) any transfer of capital asset, under a plan approved by the Central Government, by a public sector company to another public sector company notified by the Central Government

for the purpose of this clause or to the Central Government or to a State Government;'.'.' (39)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 15, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 16 Amendment of section 45

Amendment made:

Page 38, *for* lines 3 to 7, *substitute* -

"(iii) in case of value of any money or capital asset received by a specified person from a specified entity referred to in sub-section (4) of section 45, the amount chargeable to income-tax as income of such specified entity under that sub-section which is attributable to the capital asset being transferred by the specified entity, calculated in the prescribed manner:". (40)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 16, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17 Amendment of section 49

Amendment made:

Page 38, line 11, *for* "clause (viiad) or", *substitute* "clause (viiad) or clause (viiae) or clause (viiaf) or". (41)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 17, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.42* to the

* **Vide Amendments List no.2 circulated on 22.3.2021**

Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, (कंपनी संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन सं,या 42* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

New Clause 18 A

Amendment made:

Page 38, *after* line 21, *insert* -

'18A. In section 50B of the Income-tax Act,- Amendment of section 50B.

(a) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

‘(2) In relation to capital assets being an undertaking or division transferred by way of such slump sale,-

(i) the "net worth" of the undertaking or the division, as the case may be, shall be deemed to be the cost of acquisition and the cost of improvement for the purposes of sections 48 and 49 and no regard shall be given to the provisions contained in the second proviso to section 48;

(ii) fair market value of the capital assets as on the date of transfer, calculated in the prescribed

manner, shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of such capital asset.’;

(b) in *Explanation* 2, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:

“(aa) in the case of capital asset being goodwill of a business or profession which has not been acquired by the assessee by purchase from a previous owner, nil;”.’. (42)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि नया खण्ड 18क विधेयक में जोड़ दिया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 18क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 21 Amendment of section 50B

Amendment made:

Page 39, line 27, *for* “clause (viiad)”, *substitute* “clause (viiad) or clause (viiae) or clause (viiaf)”. (43)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 21, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 27 Amendment of section 80EEA

Amendment made:

Page 41, *for* lines 31 to 36, *substitute*—

'(d) arising from the transfer of an asset, being an aircraft, which was leased by a unit referred to in clause (c) to a person, subject to the condition that the unit has commenced operation on or before the 31st day of March, 2024.

Explanation. -- For the purposes of this clause, "aircraft" shall have the meaning assigned to it in the *Explanation* to clause (4F) of section 10.';'.

(44)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 27, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 27, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 29 Amendment of section 80 IBA

Amendment made:

Page 42, *for* lines 25 to 31, *substitute*—

‘29. In section 112A of the Income-tax Act, in th *Explanation*, in clause (a), Amendment of section 112A

(i) in the opening portion, after the word and figures "section 10", the words, brackets, figures and letter "or under a scheme of an insurance company comprising unit linked insurance policies to which exemption under clause (10D) of the said section does not apply on account of the applicability of the fourth and fifth proviso thereof" shall be inserted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided further that in case of a scheme of an insurance company comprising unit linked insurance policies to which exemption under clause (10D) of section 10 does not apply on

account of the applicability of the fourth and fifth proviso thereof, the minimum requirement of ninety per cent. or sixty-five per cent., as the case may be, is required to be satisfied throughout the term of such insurance policy;"'.'.(45)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 29, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 29, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 46* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 46 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

New Clause 29A

Amendment made:

Page 42, *after* line 31, *insert*—

'29A. In section 115ACA of the Income-tax Act, in the *Explanati* with effect from the 1st day of April, 2022,

Amendment of section 115ACA

(i) in clause (a), in the opening portion,--

(a) after the words "the Overseas Depository Bank outside India", the words "or in an International Financial Services Centre" shall be inserted;

(b) after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:--

"(iii) ordinary shares of issuing company, being a company incorporated outside India, if such depository receipt or certificate is listed and traded on any International Financial Services Centre;";

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:--

'(ca) "International Financial Services Centre" shall have the meaning assigned to it in clause (9) of section 2 of the Special Economic Zone

28 of 2005 Act, 2005.'.'. (46)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 29 क, विधेयक में जोड़ दिया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खंड 29 क, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 30 Amendment of section 80 LA

Amendments made:

Page 42, *omit* lines 34 to 37. (47)

Page 43, *omit* lines 1 to 3. (48)

Page 43, line 7, *for* "in case of", *substitute* "where the specified fund is". (49)

Page 43, line 12, *for* "Category - III", *substitute* "Category - I". (50)

Page 43, *omit* lines 17 to 19. (51)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 30, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 30, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 31 Insertion of new section 89 A

Amendment made:

Page 44, line 16, *for* "Assessing Officer", *substitute*—

"Assessing Officer:

Provided that the provisions of this sub-section shall apply only if the assessee has not utilised the credit of tax paid under this section in any subsequent assessment year under section 115JAA:

Provided further that the provisions of this sub-section shall also apply to an assessment year beginning on or before the 1st day of April, 2020 and notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, no interest shall be payable to such assessee on the refund arising on account of the provisions of this sub-section." (52)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 31, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 31, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 53* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है**:**

"कि यह सभा**,** लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को**,** जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा**,** वित्त विधेयक**,** 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 53 को लागू करने के संबंध में**,** निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।**"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.

New Clause 31A

Amendment made:

Page 44, *after* line 16, *insert*—

'31A. In section 115UB of the Income-tax Act, in *Explanation* 1; in clause (a), for the figures "1992", the figures and words "1992 or under the International Financial Services Centers Authority Act, 2019" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2022. (53)

Amendment of section 115UB

50 of 2019

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 31 क, विधेयक में जोड़ दिया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खंड 31 क, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 32 Amendment of section 112 A

Amendments made:

Page 44, line 25, *for* “the firm", *substitute* "the firm or the spouse of such partner (if the provisions of section 5A applies to such spouse)," (54)

Page 44, lines 28 and 29, *for* "a return for any previous year at any time within", *substitute* "return for any previous year at any time, before". (55)

Page 44, *for* lines 31 to 34, *substitute*—

"(c) in sub-section (5), for the words "before the end", the words "before three months prior to the end" shall be substituted;'. (56)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 32, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 32, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 और 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 35 Amendment of section 115 JB

Amendment made:

Page 45, line 35, *for* “reassessment”, *substitute* “reassessment or recomputation”. (57)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 35, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 36 Amendment of section 115 UB

Amendments made:

Page 47, *for* lines 3 to 5, *substitute*—

"(ii) a survey is conducted under section 133A, other than under sub-section (2A) or sub-section (5) of that section, on or after the 1st day of April, 2021, in the case of the assessee; or". (58)

Page 47, line 9, *for* "requisitioned", *substitute* "requisitioned under section 132 or section 132A". (59)

Page 47, line 15, *for* "requisitioned", *substitute* "requisitioned under section 132 or section 132A". (60)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 36, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

<u>खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 38 Amendment of section 142

Amendment made:

Page 50, ***for* lines 7 and 8, *substitute*—**

‘limitation under this sub-section shall be deemed to be extended accordingly.

Explanation.–For the purposes of clause (b) of this sub-section, “asset” shall include immovable property, being land or building or both, shares and securities, loans and advances, deposits in bank account.’.

(61)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 38, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 38, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 39 और 40 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

Clause 41 Substitution of new section for section 148

Amendment made:

Page 50, *for* lines 30 to 37, *substitute*— Amendment of section 153.

'41. In section 153 of the Income-tax Act,—

(i) in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

'Provided also that in respect of an order of assessment relating to the assessment year commencing on or after the 1st day of April, 2021, the provisions of this sub-section shall have effect, as if for the words "twenty-one months", the words "nine months" had been substituted.';

(ii) in *Explanation* 1,—

(a) in clause (viii), for the words "Authority for Advance Rulings", the words "Authority for Advance Rulings or before the Board for Advance Rulings" shall be substituted;

(b) in clause (ix), for the words "Authority for Advance Rulings", the words "Authority for Advance Rulings or before the Board for Advance Rulings" shall be substituted;

(c) after the third proviso, the following provisos shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of February, 2021, namely:—

"Provided also that where the assessee exercises the option to withdraw the application under sub-section (1) of section 245M, the period of limitation available under this section to the Assessing Officer for making an order of

assessment, reassessment or recomputation, as the case may be, shall, after the exclusion of the period under sub-section (5) of the said section, be not less than one year; and where such period of limitation is less than one year, it shall be deemed to have been extended to one year:

Provided also that for the purposes of determining the period of limitation under sections 149, 154 and 155, and for the purposes of payment of interest under section 244A, the provisions of the fourth proviso shall apply accordingly.”.’. (62)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 41, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 41, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it

requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 63* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 63* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

New Clause 42A

Amendment made:

Page 50, *after* line 41, *insert*––

Amendment of section 153B.

'42A. In section 153B of the Income-tax Act, in the *Explanation*,—

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.03.2021

(a) in clause (vi), for the words “Authority for Advance Rulings”, the words “Authority for Advance Rulings or before the Board for Advance Rulings” shall be substituted;

(b) in clause (vii), for the words “Authority for Advance Rulings”, the words “Authority for Advance Rulings or before the Board for Advance Rulings” shall be substituted;

(c) after the third proviso, the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of February, 2021, namely:—

“Provided also that where the assessee exercises the option to withdraw the application under sub-section (1) of section 245M, the period of limitation available under this section to the Assessing Officer for making an order of assessment or reassessment, as the case may be, shall, after the exclusion of the period under sub-section (5) of the said section, be not less than one year; and where such period of limitation is less than one year, it shall be deemed to have been extended to one year.”.’. (63)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि नया खंड 42क विधेयक में जोड़ दिया जाए।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>नया खंड 42क विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 43 से 53 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 64* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 64* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

New Clauses 53A and 53B

Amendment made:

---

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.03.2021.

Page 55, *after* line 32, *insert*— Amendment of section 234F.

'53A. In section 234F of the Income-tax Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Without prejudice to the provisions of this Act, where a person required to furnish a return of income under section 139, fails to do so within the time prescribed in sub-section (1) of the said section, he shall pay, by way of a fee, a sum of five thousand rupees:

Provided that if the total income of the person does not exceed five lakh rupees, the fee payable under this section shall not exceed one thousand rupees.";

53B. After section 234G of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 234H.

"234H. Without prejudice to the provisions of this Act, where a person is required to intimate his Aadhaar number under sub-section (2) of section 139AA and such person fails to do so on or before such date, as may be prescribed, he shall be liable to pay such fee, as may be prescribed, not exceeding one thousand rupees, at the time of making intimation under sub-section (2) of section 139AA after the said date.".'. (64)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि नए खंड 53क और 53ख विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 53क और 53ख विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 54 से 70 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 71 Amendment of section 245G

Amendments made:

Page 65, *for* lines 23 and 24, *substitute* –

"(4) Where an application for advance ruling under this Chapter is made before such date as the Central Government may, by". (65)

Page 65, line 27, *for* "or advance ruling", *substitute* "or no advance ruling". (66)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 71, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 71, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 72 से 78 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill

and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.67* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 67* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

New Clause 78A

Amendment made:

Page 68, *after* line 38, *insert*

"78A. In section 263 of the Income-tax Act, in sub-section (1), before Explanation, for the words "Principal Commissioner", the words "Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of November, 2020.'."	Amendment of section 263

(67)

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 78क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 78क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 79 से 113 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 114 Amendment of section 75

माननीय सभापति: श्री भर्तृहरि महताब जी – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 114 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 114 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 115 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 116 Amendment of section 107

माननीय सभापति: श्री भर्तृहरि महताब जी – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 116 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 116 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 117 Amendment of section 129

Amendment made:

Page 83, *for* lines 31-36, *substitute*

"subsidiary, unit or joint venture, --

(i) by way of strategic sale or disinvestment or demerger or any other scheme of arrangement or through any law, to another Government company or to the Central Government or any State Government or to the development financial institution established by any law made by Parliament; or

(ii) which is to be wound up, closed, struck-off, liquidated or otherwise shut down, to another Government company or to the Central Government or any State Government,

after approval of the Central Government or the State Government, as the case may be, shall not be liable to duty under this Act. (68)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 117, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 117, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 118 और 119 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

Clause 120 Amendment of section 152

Amendments made:

Page 84, *after* line 33, *insert*

‘(1d) “Chief Executive" means --

(i) during the initial period, the Chairperson referred to in sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (2) of section 4;

(ii) after the initial period, the Chief Executive Officer and Managing Director;

(le) "Chief Executive Officer and Managing Director" means the Chief Executive Officer and Managing Director referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 4;. (69)

Page 85, *after* line 27, *insert*

(4e) "initial period" means the period of three years reckoned from the date on which the provisions of section 121 of the Finance Act, 2021 shall come into force;'. (70)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 120, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 120, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 121 Amendment of section 168

Amendments made:

Page 86, line 33, *for* "fifteen", *substitute* "eighteen". (71)

Page 86, *for* lines 35 to 37, *substitute* --

“(a) a Chairperson of the Board, to be appointed by the Central Government, who shall, --

(i) during the initial period, be a whole-time director of the Corporation, and

(ii) after the initial period, be from amongst the nonexecutive directors nominated or to be nominated by the Central Government;

(b) after the initial period, a Chief Executive Officer and Managing Director, who shall be a whole-time director of the Corporation to be appointed by the Central Government:

Provided that where no Chief Executive Officer and Managing Director is appointed before expiry of the initial period, the individual holding office as Chairperson shall be deemed to have been appointed as the Chief Executive Officer and Managing! Director on and from the date of such expiry;”. (72)

Page 87, line 4, *for* "(c) not more than two officers", *substitute* "(d) an officer (73)

Page 87, *for* lines 7 and 8, *substitute*

"(e) an individual to be nominated by the Central Government, who has special knowledge or". (74)

Page 87, *for* lines 16 to 24, *substitute*

"(f) where the total holding of members other than the Central Government in the paid-up equity capital of the Corporation is

(a) not more than ten per cent., one individual,

(b) more than ten per cent., two individuals,

Who shall be elected by and from amongst such members and in such manner as may be specified by regulations, to be appointed by the Board; and". (75)

Page 87, line 26, *for* "three", *substitute* "nine". (76)

Page 87, *omit* lines 28 to 39. (77)

Page 88, *omit* lines 1 and 2. (78)

Page 88, line 24, *omit* "clause (e) or". (79)

Page 89, line 18, *after* "India", *insert* "in the Department of Financial Services". (80)

Page 89, line 21, *omit* "longest or the second". (81)

Page 90, *omit* lines 24 to 27. (82)

Page 90, *omit* lines 32 and 33. (83)

Page 90, *for* lines 34 to 36, *substitute*

"(g) he attracts any disqualification for being a director of a company under the provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies

Act, subject to such exceptions thereto as the Central Government may by notification specify;". (84)

Page 91, lines 7 and 11, *for* "Chairperson", *substitute* "Chief Executive". (85)

Page 94, *for* lines 6 to 11, *substitute*

"Provided also that the requirement of approval under the first proviso shall not be applicable for transactions entered into between the Corporation and

(a) its wholly owned subsidiary, if any, whose financial statements are consolidated with the Corporation and placed before the members at the general meeting for adoption;

(b) a Government company, or the Central Government, or any State Government, or any combination thereof, in respect of contracts or arrangements entered into between them.". (86)

Page 94, *after* line 30, *insert*

"(2) The Board shall formulate a policy on materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions, including clear threshold limits, and shall review and update such policy at least once in every three years.

Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that a transaction with a related party shall be considered material if the amount of the transaction to be entered into, individually or taken together with

previous transactions during a financial year, exceeds such percentage of the annual consolidated turnover of the Corporation as per its last audited financial statements as may be specified in any regulation made by the Securities and Exchange Board in this behalf.". (87)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 121, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 121, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>18.00 hrs</u>

माननीय सभापति: अभी समय बढ़ाने की आवश्यकता है। यह विधेयक पास हो जाए, उसके बाद एक अन्य विधेयक है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, दूसरा विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

माननीय सभापति : सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

Clause 122 Amendment of Schedule II

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab – not present.

Amendments made:

Page 97, *after* line 16, *insert*—

"Provided further that no shares shall be issued other than by way of rights issue unless authorised by a special resolution, except in the circumstances where the provisions of the second and third provisos to sub-section (1) of section 23A apply:

Provided also that issue of shares to life insurance policyholders of the Corporation shall not be by preferential allotment or private placement.". (88)

Page 97, *for* lines 35 to 38, *substitute*—

"(7) The Corporation may, by a special resolution, reduce its paid-up equity share capital in the following manner, namely:—

(a) giving of previous notice by the Corporation of the intended reduction to every member, and to such class or classes of creditors as the Central Government may, by notification, specify;

(b) constitution of a committee which shall consist of a chairperson who has been a judge of a High Court or the chairperson of a tribunal and such independent experts not exceeding two as the Board may appoint, to consider representations, if any, that may be made by members and

creditors referred to in clause (a) in respect of the intended reduction and to submit its recommendations to the Board; and

(c) after consideration of the committee's recommendations, making of recommendations by the Board for reduction, either as given in the notice or with such modifications as the Board may consider necessary, to the Central Government for its approval.". (89)

Page 98, line 18, *for* "Corporation may make", *substitute* "Corporation may, at any time during the period of five years from the commencement of section 122 of the Finance Act, 2021, make". (90)

Page 99, *after* line 10, *insert*—

"Provided that and subject to any regulation made by the Securities and Exchange Board, no shares issued by the Corporation against revaluation of assets or by utilisation of revaluation reserves or from unrealised profits shall be eligible for computation of minimum promoter's contribution and for offer for sale in relation to a public issue by way of initial public offer.". (91)

Page 99, *for* lines 33 to 38, *substitute*—

"(3) No person, other than the Central Government, acting individually or with persons acting in concert with such person, or constituents of a group, shall hold equity share in excess of five per

cent. of issued equity share capital of the Corporation, or such higher percentage as the Central Government may by notification specify.”

(92)

Page 99, *omit* lines 39 to 42. (93)

Page 100, *omit* lines 1 to 8. (94)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 122, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 122, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 123 Amendment of section 16

Amendments made :

Page 103, line 7, *for* “Chairperson”, *substitute* “Chief Executive”. (95)

Page 103, line 19, *for* “Chairperson”, *substitute* “Chief Executive”. (96)

Page 104, *after* line 5, *insert*—

“Provided further that in the event of the Corporation applying to list its equity shares under any regulation made by the Securities and Exchange Board in this behalf, the Corporation shall ensure that the proportion of independent directors on the Nomination and

Remuneration Committee shall be in accordance with the requirements as provided under those regulations.”. (97)

Page 104, *after* line 37, *insert*—

“Provided further that in the event of the Corporation applying to list its equity shares under any regulation made by the Securities and Exchange Board in this behalf, the Corporation shall ensure that the proportion of independent directors on the Audit Committee shall be in accordance with the requirements as provided under those regulations.”. (98)

Page 105, line 8, *for* “approval”, *substitute* “prior approval”. (99)

Page 105, lines 12 and 13, *for* “such conditions as may be prescribed”, *substitute* “the conditions specified in sub-section (3)”. (100)

Page 105, *omit* lines 29 to 32. (101)

Page 106, *for* lines 3 to 8, *substitute*—

“(3) The Audit Committee may grant omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the Corporation, subject to the following conditions, namely:—

(a) the Audit Committee shall lay down the criteria for granting omnibus approval in line with the policy referred to in sub-section (2) of section 4C including in respect of transactions which are repetitive in nature;

(b) the Audit Committee shall satisfy itself that omnibus approval is needed and that such approval is in the interest of the Corporation;

(c) the omnibus approval shall specify the following, namely:—

(i) the details regarding the name of the related party and the nature, period and the maximum amount of the transactions that shall be entered into;

(ii) the details regarding indicative base price or current contracted price, along with the formula, if any, for variation in the price; and

(iii) such other conditions as the Audit Committee may deem fit:

Provided that where the need for related party transaction cannot be foreseen and the said details are not available, the Audit Committee may grant omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding one crore rupees per transaction;

(d) the Audit Committee shall review on a quarterly basis, the details of related party transactions entered into by the Corporation pursuant to every omnibus approval given; and

(e) omnibus approval shall be valid for a period not exceeding one year and shall require fresh approval after expiry of one year.

(4) The Audit Committee may call for the comments of the auditors about internal control systems, the scope of audit including the observations of the auditors, and review of financial statements before their submission to the Board, and may also discuss any related issues with the auditors and the management of the Corporation.". (102)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 123, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खण्ड 123, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 124 Agricultural infrastructure and Development Cess on imported goods

Amendments made:

Page 106, *for* lines 26 to 29, *substitute*—

"20. (1) The Chief Executive shall, subject to the superintendence, control and direction of the Board, be entrusted with substantial powers of management in respect of the whole of the affairs of the Corporation.". (103)

Chief Executive and Managing Directors.

Page 106, line 30, –

for "Chairperson" *substitute* –

"Chief Executive" (104)

Page 106, line 36, –

for "Chairperson" *substitute* –

"Chief Executive" (105)

Page 106, line 39, –

for "Chairperson" *substitute* –

"Chief Executive" (106)

Page 106, line 41, –

for "Chairperson" *substitute* –

"Chief Executive" (107)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 124, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 124, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 125 और 126 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 127 Amendment of Act 49 of 1950

Amendments made:

Page 111, *for* lines 3 to 11, *substitute*—

“Corporation and shall be in conformity with applicable accounting requirements as may be applicable for such financial statements:” (108)

Page 111, *for* lines 24 to 27, *substitute*—

“consolidated financial statement of the Corporation in conformity with the requirements referred to in sub-section (1), and shall place the”. (109)

Page 111, *for* lines 32 and 33, *substitute*—

“salient features of the consolidated financial statement.”. (110)

Page 111, line 44, *for* “standards referred to therein”, *substitute* “standards applicable thereto”. (111)

Page 112, lines 6 and 7, *for* “Chairperson, a Managing Director”, *substitute* “two whole-time directors”. (112)

Page 112, *omit* lines 21 to 27. (113)

Page 114, line 4, *for* “standards”, *substitute* “requirements”. (114)

Page 114, lines 38 and 39, *for* “the Chairperson, a Managing Director”, *substitute* “two whole-time directors”. (115)

Page 115, line 1, –

for "Chairperson" *substitute* –

"Chief Executive" (116)

Page 115, line 6, –

for "Chairperson" *substitute* –

Chief Executive" (117)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 127, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 127, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 128 से 132 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 133 Substitution of new section for section 20

Amendments made:

Page 125, line 14, *for* "123", *substitute* "124". (118)

Page 125, *after* line 28, *insert*—

"(6) All shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Corporation in the name of the Investor Education and Protection Fund along with a statement containing such details as may be prescribed:

Provided that every claimant of such shares shall be entitled to claim the transfer thereof from the said Fund in accordance with such procedure and on submission of such documents as may be prescribed.

Explanation—For the removal of doubts, it is hereby clarified that in case any dividend is paid or claimed for any year during the said period of seven consecutive years, the share shall not be transferred to the Investor Education and Protection Fund.”. (119)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 133, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 133, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 134 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 135 Insertion of new section 23A

Amendments made:

Page 126, *omit* lines 34 to 37. (120)

Page 127, *after* line 29, *insert*—

"(hk) the details, procedure and documents under sub-section (6) of section 28C;". (121)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 135, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 135, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 136 से 141 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 122* to the

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.

Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 122* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

New Clauses 141A and 141B

Amendment made:

Page 131, *after* line 14, *insert*—

'PART VA

AMENDMENT TO THE ECONOMIC OFFENCES

(INAPPLICABILITY OF LIMITATION) ACT, 1974

141A. The provisions of this Part shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. Commencement of this Part.

141B. In the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974, in the Schedule, after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:— Amendment of Act 12 of 1974.

45 of 1988. "22. The Prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988;

12 of 2017. 23. The Central Goods and Services Tax Act, 2017;

13 of 2017. 24. The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;

14 of 2017. 25. The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017; and

15 of 2017. 26. The Goods and Services (Compensation to States) Act, 2017.".'. (122)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति :प्रश्न यह है :

"कि नये खंड 141क और 141ख विधेयक में जोड़ दिए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नये खंड 141क और 141ख विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 142 से 151 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 123* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 123* को लागू

* Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.

करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

New Clause 151A

Amendment made:

Page 133, *after* line 22, *insert*—

‘PART XA

AMENDMENT TO THE UNIT TRUST OF INDIA (TRANSFER OF UNDERTAKING AND REPEAL) ACT, 2002

151A. In the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, in section 13, in sub-section (1), for the words, figures and letters “the 31st day of March, 2021”, the words, figures and letters “the 31st day of March, 2023” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021.’. (123)

Amendment of Act 58 of 2002.

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 151क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 151क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 152 से 158 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 159 Amendment of Act 15 of 1992

Amendments made:

Page 136, line 15, *for* "owns the goods", *substitute* "owns the goods, so however that it shall not include consideration for sale of such goods which are owned by a person resident in India or by a permanent establishment in India of a person non-resident in India, if sale of such goods is effectively connected with such permanent establishment". (124)

Page 136, line 18, *for* "e-commerce operator", *substitute* "e-commerce operator, so however that it shall not include consideration for provision of services which are provided by a person resident in India or by permanent establishment in India of a person non-resident in India, if provision of such services is effectively connected with such permanent establishment". (125)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 159, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 159, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 160 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 126* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा,

* **Vide Amendments list No. 2 circulated on 22.3.2021.**

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 126* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

New Clause 161 Amendment of Seventh Schedule

Amendment made:

Page 137, *after* line 28, *insert*—

'PART XV

AMENDMENT TO THE TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION AND AMENDMENT OF CERTAIN PROVISIONS) ACT, 2020

161. In the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020, in section 4, with effect from the 1st day of April, 2021,— Amendment of Act 38 of 2020.

(i) in clause (XIV), in sub-clause (a), for item (ii), the following shall be substituted, namely:—

'(ii) for clause (i), after the long line, the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) the amount of income-tax calculated on the income in respect of securities referred to in clause (a), if any, included in the total income,—

(A) at the rate of twenty per cent. in case of Foreign Institutional Investor;

(B) at the rate of ten per cent. in case of specified fund:

Provided that the amount of income-tax calculated on the income by way of interest referred to in section 194LD shall be at the rate of five per cent.;";';

(ii) in clause (XXIV), after the portion beginning with "(9) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, assessment made" and ending with "the procedure laid down under this section", the following shall be inserted, namely:—

"(10) Notwithstanding anything contained in this section, the function of verification unit under this section may also be performed by a verification unit located in any other faceless center set up under the

provisions of this Act or under any scheme notified under the provisions of this Act; and the request for verification may also be assigned by the National Faceless Assessment Centre to such verification unit.".'. (126)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 161 विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 161 विधेयक में जोड़ दिया गया।

पहली अनुसूची

माननीय सभापति : श्री विनायक भाऊराव राउत, क्या आप पहली अनुसूची में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, 'No'.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी से चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

पांचवीं अनुसूची

Amendment made:

Page 247, line 13, *for "*Nil*", substitute* "Re.1 per tonne". (127)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है **:**

"कि पांचवीं अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>पांचवीं अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गई।</u>

<u>छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।</u>

सातवीं अनुसूची

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री विनायक राउत, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं**?**

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, I am not moving.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है **:**

"कि सातवीं अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>सातवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है **:**

"कि विधेयक**,** यथा संशोधित**,** पारित किया जाए।**"**

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण**,** जैसा कि आपको विदित है कि इस विधेयक में कुछ नए खंड जोड़े गए हैं। इसलिए मैं निदेश देता हूं कि परवर्ती खंडों तथा उपखंडों का तदनुसार पुन**:**क्रमाकंन कर लिया जाए और जहां**-**जहां अपेक्षित हो**,** विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर लिए जाएं।

18.11 hrs

National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021

HON. CHAIRPERSON: Now, we shall take up Item No. 13.

माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India including development of the bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

माननीय सभापति : माननीय मंत्री**,** क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहेंगी**?**

श्रीमती निर्मला सीतारमण: मैं जवाब में बोल दूंगी।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

"That the Bill to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India including development of the bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing

infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सभापति महोदय, आपने the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा पैमाना है, जिससे आप देश की तरक्की और देश का कितना विकास हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। भारत एक विकासशील देश है और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, वह भी काफी है। आज से 25 साल पहले जिस गांव में पांच गाड़ियां हुआ करती थीं, आज वहां 50 गाड़ियां हैं। हमें उनका डेवलपमेंट करना है, लोगों को रोजगार देना है। अगर विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो मार्केट में पैसा आता है, वह लोगों को बेरोजगारी से निकाल कर रोजगार की तरफ लेकर जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हर देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी है। यह सरकार का एक अच्छा कदम है, इस बैंक के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट को एक पुश मिलेगा। देश तरक्की की तरफ जाएगा। इस बिल में यहां पर हम इंस्टीट्यूशंस के शेयर्स, कोई इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, कोई बैंक या कोई बड़ी फंड्स खरीद सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें प्रावधान होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल इंवेस्टर्स हैं, जो देश के इंवेस्टर्स हैं, जो छोटे इंवेस्टर्स हैं, वे भी इसका शेयर खरीद सकें।

दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मंत्री जी से यह विनती करना चाहता हूं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी जो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस हैं, वे भी बैठे हैं। ये बैंक्स के लिए जो बोर्ड बनना है, उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी का प्रावधान हो और ब्यूरोक्रेट्स आकर बैठ जाएं। We should have the professional people on the board. बैंक्स और ये जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे एयरलाइंस और बैंक्स को ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला सकते हैं। बोर्ड में ऐसे लोगों को लाना चाहिए, जिन्हें कम से कम 25-30 साल का बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरिएंस हो, इसे पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं बनाना चाहिए।

इस बिल में एक क्लॉज़ मुझे बहुत ही हैरानीजनक लगा है। जब भी किसी बोर्ड का मेंबर एमएलए या एमपी बन जाता है, he will cease to adjust. मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। मैं समझता हूं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका फोकस कहां क्या चाहिए, किसकी जरूरत क्या है, लोगों की अपेक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या कमी है, वे ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स be it MP, be it MLA कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हों, कम से कम इसके बोर्ड में होने चाहिए, ताकि वे लोगों की प्राथमिकता बता सकें।

हमने बहुत सारे पीएसयूज़ बनाए हैं, ये अच्छे चले। एक नई ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, इनकी हमेशा एक कोशिश रही है कि जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, सीवरेज़, वाटर सप्लाई बोर्ड्स हैं, वहां पर देखने की बात है कि हमेशा टेक्निकल लोग वहां के सीएमडी हुआ करते थे। धीरे-धीरे they have elbowed them out. उन्हें बाहर निकाल दिया गया और अपने लिए ये पोस्ट्स बना ली गई। उसका नुकसान यह हुआ है कि बोर्ड्स और पीएसयूज़ का वर्क कल्चर बुरी तरह से तहस-नहस हो गया। धीरे-धीरे अच्छे-भले प्रॉफिट में चलते हुए बोर्ड्स का नुकसान हो गया, वे लॉस में चले गए, अल्टीमेटली कुछ डिस्बैलेंस हो गए।

सर, एक सरकारी एटिट्यूड है कि - चलता है, इसे इससे दूर रखना चाहिए। The hon. Finance Minister must be knowing this कई बड़े देश हैं, जैसे हॉलैंड, वहां पर पीएसयूज़ भी हैं, even municipalities and village councils also. वहां पर ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि अगर ये लॉस में जाते हैं, तो इनके बोर्ड और काउंसिल के मेंबर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं। हमें ऐसे स्ट्रिक्ट प्रावधान करने चाहिए कि अगर ये बैंक्स लॉस में चले जाते हैं या कुछ भी गड़बड़ होती है, उनका कंडक्ट गलत हो, तो वे ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएं।

सर, ज्यादातर जो सरकारी इंस्टिट्यूट्स हैं, उनमें एक और बड़ी कमजोरी है। किसी डेवलपमेंट के काम के लिए जो भी फण्ड्स आते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आते हैं, जब भी इनमें कोई कमी रहती है, तो उन बैंक्स को डे-टू-डे एक्सपेंडिचर में, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में,

सैलरी देने में, ग्रैच्यूटी देने में, टी.ए., डी.ए. देने में यूज कर लिया जाता है। स्ट्रिक्ट्ली यह होना चाहिए कि यह बैंक, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी मार पड़ रही है, मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम प्रोजेक्ट्स शुरू कर लेते हैं, ईयरमार्क कर लेते हैं, कुछ पैसे खर्च कर लेते हैं, उन पर क्या होता है? पैसे न होने की वजह से वे बहुत समय तक लटक जाते हैं। उससे क्या होता है? उनकी कॉस्ट ओवर-रन हो जाती है, टाइम खराब होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है।

पंजाब में एक रणजीत सागर डैम प्रोजेक्ट है। जिसमें लगभग 560 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन होनी थी, उसका उद्घाटन, हमारे लीडर बिट्टू जी, जो यहाँ बैठे हैं, इनके दादा जी सरदार बेअंत सिंह जी, जो उस वक्त के सीएम थे, ने किया था। वर्ष 1993 से आज वर्ष 2021 आ गया है और वर्ष 2020 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट किया है। ऐसे डिले हो रहे हैं। यह बैंक बनने से देश का यह फायदा जरूर होगा कि फण्ड्स के अभाव में जो प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं, वे नहीं लटकेंगे। इस बैंक से यह एक अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें रोड्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन चाहिए, हमें पोर्ट्स चाहिए, हमें एयरपोर्ट्स चाहिए। ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इस बैंक का फायदा मिलेगा। यह बैंक लोन लेगा या कुछ और करेगा, यह उन पैसों से कहीं अपने खर्चे न करने शुरू कर दे, इसके लिए हमें एक स्ट्रिक्ट एप्रेटस लेकर रखना पड़ेगा।

सर, एक बात देखने में आई है कि इंडिया में बहुत-से बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं। अभी रिसेन्ट्ली महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक का मामला आया था। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकारी बैंक नहीं था। आप यह कह सकते हैं कि को-ऑपरेटिव बैंक एक सेमी-गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट है। इस बैंक पर, जिसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा दारोमदार रहेगा, उस पर हमें सिक्युरिटी चेक्स, प्रॉपर विजिलेंस ऑपरेटर रखना पड़ेगा ताकि ऐसे काम न हो सकें।

सर, आपके माध्यम से मेरा एफ.एम. साहिबा से एक रिक्वेस्ट है कि इस बैंक के लिए आप अपने डिपार्टमेंट में एक एडवाइजरी काउंसिल जरूर बनाएं, जो यह आइडेंटिफाई करे कि which products are most important for national security, national development.

इकोनॉमिकली देश को आगे ले जाने के लिए किन-किन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, उनको प्रायोरिटाइज करे। उनको प्रायोरिटाइज करके, जो भी प्रायोरिटीवाइज पहले आए, apart from कि वह किस स्टेट में है, किस जगह पर है, जिसकी देश को जरूरत है, जिस प्रोजेक्ट की देश के लोगों को जरूरत है, जो देश की तरक्की के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स योगदान दे सकें, उनको प्रायरिटीवाइज लिया जाए।

मैं समझता हूँ कि इस बैंक के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगा और देश तरक्की की तरफ जाएगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का भी बहुत आभार करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया है।

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इस वर्ष का बजट न सिर्फ हमारे देश में, बल्कि पूरे विश्व में माना गया है कि यह बजट एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट है। इस क्रांतिकारी बजट में कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी नीतियां हैं, जो बहुत ही क्रांतिकारी हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आज जिस वित्तीय संस्था पर अमल करने के लिए इस विधेयक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन क्रांतिकारी नीतियों में से, मैं समझता हूं कि सर्वश्रेष्ठ यह वित्तीय संस्था होने वाली है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होने वाली है। मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है।

हम लोग इस विधेयक के द्वारा जो संस्था स्थापित करना चाह रहे हैं, यह दर्शाता है कि इस कोरोना काल में, यह जो चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है, इस वर्ष में हम लोगों ने राहत के बहुत से काम किए हैं, कदम उठाए हैं, लेकिन इस संकट को अवसर बनाकर हम लोगों ने सुधार की भी बहुत महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं, कदम उठाए हैं। The National Bank for Financing Infrastructure and Development के लिए हम लोग आज यहां यह चर्चा कर रहे हैं, इसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली होगा।

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि हमें आधुनिक और विश्व-स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो हमें लो-कार्बन पाथवे में हमें ले जाए, इसकी भी हमें बहुत जरूरत है। चाहे वह सड़क हो या हमें नदी को बांधना हो, चाहे वह एयरपोर्ट हो या हमें कोई नई ट्रांसमिशन लाइन बनानी हो, चाहे वह गैस की पाइपलाइन हो या किसी विशाल पोर्ट को हमें बनाना हो, देश के हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में हमें वर्ल्ड-क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के द्वारा छ: हजार योजनाओं को चिन्हित किया है। 111 लाख करोड़ रुपये की इन्फ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन बनी है, उसकी फाइनेंसिंग के द्वारा ही हम लोग अपने देश का परिवर्तन कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अगर इस नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का हम निर्माण करें, जल्द से जल्द इस पर अमल करें, तो इससे हमारी आम जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। आम जनता को इसके द्वारा हर सुविधा मिलेगी – बिजली, सड़क, पानी, मेट्रो, एयरपोर्ट, पाइप्ड गैस, नई टाउनशिप। प्रधान मंत्री जी की ईज़-ऑफ-लिविंग की सोच है, यह उनका मूल मंत्र है, वह सब इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग खड़ा कर पाएंगे। हम अपनी कंपनीज़ की ओर भी देखें, उन पर पैनी नजर लगाएं। उनको विश्व स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा भी बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि उनकी बिजली की कॉस्ट कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होती है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होती है। उनकी कॉम्पीटेटिवनेस बढ़ती है और जब उनकी कॉम्पीटेटिवनेस बढ़ती है, तो उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और जब उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, तो रोजगार का भी काफी तेजी से सृजन होता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में हमें यहां भी बहुत लाभ मिलता है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम खतरों से घिरे हुए हैं, हमारी सीमाओं पर खतरे हैं। हम लोग बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी इसके द्वारा निर्माण कर सकते हैं, सड़कों का भी निर्माण कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स का निर्माण कर सकते हैं, ऊर्जा पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन्स के टावर्स लगा सकते हैं। अत: बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी पर भी इसका बहुत अहम प्रभाव जरूर होगा। बड़े पैमाने पर हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर में बहुत विस्तार आएगा। इससे रोजगार भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, रोजगार का भी सृजन होगा, लोगों को अच्छी नौकरियां मिलेंगी और जब उन्हें अच्छी नौकरियां मिलेंगी, तो वे खर्चे भी करेंगे। अगर वे खर्चे करेंगे तो और निवेश की जरूरत होगी।

जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार कहा है और इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा है कि वर्चुअस इनवेस्टमेंट साइकिल होगा और हम एक नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकेंगे। मैं

पूरे सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे यहां ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है और पूरे विश्व में भी यह खतरा है, अगर ग्लोबल पेनडेमिक से हम प्रभावित हुए हैं, क्लाइमेट चेंज से और भी ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वह लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जीरो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उसके लिए लोगों का अनुमान है कि 100 बिलियन डालर्स प्रति साल हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करना है। हमें और पूरे विश्व को ग्रीन फ्रंटीयर और जीरो कार्बन तक पहुंचना पड़ेगा, इसके लिए भी हम जो डीएफआई स्थापित कर रहे हैं, वह बहुत ही अहम होने वाला है।

Now, let us understand why the design and the thinking behind this National Bank for Financing Infrastructure and Development is so bold and so innovative. There are three aspects to it that I really think we should consider.

Firstly, this is not just a bank. We are actually creating an architect of an entire financing ecosystem and I will draw your attention to that.

Secondly, as my friend from the Congress was saying earlier, we are trying to create a professional institution, an institution that will attract the best talent, that will be run on a professional basis and be able to provide the most innovative and lowest cost financing solutions for our infrastructure.

Finally, hon. Members, the scale at which this bank is going to operate, the vast financing capacity that it will deliver is truly going to be significant for our country. That too is a part of the design and I want to highlight that as well.

Again, I will come back to the requirement that we have of Rs.101 lakh crore. If we are going to require Rs.101 lakh crore for our infrastructure, of which maybe 20 per cent, 30 per cent, some small fraction of that, is going to

be done on a commercial basis, the vast majority of it, Rs.70 lakh crore, Rs.80 lakh crore is going to be or has to be financed either through the budgets of the Central Government or the State budgets which are of course constrained in many ways. It is because we have significant social spending, significant payroll spending that we have to do. So, a large portion of this is going to be, has to be financed through the capital markets. Maybe, Rs. 40 lakh crore or Rs.50 lakh crore or Rs.60 lakh crore is going to be, has to be financed on a market basis. For that, if indeed we are able to scale up this Bank for Financing Infrastructure and Development, this bank – and I was saying that it is going to have a very vast financing capacity – is probably going to be carrying a loan book of some Rs.20 lakh crore or Rs.30 lakh crore eventually which will put it at a scale where the largest banks of this country like the State Bank of India are. So, this is an institution of very vast financing capacity that has been created through this very, very important Bill that we are debating and we are considering today.

In fact, if you see the Bill, we are saying that we will provide Rs.20,000 crore of immediate capitalisation. It has an authorised share capital of Rs.100000 crore. At Rs.100000 crore at a 10x gearing, we are already talking about Rs.10,00,000 crore of financing that can be made available over the next few years. So, this is a vast undertaking. This is a very important undertaking for the country.

But I will come to the first point which is that this bank is going to be an ecosystem architect. Let me just read out something from the Statement of

Objects and Reasons because, I think, that is very central to the description of this vast financial institution. The Statement of Objects and Reasons says, and I am quoting:

> "Overall, the Institution shall provide a supporting, technology enabled ecosystem across the life-cycle of infrastructure projects as a provider, enabler and catalyst for sustainable infrastructure financing in India with the backing of the Government."

This is an institution that will really create a financing ecosystem. It will provide loans. It will raise money. It will be an underwriter. It will make markets for bonds, derivatives and other important instruments that are required to be able to create broad and deep capital markets for infrastructure financing where the requirement is vast, as I have just said. It will also provide project structuring and monitoring services, technical assistance and drive innovation. This is the design of this infrastructure bank where it will be truly an ecosystem architect.

At the same time, what is clearly laid out in the Bill is that this is a bank that will be set up to provide the most competitive and innovative solutions, solutions that are affordable, that enable us to build infrastructure as cheaply as possible. This bank is going to be held by a Chairperson who will be appointed by the Central Government. But thereafter, the appointments are going to come through the Nominating and Remuneration Committee of this institution itself. So, the appointments are going to be made professionally

through the Bureau as well as the NRC. They will be professionals, world-class institution builders who know exactly how to come up with these innovative financing solutions. We will give the professional autonomy that this institution requires. And, we have also made ample provisions that this institution will operate on a purely commercial basis, free of the interference and the bureaucratic meddling that we have seen in institutions that have been created in the past. There are important clauses in the Bill that support this, which I will highlight later on.

The other important factor here is, it is said that the Managing Director and the Deputy Managing Directors will get market salaries. They will be paid what is required to attract world-class talent. Very importantly, something that is clearly mentioned in the Bill is that, over time progressively the Government will reduce its equity in this financing institution from hundred per cent, which is how it will be initiated, right down to 26 per cent making this an independent, broadly held, very-very capable professional institution. This is by design in this Bill and I would really request the House to note that we are creating an institution that is very innovative. It has only been done once before, to the best of my knowledge, and that was when we created the National Infrastructure Investment Fund.

So, this massive financing capacity that is being created, is being created through this initial capitalisation of Rs.20,000 crore, which will, as I said, immediately support through a ten x gearing of about Rs.2 lakh crore. But, as you build up the share capital, as the Government progressively dilutes

its share-holding, it will be able to support up to Rs.10 lakh crore of financing capacity, which will really accelerate, speed up, the development of our National Infrastructure Pipeline.

As the hon. Finance Minister has said in some of her public comments, the thinking here is that over time we will attract other very sophisticated, very well-known world-class investors as shareholders in this institution. Progressively, as we dilute down to 26 per cent, we may get sovereign wealth funds and other world-class institution investors also to provide their world-class expertise and their innovations to be part of this institution as well.

Another very important aspect of this Bill is that there is an enabling provision that will over time allow private sector DFIs also to get created. DFIs are hundred per cent going to be in the private sector but will obviously be subject to the regulation and the supervision of the Reserve Bank of India. These are important aspects of this Bill that need to be considered and need to be commended in terms of what the hon. Finance Minister has done for the design of this Bill.

But, let us step back. Let us ask ourselves, why has it been so difficult for us to finance infrastructure? Why is it that when the public sector banks sought to finance this infrastructure during the time of the UPA Government, they ran into so much trouble with NPAs? The other Development Finance institutions of the past have not been successful in really scaling up and being successful. To do that we have to understand the nature of infrastructure financing itself.

When we are looking at infrastructure, we are building long-lasting assets. When we build an airport, bridge, Highway or a power plant, these are assets that are going to be on the ground for 40-50 years. They need to be financed over a similar long-term period because we will be using them for 40-50 years. Therefore, to avoid an asset-liability mismatch, we need liabilities also, that are going to be 40-50 years liabilities, to match the cashflows that are generated from these long-lasting assets.

These cash flows do take time to ramp-up. It does take time for these assets to get to maturity to be able to get to the full cash flow that is required to service this kind of a debt. For some period of time, maybe, the cash flows are not sufficient to be able to cover their full debt.

Now, there is already one innovation that the Government has brought in which is increasingly being used, which is the Hybrid-Annuity model, where the Government provides grant money for some part of these infrastructural assets, but the remainder does have to be financed through bonds through long-dated liabilities. Now, banks find this difficult. Our public sector banks and our private sector banks have found it difficult to generate these long-dated liabilities. Why is that? Hon. Members, we have to understand that the scheduled commercial banks do the deposit taking. An average saver, when you and I go and deposit our money in a bank, typically, the deposits that we do are short-term deposits. In fact, if you look at the RBI data, you will find that more than 90 per cent of the deposits that we have given, are short duration deposits. That means that they mature in three years or less. So, I am giving

banks money for six months, or for one year, or for two years, or for three years. What the bank has to do is then lend for thirty to fifty years assets. In the financial world, this is called maturity transformation. This is a very vital aspect of intermediation where banks have to do this kind of maturity transformation. But that is very difficult to do when we are looking at Rs. 101 lakh crore. This kind of maturity transformation for our public sector banks has not worked very well. So, we have to develop long-dated liabilities. We have to find a way in which we can also deepen and strengthen our markets for thirty-year bonds. If we have to do that and deepen these capital markets, not only are the basic financial instruments -- the bonds -- going to have to be developed, there are a number of other associated financial instruments, derivative contracts, and hedging contracts, that also have to be created.

For example, suppose I want to take a loan in dollars for thirty years. I am getting all of my revenues in rupees. But I have to service this dollar loan of thirty years for thirty years in rupees. That means I am taking a tremendous exposure in my rupee-dollar financing. Today, if I have to hedge that and today, if I have to buy dollars with my rupees, all I can do is that I can get very short-dated hedging contracts, that are six months, one year and at best, two years. So, how do I hedge myself against a movement of the rupee against the dollar over thirty years? Unless I create a long-dated hedging contracts and long-dated instruments, that simply is not possible. That is why, I have said right at the outset, this financial institution is intended to be an ecosystem architect. To create the financing instruments, the hedging contracts, the

derivative instruments, that will enable us not only to foster a broad and deep liquid market in long-dated paper and long maturity paper, but also to create the associated in an affiliated derivative instrument that will support this deep liquid market. That is what this financing institution is designed to do.

Again, I will commend the hon. Finance Minister and her team for thinking it through in this very broad and expansive way so that we genuinely solve the problems. If we solve the problem only in a half-hearted or in an incomplete way, again, we have to come back and fix it. But time is of the essence. Whether it is the infrastructure that we have to build; whether it is the low carbon pathways that we have to get on to; and whether it is to satisfy the needs and demands of our people, time is of the essence. As the hon. Prime Minister says that by 2047, we want to build a developed nation. We want to get to 5-10 trillion dollars of our GDP. So, time is of the essence. That is why, this design is a comprehensive and a complete design. Every aspect has been worked out, which is why, this company is a unique and comprehensive eco-system architect.

Now, in the past, many DFIs have come. We have had IDBI, ICICI, IIFC, NABARD, SIDBI, and NHP, etc. None of them has been able to build it up because they had faced certain challenges which are being solved through this Bill. One is that they could not raise thirty-year capital or thirty-year liabilities at low enough cost. So, it proved difficult for them to compete and so they were not able to provide this kind of financing. They did not have the best talent available. They did not have the sophisticated expertise to really do the project

financing and the assessment of what was required to hedge their risks and because they were operating in a very bureaucratic way, they were not able to attract the best talent and they could not succeed. Then, they also did not build sufficient expertise in project finance all of which is addressed through this Bill.

As a result of that, the Narasimham Committee suggested that they either get converted into commercial banks or in fact, they become NBFCs. The ICICI and IDFC are today commercial banks. They have stopped becoming Development Finance Institutions and IIFC, of course, has become an NBFC.

But let us look around the world. If we look at other countries and our neighbour, China has done extremely well by utilizing these DFIs to accelerate its investment and infrastructure. Brazil, Germany, Japan, South Korea etc. - all of these countries have utilized DFIs to accelerate infrastructure financing and grew very quickly. We know that China's growth has largely been investment led. I am sure many hon. Members here have been to China. They have seen the scale and scope of their infrastructure build-out, much of which has been financed through DFIs, through mobilisation of domestic savings, through these long-dated liabilities to build these world class assets and these DFIs have got quasi-sovereign status and significant tax concessions to mobilise domestic savings and these are the design elements that have also been taken into account for this financing institution as well. It is a statutory institution. Hon. Members, it is very important to recognise that. This is an institution that is being created by an Act of Parliament like the State Bank of

India. It is a statutory institution that effectively reports back to Parliament through our Standing Committees and is accountable that way.

It is the principal institution for development finance, that is, it is going to be the ecosystem architect. It has as its objectives, it has as its objectives not just financial objectives, not just financial return but also development which is why, it will provide the technical assistance, the project monitoring, the compliance and so on and of course, whether we look at it in terms of financing features that are built into the Bill, regulation, governance and interference, all of these are included in the design of this Bill.

Let me first turn to the financing aspect because this is the core of what is required. If this institution is unable to acquire funds at a sufficiently low rate and at a sufficiently affordable rate and then lend it on to borrowers, we will not be able to build the infrastructure as fast and as affordably as we would like. If, for example, I have to pay 15-20 per cent or 12 per cent or 13 per cent rates, that are that high for infrastructure, the interest rates will be so high that much less of the infrastructure will get built. So, low-cost lending is the key. Affordable lending is the key. Here, there are two or three elements that are very important and I would like to draw this august House's attention to that.

First, when we acquire funds from foreign sources, the sovereign guarantee which means that the Government of India will stand behind this DFI, that sovereign guarantee is available at a very concessional rate of 0.1 per cent. Typically, when other institutions go out and ask for a sovereign guarantee for their foreign borrowings, other Government held institutions, they

are paying 1.2 per cent. This institution will pay 0.1 per cent. So, it is saving 1.1 per cent - the 110 basis points - that flows through in the cost of lending or in the lending rates that they will then have. In addition, the hedging costs will also be provided for by the Government, as I said, hedging costs are expensive, and this too will be a big concession that the Government of India is giving, again which means that lending rates will come down.

Now, rather than distort markets for corporate bonds by giving it a tax-free status, what the Government has correctly done is provide effectively an interest subvention of Rs. 5000 crore. An interest subvention of Rs. 5,000 crore that will enable you to provide rates that are competitive but not require the rates at which you lend that to reflect that as well. So, the sense is that with the Rs. 5,000 crore that you have, you can lend out Rs. 75,000 crore and of course, more money can be provided as required. So, Rs. 75,000 crore can be lent at low rates because of that and the income tax exemption that this DFI is going to get for ten years reduces the net interest margin that is required to lend further. So, again this is a way in which you can bring down lending rates.

Finally, another way to bring down lending rates is to enable this DFI to borrow directly from the RBI, that in fact is also there, it is in clause 17 -- items 22 and 23. If you see that it says that you can borrow directly from the RBI as well which again will reduce the cost of borrowing and will reduce your lending rates as well and, therefore, the advantages that are built into the Bill and the policy announcements that the hon. Finance Minister, the Government of India has made clearly indicated that this DFI is going to be able to get funds at a far

lower rate than the DFIs of the past, that will, of course, be passed through two borrowers and, therefore, our infrastructure is going to be built faster and quicker.

Of course, there are important elements in chapter four on market making, that is also very important and in chapter three on governance where as I said earlier, the board is going to be independent, the board is going to be autonomous, there is going to be a five-year review through an RBI appointed auditor. The MD can be removed for non-performance and this is an independent functioning professional institution that is protected by undue interference from investigative authorities. This is not a place where people have lifetime sinecures, they have to prove themselves everyday.

Of course, as I said, the regulations associated with this DFI are through the RBI and so it is going to be governed by the RBI Act and the Banking Act as well, and these are laid out in clauses 34 and 35.

सभापति महोदय, इस संस्था के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक क्रांति आने वाली है। देश भर में जो सड़कों की जरूरत है, पोर्ट्स की जरूरत है, पावर प्लांट्स की जरूरत है, हवाई अड्डों की जरूरत है, उन सबको यह संस्था पूरा करने वाली है। मैं झारखण्ड की सरकार से भी बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि हजारीबाग का जो एयरपोर्ट बनना है, उसके लिए भी अगर आपको जरूरत हो, तो इस संस्था से लोन लेकर आप हमारे हजारीबाग का एयरपोर्ट भी बनवा दीजिए। यह भी बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, अन्त में, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं - 'मानव जब जोर लगाता है, पत्थर से पानी बन जाता है।' लेकिन, जब प्रधान मंत्री

जी और वित्त मंत्री जी जोर लगाते हैं तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन जाता है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): महोदय, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट बिल पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है। इन उद्योगों को वित्तीय सहायता देने हेतु 'द नेशनल बैंक फॉर फाइनैंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवपलमेंट बिल, 2021' को संसद में पेश किया गया, इसका मैं स्वागत करता हूं।

देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, उद्योग, कृषि एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के लिए लोन उपलब्ध करते आ रहे हैं। इसी के साथ यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी आने वाले दिनों में अपनी अहम भूमिका निभाएगी, ऐसा मैं विश्वास प्रकट करता हूं।

देश के बजट में विगत अनेक वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी फण्ड्स का प्रावधान किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद देश की आर्थिक प्रगति तेजी से चल रही है और यह बैंक बनता है तो आर्थिक विकास और तेजी से होगा, ऐसा मैं विश्वास प्रकट करता हूं।

यदि वर्तमान सरकार ने नेशनल बैंक फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बिल पास करके नया बैंक गठित किया तो विद्यमान बैंकों पर गहरा असर होगा, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस बिल के जरिए इस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व नेशनलाइज्ड बैंक इन सारे उद्योगों को फण्ड्स उपलब्ध कराती है, उसका असर इस बैंक के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस बैंक को इक्विटी मिलनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं।

राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्य के लिए सन् 2014 से 2019 तक 6 प्रतिशत से 43 प्रतिशत का निजी निवेश किया गया। आज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की निर्मिति इस बिल के माध्यम से हो रही है। पहले कृषि सहायता के लिए सन् 1982 में नाबार्ड बैंक और देश के औद्योगीकरण को सहायता करने हेतु सन् 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी।

देश में कृषि उद्योगों को सुविधा एवं लोन प्रदान करने के लिए नाबार्ड अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। देश कृषि प्रधान होने के नाते रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 के जरिए कृषि को सहायता

मिलने हेतु रिजर्व बैंक के मुनाफे का काफी हिस्सा इसके लिए आवंटित किया गया है। रिजर्व बैंक के एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट के जरिए लौंग टर्म एवं शॉर्ट टर्म कृषि लोन, देश के किसानों को, कृषि के लिए किसान संबंधित लघु उद्योग, कॉटेज उद्योग, हस्तकला तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित उद्योगों के लिए आवंटित किया गया था। इस निधि से देश भर में कृषि वित्त सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। मेरी विनती है कि नाबार्ड का भविष्य में निजीकरण न होने दिया जाए, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

देश में चालू उद्योग व औद्योगीकरण को बढ़ावा देने व वित्तीय सहायता हेतु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ने 14 मार्च, 2019 में एक नोटिफिकेशन के जरिए आई.डी.बी.आई. को 21 जनवरी, 2019 से निजी बैंक घोषित किया।

हाल ही में माननीय वित मंत्री जी ने आईडीबीआई के निजीकरण के लिए गति देने की घोषणा की है। आज इस विधेयक के जरिए जिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होगी, उसकी भी स्थिति ऐसी न हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वर्तमान में देश की नेशनलाइज़ड बैंक कृषि संबंधी उद्योग, लौह, पावर, स्टील, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी कंपनियों को कर्जा देकर अपना व्यवहार चला रही हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होने से नेशनल बैंकों पर असर नहीं होना चाहिए, ऐसी मैं माँग करता हूँ।

महोदय, मेरे द्वारा दिए सुझाव के साथ मैं अपनी शिवसेना पार्टी की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Hon. Chairperson Sir, today I stand here to speak in favour of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021 which seeks to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development.

Sir, the main objective of this Bill is to support the development of long-term infrastructure financing in India including development of the bonds and derivatives market necessary for infrastructure.

Although we have witnessed a significant rise in infrastructure spending in the country from Rs. 24 lakh crore in 11th Five-Year Plan to Rs. 36 lakh crore in the 12th Five-Year Plan, it is said that India needs to spend at least 4.5 trillion dollars on infrastructure by 2030 to sustain its growth rate.

It is believed that, for India, investments in infrastructure equal to one per cent of GDP will result in GDP growth of at least two per cent as infrastructure has a multiplier effect on economic growth across sectors. Also, successful infrastructure development can provide a boost to many sectors, including steel, cement, auto, real estate and others.

To address the challenges faced by the sector, important recommendations were made by the High-Level Committee on financing infrastructure chaired by Shri Deepak Parekh. It had called for enhancing infrastructure financing by tapping additional avenues from domestic and international sources and by enriching financing in terms of better risk recognition, longer tenure and lower cost of debt.

Sir, the Report of the Task Force on National Infrastructure Pipeline for 2019-2025 released by the Ministry of Finance talks about the reasons why Indian infrastructure needs an overhaul. It covers increasing urbanisation, growing working age population, shift to services-based economy and climate change and disaster resilience.

Sir, as infrastructural bottleneck is the primary constraint in terms of India's competitiveness, as reflected in the global competitiveness index of the World Economic Forum where India's ranking in overall infrastructure quality was 70 out of 140 countries, further falling to above 100 in areas like water and electricity utility infrastructure.

However, major constraints in infrastructure sector are still hindering the desired growth. The main factors are lack of availability of funds for financing large projects given the limited fiscal space with public sector and twin balance sheet problem of Indian economy with overleveraged companies and bad assets of banks, along with the underdevelopment of the corporate bond market and absence of efficient credit risk transfer mechanisms such as securitization, credit derivatives, credit insurance, etc.

There is regulatory uncertainty due to various risks which include procedural delays, lengthy processes in land acquisition, payment of compensations, environmental concerns, lesser traffic growth than expected etc.

As regards weak enforcement framework, India was ranked 163 out of 190 countries when it comes to enforcement of contracts. There are cases

when a developer enters into agreements without any intention to honour it as they do not fear enforcement of contracts.

Delays in Indian infrastructure projects lead to time and cost overruns in the implementation phase.

19.00 hrs

Then, there is a regressive impact due to aggressive bidding. There is also a negative sentiment prevailing in the lending community due to rising ratio of NPAs. We still find ourselves under the shadow of Coronavirus pandemic. So, it is important for us to focus on health-related soft infrastructure of the country. That alone can lead us to a brighter future.

When it comes to the State of Andhra Pradesh, I wish to bring to your notice that the State Government, under the leadership of the hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, is committed to build a robust infrastructure in the State. According to the State Government, good quality infrastructure is the foundation on which tall buildings of growth in human capital, manufacturing services, and allied sectors have risen across the globe. Therefore, the State Government has joined hands with organisations like the Asian Infrastructure Investment Bank which has expressed its willingness to give a loan of three billion dollars to the Government of Andhra Pradesh for taking up development projects.

Then, with key policy measures like *Nadu-Nedu* for the development of government schools, hospitals and a proposal to establish a greenfield port at

Ramayapatnam in the State to meet the ever-increasing cargo demand, the State is marching ahead like never before.

To conclude, I, on behalf of my party YSR Congress, express my support for this Bill.

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।

महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए अवसंरचना या बुनियादी ढांचे की अपनी एक अहमियत होती है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि विश्व स्तर पर एक बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास न केवल हमारे देश को अग्रसर करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी एक अहम योगदान देगा।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 22 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक, 2021 को लोक सभा में पेश किया गया। मैं इसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस बिल का अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं।

महोदय, केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की जरूरतों को हल करने के लिए एक नया विकास वित्त संस्था यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) स्थापित करने की घोषणा की है। यह एक सराहनीय कदम है। देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के संस्थान का गठन किया जाएगा। यह संस्थान बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए सुविधा प्रदाता और सक्षम बनाने वाले मजबूत प्रेरक का काम करेगा। सरकार द्वारा इसमें विशेष जो नेशनल इनफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अर्थात एनआईपी को सरकार और वित्तीय क्षेत्र से वित्त पोषण बढ़ाने की जरूरत होगी।

महोदय, इसके लिए लगभग 7 हजार परियोजनाओं की पहचान सरकार द्वारा की गई है। इसके समाधान के लिए संस्थागत ढांचे के सृजन, संपत्तियों के मुद्रीकरण और केंद्र एवं राज्य सरकार के बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाकर इसका खाका तैयार किया गया है। इस तरह

अवसंरचना विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय जरूरत को देखते हुए, विकास वित्त संस्थान की भूमिका आने वाले दिनों में देश के लिए महत्वपूर्ण होगी।

महोदय, डीएफआई में 20,000 करोड़ रुपये पूंजी डालकर इसकी शुरुआत की जाएगी और सरकार द्वारा तीन साल में डीएफआई के लिए कम से कम पांच लाख करोड़ रुपये उधारी पोर्टफोलियो बनाने की योजना है। इस तरह के विशिष्ट संस्थान भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक वित्त पोषण संबंधी आवश्कताओं को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। इस निवेश को आकर्षित करने के लिए यह बिल सरकार द्वारा लाया गया है, यह एक सराहनीय पहलू है।

इस विधेयक से सरकार के स्वामित्व वाली विकास वित्त संस्था (डीएफआई) की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था में सुधार होगा, इससे बुनियादी ढांचे और आवासीय परियोजनाओं में ऋण-वृद्धि प्रदान करने के लिए डीएफआई की महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी।

केंद्र सरकार, बहुपक्षीय संस्थाओं, संप्रभु धन कोषों और ऐसी अन्य संस्थाओं को संस्थानों में इक्विटी रखने में सक्षम बनाने के लिए लाभप्रद होगा, ताकि ऐसी संस्था भारत में स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आंशिक रूप से देश में और भारत के बाहर स्थित बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा। संस्थान ऋण के माध्यम से रुपये और विदेशी मुद्राओं में उधार लेने या धन जुटाने में सक्षम होगा। इस जोखिम से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून के तहत स्थापित संस्था के अलावा अन्य वित्तीय संस्थाओं की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की गई है।

इस अच्छे बिल को लाने एवं असाधारण तथा सहराहनीय कार्य के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी तथा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को उनके उत्तम कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। लोक सभा अध्यक्ष इस समय कोरोना पीड़ित हैं, हम उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हैं।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, this Bill seeks to set up a new Development Financial Institution, that is, National Bank for Financing Infrastructure and Development as a provider, enabler, and catalyst for infrastructure financing and as the principal financial institution and development bank for building and sustaining a supportive ecosystem for infrastructure projects.

Sir, DFIs provide a long-term credit for capital-intensive investments spread over a long period and yielding low rates of return, such as urban infrastructure, mining and heavy industry, and irrigation systems. DFIs often lend at low and stable rates of interest to promote long-term investments with considerable social benefits.

In her Budget 2019-20 speech, our hon. Finance Minister Nirmala Sitharaman-ji had proposed a study for setting up DFIs for promoting infrastructure funding. In her Budget speech 2021, Finance Minister Nirmala Sitharaman-ji again mooted the establishment of Rs. 20,000 crore DFI with the intention of assembling Rs 111 lakh crore for financing infrastructure.

DFIs, are not new in India. In Independent India, three national-level DFIs - Industrial Finance Corporation of India, now known as IFCI, Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) and Industrial Development Bank of India (IDBI) - was established during 1948-64 to provide long-term financing in the industrial sector. In the 1970s and 1980s, some sector-specific DFIs such as EXIM Bank, National Housing Bank, and Housing and Urban Development Corporation was established. Besides, State-level DFIs were set

up by State Governments to provide concessional lending to small and medium enterprises. However, DFIs and development banks' role in financing industrial and other long-term projects drastically diminished with the withdrawal of concessional funding *via* long term operation funds from the Reserve Bank of India under financial reforms introduced in early 1990s. The change in policy environment forced DFIs to raise financial resources at market-related rates, making their business model unviable. Consequently, the Industrial Investment Bank of India was folded up while ICICI and IDBI were converted into full-fledged commercial banks in India. The financial position of State-level DFIs also deteriorated because of the increase in non-performing assets and the weakening of the States' fiscal resource capacity.

Sir, I will just conclude by mentioning two or three points. After decades of free-market orthodoxy, other countries too are revisiting the role of DFIs to meet the challenges of today and tomorrow, as these institutions continue to play an important role in the economies of China, Brazil, Singapore, South Korea, Japan and Germany.

Sir, now, I would like to mention some key features of it. The Institution shall be wholly-owned by the Central Government to foster confidence in its stability and sustainability and to raise resources at competitive rates. Shares of the Institution may be held by the Central Government, multilateral institutions, sovereign wealth funds, pension funds, insurers, financial institutions, banks, and any such institution but the Government would at all times hold 26 per cent of the paid-up voting equity share capital as per the Bill.

The DFI would seek to raise funds from global pension and insurance sectors for investment in new projects, carrying certain tax benefits. The institution will have a professional board, led by a person of eminence with enough heft and stature to meet the requirements of the new century.

Sir, I would like to make some critical analysis. Unlike previous DFIs, the National Bank for Financing Infrastructure and Development is actively owned, capitalised and directly financed by the Central Government. Although the Bill allows future dilution of the Government's stake, the provision of minimum stake holding of the Central Government is a welcome move. However, the proportion of permanent Central Government should be increased from the current proposed 26 per cent holding to at least 51 per cent. This is necessary to avoid a purely market-driven approach towards the DFI’s funding model. In a market-driven situation, the new DFI’s business model would become unviable if it is asked to raise long-term resources from financial markets at rates determined by market forces and asked to provide long-term credit to infrastructure projects having large capital requirements and long gestation periods.

Sir, I would just take one more minute. Now, I come to the point of accountability and transparency. The governance of DFIs matters a lot since these are public financial institutions dealing with public money. DFIs should be transparent in their operations and accountable not only to the Government but also to all stakeholders and the public at large.

The current Bill does not contain adequate provisions of National Bank for Financing Infrastructure and Development's accountability to the stakeholders and the public at large.

In conclusion, setting up of a new DFI in India through budgetary and legislative measures is not a difficult task. But big challenges will emerge once it is established to ensure that it is well-capitalised, well-managed, and remains committed to its distinct goals and core values.

As the Governments around the world prepare to build a resilient future beyond COVID-19, they are envisaging DFIs as an integral part of strategies and structures to tackle the next public health crisis, rather than relying on these institutions on ad-hoc basis when the crisis hits.

Given their tremendous potential, it is imperative to re-imagine the role of DFIs in the 21st Century. In the 20th Century, DFIs were primarily addressing the credit market failures. However, their role is far more significant in the 21st Century as the DFIs have the full potential to tackle big societal changes such as climate change, food security, inequality, and inclusive growth. The DFIs can be a vital instrument in any Government's policy toolbox for creating societal and public value.

Sir, on behalf of my party, Biju Janata Dal, and its Leader, the hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, I support the Bill.

Thank you.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात तब से शुरू करना चाहूंगी, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि, हमें यह भी जानना अति आवश्यक है कि हमने कहां से शुरू किया था और आज हम कहां पहुंच गए हैं। 1926 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिल्टन यंग कमीशन भारत आया था, तो उनके समक्ष बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत होकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अनुशंसा की थी। आप सब को यह जानकर हैरानी होगी कि हिल्टन यंग कमीशन भारत आया, तो उनके सभी सदस्यों के हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की थीसिस थी, जो बाद में 'द प्राब्लम ऑफ रूपी इन इण्डिया' के नाम से प्रकाशित हुई थी। उनकी रिक्मेंडेशन पर ही आरबीआई एक्ट,1935 बना था और बाद में आरबीआई की स्थापना हुई थी।

सभापति महोदय, आज हम डीएफआई की बात करते हैं। भारत विकासशील देशों में आधारभूत संरचना के वित्त पोषण के लिए डीएफआई का प्रयोग सफल रहा है और लोकप्रिय भी रहा है। लेकिन, जब भारत में इसकी चर्चा होती है, तो इसके अतीत के कड़वे अनुभव भी स्मृति पटल पर आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने हाल ही में विकास वित्त संगठन (डीएफआई) की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से पूर्व की सरकार और विकास वित्त संस्थानों के कार्यों के ऊपर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि सर्वप्रथम वर्ष 1948 में विकास वित्त संस्थान की स्थापना की गई थी। तदुपरान्त, 1951 में एसएफसी अधिनियम के गठन के बाद राज्य स्तर पर स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन का गठन किया गया था। नियोजित आर्थिक विकास के शुरुआती दौर वर्ष 1955 में कुछ और डीएफआई जैसे आईसीआईसीआई और 1964 में यूटीआई का गठन हुआ था। 1970 से 1980 के दशक में क्षेत्र विशेष पर केन्द्रित वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गई थी, जिनमें नाबार्ड, एक्जिम बैंक, एनएचबी और आईआरएफसी भी शामिल थे। भारत सरकार की मध्यस्थता, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा

रियायती दर पर ऋण की उपलब्धता, बहुपक्षीय-द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध भारी कोष के बावजूद भी डीएफआई को बैंकों की सांविधिक तरलता, यानी लिक्विडिटी की अर्हता नहीं दी गई। इस तरह से बैंकों के संसाधनों को डीएफआई को प्रदान करने से देश के ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ा है, जिनकी वजह से कई डीएफआई का अस्तित्व समाप्त हो गया, जैसे यूटीआई।

महोदय, जब बैलेंस शीट अल्पावधि उधारी और दीर्घावधि के जोखिम परिसंपत्तियों पर निर्मित होते हैं, तो जोखिम प्रबंधन की समस्या अधिक होती है। कमजोर प्रोत्साहन और सरकार के संबंधता से जुड़े नैतिक जोखिम तथा कमजोर नियमन आदि कारोबारी नाकामी के रूप में प्रतिफलित होते हैं।

महोदय, डीएफआई की ढांचागत अवधारणा में त्रुटि है। इन्होंने बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बदलने की अनुशंसा की है। आईडीबीआई और आईसीआईसीआई बैंक इसके उदाहरण हैं। अभी आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन का मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है। प्राइवेट बैंक्स, अगर नेशनलाइज्ड बैंकों की तरह ही सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उन्हें प्राइवेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? यदि नहीं, तो प्राइवेट बैंक्स के आरबीआई के साथ किस तरह से रिलेशन होंगे, इसे भी सदन को क्लियरली बताना चाहिए। इस विधेयक में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिन्हें संशोधन की बहुत आवश्यकता है।

महोदय, मैं एक और पाइंट के बारे में बताना चाहूंगी। डीएफआई में सबसे कमजोर कड़ी यह है कि भारत में बॉन्ड का बाजार अभी भी विकसित नहीं है। बाजार में मुख्यतः प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, जिसमें परिपक्व होने तक रोक रखी जाती है। जैसे वित्तीय संस्थानों में बीमा और पेंशन है। मेरी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस विधेयक के संदर्भ में यह विचार है कि विकास वित्त संस्थान के निर्माण संबंधी समस्त तथ्य, जो पीछे की गलतियां हुई हैं, उनको भी ध्यान में रखकर और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को मूर्त रूप में अमली जामा पहनाने से पहले कमेटी में भेजकर इसको परिपक्व बनाया जाए।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, I thank you for allowing me to speak on the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021.

For any developing country, including India, financing of infrastructure project is a challenge. Generally, these projects are not commercially viable and do not provide high returns. At the same time, they carry multiple risks, the risk of execution, low tariff collection, and escalation in financing cost. Therefore, it is important for the Government to set out a structured financing mechanism for these projects.

The earlier DFIs were created during the pre-economic liberalisation era. During that period, given the controlled nature of the economy and a protected industry, lending to the industry was relatively simpler. The business model of DFIs was uncomplicated.

On the liability side, they could raise low-cost long-term resources through various regulatory dispensations. At one point, the DFIs even had special status for the purpose of investment from provident funds, etc.

On the lending side, since the industry was well protected, the financier's money was not at risk. Given that capacity, the pricing and consumption for each industry were regulated. There was always excess demand compared to supply of goods.

With minimal risk of Non-Performing Assets (NPAs), the DFIs were lending at higher rates and making a good spread and return on investment. They did not shy away from financing even long-term greenfield infrastructure projects. The concept clearly worked in that environment.

Post the economic liberalisation in 1991, when the industry started opening and a lot of special benefits to the DFIs were withdrawn, the equation suddenly changed.

At that time, there were three large DFIs that were involved in financing the large greenfield industrial projects. They are IDBI, ICICI-NSE whose financing was 2.26 per cent and IFCI- NSE whose financing was 4.63 per cent.

Also, SIDBI, a subsidiary of IDBI, was focused on MSME financing.

With the changed business model post the economic liberalization, the DFIs had to compete in the market for raising liability funds.

There were challenges such as assets-liability mismatch because of market related borrowing, pricing and tenure mismatch, and market volatility.

Further, the industries also became more competitive and started focussing on alternate sources of fund raising.

This led to a complete collapse of the DFIs' concept, leading to conversion of IDBI and ICICI into commercial banks. The IFCI is still struggling despite the Government's support.

Subsequently, another attempt was made in 1997 to set up an institutional financing mechanism for infrastructure project through formation of IDFC-NSE with 49.6 per cent, a public private partnership with the Government ownership below 50 per cent.

However, today even IDFC is functioning as a commercial bank. Therefore, the question remains, whether DFI alone is a solution for long-term greenfield infrastructure project financing.

We need to look for the methodologies adopted for large long-term financing of greenfield infrastructure projects by two major global economies, that is, America and China. While China used regulated lending by the banking system, which was in turn funded by the Government through the budgetary support, the US used the market mechanism to finance infrastructure projects. To be more effective, India could follow a combined approach, that is, to have an institutional set up that provides support from the Government and an appropriate market mechanism.

Sir, the DFIs can directly fund projects. It is important to promote financing through bond markets. While our equity capital markets are mature, DFIs could focus on developing and deepening the corporate bond markets. Generally, infrastructure companies will have below investment grade rating in the initial years. A structured credit enhancement program can put the additional layer of security and get these bonds investment grade, which can then be placed out in the capital markets.

Sir, a DFI can play an important role to provide the credit enhancement. This will also result in proper risk distribution through sell-down. For a vibrant bond market, appropriate liquidity is a must. At the current nascent stage, the Indian bond markets require support for development. DFIs can play an important role by providing liquidity support to various players in the market, who could then make the market more liquid.

Sir, for any markets to become deeper, we need more investors. We need to attract more domestic retail investors, who are long-term investors,

and international institutions to provide the proper depth in the market. Financing for infrastructure project is important for country's progress and the thought to set up a DFI is timely. However, a simple DFI structure alone may not be able to resolve the infrastructure financing issues.

I also request the hon. Minister to approve various schemes proposed by our State Government and allocate funds for the same. It should be supplemented with a vibrant and liquid corporate bond market and an adequate credit enhancement mechanism.

With these words, I support the Bill and conclude. Thank you, Sir.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Chairman, Sir, for allowing me to speak on the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill today.

<u>19.28 hrs</u> (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

I stand here in support of this Bill. But this is not something that has not been done before. This is not as innovative as Mr. Jayant Sinha was making it out to be. But I think it is finally some steps in the right direction by this Government.

I just have a few questions to ask because banks like this have been formed before. The IDBI came up in 1964. The ICICI and IFCI were all banks which were only started for supporting infrastructure. But they failed. They have huge challenges. I think the intention of starting these banks may be very good. But I think there are a few issues that I would like to flag before the hon. Minister.

First, there is a sovereign guarantee being given to this. Now, the idea of the sovereign guarantee to give low-cost loans is a very, very good attempt. But my question to the hon. Finance Minister is, if you are eventually looking to dilute from 100 per cent ownership and bring the Government of India’s stake only to 25 – 26 per cent, then what happens to the sovereign guarantee? When you do not own 75 per cent, will the Government of India still be the sovereign guarantee? When the ownership is not with the Government, why are we giving sovereign guarantee? If you could kindly explain what the

thinking of the Government is. The DFI is like the Government. So, when you are going to give sovereign guarantee, I think it is very people centric and I want to look at you with a lot of hope.

Second, I appreciate that you are bringing in professionals and going to give them very high salaries. It is a very good and forward-thinking step.

My concern is, with its ownership diluting, how the Government will decide who is the right professional for this. What will be the category and how will you choose them? You are saying ‘professional’. It is too vague. I think, we protect our stakeholders after all those NPAs that we have had in infrastructure sector. I think, we really have to take every step very carefully. The entire Board and the head of the bank is something which I am still feeling a bit uneasy about because I do not see clarity about it. I am sure that you have thought it through with very good intentions, but I shall be obliged if the hon. Minister can throw some light on this aspect. After seeing ICICI Bank, Axis Bank and Yes Bank, I can say that between the private and the public sector banks, we actually had a roller coaster in the last few years. So, I will appreciate if you could clarify those checks and balances of the Board and the Chairman because it is exceptionally critical.

I am just trying to think how I would place my next point to you. If you were in the Opposition and the UPA Government had brought in the Bill, would you have allowed it to be passed? When I read it, in clause 35A, there is no C&AG, there is no CAC, there is no CVC and there is no CBI. The intent is very good, but the whole point is whether you think that if you were in

opposition – for all the times that I heard when you were in the opposition - you would have allowed a Bill to pass without all these administrators watching it. Why would the Government, which talks about transparency and accountability, not want it? Why are we running away from transparency? What is wrong in having these? I appreciate that the intent is good. In our larger business sense, this sounds exceptionally tempting and glamorous. I think, after all the experiences we have had, it should be there. This a Bill which is going to continue. The whole idea of this Bill is long-term sustainability. The gestation periods are long of five, ten, twenty or thirty years. How do we guarantee the safety and security? I think, safety and security is exceptionally critical when we all talk about such an institution. I think, it is very important.

Now, how are the loans going to be given? I was thinking about this. When there is EPC – Engineering, Procurement and Construction – as an option, why would people go to this bank and take a loan, especially when the Government is going to dilute? Will loans really be given the way you are committing yourself? Are we over-committing ourselves? Mr. Jayant Sinha was giving his speech and what he said was very interesting. It sounded absolutely fabulous. He said that if there is a rupee-dollar balance issue, there will be hedges which should be given by the Government and for 30 years the rupee-dollar balance will be kept. How do you guarantee that? It sounds wonderful on paper. But is it possible in reality, especially when you are giving the sovereign guarantee? You will reduce your investment to 26 per cent. How are you going

to guarantee this? It sounds like a dream. I do not want to use the word …[*] because this is a very serious issue. This is not a political issue. This Bill is going to have very serious financial implications on all our infrastructure projects. So, when we have the EPC option, why would anybody come to this bank? That is my question. How are you going to give these loans? In clause 2(11)A, they have said ‘Infrastructure is at the discretion of the Central Government’. Mr. Jayant Sinha talked about several projects. He says that there will be innovative ideas. What are the innovative ideas? We have burnt our fingers several times.

I would like to know what he has talked about. He talked about best talents, solutions, innovation, capital markets and world-class infrastructure. It sounds very glamorous in a speech, but we have had these banks and we have tried and done these experiments before. How is this experiment different from the earlier ones? There were very professional people. I do not want to name them here, but we have all known them and at many places, we have all spoken on common platforms. Unfortunately, some are in jail; some have been good to their spouses and are under inquiry. When such long-term loans are given, how are you going to manage full transparency and accountability?

Even the hedge cost, the lending rate has come down. It is also there in a part of the Bill. It says that hedging cost in connection with any borrowing of foreign currency by the institution for the purpose of granting loans and

[*] Not recorded

advances of its repayment, to insulate the institution from fluctuations in the rate of exchange, may be reimbursed by the Central Government in part or full. Again, it goes back to my first point of sovereign guarantee. I think, it is just going up and down about it.

I would like to make just a small point about Mr. K.V. Kamath. With your permission, I would like to put forth a quote of him. What he has said is that India needs infrastructure financing. It is very important, but the key is not to repeat the mistakes, which has unfortunately happened in the past. What he has said is the most important: “With all the efforts that the Government is making, I would think that the sovereign rating itself would need to move up.” He says that the sovereign rating is not that good right now.

I do not think that they can hold India’s rating where it is; wherever you look at, this rating is misplaced by at least a notch, if not more. This is what he says. Even *The Economic Survey* 2021 has argued about India’s sovereign ratings which did not reflect its fundamentals. Never in the history of sovereign credit ratings has the fifth largest economy in the world been rated at the lowest rung of the investment grade. It had noted adding to the damages of foreign portfolio investment flows. He stressed that even global development banks’ soft loans were not really soft. Excessive reliance on international funds would not be prudent.

We support this Bill but I think we must have complete clarity, transparency, and professional behaviour. There are several countries which have done very well, like China. But do we have that kind of financial discipline

in our country? What has happened in Brazil, Singapore and Germany are wonderful experiences. We could role model on that. But are we committed to have other laws also in place to make sure that we have this discipline that all the others are looking forward to?

I buy your intent but I still have reservations about a few things, if you could kindly address those. Thank you.

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to speak on this important Bill. I support the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021.

I congratulate the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman for introducing this Bill. I also thank the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi for his vision and commitment towards nation building with a focussed approach on infrastructure. This focussed approach in infrastructure is the need of the hour. This will play a crucial role in the revival of our country's economy from the impact of the current COVID-19 pandemic.

During this type of economic crisis, a well-designed expansionary fiscal policy stance can contribute to better economic outcomes in two ways. First, it can boost potential growth with multi-year public investment packages that raise productivity. The multi-year nature of public investment would contribute to credibly lifting growth expectations. With the National Infrastructure Pipeline already laying out the agenda for ambitious public spending, fiscal policy catering to funding NIP in the first few years can boost growth and thereby be self-financing. At a time of excessive risk aversion in the private sector, which is characteristic of any economic crisis, risk taking via public investment can catalyse private investment and unleash a virtuous circle. It will crowd in private investment rather than crowding it out. Second, there is a risk of the Indian economy falling into a low-wage growth trap, as has happened in Japan

during the last two decades. Implementing the NIP via front-ended fiscal spending could generate higher-paying jobs and boost productivity.

The Economic Survey is very interesting. We all should read *The Economic Survey* of 2021 which has a Chapter II in Volume No. 1, which says: "Does growth lead to debt sustainability?" The answer is yes, but not vice-versa.

Madam, I would point out one or two points very quickly about why our Government has taken up this policy and what is our agenda. It has been a pre-cursor here. This Chapter establishes clearly that growth leads to debt sustainability in the Indian context but not necessarily vice-versa. This is because the interest rate on debt paid by the Indian government has been less than India's growth rate by norm, not by exception. As Blanchard (2019) explains in his 2019 Presidential Address to the American Economic Association: "If the interest rate paid by the Government is less than the growth rate, then the intertemporal budget constraint facing the Government no longer binds." This phenomenon highlights that debt sustainability depends on the "Interest Rate Growth Rate Differential (IRGD)."

That is the difference between the interest rate and the growth rate in the economy. Also, in the advanced economies, the extremely low interest rates have led to a negative IRGD on the one hand and have placed limitations on the monetary policy and on the other hand have caused a re-think of the role of fiscal policy. The same phenomenon of the negative IRGD in India, not due to lower interest rates but much higher growth rates, must prompt a

debate on the saliency of the fiscal policy, especially during the growth slow-downs and the economic crisis.

So, in this Chapter, it has studied the evidences across several countries to show that the growth causes debt to become sustainable in countries with higher growth rates. Such clarity about the causal direction is not witnessed in countries with lower growth rates. By integrating the ideas from the corporate finance into the macro economics of Government debt, the Survey lays conceptual foundation to understand why these differences can manifest between high growth in emerging economies and low growth in advanced economies.

A mention was made about the *Economic Survey* just now. Many people have criticised the *Economic Survey*. While acknowledging the counter argument from the critics, the Governments may have a natural tendency to spend. The Survey endeavours to provide the intellectual anchor for the Government to be more relaxed about debt and fiscal spending during the growth slow-down or during an economic crisis. Counter cyclical fiscal policy is not a call for fiscal irresponsibility. It is a call to break the intellectual anchoring that has created an asymmetric bias against the fiscal policy.

I would like to come to the provisions of the Bill. How is it relevant to India? Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes that infrastructure development is critical for boosting growth prospects. Our ability to realise fullest potential depends on making smart infrastructure choices thereby responding to economic, demographic, fiscal, and environmental changes. We

have set a target of five trillion-dollar economy by 2025. We will spend more than Rs. 110 lakh crore on infrastructure in the next five years under the National Infrastructure Pipeline.

The Ministry of Finance has already identified 7,000 odd projects across various sectors to create social and economic infrastructure. This is the Government's vision. The new and improved infrastructure can serve the nation for a long time. We have also commenced product-linked incentives in Aatmanirbhar Bharat scheme.

The aim of these efforts cannot be mere economic growth. Our efforts should be towards improving the ease of living or the quality of life for everyone in our country. This would eventually contribute to the United Nations SDG 2030 Agenda, to which India is a signatory.

So, studies show that there will be an increasing trend of urbanisation by 2030. It is estimated that in 2030, five States in India, that is Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Punjab will have more than 50 per cent of urbanisation. Also, the number of metropolitan cities in India is estimated to increase from 46 as per Census 2011 to 68 in 2030. The changed demographic and environmental situation will need the converged development of a host of infrastructure facilities, like housing, water, sanitation, digital services, transport, etc. There is a compelling demand for increased and improved delivery across the entire infrastructure spectrum. Delivering the full spectrum of required infrastructure will ensure economic growth, ease of living, as well as improved competitiveness across the sectors.

The most important area in the NIP spending is energy. This sector's share in the NIP is the highest with 24 per cent of total outlay. As the demand for fuel consumption increases, there are challenges of supply, sufficiency, and sustainability. Infrastructure must support this growth, but do so responsibly. For example, the whole world is shifting towards electric vehicles. Assuming that the appropriate infrastructure is in place, 90 per cent of car owners in India are willing to switch over to EVs. Therefore, sustainability needs to be achieved through renewable energy.

As far as the global infrastructure outlook 2017 published by the Oxford Economics, the estimated global infrastructure investment requirement is around 94 trillion dollars during the period 2016 to 2040.

Out of this envisaged infrastructure investment, 50 per cent is required in Asia alone with China, India and Japan being the major contributors. Another study has estimated that while the demand for infrastructure is growing at about USD 4 trillion per annum, the supply of infrastructure is growing at only USD 2.7 trillion annually, leading to a deficit of USD 1-1.5 trillion on a per annum basis. It is estimated that India would need to spend USD 4.51 trillion on infrastructure by 2030 to realize the vision of a USD 5 trillion economy by 2025 and to continue on an escalated trajectory until 2030.

Infrastructure investment needs to understand the complex needs of infrastructure development. The existing structure allows significant funding gaps. The investments need long-term patient capital beyond conventional project financing. These investments provide long-term positive socio-

economic returns which may not meet commercial returns standards. All these investments need to be achieved at a scale for which innovation in financial structuring is required. It is a challenge raising adequate low-cost funding. It needs regulatory reforms and re-examining of existing investment guidelines. Therefore, we need to take the path where conventional financing does not reach to provide long-term patient financing. Significant shifts are under way in the global development finance landscape and development finance institutions are a key part of that shift.

The creation of the National Bank for Financing Infrastructure Development is a step in the right direction. This Bill has considered complex needs of infrastructure financing. The Bills provides for Government guarantee at concessional rates for institutions to attract multilateral institutions, sovereign wealth funds, and such other foreign institutions. Also, hedging costs are involved when borrowing in foreign currency would be reimbursed by the Government. The finances that will be provided by this new institution will be complementary to private sector investment to develop a balanced finance strategy. These efforts will create an ecosystem that will deepen the country's corporate bond market for infrastructure in financing.

In the Statement of Objects and Reasons, it has been quoted: "This institution shall provide a supporting, technology enabled ecosystem across the life cycle of infrastructure projects. It will be a provider, enabler and catalyst for sustainable infrastructure financing in India with backing of the Government. This institution shall support the bond market with the aim of

fostering the complementarity of market raised debt with lending for infrastructure projects. One of the hon. Members had raised this issue that though bond market is in a nascent stage in our country, I have data here and the data pertains to 2014 and also 2015 by IMF. Corporate bonds as a percentage of GDP has moved up from 13 per cent in 2013 to 17 per cent in 2019 and 2020 in India. When you compare India with other countries, corporate debt to GDP ratio in US stands at around 123 per cent, South Korea is at around 74 per cent, a small country like Singapore is at 34 per cent, Malaysia is at 44 per cent, Brazil is at 99.05 per cent, Turkey is at 142 per cent, but India is at 17 per cent.

So, to capitalize on the bond market, to get finance into the infrastructure sector, it is a well-designed Bill which is going to create history. So, I will be concluding by saying that we as a country need to enhance our institutions and infrastructure significantly if we are to realise our long-term growth potential. Also, in order to improve our global competitiveness, creating new and upgrading existing infrastructure will be critical along with structural reforms in the financial sector.

The hon. Finance Minister has repeatedly told us that finance is a strategic sector. Today also, when she was replying on the Finance Bill, she said that finance in the banks is also a strategic sector. So, we need to initiate a virtuous cycle of higher investments to spur growth and create employment.

Though our country has achieved Independence almost 73 years back, we are still fighting for social and economic freedom. So, a well-planned

infrastructure strategy is a great tool in this fight for our country. With his vision for our country, hon. Modi ji is leading this fight. Therefore, it is apt to call him a freedom fighter and a visionary Leader who is fighting for economic and social freedom of this country.

In the words of Prime Minister, hon. Modi ji : “The development of the country’s infrastructure should be kept away from politics. The country’s infrastructure should be a mission to benefit many generations and not be five years of politics. If political parties have to compete, then there should be competition in the quality of infrastructure, and competition in speed and scale”.

Therefore, I wish to conclude my speech by supporting this Bill, and I will ask all the hon. Members of this august House to support this Bill. Thank you very much, Madam.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you, Madam, for giving me this opportunity.

The National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill seems to be a good move in the proper direction. Certain safeguards are required to keep up the Indian interests, which have been mentioned by hon. Members who spoke earlier.

Ours is a fast-developing economy. We have a lot of dreams and needs, and in order to meet them and in order to translate all of our ideas into action, this kind of reforms are really required. But we have to think loudly that with the Budgetary support alone we cannot do all these things. So, income generation method will have to be introduced at the national and international level with involvement of stakeholders.

Madam, I wish to submit a new school of thought. The hon. Minister is very intelligent and I am hoping to have her special consideration. Kindly excuse me if I am at fault. This kind of experiment is going on worldwide about how to get financing. I am mentioning that the developed countries like Germany, UK, USA, France, Singapore, and other countries in regions like Middle East, South-East Asia and Europe have all adopted a new method, that is, Islamic Banking. When we say Islamic Banking, do not be allergic. Why have all these countries opted for it? India should loudly think about it because once our former RBI Governor had suggested this. On another occasion, our

former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, also suggested that Islamic Banking will be a good thing for India. We have to think about it.

Islamic Banking is having its own significance. Hence, a total of 74 countries have adopted this because there is some kind of special thing in it. When we are in search of good finance, we know that this can give us a very good support. This is the reason that they all have adopted this. Not only that, India is having diplomatic relations with these countries. They are not interested in investing their money in America or any other country. They are having that much trustworthiness in India. Why can we not make use of this? If all other countries can adopt this, then why can India not try it? It is only as a food-for-thought that I am submitting this before you with all the politeness.

We all know that we have to think about our past. Globalization, privatisation and liberalisation were started by India in 1991. Thereafter, we have our own experience in this. Till recent past, we were travelling in the path of a vision and determination by giving priority to the Indian interests, but unfortunately, now an apprehension has started in the minds of the people that India's interests are diminishing and MNCs, etc. are getting more preference in the matter. So, I am suggesting to have adequate safeguards to protect the Indian interests, which should be done in that way.

We know that in the initial stage, it is stated in the Bill also, India's ownership is 100 per cent. Gradually, that will be slashed down to the extent of 26 per cent. Below 26 per cent, it did not go. Okay, that is fine. But at the same time, when you are reducing India's ownership of 100 per cent to 26 per cent,

a lot of things have to be discussed. I feel that there is lack of clarity in that and the same has to be thought of.

About the selection of directors and officials, I humbly suggest that it should be strictly enumerated; we should not give room for any power-mongers to enter this. I have made various suggestions. Greenfield kind of infrastructure has also been mentioned. The Minister has stated about the finance ecosystem and architecture, etc. All of these things are stated in the Bill. So, I humbly submit that these aspects have to be taken into consideration. Ours is a developing country; we have a lot of things to do. When we are doing this, our apprehensions will have to be addressed. I hope that the hon. Minister will address the apprehensions and make it a *pucca* and clean Bank. I wish for the success in this endeavour. Thank you very much.

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Madam, at a time when the Government is bent on privatising some of the public sector banks, creating a sense of anxiety and anger among the 10 lakh employees in the banking sector, they are already out on the street, protesting. In fact, they have issued a warning that if the Government goes ahead with this privatisation move, they may resort to a long bank *bandh* agitation.

Madam Finance Minister, you said in your Budget speech, and if I can recall correctly, that along with the IDBI, two public sector banks will be privatised. Which are those banks? The guess continues. Indeed, we want development banks; we want infrastructure banks; we welcome that but let us ask a few questions; some very uncomfortable questions.

You remember, IL&FS – Infrastructure Leasing & Finance Services. This was a private sector company and when it defaulted in payment obligations to banks that it had taken loan from, at that time, the total NPAs of IL&FS was around Rs.1 lakh crore; to be precise, Rs.98,000 crore. Now, please explain Madam to this august House: Who had taken the decision? When and why was it to stand guarantee for a private finance company? Please explain. Did the Government of India just because it stood guarantee, rather sovereign guarantee, not have to pay a whopping sum to ADB and KfW in dollars and euros? That amount, I am told was paid from the Contingency Fund so that no discussion takes place. That was a very clever move! The people's money,

that is, the taxpayers' money has been abused. And who were the ultimate beneficiaries? This needs a thorough investigation.

Madam, as you open a new Bank, can you please explain the status of the huge NPAs piling in different banks, the write off amounts? You said last time, Madam, and I remember very correctly that write offs do not mean the borrower has been let off. This was your statement, Madam. But the actual figures, I will give you, and this may not please you. In the last eight years, the write off amount is Rs.2,78,517 crore from the 12 public sector banks and the recovery made is just Rs.19,207 crore. This may be wrong because the data has been compiled from the websites of different banks. We would like some official figures to come from you. The recovery is just seven per cent. Now, the question is: What happens to that 93 per cent recovery? How, when, and how do you plan to recover that amount? It is a million-dollar question.

20.00 hrs

महोदया, हम आज भी देखते हैं कि कई ऑटो रिक्शा, ट्रेक्टर वाले आते हैं और कहते हैं कि कोरोना काल में हम अपनी इंस्टालमेंट नहीं भर पाए हैं और बैंक वाले कह रहे हैं कि आपका ऑटो सीज कर लेंगे, ट्रेक्टर सीज कर लेंगे। किसी ने छोटा लोन लिया है, उसे इंस्टालमेंट न देने की वजह से परेशान किया जा रहा है। इस मुल्क में दो कानून कैसे हो सकते हैं। गरीबों के लिए अलग कानून है और उन धन्ना सेठों के लिए अलग कानून है, जो हमारा पैसा लेकर आज विदेशों के अंदर बैठे हुए हैं।

My humble request to you, Madam, is, to get all the Modis, the Nirav Modis, the Lalit Modis and the Mallyas back into this country. They have taken our money and just vanished right under your nose. It was people's money that

they took and vanished and, perhaps, they told the Government, “we are done with the loot, we are going out, catch us if you can.”. We request you to catch them, bring them back and send a message that anybody who loots the public money will have to face the music and will have to face the law. All these people are so filthy rich and we, perhaps, have a fear whether you really intend to catch them and bring them back.

माननीय सभापति : यदि सभा की सहमति हो, तो सदन का समय बिल के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

कई माननीय सदस्य : जी हाँ, महोदया।

माननीय सभापति : ठीक है।

श्रीमती सुनीता दुग्गल।

SHRIMATI SUNITA DUGGAL (SIRSA): The title itself envisaged what is there on the minds of the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister. The hon. Finance Minister while presenting the Union Budget 2021 stated that infrastructure needs a long-term debt financing. A professionally managed Development Financial Institution (DFI) is necessary to act as a provider, an enabler and a catalyst for infrastructure financing. The DFI will be set up with the initial amount of Rs. 5000 crore and will have a lending target of Rs. 3 lakh crores in three years. This is a journey from a 'Developing Country' to a 'Developed Country'.

और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और आदरणीय प्रधान मंत्री जी की जो फाइव ट्रिलियन डालर की सोच है, मुझे लगता है कि उसकी तरफ यह बढ़ता हुआ एक बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि What is DFI exactly? The Development Financial Institution is an organisation which is either owned by the Government or by the charitable institution to finance infrastructure projects that are of national importance but may or may not meet the commercial return standards. The National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021, is introduced in the Lok Sabha by the hon. Finance Minister on 22nd March, 2021.

अभी आपके सामने संगीता जी और सुप्रिया जी ने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि जो ओल्ड डीएफआईज़ थे, उनके अंदर जो दिक्कतें थीं, उन सभी को दूर करने के बाद ही हम लोग यह बिल लेकर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्हें अच्छी तरह से कंविन्स कर देंगी। जयंत सिन्हा जी ने भी बताया कि जिस तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत है और बजट में आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस बार एक्सपेंडिचर का केपिटल, उस

पर फोकस किया है। उसी के तहत यह बहुत अच्छा बिल है और इसके लिए मैं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं बताना चाहती हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी**?** About 6000 projects have been identified under the National Infrastructure Pipeline with the projected investment of Rs. 111 lakh crores during 2020-2025. हमारे हर नागरिक के सिर पर छत होनी चाहिए। ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा कोई इंस्टीट्यूशन होगा, मुझे लगता है कि यह तभी संभव हो पाएगा। अभी हम मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की डीएफआई से पूरे देश के अंदर इनफ्रास्ट्रक्चर का जो वातावरण बनेगा, उससे जबरदस्त तरीके से रोजगार जेनरेट होगा और हमारे लम्बे समय के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई प्रोजेक्ट 15 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा या 25 साल का प्रोजेक्ट होगा, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा।

Setting up a new DFI in India through budgetary and legislative measure is not a difficult task. But it will be a big challenge to ensure that it is well capitalised, well managed and it remains committed to its distinct goals and core values.

'आपदा से अवसर' में हमने देखा कि किस तरह से कोरोना काल में भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे साल में 110 वर्चुअल मीटिंग्स बाहर के देशों के साथ कीं। हमें आज ही इसके बारे में पता चला। आदरणीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री महोदया काफी कर्मठ हैं। उन्होंने कहा है कि आपदाकाल में जितना काम हुआ है, उतना काम उनकी पूरी जिंदगी में, जिस तरह के उनके पूर्व के दायित्व रहे हैं, वह नहीं कर पाए हैं। हम लोग आपदा से अवसर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी कि डीएफआई के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स क्या हैं? India needs significant investment in infrastructure. Infrastructure financing requires long-term and non-resource financing which is inherently risky in nature due to higher credit cost, high risk of delay and failure of projects. Traditionally banks

and financial institutions in India have been an important source of financing for infrastructure sector. While banks rely heavily on short-term liabilities, infrastructure financing essentially involves long-term finance. आप देखिए कि जो छोटे-छोटे बैंक्स हैं, हम लोग उनमें चार-पांच सालों के लिए पैसा जमा कर देते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें पैसे की आवश्यकता लंबे समय तक के लिए होती है। Consequently, exposure to long-term infrastructure financing has been a fundamental source of asset-liability mismatch on the balance-sheet of the banks which raises systemic concerns. On the other hand, the Indian corporate bond market is not sufficiently deep and is inadequately matured to meet India's infrastructure financing requirements. In view of this, Government intervention is necessary to facilitate and enable low cost, long-term, patient capital from India and abroad into greenfield infrastructure projects to foster sustainable economic development.

आदरणीय सभापति महोदया, ग्रीन फील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर देश के लिए कितनी जरूरी है, कच्छ में अभी दुनिया के सबसे बड़े सोलर पॉवर प्लांट और इसके साथ-साथ विंड पॉवर प्लांट का आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उद्घाटन किया। इस तरह के प्रोजेक्ट्स की मैंटेनेंस के लिए भी डीएफआई की सख्त जरूरत है। इसके साथ-साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को मालूम ही है कि 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब ने जबरदस्त तरीके से पूरी इंडिया के अंदर एक जाल सा बिछा दिया है। चाणक्य जी ने इसके लिए कहा है कि- "A well-planned work produces good results even in adverse conditions." हमारे ऐसे एडवर्स कंडीशन्स के बावजूद हम कितने अच्छे गुड रिजल्ट्स इसके अंदर लेकर आए हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि solutions for financing would be part of overall policy intervention addressing challenges to

infrastructure development. Therefore, it has been decided to set up a statutory institution to be called the National Bank for Financing Infrastructure and Development as the principal development financial institution and development bank for infrastructure financing. The institution would also be empowered to lend to or invest in infrastructure projects located in India, or partly in India and partly outside India. अगर हमें सड़क इंडिया से भूटान के बीच में बनानी है, अगर हमें इंडिया से नेपाल के बीच में बनानी है, तो ये इंस्टीट्यूशन उसमें भी जबरदस्त तरीके से हेल्पफुल रहेगा, जो कि इससे पहले नहीं हो पाता था। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि privatising systematic risk mitigation, credit enhancement, subordinate debt maturity suited to projects like dams, and to raise long-term finance for the same, the institution may also be involved in project specific monitoring and monetisation of completed projects. नए प्रोजेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके साथ-साथ जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं, जैसे कि अटल टनल, जो इतनी हाइट पर, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बनाया गया है, वहां एक साल के अंदर डेढ़ लाख से ज्यादा व्हीकल्स वहां से क्रॉस कर चुके हैं। हमारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, उसके लिए भी हमारा यह इंस्टीट्यूशन बहुत हेल्पफुल है। अभी बजट में हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आई हैं कि 7 टेक्सटाइल पार्क पूरी इंडिया में बनेंगे। इस तरह के जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें यह काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं इसके साथ-साथ आदरणीय वित्त मंत्री जी से यह भी कहना चाहती हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र सिरसा कॉटन बेल्ट है। यदि आप कृपा करके एक पार्क वहां पर भी बनवा देंगी तो मैं आपकी तहे-दिल से आभारी रहूंगी। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि accordingly, it is proposed to bring a legislation namely the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021. इसके साथ-साथ इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऐस्पेक्ट्स भी हैं।

जितने भी उनके डाउट्स थे, वे यहीं से क्लियर हो जाने चाहिए कि इसकी रेग्युलेटरी बॉडी आरबीआई है। Acknowledging that both development and financial objectives will matter for setting up a core infra DFI. There will be a professional Board with 50 non-official directors. इसका बोर्ड भी अपने आपमें एक अलग ही तरह का होगा, जिसके अंदर 50 परसेंट नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर्स रहेंगे।

There will be mandatory performance review once in five years in terms of objectives behind setting up of NaBFID. This would be publicly presented. हर 5 साल के अंदर उसका पूरा लेखा-जोखा देखा जाएगा और उसको पब्लिकली पब्लिश किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न रहे और इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहे। There is some continuity in terms of provisions followed by other AIFI but the changes are more prominent and reflect forward-looking thinking. आप यह देखिए इसके अंदर 10 साल तक टैक्स इंसेंटिव रहेगा और अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आता है, अगर कोई प्राइवेट डीएफआई आती है तो इसके अंदर उसको भी 5 साल तक के लिए टैक्स का बेनीफिट रहेगा। Grants are one part of the narrative. The other part is to have a truly professionally managed Board. The Board has therefore been fully empowered. It can even remove an MD for non-performance. अगर कोई एमडी ठीक से काम नहीं करेगा तो बोर्ड उसे निकालकर बाहर कर सकता है। Independence of the Board has been ensured and safeguards built against abuse by Board members. Risk aversion has been addressed for commercial decisions taken in a professional manner. In an earlier era, the salary of the Secretary to the Government of India had become a glass ceiling for all such entities. Talent would still come to such institutions at that time, because public service had high stature and private sector had limited opportunities. मुझे लगता है कि सिर्फ एक

शायद इम्तियाज जी, को छोड़कर बाकी सबने इसके फेवर में बोला है। जसबीर गिल जी बहुत इसके फेवर में बोलकर गए हैं। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूँगी कि limiting market salaries to just a few critical positions is a halfway solution and represents an attempt at incremental changes.

अंत में, मैं बस यह कहना चाहूँगी कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे यूके है, यूएसए है, उनके अंदर भी ये सब आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा इसमें किया है। अगर हम यूके की केस स्टडी देखें, तो उसमें लिखा है कि Countries often struggle to disentangle infrastructure plan from national and private sector interests and implement plans beyond election cycles. Launched in 2015, the National Infrastructure Commission is designed to address such challenges. यूके में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन बनाया गया है। It is still set up through political and democratic processes but the intention is to get the politics out of long-term infrastructure investment.

हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री जी की सोच देखिए कि उन्होंने यह नहीं सोचा, मैं तो चाहती हूँ कि परमात्मा करे हमारी सरकार 20-25 साल तक चलती रही, लेकिन इतने लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं कि अगर सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हमारे हिन्दुस्तान के लिए बनने चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से यूएस के अंदर भी है।

अंत में, मैं कहना चाहूँगी कि "सुखस्य मूलं धर्म:। धर्मस्य मूलं अर्थ:। अर्थस्य मूलं राज्यं। राज्यस्य मूलं इन्द्रिय जय:। इन्द्रियाजयस्य मूलं विनय:। विनयस्य मूलं जनोपसेवा।" जन सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दु:ख भाग्भवेत्।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह जो राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक लाया गया है, मैं इसके इतिहास में जरूर जाना चाहता हूँ, वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। यह बात तो सही है कि the country needs a lot of funding for infrastructure development. This is a fact. दो चीजें देखने की जरूरत है कि हमारी कंट्री ने अभी तक क्या-क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं?

What have we done on this score? सारी दुनिया में क्या हुआ? सारी दुनिया में भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। What were the people in other parts of the world doing?

मैडम, अगर सारी दुनिया को देखें, तो जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूएस ने अपना 1930 का जो डिप्रेशन था, उनके जो प्रेजीडेंट थे, उन्होंने उसको यूज किया, वे हाइवेज को मोटरवेज कहते हैं, मोटरवेज, पोर्ट्स और जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता था, उसमें उन्होंने पैसा भी ज्यादा लगाया है। चाइना ने रिसेंटली, जब 2008 वाला हुआ, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। एक प्रिंसिपल, जिसमें सारी दुनिया का एक्सपीरियंस है तो वह यह है कि the Government took the responsibility कि हम अपने टैक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाएंगे, चीप क्रेडिट दिलवाएंगे और वेरी वाइब्रेंट बाँड मार्किट क्रिएट करेंगे, जिससे पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए। सारी दुनिया में यह एक्सपेरिमेंट हुआ है। आप कोई भी लिटरेचर देख लें। अब अपनी कंट्री में हमने क्या किया? अपनी नॉर्मल बैंकिंग से क्रेडिट जाता है। We tried to create specialised banks. सभी लोगों ने, कई लोगों ने बोला है कि आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई क्रिएट किया। अब मेरे मन में दो-तीन सवाल आ रहे हैं। The NPA of the banks is known. हमारे बैंकों में, पीएसयूज़ और दूसरे बैंकों में एनपीएज़ बहुत हाई हैं। मैं अभी रिसेंट रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस साल कोरोना के समय में जो आपने एक्सटेंशन दी थी, जो रिलेक्सेशन दी थी when that period is over, the NPAs may go up to 14 per cent or 15 per cent or 16 per cent of the total

advances. The Finance Minister would know it better. अब सवाल मेरे मन में यह आ रहा है कि we are creating another institution. At least, the House does not know what the reasons were. Why have we failed in our earlier attempts? जो पहले क्रिएट किए गए थे, उनका क्यों फेल्योर हुआ? What were the reasons? At least, हाउस को तो नहीं बताया गया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं। When the Indian economy is down, when the world economy is going down, इस वक्त आपको लगता है कि लोग बहुत बड़ा इनवेस्ट कर देंगे? आप उस पर अपना व्यू बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे जो तीसरी शंका हो रही है कि इस इंस्टीट्यूशन के लिए न कोई एकाउंटबिलिटी, न ट्रांसपेरेंसी है और सीएजी को भी निकाल दिया। Why should we remove the CAG from this institution? इस इंस्टीट्यूशन में ऐसा क्या खास है कि आप सीएजी को लगाना नहीं चाहते हैं? एक स्पेशल सब-सेक्शन लगाया है कि न सीबीआई, न ईडी, वह सारा कुछ आपने किया है। लेकिन पुराने जो पीएसयूज़ बैंक्स हैं, अगर कहीं बात होगी तो मैं वह न्यूज आपको निकाल कर दे देता हूं कि जब आपकी सरकार क्रेडिट लेती थी कि फलां पीएसयू बैंक के सीएमडी को हमने जेल में डाल दिया। अब आपने वह एक्सट्रीम स्टेप लिया। Now, you are taking another extreme step कि अब कुछ भी नहीं रख रहे। वित्त मंत्री जी, my suggestion to you is this. मिडिल पथ होता है, उससे सिस्टम चलता है। एक्सट्रीम में नहीं चलता है। I am coming to my suggestion. मैं सुझाव तो दे दूं, क्योंकि नेगेटिव तो बोलना बहुत आसान है। My suggestion is very clear that we must follow the international model. The international model is that the Government of India must take the responsibility to fund the infrastructure from its taxes, जो हम कर सकते हैं कि एनपीएज़ बैंकों के खत्म कराओ, उनकी बैंलेसशीट क्लियर कराओ and create a very, very vibrant bond market, जिससे पैसा आएगा। हमारे यहां बहुत इम्मैच्योर बॉण्ड मार्केट है। हाँ, उसकी जरूरत है। उसके लिए जो

लेकर आना है, वह आप लेकर आइए। इस तरह का एक दूसरा संस्थान स्थापित करना, इसमें मुझे तो लग रहा है कि कहीं यह डेड टाइम बम न हो जाए।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): महोदया, आपने हमें इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसकी मांग बहुत समय से थी। लोग चाह रहे थे कि सुधार के साथ यह बिल इस देश में लागू हो। जब सबको पता चला कि यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच पॉजिटिव है, हमारे वित्त मंत्री जी की सोच पॉजिटिव है, जिससे यह देश अद्भुत तरीके से चल रहा है। यह हर स्थिति से निकलता है, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं। मैं ऑपोजीशन को भी सुन रहा था। बड़ी नेगेटिव थॉट की वजह से ही इन लोगों ने कई साल इस देश की दुर्दशा की थी और अभी भी उनका एप्रोच वही था। उनके थॉट में कभी पॉजिटिविटी रही ही नहीं। अगर आप हर चीज में खामियां ढूढ़ेंगे तो आपको जीवन में पहले से कुछ समझ में नहीं आएगा।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021 एक अहम बिल है। यह सबको पता है, पता चल रहा है और पता चल जाएगा, जब हमारी मंत्री जी इस पर बोलेंगी। इससे संरचना मजबूत करने में सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। इससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी, व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। वे जो बोलते हैं, वे करते हैं। उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। इसे पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। इस प्रगतिशील कानून से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें काफी मदद मिलेगी। So, it is a very important Bill. It will accelerate the growth engine of our economy, which is the need of hour, especially in the post COVID-19 pandemic era, जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। पारंपरिक रूप से भारत में बैंक और वित्तीय संस्थाएं अवसंरचना क्षेत्र के लिए वित्त पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं जबकि बैंक लघु अवधि के दायित्वों पर अधिक निर्भर रहते हैं। यह एक प्रगतिशील कानून बनेगा, जिससे विशिष्ट रूप से अवसंरचना को विकसित करने में काफी मदद

मिलेगी। शुद्ध रूप से अवसंरचना को विकसित करने के लिए ऐसी समर्पित संस्था का इस देश में अभाव रहा है, जिसे हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूरा करने का काम किया है, इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में कुछ बिन्दुओं को मैं रेखांकित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक नामक कानूनी संस्था की भारत में दीर्घावधि अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहायता देने और अवसंरचना वित्तपोषण के कारोबार को चलाने के लिए स्थापना करना अति आवश्यक था। केन्द्रीय सरकार, बहुपक्षीय संस्थाओं, सम्प्रभु धन निधियों और ऐसी अन्य संस्थाओं को समर्थ बनाने के लिए भी इस तरह के कानून की आवश्यकता थी।

मैडम, प्वायंट्स तो काफी हैं, लेकिन मैं बहुत सरल शब्दों में कहूंगा, नहीं तो विपक्ष के लिए यह बाउंसर जाता है। इसलिए सरल तरीके से मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि डीएफआई कोई नया नहीं है, बल्कि इसके स्वरूप और चरित्र में समय के साथ परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, जिसे करके लाया गया है। वर्ष 1948 और 1964 के बीच डीएफआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई का गठन किया गया था। उनका गठन भारतीय उद्योगों को स्थापित करने के लिए किया गया था, यह हम सभी जानते हैं। वर्ष 1980 में हमने एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एस.आई.डी.बी.आई. तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का गठन किया।

डीएफआई हमारी सोच में मूलभूत परिवर्तन को दर्शाता है। हम वर्ष 1980 के दशक की सोच को अब पीछे छोड़ रहे हैं और जैसा कि बताया कि ऑल-ओवर-द-वर्ल्ड में, अमेरिका भी इसे लागू करने की सोच रहा है। People are successful at many places in neighbouring countries. यह हमारे देश को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। 'आत्मनिर्भर भारत' एक खुली अर्थव्यवस्था है तथा एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसका लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर है। हम इसे तैयार कर रहे हैं। यह डीएफआई शहरों तथा गांवों के लिए सड़क, बिजली की लाइन, बिजली घर, रेलवे लाइन,

एयरपोर्ट्स तथा बन्दरगाहों आदि जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लोन उपलब्ध कराने हेतु काम करेगा। इन सभी से भारत के आम नागरिकों को लाभ होगा।

यह डीएफआई धन एकत्र करने में सहायता करेगा, जिससे कि परियोजनाओं को चालू करने तथा उन्हें पूरा करने में सहायता मिलेगी। चूंकि यह डीएफआई घरेलू तथा विदेशी, दोनों बाजारों से धनराशि एकत्र करेगा, इसकी प्रत्येक परियोजना के लिए पैसे उपलब्ध कराने में सरकार के ऊपर निर्भरता कम होगी और डीएफआई बाजार से एकत्रित धनराशि उपलब्ध कराएगा।

जैसे अगर श्रीलंका के साथ एक संधि हुई कि हमें एक फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट करना है या नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कोई संधि करनी है या ओमान के साथ एक ऑयल पाइपलाइन की संधि करनी है। इन सारी चीजों के लिए अब हमारे पास फंड यहीं से एकत्र होंगे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नागरिकों को परेशानी होती थी। ट्रैफिक जाम की समस्या, सड़कों की खराब स्थिति, पुलों का अभाव और रेलवे के न होने से हमारा जीवन प्रभावित होता था। बेहतर सुविधाओं की माँग होती है, लेकिन ऐसी सुविधाओं की आपूर्ति की हमेशा से कमी रही है। इस डीएफआई से स्थिति में परिवर्तन आएगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से खासकर विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि यह एक अद्भूत बिल है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। वित मंत्रालय ने इस अद्भूत बिल के बारे में सोचा है। इससे हमारा देश भारत मजबूत होगा। उसमें एक अलग आत्मनिर्भरता की शक्ति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।

महोदया, मैं आज पहली बार किसी बिल पर बोल रहा था, अगर कोई त्रुटियाँ हुई होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया।

महोदया, सदन में आज राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। इस संस्थान द्वारा निवेशकों से धन जुटाने के संबंध में कर छूट प्रदान करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

महोदया, अबकी बार रिकॉर्ड बना दिया कि कल एक के बाद एक, दो-तीन विधेयक लाए गए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी उस समय कह रहे थे कि 1500 से ज्यादा जो विधेयक फालतू के हैं, उनको रिपील किया जाएगा। तब हमने भी माँग की थी कि जब आप 1500 विधेयक को रिपील कर रहे हैं तो इसकी जगह 1503 को रिपील कर दीजिए। तीनों कृषि वाले कानूनों को वापस ले लीजिए। 1500 का तो रिकॉर्ड बन ही गया है। हमने 1503 की डिमांड की थी।

महोदया, आज आप बुनियादी विकास के ढाँचे को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बैंकों के निजीकरण पर जनता को अविश्वास है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होती है। बैंकों को नुकसान होने से देश के प्रत्येक व्यक्ति का नुकसान होता है।

माननीय मंत्री जी, पीएनबी को जिस नीरव मोदी व मेहुल चौकसी ने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया, जिस विजय माल्या ने हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान किया, उसकी भरपाई अभी तक कितनी हुई, उसका रोडमैप क्या था और आगे स्थिति क्या रहेगी, यह देश जानना चाहता है। साथ ही साथ जिस तरह से राणा कपूर ने हजारों करोड़ों रुपये का घोटाला करके डीएचएफएल को भारी फायदा पहुँचाया और 600 करोड़ रुपये का कमीशन भी लिया। इसका जवाब भी देश की जनता माँग रही है।

महोदया, काला धन वापस लाने की बात भी कही गई थी। तब हम आपके साथ ही एनडीए के अंदर थे। निश्चित रूप से एनडीए के सहयोग से ही आप वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में सत्ता में

आए। इस देश की जनता हमसे सवाल पूछती है, हम जहाँ भी जाते हैं, वहाँ हमसे पूछती है कि आप बड़े जोर-जोर से वोट माँग रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा। आपने नोटबंदी भी की, लेकिन काला धन अभी तक वापस नहीं ला पाए। इसका जवाब हमें फील्ड में देना पड़ेगा।…(व्यवधान) मैं आपसे माँग ही तो कर रहा हूँ। मैं आपका विरोध थोड़े ही कर रहा हूँ। मैं माँग कर रहा हूँ कि आप काला धन वापस लाइए।

महोदया, अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ। इस विधेयक के माध्यम से आप इस प्रकार के वित्त संस्थान के लिए शुरुआत में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की बात करते हैं। …(व्यवधान) मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूँ, नहीं तो आप कैसे बोलते, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं होता और हम लोग रात तक बैठते। मैं माँग करूँगा कि देश के किसानों की कर्जमाफी के लिए भी आपको रोडमैप बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि, बिट्टू जी की पार्टी ने जिस तरह से इस देश का बँटाधार किया, कम से कम आप तो मत कीजिए, नहीं तो फिर कांग्रेस-भाजपा के बीच अंतर क्या रह जाएगा। इस अंतर को आपको समझने की आवश्यकता है।

महोदया, सदन के माननीय सदस्यों ने विधेयक के मसौदे की कमियों पर प्रकाश भी डाला है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जिस निवेश की बात आप कर रहे हैं, उससे बैंकिंग सेक्टर में देश के लोगों की कितनी नई नौकरियाँ मिलेंगी। यूपीए की सरकार जब यह बिल लाई तो आप ही के नेताओं ने उस समय इस बिल का विरोध किया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि दोनों स्वर्गीय हो गए। आज मैं एक समाचार का आर्टिकल पढ़ रहा था, पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग व्यवसाय में सार्वजनिक बैंकों का हिस्सा घटता जा रहा है और निजी क्षेत्र के बैंकों का बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2010 में 75.01 प्रतिशत लोन सरकारी बैंकों ने दिया, जो वर्ष 2020 में घट कर 57.03 प्रतिशत हो गया हैं। इस बीच निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 17.04 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत पर आ गया। इसलिए मेरा सुझाव है कि बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण करना किसी समस्या का हल नहीं है। इसलिए सार्वजनिक बैंकों के प्रशासन में सुधार करके उनके कामकाज में पारदर्शिता लाकर इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि विकसित देशों में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया जाता है, इसलिए हमारे सरकारी बैंकों में नए स्टाफ की भर्ती की जानी चाहिए, क्योंकि अभी कार्मिकों पर बहुत कार्य का दबाव है। हमारे वित्त राज्य मंत्री बहुत नौजवान है। हमारे नेता नौजवानों की नौकरियों पर जरूर ध्यान देंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि देश की जनता में बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण को लेकर जो चिंता है, उसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ।

आज ही के दिन 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव ने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा। उन्होंने ऐसे देश की परिकल्पना की थी, जिसमें भारत अपने स्तर पर तमाम वे सफलतायें हासिल करे, जिनके लिए वे अंग्रेजों पर निर्भर हो गये थे। आज हम निजीकरण में एफडीआई को बढ़ावा देकर पुन: बैंकिंग सेक्टर में विदेशी हस्तक्षेप को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से बढ़ावा देने लगे हैं। इससे देश के युवाओं के मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि बढ़ते निजीकरण से उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ज्यादा बिल लाने से कोई भला होने वाला नहीं है। ऐसे बिल लाइए, जिससे देश के लोगों को रोजगार मिले और देश का किसान खुशहाल रहे। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): सभापति महोदया, आपने मुझे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इनफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। A professionally managed DFI was necessary for infrastructure financing in this country. Though it was not a newer concept, institutions like IDBI, ICICI were also said to be as DFIs, but as time passed, they changed their operations and became commercial banks. I will thank and appreciate the hon. Minister for bringing this Bill as it was the need of the hour. The kind of funds we need for big infra projects, the step of National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill is the perfect step towards this.

<u>20.32 hrs</u> (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि आज देश के अंदर हाईवे प्रोजेक्ट्स बहुत ही अलग-अलग लेवल पर चलते हैं। हमेशा यह देखने को मिला कि चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे मोर्थ के द्वारा फंडिंग जो हम प्रोवाइड कराते हैं और हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनमें कहीं न कहीं इस बात की भी प्रॉब्लम आती है कि कांट्रेक्टर के रूप में एक कांट्रेक्टर काम करता है, फिर कंसेशनयर एनएचएआई एजेंसी बनती है, लेकिन बैंक कभी उस चेन का हिस्सा नहीं बन पाता है। ऐसे में कई लिटिगेशंस आते हैं। कई-कई प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय तक रुक जाते हैं। ऐसे समय में एक मॉडल की रिक्वायरमेंट थी, जहां इन तीनों की चेन बने और लाँग टर्म रिलेशनशिप का काम करे।

एक क्लासिकल एग्जांपल है। लंदन से पेरिस की जो टनल बनी थी और जो रेलवे ट्रैक बना, उसकी फंडिंग का जो पैटर्न है, वह 11.8 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट की फंडिंग का पैटर्न 99 ईयर्स का था। इसमें चेंस ऑफ बैंक्स जुड़ीं और they became a kind of relay – 15 years of this bank and 15 years of another bank which will be taking

forward that loan. So, that model was required and it was always needed in this country. We need an infrastructure project financing system in this country which can help us. इसकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट को इंडस्ट्री बार-बार मिस कर रही थी। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जो एक ऐसे कांसेप्ट को लेकर चली हैं और यह इस कंट्री की इनवेस्टमेंट्स के परपज को अब टोटली चेंज करने का काम करेगा। कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जो हमेशा एक लांग टर्म फाइनेंसिंग के कारण वॉयबल नहीं हो पाते। डीएफआई सिर्फ इनफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ही काम नहीं है। एक सोशल डेवलपमेंट और एक इनक्लूजिव ग्रोथ को भी लेकर हम चलेंगे। इरीगेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कंट्री के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन 1970 के दशक में आई। आज कंट्री के अंदर इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका कमिटमेंट भी है। मेरा यही कहना है इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि कंट्री के अंदर फ्लड इरीगेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आप इस फ्लड इरीगेशन को इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कन्वर्ट करना चाहेंगे। इसमें ह्यूज इनवेस्टमेंट कॉस्ट और लैंड एक्वायर कॉस्ट है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यमुना लिंक प्रोजेक्ट पिछले 25 सालों से अटका हुआ है। उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20 से 22 हजार करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने पिछले पांच साल के अंदर, गडकरी साहब के नेतृत्व के अंदर हम उस लाइन तक पहुंचे हैं जहां पर प्रोजेक्ट को फंडिंग करने की बात आ गई है। हालांकि राजस्थान सरकार आज तक एक पैसा देने का काम नहीं कर पाई, जबकि उनका शेयर इसमें 20 पर्सेंट था।

मैं चुरू क्षेत्र से आता हूं। पूरा हरियाणा प्रदेश इतना लंबा नहीं, जितना बड़ा मेरा संसदीय क्षेत्र चुरू है। आज 80 पर्सेंट लैंड सिर्फ रेन फेड इरीगेशन पर काम करती है, खेती करती है। डीएफआईज़ जब आएंगी, तो लाँग टर्म फाइनेंसिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत ज्यादा हेल्प हमारी कांस्टीट्युएंसी को मिलेगी और एक अलग रिवोल्यूशन आने की बात चलेगी। इतना ही नहीं, डीएफआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। डीएफआईज़ एक सोशल

कांबिनेशन लेकर चलते हैं। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी हो और डेवलपमेंट भी एक एजेंडा होना चाहिए। इसकी खास बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस को अगर देखेंगे तो सोशल गोल्स को हम कैसे एचीव कर पायेंगे? बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर हम आज की तारीख में सोच नहीं सकते।

मैं रेलवे सेक्टर की बात करता हूं। मैं राजस्थान की बात करूंगा तो आप बिलीव नहीं कर पायेंगे कि लास्ट 15 ईयर्स के अंदर कुछ कामर्शियल रूट्स को छोड़कर एक भी नई रेल लाइन बिछाने का काम नहीं किया गया।

जब आप रेलवे लाइन बिछाने की बात करेंगे तो इसके लिए आपको ह्यूज फंडिंग चाहिए। मेरी कस्टीट्यूएंसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन है। आज तक यहां के लोगों के लिए ड्रीम ही रह गई, नोखा से सीकर, सरदार शहर से हनुमानगढ़, यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यह बीस सालों से पेन्डिंग है। मैं राजगढ़ से तारानगर, तारानगर से गजसिंहपुर, बेर से भादरा की बात कर रहा हूं।

जब भी रेलवे की बात की जाती है। रेलवे ने सर्वे पर करोड़ों रुपये खर्च कराए लेकिन जब आरओआई निकल कर आती है तो नेगेटिव आती है। हमारा स्टेशन का पीरियड इतना छोटा है कि लांग टर्म फंडिंग के लिए हेल्प नहीं मिल पाएगी या शायद वायबिलिटी नहीं मिल पाएगी। डीएफआई का सोशल अस्पेक्ट में प्रोफिटेबिलिटी न देखी जाए। आज हम गांव-गांव और तहसील तक 70 साल की आजादी के बाद भी रेल नहीं ले जा पाए हैं। एक ऐसी मॉडल के रिक्वायरमेंट की जरूरत थी जो फंडिंग प्रोवाइड कराती और डीएफआई एस्पेक्ट को भी पूरा करने का काम करती ।

मैं उम्मीद करता हूं कि डीएफआई के माध्यम से सरकार ने एक बेहतरीन स्टेप लिया है, आज पूरी इंडस्ट्री जानती है। आज बैंक की एपेटाइट दस से बारह साल है, 2014 के बाद एक सिस्टम चला कि बीस से पच्चीस साल तक ही फंडिंग कर सकते हो। पांच-सात साल के बाद रि-फाइनेसिंग का मॉडल करना पड़ता है। कंट्री में ऐसा कोई भी मॉडल जिंदा नहीं था, जिससे देश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट्स में आगे बढ़ सके।

मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे के बारे में बात की है, इरिगेशन के बारे में बात की है। प्रिंसिपली एप्रुवल से हाई राइज बिल्डिंग बन जाते हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट को आप एक्जिक्यूट करते

हैं, मिनिस्ट्री उसका पे-बैक टाइम देखती है। जब पे-बैक टाइम देखती है तो शायद वह मॉडल वर्केबल नजर नहीं आता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सरसा से लेकर नौहर, तारानगर, सावा और चुरू में एक नेशनल हाईवे की तीन साल पहले डीपीआर बन कर तैयार हो गई, इसमें शायद वायबिलिटी का गैप होगा या हो सकता है कि फंडिंग का मॉडल न हो, उसके कारण आज काम रुका हुआ है। डीएफआई आएगी तो ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स को वैसा मॉडल चाहिए था। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। डीएफआई आने वाले हिन्दुस्तान की नई तस्वीर बनाने का काम करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much. Seventeen hon. Members spoke on this Bill. It is late in the day and also having participated in the discussion on the Finance Bill, I thank each one of the hon. Members who have taken interest in participating in this discussion.

Sir, very many hon. Members have rightly pointed out that this institution which we are going to create through a statutory provision is a very unique institution and it has taken this unique shape and structure based on the lessons that we learnt from all other earlier institutions.

Hon. Member Shri Amar Singh ji rightly asked a question if we know why all those institutions failed. But this House does not have that information. I think, periodically this House has been getting the information as to why some banks could not perform and why some developmental institutions did not continue to be development institutions. They moved over to become regular commercial banks. As a result, every such experiment which had happened earlier resulted in such changes, all of which have been studied before forming this institution. So, this institution has really acquired that unique character only because it has been tailored in such a way that it gets over all the handicaps which other earlier institutions faced; this may not face and this, hopefully, has come out of all the learnings that we have done as a Government.

Sir, before I get into the uniqueness of this institution, I want to say that infrastructure financing and project financing long-term, all have a very high-

risk element. The credit costs are very high; the long-term assessment of the success of project is also, on grounds, not-so-established in terms of data and in terms of prior success rates. Each project may be unique for itself. Therefore, the possibilities of failure are also high when you take up funding for this sort of an institution. The way in which the current situation has become, the scheduled commercial banks which borrowed in the short-term and started lending in the long-term projects ended up with asset-liability mismatch, all of which are in the public domain and we know how a space which should have been occupied by development financial institutions gradually got filled in by commercial banks who did not, in their core business activity, have anything to do with long-term financing.

As a result, the absence of the long-term financing institution was felt equally, and the asset liability mismatch of the commercial banks also started standing out, and at both ends, we started losing.

A third set of institutions - the non-banking financial companies - started coming and performing what the scheduled commercial banks had to do other than what they were doing in terms of spreading and reaching out to the far-flung areas. So, all these together has given us a set of learnings based on which we have given a structure to this current institution.

It is also true equally that in India the corporate bond market is not really mature. It is not big enough. We are in no position to say that the bond market can adequately take care of our financing needs for long-term projects and

therefore, you can bank on that and leave the rest to be worried about by the bond market. No, the bond market in India is not yet ready for that.

Therefore, the twin problems have resulted in a situation that you need to have a specific institution which can finance development and also projects in this country.

All the hon. Members are aware that in the Budget of 2019-20, we had very clearly announced that an amount of Rs. 100 lakh crore will be invested in infrastructure in the next five years. The infrastructure pipeline which was announced by December, 2019 itself had more than 6500 projects, both greenfield and brownfield, all working to an estimated cost of Rs. 111 lakh crore. Obviously, that is the kind of money that is required for India's infrastructure building. Purely public funding and tax payers' money alone cannot meet that kind of money for building the infrastructure of the country. If we depend only upon the tax payers' money and the Government resource, this might take a 100 years by the time we can even reach all the 6000 projects.

So, through the establishment of this unique organisation, we think, this DFI will probably meet about eight per cent to ten per cent of the expected expenditure of the NIP itself.

I said that this institution is very unique because it meets both developmental objectives and also financial objectives. In this, global institutional investors as much as domestic retail investors will also participate. The monies which are expected to be raised from sovereign funds all over the

world and also from any other big investors who want to invest in India will all be drawn towards this institution because of the governance structure and the management structure which we are giving it.

It will have a single tier governance structure in the form of Board of Directors. Equal representation of the Government and independent Directors on the Board will be given. On Board appointment, I recall that Shrimati Sunita Duggal had very elaborately mentioned about how the Board will appoint key management personnel on the recommendation of the Bank Board Bureau and safeguards will be provided even for decisions which are commercially taken, which may lead to questions about why certain decisions are being taken. Inadequately informed prosecutions will not be entertained.

In this, it is important for me to say that the appointment of the Chairman may be done by the Government of India but the MDs and DMDs are going to be appointed on the basis of recommendation of the Bank Board Bureau which will then get vetted. I remember that hon. Member, Shri Jayant Sinha also mentioned it. It will be vetted and finalised by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Board and appointments will be made by the Board itself.

There is one specific data about how much is being given as equity by the Government of India. I would like to bring this to the notice of the House because there is a bit of a confusion between Rs. 5000 crore and Rs. 20,000 crore.

Sir, Rs. 20,000 crore is the equity Government of India is providing and that was announced in the Budget. A grant of Rs. 5,000 crore is being given for reducing the cost of funds in lieu of potential cost savings expected from the issue of tax-free bonds and this has been approved by the Cabinet. So, Rs. 5,000 crore is a grant whereas Rs. 20,000 crore is the equity which is given and that was announced in the Budget for 2021-22. They can also access line of credit directly from the Reserve Bank of India.

I will very quickly mention other notable features of the Bill. It will have a framework wherein the Reserve Bank of India will be enabled to issue regulations for granting licences to other infrastructure-focussed DFIs which may be set up by anybody else other than the governments. So, in the private area, the Reserve Bank of India can issue regulations for granting licences for DFIs. Then, for such institutions which are being licensed by the Reserve Bank of India in the private area, income tax exemptions are being given for five years whereas for this institution we have given it for 10 years. This institution and all other private DFIs will operate within the prudential framework of the Reserve Bank of India as applicable to All India Financial Institutions (AIFI). So, this institution will play a role towards dispute resolution in the field of infrastructure financing. Since there is a provision for private DFIs, we expect a very healthy competition for the public DFI which is being set up now through this Bill. I think due to the separation of ownership and supervisory role of the Government, we expect a high degree of efficiency in its functioning.

Apart from this, I would like to highlight one or two things because majority of the Members have certainly captured the essential features of this legislation which is before the House. I would like to make it clear that this institution shall not be listed because of the very nature of the business that they would be doing. I have already mentioned about the fiscal support that we are offering in the form of income tax exemption for a period of 10 years, a grant of Rs. 5,000 crore, a concessional sovereign guarantee fee at 0.1 per cent, provision of grants and contributions from Government in the future, and provision of full or partial support for hedging costs. The provision of support for hedging costs was also mentioned by two Members, especially by Shrimati Supriya Sule.

Now, monetary support is also available to them. They can borrow directly from the Reserve Bank of India for a period of 90 days. They can also borrow from the Reserve Bank of India against bills of exchange maturing within a period of five years. Statutory Liquidity Ratio status for bonds issued by this institution would be separately consider by the Reserve Bank of India. In addition to this, pension and insurance regulators will categorise bonds issued by this institution as approved investments. So, these are the essential features.

As I have already mentioned, this institution will not be listed because this is a long-term funding institution with a low margin business and it is not amenable for reporting its results every quarter. These are lessons that we have learnt from the experience of IDFC.

Sir, some Members have raised very pertinent questions. I would like to answer them. Shrimati Supriya Sule raised a question as to whether the Government will be able to give sovereign guarantee when the Government of India's share of equity goes down to 26 per cent. Now, we have 100 per cent ownership. It will be gradually reduced to 26 per cent. But we do not envisage it to be lower than 26 per cent at any time in future because 26 per cent is where we will eventually reach in future after a long time.

But the question that Supriya-ji had asked was: "Will you be able to give sovereign guarantee if, say, you reach 26 per cent level?" Yes, we will be able to give because the provision of sovereign guarantee is not linked to the extent of your presence there, not to the extent of GOI stake. It is the Act itself. Therefore, that is where the strength comes in.

It is a statutorily provided institution, and therefore, it gets the cover whereas the private one is not a statutorily provided institution…(*Interruptions*) But you are sitting there with 26 per cent.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I do not want to take the time of the House. Maybe, we can talk about it later.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, sure.

Again, you had questioned and as much, the same question was raised by the hon. Member Shri Amar Singhji also saying: "At one point in time you have this one extreme and you have gone to the other extreme. Why do you want to do with it? Why do you not go through the middle path?" This is actually taking the middle path. If on the one hand, you said, CBI, CVC and

CAG will all be looking at your decisions, and therefore, you are accountable; and the other extreme, which appears to you as if that there is no oversight at all." It is not right. It is being created by the Statute, which all of us are going to be passing it today, hopefully, and I would request all the hon. Members to kindly pass it. It is a statutorily provided institution. It will be answerable to the Parliament. It will be absolutely answerable to the Parliament. So, we are not going from one extreme to the other extreme where there is no oversight at all.

But that heavy fear of taking decisions as a result of oversight -- over oversight over oversight overlapping over oversight -- is now being given space wherein legitimate commercial decisions can be taken, professionally be taken, through a Board run institution be taken, and the Board being appointed by professionals themselves will be a lot more independent.

As I said earlier, there is a separation of Government control, Government ownership and Government decision-making. The decision-making here runs through a complete professional route. Therefore, to say that there is a complete lack of answerability, lack of absence of transparency is not right. They are going to be answerable to the Parliament.

So, that is where, I think, most of the issues have been addressed. Hopefully, I have answered all the questions.

Hon. Chairperson, Sir, with that, I would request the House to pass this Bill. Thank you.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है**:**

"कि भारत में अवसंरचना के वित्त-पोषण के लिए आवश्यक बंधपत्रों और व्युत्पाद बाजारों के विकास सहित दीर्घकालिक गैर-अवलंब अवसंरचना वित्त-पोषण के विकास को सहायता प्रदान करने के लिए तथा वित्त-पोषण अवसंरचना का कारबार चलाने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक की स्थापना करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

20.50 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 24, 2021/ Chaitra 3, 1942(Saka).